Monday 25, Nov,1974

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th LOK SABHA DEBATES

[बारहवां सत्र
Twelfth Session]

[खंड 45 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XLV contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 9—सोमवार, 25 नवम्बर, 1974/4 अग्रहायण, 1896 (शक)

No. 9— Monday, November 25, 1974/Agrahayana 4, 1896 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
निधन संबंधी उल्लेख	Obituary reference . .	1
न्यूजीलैंड के संसदीय प्रतिनिधी मंडल का स्वागत	Welcome to Newzealand Parilamentary Deligation . .	2

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.		
182 इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल मशीनरी डेवेलपमेंट क्लिनीक की बैठक	Meeting of International Agricultural Machinery Development Clinic . . .	2–7
183 वनस्पति घी का उत्पादन	Production of Vanaspati . .	7–9
184 वेश्यावृत्ति का उन्मूलन	Eradication of Prostitution	9–11
185 भाषाओं के विकास के लिये स्वयंसेवी संस्थाओं की वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Voluntary Associations for Development of Languages . . .	12–14
186 मेघालय से आसाम तथा बंगला देश को खाद्यान्नों की तस्करी	Smuggling of Foodgrains from Meghalaya to Assam & Bangla Desh	14
187 चुकन्दर से चीनी बनाने के लिये चीनी मिलों को प्रोत्साहन देना	Incentives for Sugar mills to take up Processing of Sugarbeet .	15
189 राज्यों को खाद्यान्न की मांग	States Demand for foodgrains .	15–19

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S.Q. Nos.		
188 चीनी की वसूली में गिरावट	Fall in recovery of sugar. .	19
191 शोधित तेल और वनस्पति मक्खन (वेजीटेबिल बटर) के मूल्य पर नियंत्रण	Control over price of refined oil and vegetable Butter . .	19

---

*किसी नाम पर अंकीत यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The Sing + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
192	विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों द्वारा त्यागपत्र	Resignation of Vice Chancellors of Universities . . .	20
193	राज्यों में बाढ से हानि	Losses due to Floods in States .	20–21
194	स्कूल आयु से छोटे बच्चों में कुपोषण	Malnutrition among pre-school Children	21
195	बाणसागर बांध सम्बंधी परियोजना प्रतिवेदन	Project Report on Bansagar Dam	21
196	रोहतक विश्वविद्यालय की स्थापना	Setting up of a University at Rohtak	22
197	वर्ष 1974–75 के लिये गेहूं और चावल को वसूली लक्ष्य	Procurement Target of Wheat and Rice for 1974-75 . .	22
198	विश्व खाद्य सम्मेलन में भारत द्वारा भाग लेना	India's participation in World Food Conference . .	23–24
199	रत्नागिरी, महाराष्ट्र में काजू की खेती करने की योजना	Cashew Cultivation Scheme in Ratnagiri Maharashtra .	24–25
200	दिल्ली स्कूल अध्यापक सहकारी गृह निर्माण समिति के सदस्यों द्वारा दायर किये गए शपथ-पत्र	Affidavits filed by the Members of Delhi School Teachers Co-operative House Building Society	25
201	खाद्यान्न में आत्म-निर्भरता के बारे में प्रधान मंत्री द्वारा घोषणा	Pronouncement by Prime Minister on Self Sufficiency in Food-grains	25–26

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
1801	उत्तर बंगाल में बाढ़ संरक्षण कार्य के लिये केन्द्रीय सहायता	Central assistance for Flood Protection Work in North Bengal.	26
1802	पश्चिम बंगाल में बाढ़ संरक्षण कार्य पर खर्च किये गये धन की कथित बर्बादी	Alleged waste in the funds spent on flood protection work in West Bengal . . .	26–27
1803	नई दिल्ली में भारत-बंगला देश संयुक्त नदी आयोग की बैठक	Meeting of Indo Bangladesh Joint Rivers Commission in New Delhi . . .	27
1804	कृषि योजनाओं के लिये गोआ को केन्द्रीय सहायता	Central aid to Goa for Agricultural Schemes . . .	27–28
1805	कृषि योजनाओं के लिये राजस्थान को केन्द्रीय सहायता	Central aid to Rajasthan for agricultural Schemes . .	28
1806	कृषि योजनाओं के लिए उड़ीसा को केन्द्रीय सहायता	Central aid to Orissa for Agricultural Schemes . .	28

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1807	फल तथा सब्जी विकास निगम	Fruit and Vegetable Development Corporation . .	28–29
1809	वसंत विहार कालोनी में शांति निकेतन में प्लाटों के अलाटियों द्वारा देय प्रीमियम	Premium Payable by Allottees of plots in Shantiniketan in Vasant Vihar Colony . .	29
1811	30/88 हेक्टेयर कृषि भूमि वाले व्यक्ति	Persons Holding 30/88 Hectares of Land	29–30
1812	थन्नरमुक्कम स्थित 'साल्ट वाटर बेरियर'	Salt water barrier at Thanneermukkom	30
1813	पश्चिम बंगाल की खाद्य कठिनाइयों को हल करने के बारे में मंत्री महोदय का वक्तव्य	Minister's Statement on solution of Food difficulties of West Bengal.	30
1814	डा० भगवान दास मेमोरियल ट्रस्ट, दिल्ली की सम्पत्ति के कब्जाधारियों को बदखल किया जाना	Eviction of occupants of the property of Dr. Bhagwan Das Memorial Trust, Delhi . .	30–31
1815	खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अंतर्गत आने वाले उत्पादों से फल उत्पाद आदेश को लागू न करना	Withdrawal of F.P.O. to Products covered by P.F.A. Act . .	31
1816	चयनग्रेड के लिये प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों की पात्रता	Eligibility of Primary School Teachers for Selection Grade	31–32
1817	पंजाब को रबी की फसल के गेहूं के लिये राजकीय व्यापार की अनुमति	Permission to Punjab for State Trading in Wheat of Rabi Crop	32
1818	गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल सप्लाई संबंधी परियोजनायें	Projects for the Drinking Water Supply in Rural Areas of Gujarat	32
1819	शिक्षा के स्तर के संबंध में समन्वय एवम् उसका निर्धारण करने के लिये समिति	Committee on Coordination and Determination of Standard in Education . . .	32–33
1820	उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्र में पेय जल सप्लाई संबंधी परियोजना	Project for Drinking water supply in Rural Areas of Orissa .	33
1821	टाइप IV आवास के हकदार कर्मचारियों पर तृतीय वेतनआयोग की सिफारिशों का प्रभाव	Effect of Recommendations of Third Pay Commission on Employees entitled to Type IV Accommodation . . .	33–34
1822	कारखाना श्रमिकों के लिये उचित दर दुकान खोलने के बारे में पंजाब सरकार का निर्णय	Decision of Punjab Government regarding opening Fair Price Shops for Factory Workers .	34
1823	उड़ीसा को बाढ़ के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Relief for Floods to Orissa	34

अता० प्र० संख्या U. S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1824	मध्य प्रदेश में दालों तथा तिलहनों के विकास के लिये विश्व बैंक की सहायता	World Bank Aid for Development of Pulses and Oil Seeds in M.P.	34–35
1825	पंजाब के किसानों को रियायती दरों पर ट्रैक्टरों की पुनः बिक्री	Resale of Tractor on premium to Punjab Farmers . .	35
1826	बांकुरा और पुरुलिया में गेंहू की खरीद	Purchase of wheat in Bankura and Purulia.	35
1827	बाढ़ तथा सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्यों के लिये विदेशी सन्घों द्वारा सहायता का प्रस्ताव	Assistance offered by Foreign Associations for Relief Work in Flood and Drought Affected Areas	35–37
1828	आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि	Rise in prices of Essential Commodities	37–38
1829	यूरिया उर्वरक का मूल्य	Prices of Urea Fertiliser. .	38–39
1830	बिहार में उर्वरक की बिक्री	Sale of Fertilisers in Bihar .	39
1831	उड़ीसा में चीनी उद्योग में गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रवेश पर लगे प्रतिबन्ध को हटाना	Lifting of Ban on Entry of private Sector into Sugar Industry in Orissa	40
1832	पंजाब और हरियाणा के बीच नदी जल का बटवारा	Sharing of River Waters Between Punjab and Haryana . .	40
1833	राज्यों में कावेरी के जल का बटवारा	Sharing of Cauvery Waters Among the States . .	40
1834	सरदार बल्लभई पटेल की जन्मशती	Birth Centenary of Sardar Vallabhbhai Patel . . .	41–42
1835	हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड द्वारा कुकिंग मारगरीन की बिक्री के लिये अवसर पैदा करने हेतु डालडा के उत्पादन में कटौती	Curtailment of Dalda production by Hindustan Lever Limited to Create Scope for Cooking Margarine . . .	42–43
1836	गजरात के जिलों में पीने के पानी की अत्याधिक कमी	Acute Shortage of Drinking Water in Gujarat Districts .	43
1837	चीनी के मूल्य में वृद्धि के कारण	Causes in rise in Sugar Prices .	43–44
1838	'एशियाटिक सोसायटी' कलकत्ता के कार्यकरण संबंधी समिति	Committee on working of Asiatic Society, Calcutta . .	44
1839	खरीफ की अनुमानित फसल और वसूली की संभावनाएं	Estimated Kharif Harvest and Procurement Prospects. .	44–45
1841	अनाजों पर निर्भरता कम करने के लिये आलू का उत्पादन	Potato Production to Reduce Dependence on Cereals. .	45

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1842	खाद्यान्नों की खेती के लिये नये क्षेत्रों पर कृषि अनुसंधान	Agricultural Research for New Areas for Food Cultivation .	45–46
1843	कमी वाले राज्यों को चावल की सप्लाई के बारे में नीति	Policy Re : Supply of Rice to Deficit States . . .	46–47
1845	दिल्ली में मंत्रियों के लिये साधारण गृह	Modest houses for Ministers in Delhi	47
1846	मद्रास में रुके हुए माल डिब्बों से गेहूं को उतरना	Unloading of Wheat Wagons Stranded at Madras . .	47
1847	मत्स्य पालन की सुधरी हुई विधि	Improved Technique in Fish Farming	47–48
1848	मेघालय में ग्रामीण विकास के लिये द्रुत योजनाएं ।	Crash Scheme for Rural Development in Meghalaya . .	48–49
1849	उत्तर प्रदेश में अन्वेषी नलकूप	Exploratory Tube Wells in U.P.	49
1850	दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाये गए मकानों की संख्या	Number of Houses Built by DDA in Delhi.	49–50
1851	वनस्पति तथा इसकी अंतवस्तुओं के मूल्य में वृद्धि	Increase in Price of Vanaspati and its Contents . . .	50–51
1852	'फिश फार्म्स' विकास एजेंसियां	Fish Farmers Development Agencies	51–52
1853	उर्वरक का मूल्य	Prices of Fertilisers . . .	52–53
1854	मेघालय में खाद्य संकट	Food Crisis in Meghalaya .	53
1856	चीनी उत्पादन का लक्ष्य	Target of Sugar production .	53
1858	चीनी उद्योग का विस्तार	Expansion of Sugar Industry .	54
1859	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का पुनर्गठन	Reorganisation of ICAR . .	54
1860	दूध के उत्पादन में स्थिरता	Stagnation in Milk Output .	54–55
1861	केरल को खाद्यान्न की सप्लाई	Supply of Foodgrains in Kerala	55
1862	महाराष्ट्र राज्य में आवास के लिये केन्द्रीय अनुदान	Central Grants for Housing in Maharashtra State . .	56
1863	पंजाब में छोटे कृषकों के लिये सिंचाई परियोजनाएं	Irrigation Projects for Small Agriculturists in Punjab .	56–57
1864	बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण	Construction of Multi-purpose Project	57
1865	अधिक ऊंचे भवनों में आग बुझाना	Fire Fighting in High Rise Buildings	57–58

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1866	अखिल भारतीय महापौर परिषद् और स्वशासी सरकार की केन्द्रीय परिषद् का संयुक्त अधिवेशन	Joint Session of All India Mayors' Council and Central Council of Local Self Government .	58
1867	मध्य प्रदेश में व्यापारियों के लाभ के लिये एक जिले से दूसरे जिले में गेहूं लाने ले जाने पर से प्रतिबंध हटाया जाना	Removal of restrictions on Inter District Movement of Wheat in Madhya Pradesh . .	58–59
1868	सीमेंट की कमी का दिल्ली विकास प्राधिकरण के निर्माण-कार्य पर प्रभाव	Effect of shortage of Cement on the construction work of DDA	59
1869	उत्तर प्रदेश में सिंचाई योजनाएं	Irrigation Schemes in Uttar Pradesh	59
1870	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मध्यम और निम्न आय वर्ग के लिये पंजीकरण	Registration to Middle and Lower Income Groups by DDA .	59–60
1871	खाद्य-नीति के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार का प्रस्ताव	West Bengal Government's Proposal on Food Policy . .	60
1872	आसाम में बाढ़ के कारण क्षति	Losses due to Floods in Assam .	61
1873	खाद्यान्नों की जमाखोरी के बारे में आल इंडिया फूडग्रेंस डीलर्स एसोसिएशन का वक्तव्य	Statement of All India Foodgrains Dealers Association on hoarding of Foodgrains. .	61–62
1874	मछली उद्योग के लिये केरल को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to Kerala for Fishing Industry . . .	62–63
1875	गंगा से हुगली भागीरथी चैनल में पानी	Water from Ganga into Hoogly Bhagirath Channel . .	63
1876	बिहार के बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों के लिये राहत	Relief to flood effected people in Bihar	64
1877	दिल्ली में पाठ्य पुस्तकों की चोर-बाजारी	Black marketing in text books in Delhi	64
1878	उचित दर दुकानों के माध्यम से वितरित किये जाने के लिये खाद्यान्नों की मात्रा के बारे में मुख्य मंत्री सम्मेलन में निर्णय	Decision at Chief Ministers' Conference on quantum of foodgrains to be distributed through Fair Price Shops .	64–65
1879	भूसंरक्षण कार्यक्रम	Soil conservation programme .	65
1880	सिंचाई सुविधाओं के बारे में विशेषज्ञों की बैठक	Meeting of experts on Irrigation facilities	65
1881	क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और आल इंडिया फूटबाल फैडरेशन	Cricket Control Board and All India Football Federation .	66

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1882	खाद्य उत्पादन में कमी	Shortfall in food production	66–68
1884	चीनी के निर्यात की नीति और आंतरिक खपत की नीति में परिवर्तन	Changes in Export policy and domestic consumption of Sugar	69
1885	कृषि द्रुत कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय अनुदान	Central Grants under crash programme for Agriculture	69
1886	बिहार में फसल को हुए नुकसान के बारे में केन्द्रीय दल की रिपोर्ट	Report of Central Team on damage of Crop in Bihar	69–70
1887	कल्याणी विश्वविद्यालय के पास धन-राशि की कमी	Paucity of funds with Kalyani University	70
1888	वनस्पति और तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि की योजना	Plan to increase production of vanaspati and oilseeds	70
1889	उड़ीसा में एक जिले से दूसरे में खाद्यान्नों के लाने ले जाने पर लगे प्रतिबंध को हटाना	Lifting restrictions on inter district movement of foodgrains in Orissa	71
1890	वनों के अंतर्गत भूमि	Land under Forest . . .	71
1891	गुजरात में अध्यापकों के वेतनमान	Pay Scales of teachers in Gujarat	71–72
1892	भारतीय डेरी निगम, बड़ोदा का कार्य-करण	Working of Indian Dairy Corporation, Baroda . . .	72
1893	पाठ्य पुस्तकों का भारतीयकरण	Indianisation of text books .	72
1894	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियरों और सुपरिंटेंडिंग इंजीनियरों के स्थायीपद	Permanent posts of Junior Engineers and Superintending Engineers in CPWD. . .	73
1895	धान, चावल और ज्वार की वसूली तथा बिक्री मूल्य	Procurement price and selling price of paddy, rice and jawar	73
1896	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों को शोध के लिये छात्रवृत्तियां प्रदान करना	Research Scholarship to Madhya Pradesh Students by UGC	73
1897	मध्य प्रदेश में चम्बल में बीहड़ भूमि को कृषि योग्य बनाने संबंधी योजना के लिये केन्द्रीय सहायता	Central assistance for ravine reclamation scheme in Chambal, M.P.	74
1898	सहकारी क्षेत्र में चीनी मिलों के कार्य-करण के बारे में पंजाब सरकार के आर्थिक तथा सांख्यिकी संगठन द्वारा अध्ययन	Study by Economic and Statistical Organisation of Punjab Government on functioning of sugar mills in Cooperative Sector	74

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1899	पांचवीं योजना के दौरान रुई का उत्पादन	Cotton Production during Fifth Plan	74–75
1900	सांस्कृतिक समझौते	Cultural Agreements . .	75–76
1901	ब्रिगेडियर होशियार सिंह रोड के रेलवे फाटक पर पुल	Bridge at the Crossing of Brigadier Hoshiar Singh Road .	76
1902	सूखा पीड़ित गुजरात को अल्प-कालीन ऋण	Short term loan to drought hit Gujarat	76–77
1903	हिमाचल प्रदेश में उर्वरक घोटाला	Fertiliser scandal in Himachal Pradesh	77
1904	दिल्ली स्टेट कोआपरेटिव बैंक के शासी निकाय के विरुद्ध लगाये गए आरोप	Charges levelled against the Governing Body of Delhi State Cooperative Bank . .	77–79
1905	राज्यों में राज्य सहकारी बैंकों की अतिदेय राशि	Over dues of State Cooperative Banks in States . . .	79
1906	पश्चिम बंगाल में बाढ़ संरक्षण कार्य	Flood protection work in West Bengal	79–80
1907	"रिमोट सेंसिंग" के लिये राष्ट्रीय एजेंसी	National Agency for remote sensing	80–81
1908	66 लाख निर्माण श्रमिकों को जबरी छुट्टी का खतरा	6.6m. construction workers under threat of lay off. .	81
1909	दिल्ली और निकटवर्ती क्षेत्रों में डबल-रोटी का उत्पादन और मांग	Production and demand of bread in Delhi and neighbouring areas	81
1912	दिल्ली विश्वविद्यालय की परीक्षा में कथित भ्रष्ट तरीके अपनाना	Alleged corrupt practices in Delhi University examinations .	81–82
1913	चावल के प्रति किलो उत्पादन के लिये पानी और उर्वरक का प्रयोग	Use of water and Fertiliser for production of a kilo of rice .	82
1914	जम्मू और काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के लिए आवास बस्तियों के लिये केन्द्रीय सहायता	Central assistance for Housing colonies in J. & K., Himachal Pradesh, Punjab and Haryana	83
1915	उत्तर प्रदेश में सामुदायिक विकास खंड	C.D. Block in U.P. . .	83
1916	दिल्ली मे अनधिकृत कालोनियां	Unauthorised colonies in Delhi .	83–84
1917	गुजरात मे विद्यार्थियों में असन्तोष	Students unrest in Gujarat .	84
1919	वामनापुरम सिंचाई परियोजना	Vamanapuram irrigation project.	84–85
1920	केरल औद्योगिक बागान योजना के लिये केन्द्रीय सहायता	Central assistance for Kerala Industrial Plantation Scheme .	85–86

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1921	खेती के लिये आवश्यक पदार्थों की कमी के कारण खाद्यान्न की कमी	Food shortage due to lack of Agricultural input . .	86–87
1922	गोवा के ग्रामीण क्षेत्र में पेय जल के लिये परियोजना	Project for drinking water in rural area of Goa . . .	87
1923	गोआ में बेरोजगार कृषि स्नातक	Unemployed Agricultural Graduates in Goa . . .	87
1924	भूमि-कटाव संबंधी कार्य के बारे में नेपाल की शिकायतें	Complaint from Nepal regarding soil erosion work . . .	87–88
1925	मूंगफली का उत्पादन	Production of Groundnut oil seeds	88–90
1926	पेय जल के लिये परियोजना	Project for drinking water .	90
1927	राजस्थान में बेरोजगार कृषि स्नातक	Unemployed Agricultural Graduates in Rajasthan . .	90
1928	नई दिल्ली के डी० आई० जेड० क्षेत्र के सेक्टर 'डी' में नलकूप का निर्माण	Construction of tubewell in sector 'D' in DIZ area, New Delhi .	91
1929	अक्तूबर, 1974 के दौरान अनाज की जमाखोरी के लिये 'मीसा' और भारत रक्षा नियमों के अधीन किसानों की गिरफ्तारी	Farmers arrested under MISA and DIR for hoarding foodgrains during October, 1974.	91
1930	गुजरात में बेरोजगार कृषि स्नातक	Unemployed Agricultural Graduates in Gujarat . .	92
1931	तमिलनाडु के सहकारी चीनी कारखानों द्वारा गन्ने की कीमत की अदायगी	Payment of Sugarcane price by cooperative Sugar Factories in Tamil Nadu . . .	92–93
1932	रबी और खरीफ की फसल के लिए उर्वरक के कोटे का आवंटन	Allotment of Fertiliser Quota for Rabi and Kharif Crop .	93
1933	फोर्ड ट्रैक्टरों की कीमत में कमी	Reduction in the Price of Ford Tractors	93
1934	खाद्य के मामले में आत्म निर्भरता को केन्द्रीय दायित्व बनाने का प्रस्ताव	Move to make self sufficiency in Food–a Central Responsibility	93–94
1936	समय पूर्व लाभप्रद मूल्य नियतन करने के कारण गन्ने का उत्पादन कम होना	Slow Sugarcane production due to Non-Fixation of Remunerative price in advance .	94
1937	सूखे से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिये सिंचाई कार्यक्रम	Irrigation Programme to meet Drought conditions . .	94
1938	राजस्थान नहर	Rajasthan Canal . . .	95
1939	खाद्य स्थिति पर पश्चिम बंगाल की सरकार के साथ बातचीत	Discussion with West Bengal Government on Food Situation	95

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1940	जल-दूषण पर नियंत्रण के लिये केन्द्रीय बोर्ड की स्थापना	Appointment of Central Board to Control Water Pollution	95–96
1941	तमिलनाडु में कारखानों द्वारा गन्ने के लिये दिये गये मूल्य में अंतर	Difference in price paid for Sugarcane by Factories in Tamil Nadu	96–97
1942	पब्लिक स्कूलों को केन्द्रीय अनुदान	Central Grant to Public Schools	97
1943	खाद्य की कमी का डेरी परियोजनाओं पर प्रभाव	Effect of Food Scarcity on Dairy Projects	97–98
1944	दिल्ली में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से निर्माण	Unauthorised Construction on Government Land in Delhi	98
1945	दिल्ली/नई दिल्ली में किराये के मकानों में रहने वाले परिवार	Families living in Rented Buildings in Delhi/New Delhi .	98
1946	शिशु कल्याण सम्बंधी समिति	Committee on Children's Welfare	99
1947	देश में उत्पादित तथा आयातित दुग्ध चूर्ण	Indigenous and imported milk powder	99
1948	दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा सप्लाई की जाने वाली दूध की मात्रा तथा उसकी किस्म	Quantity and quality of milk of DMS	100
1950	अमरीकी विद्वानों द्वारा भारत में शैक्षिक संस्थाओं में व्याख्यान दिया जाना	Lectures delivered by US Academicians in educational institutions in India . .	101
1951	सरकार के पास अनाज का भंडार	Stock of foodgrains with Government	101
1952	नदियों में पानी के बटवारे के बारे में भारत-बंगला वार्ता	Indo-Bangla talks for sharing of River waters . . .	101–102
1953	कृषि और सिंचाई विषयों को केन्द्र द्वारा अपने अधीन लाया जाना	Taking over of Agricultural and irrigations as Central Subjects	102
1954	उत्तर-पूर्व मानसूनों का फसलों पर प्रभाव	Effect of North East Monsoons on Crops	102–103
1955	मत्स्य उद्योग में विदेशी सहयोग	Foreign Collaboration in Fishing Industry	103
1956	खाद्य की कमी का अनुमान लगाने का सूत्र	Formula to Assess Food deficit .	103
1957	वैकल्पिक फसल पद्धति	Alternative Cropping Pattern .	104–105
1958	नार्थ-ईस्टर्न हिल्स यूनिवर्सिटी	North Eastern Hills University .	106

अ ता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1959	'बैक बे रिक्लेमेशन प्राजेक्ट'	Back Bay Reclamation Project .	106
1960	सिर्सिया (उत्तर प्रदेश) में सूखा रोकने के लिये नलकूपों का निर्माण	Construction of Tube Wells to Check Drought in Sirsia, U.P.	106–107
1961	दिल्ली में अनधिकृत मकान तथा कालोनियां	Unauthorised Houses and Colonies in Delhi . . .	107
1962	पश्चिमी बंगाल में बड़ी एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाएं	Major and Medium Irrigation projects in West Bengal .	107–108
1963	चीनी के मूल्यों पर नियंत्रण	Control on Sugar Prices . .	108
1964	मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सहायता	Assistance for Implementation of Irrigation projects in Madhya Pradesh . . .	108–109
1965	मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजनाएं	Irrigation Projcets in Madhya Pradesh	109
1966	बाढ़ों को रोकने के लिए मध्य प्रदेश की योजना	Scheme for prevention of floods by Madhya Pradesh . .	109
1967	खेल कूद संगठनों के बीच वैमनस्य	Conflict between Sports Organisations	109
1968	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के प्रति नियुक्ति पर कार्य कर रहे कर्मचारी	C.P.W.D. staff on deputation.	110
1969	दिल्ली में सुपर बाजारों तथा उचित मूल्य की दुकानों द्वारा कदाचार	Malpractices by super bazars and fair price shops in Delhi .	110
1970	गुजरात वनस्पति एककों को बंद करने की धमकी	Threat to close vanaspati units in Gujarat	110–111
1971	खेती संबंधी शिक्षा	Farm Education	111
1972	उच्च अध्ययन के लिये विदेशों को भेजे गये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्र	Scheduled Castes and Scheduled Tribes students sent Abroad for Higher studies. . .	111
1973	भारतीय हाकी संघ के प्रतिस्पर्धी गुटों के बीच झगड़ा	Disputes between rival factions of Indian Hockey Federation	112
1974	अमृतराज बन्धुओं का वक्तव्य	Statement by Amritraj Brothers	112–113
1975	खाद्य नीति की समीक्षा	Review of food policy	113
1976	समस्त चीनी खरीदकर चीनी के मूल्य पर नियंत्रण करना	Control on price of Sugar by buying entire production .	113

अता० प्र० संख्या U. .Q. os.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1977	महाराष्ट्र में खरीफ की फसल को हुई क्षति	Damage to Kharif Crop in Maharashtra . . .	114
1978	पंजाब में कपास और कपास के बीजों का उत्पादन	Production of cotton and cotton seeds in Punjab . . .	114
1979	पंजाब के लिये वनस्पति की अतिरिक्त मात्रा	Additional quantity of Vanaspati for Punjab . . .	114–115
1980	वाइनाड वनों के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उपलब्ध तेल निकालने के लिये बीजों का एकत्र किया जाना	Collection of Seeds for Oil extraction available in high ranges and Wynad Forests .	115
1982	मध्य प्रदेश में अनाज के आवागमन पर प्रतिबंध	Ban on movement of Foodgrains in M.P.	115
1983	कोठारी आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वित किया जाना	Implementation of Kothari Commission recommendations.	115–116
1984	सोसाइटी/ट्रस्ट को पट्टे पर दी गई भूमि का दुरुपयोग	Misuse of land allotted on lease basis to Societies/Trusts .	116
1985	कलकत्ता विकास परियोजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता	Central assistance for Calcutta Development projects . .	116–117
1986	फरक्का नहरों का खोला जाना	Opening of Farakka Canals .	117–118
1987	कृषि विज्ञान सेवा केन्द्र स्थापित करना	Setting up of Krishi Vigyan Seva Kendra . . .	118
1988	हीराकुंड में दरार	Cracks in Hira Kund Dam .	118–119
1989	झुग्गी-झोंपड़ी योजनाओं के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश को सरकारों को अनुदान	Central grants to Government of Bihar and U.P. Jhuggi and Jhonpri Schemes . . .	119
1990	सरकारी कर्मचारियों को सरकारी आवास का आवंटन	Allotment of Accommodation to Government Employees .	119–120
1991	रबी की फसल का उत्पादन बढ़ाने की योजना	Scheme for increasing Rabi Production	120
1992	सिंचित भूमि क्षेत्र	Land under irrigation .	120
1993	खाद्यान्नों के जमाखोरों के विरुद्ध 'आंसुका' तथा भारत रक्षा नियमों का उपयोग करने के लिये राज्यों को निर्देश	Instructions to States to use MISA and DIR Against Hoarders of Foodgrains .	121
1995	फसल की सुधरी हुई प्रणालियों के प्रदर्शन पर आ खर्च	Expenditure on demonstration of Improved Crop pattern	121

तारा० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1996	फाजिल्का (पंजाब) में फसल बिमा संबंधी प्रायोगिक परियोजना	Crop Insurance Pilot Project in Fazilka, Punjab	121–122
1997	खरीफ की वसूली के लक्ष्यों का निर्धारित न किया जाना	Non fixation of Kharif procurement targets	122
1998	वनस्पति के मूल्य पर नियंत्रण हटाने को बाध्य करने के लिये वनस्पति के उत्पादन में कमी	Curtailment of Vanaspati Production to press for price decontrol	122–123
1999	दिल्ली माध्यमिक स्कूल अध्यापक संघ द्वारा धरना	Dharna by Delhi Secondary School Teachers Federation	123
2000	सूखा ग्रस्त होनें वाले क्षेत्रों का विकास	Development of Drought prone Areas	123–124
	विशेषाधिकार का प्रश्न--	Question of Privilege —	
	आयात लाइसेंस कांड	Import Licence Case	124–132
	सभा-पटल पर रखे गये प्रश्न	Papers Laid on the Table	132–137
	राज्य सभा से सन्देश	Message from Rajya Sabha	137
	सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति--	Committee on Absence of Members from the Sittings of the House —	
	17 वां प्रतिवेदन	Seventeenth Report	137
	उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी के कारण जबरन छुट्टी के लिये मुआवजे के बारे में वक्तव्य--	Statement re. compensation for lay off due to power shortage in U.P.—	
	श्री रघुनाथ रेड्डी :	Shri Raghunatha Reddy	137–139
	समिति के लिये निर्वाचन	Election to Committee—	
	रबर बोर्ड	Rubber Board	139
	बैंककारी सेवा आयोग विधेयक-पुर:स्थापित	Banking Service Commission Bill Introduced	140
	विदेशी मद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि निवारण विधेयक	Conservation of Foreign Exchange and Prevention of of Smuggling Activities Bill	141
	पुर:स्थापित करने का प्रस्ताव	Motion to introduce	
	श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	141
	श्री जनेश्वर मिश्र	Shri Janeshwar Misra	141
	श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	142

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
आंतरिक सुरक्षा बनाये रखना (संशोधन) अध्यादेश, 1974 के बारे में वक्तव्य—	Statement re. Maintenance of Internal Security (Amendment) Ordinance, 1974—	
श्री सी० सुब्रह्मण्यम	Shri C. Subramaniam .	142
नियम 377 के अधीन मामला—	Matter under Rule 377—	
पटसन के मूल्यों में कमी और पटसन निगम का काश्तकारों की सहायता करने में असफल रहना	Fall in jute prices and failure of jute Corporation to come to rescue of cultivators . .	142–143
रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अध्यादेश के निम्नमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प और रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) विधेयक—	Statutory Resolution re Disapproval of Sick Textile Undertakings (Nationalisation Ordinance and Sick Textile Undertakings (Nationalisation) Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider .	143
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye .	143–146
श्री बी० पी० मौर्य	Shri B. P. Maurya .	146–148
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharyya .	148–149
श्री राम सिंह भाई	Shri Ram Singh Bhai . .	149–150
श्रीमती रोज़ा विद्याधर देशपांडे	Shrimati Roza Deshpande .	150
आधे घंटे की चर्चा	Half-an-Hour Discussion.	
आकाशवाणी के कटक केन्द्र के भूमि के लेन-देन वाले घोटाले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच—	C.B.I. Inquiry into land deal scandal of Cuttack Station of A.I.R.—	
श्री सुरेन्द्र महंती	Shri Surendra Mohanty .	150–152
श्री आई० के० गुजराल	Shri I. K. Gujral	152

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 25 नवम्बर, 1974/4 अग्रहायण, 1896 (शक)
Monday, November 25, 1974/Agrahayana 4, 1896 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

निधन संबंधी उल्लेख
OBITUARY REFERENCE

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को यह सूचना देनी है कि श्री राम सेवक यादव का दिल्ली में दिनांक 22 नवम्बर, 1974 को कुछ दिन बीमार रहने के बाद, 48 वर्ष की आयुमे दु:खद निधन हो गया। श्री रामसेवक यादव उत्तर प्रदेश के बारां बंकी चुनाव क्षेत्र से दुसरी तोसरी तथा चौथी लोक सभा के सदस्य रहे। गत उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनावों में वह सदस्य चुने गये थे तथा वहां विपक्ष के उप-नेता थे, श्री यादव ने छात्र-गतिविधियों में सक्रिय भाग लिया था तथा वह 1946–51 वर्षों में छात्र कांग्रेस के साथ संबद्ध रहे वह विख्यात समाज सेवी तथा वकील थे और उन्होंने पिछडे वर्गों तथा अनुसूचित जातियों के लोगो के उत्थान के लिये तथा समाज मे असमानता को दूर करने के लिये कार्य किया तथा निर्धनों को निःशुल्क कानूनी सहायता दी। वह किसानों की भलाई में भी बडी रुचि रखते थे। वह सादगी तथा लगन से कार्य करने में विश्वास रखते थे।

हम अपने इस मित्र के निधन पर गहरा दु:ख व्यक्त करते है और मुझे विश्वास है कि उनके दु:खित परिवार को अपनी समवेदना पहुंचाने में सभा मेरे साथ है।

अब हम अपने दिवंगत साथी की याद में कुछ क्षणों के लिये मौन खडे होंगे।

इसके पश्चात सदस्य गण कुछ क्षणों के लिए मौन खडे रहे ।

The Members then stood in silence for a short while.

न्युझीलेंड के संसदीय प्रतिनिधी मंडल का स्वागत

WELCOME TO NEWZEALAND PARLIAMENTARY DELIGATION

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य गण । मुझे एक घोषणा करनी है ।

"मैं अपनी और से तथा इस सभा की माननीय सदस्यों के ओर से न्यूजीलैंड की प्रतिनिधि सभा के संसद सदस्यों त थ अध्यक्ष महामहिम श्री एस ए० व्हाइटहैड तथा न्यूजीलैंड संसदीय प्रतिनिधि मंडल के माननीय सदस्यों का जो कि हमारे अतिथि के रूप में भारत के दौरे पर है हार्दिक स्वागत करता हूं। इस प्रतिनिधि मंडल में निम्नलिखित सदस्य है :

1. श्री बी० पी० मैकडोनेल	संसद सदस्य
2. श्रीमती ई० ई० मैकमिलन	संसद सदस्य
3. डा० जी० ए० वाल	संसद सदस्य
4. श्री एल० ए० सलोने	संसद सदस्य
5. श्री के० आर० एलन	संसद सदस्य
6. श्री जे० बी० बोलजर	संसद सदस्य
7. श्री आर० एस० मैक्के	प्रतिनिधि मंडल के सचिव

महामहिम श्री व्हाइटहैड काफी समय से व्यक्तिगत रूप से मेरे परिचित है। अन्तसंसदीय संघ का न्यूजीलैंड ग्रुप उन कई ग्रुपों में से एक था जिन्होनें गत वर्ष अतर्संसदीय परिषद की अध्यक्षता के लिये मेरे नाम का प्रस्ताव किया था।

ये प्रतिनिधि 23 नवम्बर, को यहां आये है तथा भारत में 29 नवम्बर तक ठहरेंगे। यह प्रतिनिधि इस समय विशेष दीर्घा में बैठे है । हम उनके लिये यहां एक सुखद तथा लाभ प्रद यात्रा की कामना करते है। उनके माध्यम से हम न्युजीलैंड की संसद सरकार तथा वहां के लोगों के प्रति अपनी सुखकारक मुबारकबाद तथा शुभकामनायें भेजते है।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल मशिनरी डेवेलपमेंट क्लिनिक की बैठक

*182. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंटर नैशनल एग्रीकल्चरल मशीनरी डेवेलपमेंट क्लिनिक की हाल ही में नई दिल्ली में बैठक हुई थी, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और बैठक में क्या सिफारिशें की गई ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे) : (क) जी हां ।

(ख) भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने 21 से 30 अक्तूबर, 1974 तक विज्ञान भवन, नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन द्वारा बुलाए हुई इंटरनैशनल एग्रोकल्चरल मशीनरी मैन्यूफैक्चरिंग डेवेलपमेंट क्लिनिक की बैठक के लिए मेजबान का कार्य

किया था। इस क्लिनिक में 19 अर्ध-विकसित तथा विकासशील देशों के प्रतिनिधि मंडलों अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों भारत सरकार और राज्य सरकारों के अधिकारियों केन्द्रीय संगठनों, संस्थाओं और कृषि उपकरणों के भारतीय विनिर्माताओं ने भाग लिया था। इसके कार्यक्रम में विज्ञान भवन में तकनीकी अधिवेशन, भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान में प्रदर्शनी तथा प्रदर्शन सम्बन्धी अधिवेशन, दिल्ली में इसके आस पास तकनीकी दौरा सम्बन्धी अधिवेशन और विज्ञान भवन में व्यापार सम्बन्धी अधिवेशन आयोजित करना शामिल था। क्लिनिक के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे :-

(क) भारतीय उपकरण उद्योग की वृद्धि तथा उसकी प्रगति के सम्बन्ध में परिचित कराना।

(ख) उद्योग के साथ पारस्परिक सम्पर्क स्थापित करना।

(1) औद्योगिकी सम्बन्धी आदान प्रदान के माध्यम से प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढाना,

(2) प्रशिक्षण, विकास अनुसन्धान, विपणन सम्बन्धी विकास के सहकारी कार्यक्रमों और सम्बन्धित कार्यक्रमों का पता लगाना तथा उनका विकास करना,

(3) निरन्तर सहयोग के लिये नीति तथा कार्यक्रम तैयार करना,

(4) कृषि उपकरणों के सम्बन्ध में द्विपक्षीय व्यापार बढाना।

क्लिनिक की महत्वपूर्ण सिफारिशें नीचे दी जा रही है :-

1. फार्म सम्बन्धी उपकरण तथा मशीनरी के एक ठोस समेकित कार्यक्रम के लिये विभिन्न देशों में सुविधाएं की अनुपलब्धि या उनकी अपर्याप्तता पर उचित ध्यान देते हुए सिफारिश की गई है कि देशवार विशिष्ट परियोजनाओं की सूची के अनुसार, जिन्हें अंतिम रूप दे दिया गया है, (1) डिजायन, विकास और परीक्षण, (2) मरम्मत, रखा-रखाव तथा सेवाई, (3) स्थानीय विनिर्माण, (4) प्रदर्शन तथा विस्तार, एवं (5) प्रशिक्षण के लिये व्यवस्थापनात्मक तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की जाये या उन्हें मजबूत बनाया जाये और सम्बन्धित देशों की राष्ट्रीय योजनाओं में इसके लिये पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की जाये। ऐसी परियोजनाओं के कारगर क्रियान्वयन के लिये संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता और भारत सरकार के सहयोग पर जोर दिया गया था। विभिन्न देशों में स्थित संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के रेजिडेन्ट प्रतिनिधियों तथा संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के तकनीकी विशेषज्ञों के परामर्श से इन परियोजनाओं को शीघ्र अंतिम रूप देकर इन्हें देश के 1977-81 के कार्यक्रमों में शामिल किया जाये।

2. उपलब्ध वित्तीय संसाधनों से पूरा-पूरा लाभ उठाने के लिए यह सिफारिश की गई है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन/भारत सरकार इस बात पर विचार करें कि ऐसे विकासशील देशों को सहकारी क्रियाकलाप, संयुक्त उद्यम, वाणिज्यिक सहयोग और द्विपक्षीय सहायता आदि प्रारम्भ करने के लिये अनुभवी कार्मिक, साधन विनियोग सम्बन्धी प्रणाली उत्पादन सम्बन्धी मशीनरी, मूल उपकरण, तकनीकी साहित्य डिजायन ड्राईंग, जिग तथा फिक्चर स्टैंडर्ड, नमुने तथा टैस्ट कोड उपलब्ध हों।

3. फार्म मशीनरी उत्पादन सम्बन्धी, प्रौद्योगिकी, परीक्षण तथा विस्तार सम्बन्धी पद्धतियों के सम्बन्ध में सुव्यवस्थित कृषि इंजीनियरिंग महाविद्यालयों, परीक्षण संस्थाओं विनिर्माण सम्बन्धी फार्मों आदि में विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था की जाए।

4. संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन सम्बन्धित सरकारों के विशेष अनुरोध पर कृषि मशीनरी की मरम्मत तथा उनके रख-रखाव के लिये केन्द्रीय वर्कशाप तथा चलायमान एककों की स्थापना के लिये संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के एच्छिक वित्तीय योगदान के अन्तर्गत परियोजनाएं प्रारम्भ करने की सम्भाव्यता के प्रश्न को प्राथमिकता दे। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम — संयुक्त राष्ट्र-औद्योगिक विकास संगठन की विशेष औद्योगिक सेवाओं के अन्तर्गत प्राथमिकता के आधार पर विशेषज्ञ सम्बन्धी सहायता भी दी जाये, ताकि विभिन्न देशों में उपलब्ध होने वाले मूल उपकरणों का फील्ड मूल्यांकन किया जा सके। विशेषज्ञों के ऐसे चयन में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि उन्हें विकासशील देशों की स्थानीय समस्याओं और कृषि प्रणालियों का पूरा ज्ञान हो।

5. भारत में कृषकों को अदान, ऋण तथा अन्य संविदा सम्बन्धी सेवाएं उपलब्ध करने के लिये अनेक कृषि उद्योग निगमों तथा कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है। इस सम्बन्ध में भारत द्वारा प्राप्त किये हुए अनुभव तथा विशषज्ञता, के विषय में अन्य देशों को भी जानकारी उपलब्ध की जा सकती है। इसके पश्चात अन्य देशों के व्यक्तियों के लिय भारत में प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था की जा सकती है।

6. भारत कृषि सम्बन्धी औजारों तथा उपकरणों और परीक्षण सम्बधी औजारों के विनिर्माण के लिये अपेक्षित मशीनों के कई मूल औजारों की तैयारी करता है। इस समय विकासशील देशों में ज्ञान तथा जानकारी के प्रसार की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में विभिन्न देशों की योग्यता का मूल्यांकन किया जाना चाहिए और यह जानकारी अन्य देशो की उपलब्ध को जानी चाहिए।

7. कृषि मशीनरी के सम्बन्ध में एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी आदान-प्रदान केन्द्र स्थापित करने की तत्काल आवश्यकता है, ताकि आलेखन तथा डिजायन प्रोटोटाइप प्रतिमान तैयार किये जा सकें और उत्पादन इंजीनियरिंग सेवाएं प्रदान की जा सकें एवं इस सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन द्वारा तत्काल कदम उठाये जा सकें।

8. एन० आर० डी० सी० की० अनुसन्धान संस्थाओं तथा विभिन्न देशों की व्यवसायी कृषि इंजीनियरिंग समितियो के बीच निकट सहयोग स्थापित किया जाये और इस सम्बन्ध में भारत नेतृत्व प्रदान करे।

9. भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान, दिल्ली तथा भारत में अन्य स्थानों और भाग लेने वाले विभिन्न देशों आयोजित प्रदर्शनियों में अभिज्ञान उपकरणों तथा मशीनोंका मूल्यांकन करने एवं उनका उपयोग प्रारंभ करने के लिये भारतीय मानक संस्था के मानकों तथा अन्य तकनीकी साहित्य के साथ-साथ मूल नमूनों (उपकरणों के सम्बन्ध में 10 तथा मशीनरी के सम्बन्ध में 3–5) के शीघ्र सप्लाई करना बहुत आवश्यक समझा गया है। क्लिनिक भारत सरकार से अनुरोध करता है

कि वह इसकी आवश्यकता तथा इसके महत्व को दृष्टिगत रखते हुए ऐसी सहायता देने की सम्भाव्यता के सम्बन्ध में विचार करें। इस नमूनों का चयन भारत-सरकार का पेनल करे।

संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन से अनुरोध किया गया है कि वह उपयुक्त कार्यक्रम के लिये प्रत्येक देश को लगभग 6 श्रम महीनों की विशेषज्ञ सहायता प्रदान करे और सम्बन्धित देशों के विनिर्माताओं के दौरों को भी प्रोत्साहन दे। भारत सरकार द्वारा विकासशील देशों के तकनिशियनों के लिये भारतीय कारखानों में 4-6 महीनों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जाये।

10. विकासशील देशों के कार्मिकों को "संयंत्र में प्रशिक्षण" देने के एक कार्यक्रम पर संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन अंतिम रूप से विचार कर रहा है। भारत सरकार वर्ष 1975 की अंतिम तिमाही में प्रशिक्षण की ऐसी सुविधाएं प्रदान करने के विषय में विचार करे।

11. विकासशील देशों में बायो-गैस संयंत्रों के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम बृहत् तकनीकी रिपोर्ट तैयार करने के लिए सहायता दे, जिसमें किये गये कार्य वर्तमान अध्ययनों के सम्बन्धों में योजना बनाने, भविष्य की योजनाओं तकनीकी नमूनों तथा तकनीकी आर्थिक पहलुओं के सम्बन्ध में जानकारी मौजूद हो।

उपर्युक्त अध्ययन के पश्चात विभिन्न साइजों के संयंत्रों की स्थापना करने के लिए एक विस्तृत परियोजना तैयार की जाए। उपर्युक्त बातों के सम्बन्ध में अन्य विकासशील देशों के प्रतिनिधियों को भी प्रशिक्षण दिया जाये।

12. इन मैन्युफैक्चरिंग क्लिनिकों के महत्वपूर्ण योगदान को महत्व देते हुए यह पुरजोर सिफारिश की गई है कि संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम किसी उचित समय पर फ्रेंच बोलने वाले अफ्रीकन देशों में ऐसे क्लिनिकों की व्यवस्था करे।

श्री डी० के० पण्डा : यह बड़ा विस्तृत विवरण है। इस विवरण में तकनीकी विकासों के बारे में तथा अन्य तकनीकी बातों एवम कृषि मशीनरी संबंधी आवश्यक चीजों का जिक्र है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या छोटे किसानों तथा विशेषकर उन भूमिहीनों जिन्हें जमीन पर कब्जे के कारण पट्टा मिल गया है और इस प्रकार उनके पास दो तीन एकड़ जमीन है, को लाभ पहुंचाने तथा उनको उनके उपयोग के लिये खाद तथा मामूली औजार उपलब्ध कराने के लिये कोई ठोस कदम उठाये जा रहे हैं अथवा ऐसी कोई योजना सरकार के पास है ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिंदे : निश्चय ही मैं उत्तर दूंगा, परन्तु श्रीमन, मैं आपसे संरक्षण चाहूंगा क्यों कि यह एक अन्तर्राष्ट्रीय क्लिनिक का सम्मेलन है जिनमें 19 देशों ने भाग लिया था और हमने इसका आयोजन किया था। इस बात पर भी चर्चा हुई थी कि इस देश में छोटे किसानों के लिये प्रभावी उपकरणों को कैसे लोकप्रिय बनाया जायें।

श्री डी० के० पण्डा : हमने अनेक समस्याओं पर चर्चा की है। मैं उनका जिक्र करने की जरूरत नहीं समझता और उनके बारे म स्पष्टीकरण भी नहीं चाहता। मैं तो यह जानना चाहता हूं कि इस विशिष्ट अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत जैसे विकासशील देश के कृषकों की सहायता करने के लिये क्या निर्णय किया गया, तथा अन्य विकसित देशों से आम वर्तमान

सुविधाओं के इलावा क्या तकनीकी जानकारी तथा सहायता प्राप्त करेंगे ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या वे छोटे तथा मार्जिनल किसानों की सहायता भी करेंगे और उस दिशा में क्या कदम उठाये जा रहे है मेरा प्रश्न तो बहुत ही स्पष्ट है ।

श्री अण्णासाहेब पी० शिंदे : माननीय सदस्य ने शायद पहले इस विवरण को नहीं पढा है। यह सम्मेलन हममे आयोजित किया था तथा अनेक ऐसे देश है जो हमारे स्तर तक भी विकसित नहीं है । इस लिये हमारा प्रयास यह था कि इस सम्मेलन का आयोजन करके यह देखे कि उन देशों की कैसी सहायता की जो कि हमसे भी कम विकसित है । सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यही था ।

श्री डी० के० पण्डा : समाचार है कि उन्होंने 'इकोनोमिक्स टाइम्स' को यह वक्तव्य दिया है कि भारत ईंधन के मूल्यों में वृद्धि के कारण कृषि संबंन्धी उपकरणों के बारे मे संतुलित तथा चयनात्मक मशिनिकरण की नीतिका अनुकरण कर रहा है, तथा ऐसे जादा उपकरणों तथा औजारों का निर्माण कर रहा है जो कि छोटे तथा मार्जिनल किसानों को सुलभ हो। यह वक्तव्य उन्होंने उस सम्मेलन में अपने परिसमापन भाषण में दिया था। मेरा प्रश्न तो यह है कि क्या हम हवा में या कागज पर तो मशीनें नहीं बना रहे है ? कोई विशिष्ट दिशा तो होगी ही, क्या हमने छोटे तथा मार्जिनल किसानों को प्रशिक्षण देने की कोई योजना बनाई है ? यदि इस समय कोई उपाय नहीं किये गये है तो वह यह कहें कि ऐसा भविष्य में किया जायेगा ।

श्री अण्णासाहेब पी० शिंदे : हमारे पास ऐसी योजनायें है, यह तो एक बडा ही आकांक्षा-पूर्ण कार्यक्रम है ।

श्री डी० के० पण्डा : इस सम्मेलन का आयोजन 25 से 31 तारीख तक हुआ था जब कि वास्तवमें 30 तारीख परिसमापन दिवस था। इकोनोमिक्स टाइम्स में समाचार है जिसमें यह कहा गया है कि ट्रैक्टर किसानों की पहुंचसे बाहर हो गये है । गत ढाई वर्षों में देशी ट्रैक्टरों के मूल्य लगभग दुगने हों गये है और हाल ही में ट्रैक्टरों के मूल्यों पर से नियंत्रण हटाने से तो देशी निर्माताओं की चान्दी हो गयी है । देश में पांच प्रमुख ट्रैक्टर निर्माता है तथा हाल ही के महीनों में तीन बार मूल्यों में वृद्धि हुई है, इस मूल्य वृद्धि को रोकने तथा मूल्यों को कम करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे है ताकि छोटे तथा मध्यम किसान उन्हें खरीद सकें ।

श्री अण्णासाहेब पी० शिंदे : मूल्य नियंत्रण आदेश तो औद्योगिक विकास मंत्रालय जारी करता है माननीय सदस्य उस मंत्रालय से प्रश्न करें।

श्री पी० गंगादेव : इस इंटरनेशनल एग्रिकल्चरल मशिनरी डेवेलपमेंट क्लिनिक का कार्य तथा उद्देश क्या है तथा इससे विकासशील देशों पर क्या प्रभाव पडा है ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिंदे : हमारी कुछ कमजोरियों के बावजूद भी हम बहुत बडी मात्रा में ऐसी उपकरणों तथा मशीनरी का विकास करने में सफल हो गये है जिनकी अपेक्षा-कृत कम विकसित देश उपयोग में ला सके। हम चाहते थे कि उनको हमारे अनुभव से लाभ हो ताकि यह तकनीक वहां स्थानान्तर हो । पश्चिमी देशों के पास अत्यन्त विकसित प्रौद्योगिकी है । अतः यह प्रौद्योगिकी कम विकसित देशों के लिय लाभप्रद होगी । हम उन्हें कुछ दे सकते है तथा इस सम्मेलन में आये बहुत से देशों में इसे लाभप्रद पाया है ।

Shri Ramdeo Singh : May I know whether only after the meetings of this Clinic the hon. Minister was inspired to decontrol the prices of tractors?

श्री अण्णासाहेब पी० शिंदे : मैं फिर कहुंगा कि ट्रैक्टरों के मूल्यों संबंधी प्रशासन औद्योगिक विकास मंत्रालय के हाथ में है ।

Production of Vanaspati

***183. Sri Sri Krishan Aggarwal :**

Shri Banamali Patnaik :

Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether the production of Vanaspati during the last four months was adequate to meet the requirements; and

(b) If so, the quantity of Vanaspati produced during that period?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) और (ख) जी नहीं। उत्पादन 78,000 मी० टन था जबकि अनुमानित आवश्यकता 1.65 लाख मी० टन थी।

Shri Sri Krishan Aggarwal : What is the total production Capacity of Vanaspati Factories in our country? Despite the shortage of Vanaspati they do not produce according to their capacities and this has resulted in acute shortage. Would the hon. Minister, therefore, consider to reduce their capacities isuse licences to install new Vanaspati factories, so that the shortage of vanaspati in our country is overcome?

Shri Shah Nawaz Khan : Our country is having an licenced capacity of 17.13 lakh tones and the installed capacity is 12.35 lakhs tones. It is true that our production is far less than the installed capacity. But it is not so because the factories are deliberately not producing. They too have some difficulties. The prices of oils have some up and they are not getting adequate prices for Vanaspati and this they are not able to meet the demand.

Shri Sri Krishan Aggarwal: Secondly, there has been a demand for long that some colour should be given to Vanaspati. This demand is that for the lest 15 to 20 years. It is that no colour could be discovered or invented which could be used in Vanaspati so that it is not used as an adultrant? Although we have advanced so much, yet could we not find such colour?

Shri Shah Nawaz Khan : No. Goverment have since no idea to permit the use of colour in Vanaspati. It is a different matter that different Vanaspatis have different colours because different oils are used in different Vanaspati. Groundnut oil, palm oil and cotton-seed oil are used. Mixture of Palm oil or soya-been oil make colour of Vanaspati different.

श्री एल० एम० बनर्जी : लोक सभा में 25 मार्च, 1974 को देश में डालडा की कमी क्या हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के कार्यकरण के बारे में चर्चा की जो एक वनस्पति के सबसे बडे निर्माता हैं। तत्तकालीन खाद्य मंत्री श्री फखरुद्दीन अली अहमद ने जो कि इस समय राष्ट्रपति हैं, सभा को आश्वासन दिया था कि इस कंपनी के विरुध्द उचित कार्यवाही की जायेगी तथा उन्हें वनस्पति उत्पादन बढ़ाने के लिये बाध्य किया जायगा। इस समय उनकी क्षमता प्रतिसप्ताह 260 टन है जबकि वे केवल 10 टन का ही प्रतिसप्ताह उत्पादन कर रहे हैं। उन्होंने मारगरीन का उत्पादन शुरु कर दिया है जिससे उनको अधिक मुनाफा होता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मेरठ डिपों से इस कंपनी द्वारा बनाये गये वनस्पति के 23,000 टिन पकड़े थे। मैं जानना चाहूंगा कि क्या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है। क्यों कि उन्होंने घी के स्थान पर वनस्पति के उत्पादन के बारे में सरकार के निर्णय अथवा आदेशों का उलंघन किया है; यदि हो तो क्या कार्यवाही की गई है? क्या यह सच नही है कि देश तथा उपभोक्ताओं के हितों को देखते हुए इस कंपनी को अपने अधिकार में ले लेने की नौबत आ चुकी है?

Shri Shah Nawaz Khan : As I have stated, not only Hindustan Lever Limited but all the Vanaspati manufacturing factories in India.....*(Interrrucptions)* kindly listen to the reply. Their installed capacity is a but more than 17 lakh tones and the production in the entire country is about 3.75 lakhs tones. The difficulty is that they are not getting the oil on the price fixed for it and as a result thereof a number of factories have been closed. Some of such factories have already been taken over by Government. For example, we have taken over the Vanaspati factory of Ganesh Flour Mill which had been lying closed for the last one and a half year. Now this factory is working to its full capacity. We have taken over one factory in Amritsar....

श्री एस० एम० बनर्जी : श्रीमान्, मैंने तत्कालीन खाद्य मंत्री श्री फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा दिये गये आश्वासन का उल्लेख किया था ।

शाह नवाज खां : यह सच है कि हिन्दुस्तान लिवर्स की फैक्ट्रियों में भी उत्पादन अधिष्ठापित क्षमता के अनुसार नहीं हो रहा है और उनका वनस्पति उद्योग घटता जा रहा है । यदि हिंदुस्तान लिवर्स वालों का व्यवहार हमें ऐसा लगेगा कि वे गड़बड़ कर रहे हैं, तो हम उनके वनस्पति कारखानों सरकारी नियंत्रण में लेने में नहीं हिचकिचायेंगे ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैंने पूछा यह था कि क्या उक्त फर्म अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से मार्गारिन का उत्पादन अधिक कर रही है और डालडे का उत्पादन कम । क्या यह सच है और यदि हां, तो उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? भारत में लोग मार्गारिन की बजाय डालडा अधिक प्रयोग में लाते हैं । मेरा दूसरा प्रश्न यह था कि मेरठ में लगभग 23,000 डालडा के डिब्बे पकड़े गये थे और यदि ऐसा था तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री शाहनवाज खां : यह मामला न्यायालय में चल रहा था और अब भी न्यायाधीन होगा ।

श्री एस० एम० बनर्जी : उन्होंने कांग्रेस को 25 लाख रुपये दिये है । हम प्रयास करेंगे कि श्रमिक इसे 6 महीने के अन्दर ही अपने अधिकार में ले लें ।

Shri M. C. Daga : May I know the time by which we will be in a position to achieve self-sufficiency in the matter of Vanaspati; whether some new Vanaspati factories will be run by Government, because it is necessary to provide vanaspti under'minimum needs programme'?

Shri Shah Nawaz Khan : I have just told that our licensed capacity is 17 lakh tonnes and installed capacity is 12 lakh tonnes and we can easily meet the requirement of our people even if their requirement reaches to the extent of 6 lakh tonnes. But the real difficulty is that we are not getting the oil in sufficient quantity and we are trying to increase its production.

श्री एच० पी० शर्मा : वनस्पति की कमी को पूरा करने के लिए एक साधन यह है कि पाम के तेल का आयात बढ़ा दिया जाये । क्या यह समाचार सच है कि काफी मात्रा में पाम का आयातित तेल बन्दरगाह पर पड़ा है और शुल्क के झगड़े के कारण वह नहीं छोड़ा जा रहा है जिसका प्रभाव वनस्पति उद्योग पर प्रतिकूल पड़ रहा है ।

श्री शाहनवाज खां : लगभग 3000 टन पाम का तेल बन्दरगाह पर कुछ महीनों से पड़ा है और आयात उत्पादन शुल्क का झगड़ा उसके बारे में है जिसे हल करने का प्रयास किया जा रहा है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या यह सच है कि मार्गारिन में पानी या नमी की मात्रा डालडे की अपेक्षा अधिक होती है । क्या मार्गारिन का मूल्य निर्धारित है ।

श्री शाहनवाज खां : मार्गारिन मूल्य नियंत्रित नहीं है और उसमें नमी होती है ।

Shri Hukam Chand Kachawai : Sir, hon. Minister has admitted that Vanaspati is in short supply on account of less production of oil. The prices of Vanaspati have gone up twice the prices which prevailed last year. What is the reason for it. Is it a fact that factory owner are resorting to the practice of under-invoicing and over-invoicing; and whether some people have applied for licences for setting up new vanastpati factoires and if so, the number thereof?

Shri Shah Nawaz Khan : The prices of Vanaspati increase in accordance with a fixed formula. Vanaspati contains 80 per cent of edible oil and if there is shortage of the oil, the prices of Vanaspati will naturally go up. We used to import the oil and supply it to the factories in order to keep the price at low level. But, since June we have stopped the import of oil and as a result thereof, the prices of Vanaspati have gone up. As regards complaints we receive complaints now and then about mal-distributinons and State Governments take action theereon. As regards new licences, we have already given licences in sufficient number.

Shri Achal Singh : I would like to know the reason why the oil of 'Til' is not used as raw oil for Vanaspati production.

Shri Shah Nazwaz Khan : It is also mixed therein.

Eradication of Prostitution

***184. Shri M. C. Daga** : Will the **Minister of Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the steps taken by the Government for the eradiction of prostitution in the country ;

(b) whether Government's efforts in that regard have been successful or not ; and

(c) if not, further steps proposed to be taken by the Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri Arvind Netam) : (a) to (c) A statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

The main legal instrument for curbing prostitution is the Suppression of Immoral Traffic in Women and Girls Act, 1956 enacted on 30th December, 1956. The Act provides for masures to curbe commercialised prostitution by making punishable :

(i) maintenance of brothels and allowing any premises to be used as a brothel ;

(ii) living on the earnings of prostitution ;

(iii) procuring, inducing or taking a women or girl for the sake of prostitution.

(iv) detention of a woman or a girl in premises where prostitution is carried on ;

(v) practice or prostitution in or in the vicinity of public peaces; and

(vi) soliciting for purposes of prostitution.

The Act also provides for the establishment of protective homes and correctional institutions for the protection of those in moral danger and for the rehabilitation of those who are rescued. With a view to enlist public cooperation, the Act also provides for constitution of non-official advisory bodies consisting of leading social welfare workers of the area to advise the Special Police Officers appointed by the State Government for dealing with offences under the Act.

2. Government is also supporting voluntary effort for combating the social evil of prostitution. The Association for Social Health in India, New Delhi, is given financial assistance to the tune of about Rs. 1.5 lakhs annually for preventive and rehabilitative programmes in this behalf, such as establishment of short stay homes, rescue homes and a Family Life Institute in Delhi.

3. Apart from this, the Central Social Welfare Board has been implementing a number of socio-economic schemes through voluntary organisations with a view to assisting poor and destitute women and enabling them to stand on their own legs. The Board also assists voluntary organisations in organising condensed courses for poor girls who were obliged to discontinue their studies owing to financial difficulties.

4. Although precise statistics on a problem of this nature are difficult to collect, the legal curbs as well as the educative and social measures adopted have, it is believed, aid to a containment of the problem of trafficking of women and other forms of commercialised vice.

5. The question of amending the provisions of the Suppressi on of Immoral Traffic in Women and Girls Act, 1956, so as to eliminate procedural difficulties in implementation and achieve further strengthening of institutional and non-institutional services is under active consideration by the Law Commission.

6. During the Fifth Plan period, various socio-economic programmes for women will be expanded in Tribal, backward and slum areas, where the living conditions of women are particularly difficult. Social and moral hygiene programmes are also proposed to be intensified in the States. It is hoped that this will bring about a further improvement in the situation.

Shri M. C. Daga : Mr. Speaker , Sir, he lays a statement when he does not want to reply. Government have taken steps to check prostitution at public places but what are you doing to ban it on private places where it is going on. About it the Estimates Committee has given observation many times. One such observation was made in 1971 which is as follows :

> The Committee would urge upon the Government to finalise the decisions on the recommendations by the Suppression of Immoral Traffic Act Amendment Committee to make the existing Act more effective in curbing this evil practice and to bring forth an amending Bill before Parliament at an early date."

I would like to know the reason why the amending Bill to amend the Suppression of Immoral Traffic Act has not been brought before the house since 1971 when the about quoted observation was made .

Shri Arvind Netam : There are a number of short comings in the Suppression of Immoral Traffic Act, which have received the attention of State Governments and other bodies. The matter is now pending with the Law Commission.

Shri M. C. Daga : Does it require a period of four years to consider such a matter? One of the locunae is that there is provision that "A women citizen is required to be an evidence at the time of raiding the brothel....". It is not possible for a women to appear as witness in such matters. Secondly, these days ordinary officers like S. H. O. or Sub-Inspector are put on the duty to enforce it while there is a provision that the enforcement officers should be of high status . Thirdly, officers are not given permission to enter into private houses. Officers have made complaints about these matter a number of times. May I know the steps taken to remove all these difficulties.

Shri Arvind Netam : As I have already said that there are some loopholes in the existing Act. The short comings pointed out by hon. Member, were also mentioned by a Committee appointed by a us in 1968. This whole matter is Sub-judice, as I have already told.

श्रीमती रोजा देशपांडे : यह ठीक है कि निर्धनता और बेरोजगारी के कारण औरतें इस पेशे को अपनाती है। वर्ष 1975 महिला वर्ष के रुप में मनायी जा रहा है। क्या सरकार इस वर्ष महिलाओं के रोजगार के लिए कोई विशेष कार्यक्रम बनायगी और उन्हे रोजगार प्रदान करेगी ताकि देश में वेश्या-वृत्ति की समस्या हल हो सके ?

श्री अरविन्द नेताम : यह कार्यवाही हेतु एक सुझाव है।

श्री भागवत झा आज़ाद : इस अधिनियम की क्रियान्विति के मार्ग में सरकार के सामने क्या कठिनाईयां आई है ? क्या सरकार का अनुभव यह है कि संसद द्वारा कानून पारित किये जाने के बजाय नैतिक पतनग्रस्त औरतों का आर्थिक उद्धार किया जाना चाहिए। भविष्य में इस समस्या से निपटने की योजना क्या है ?

Shri Arvind Netam : Sir, prostitution is a social evil and it cannot be removed only by legislature measures. It requires the help and cooperation of people in the society. It cannot be removed unless cooperation from them is available to seek their cooperati on. Government is trying its best and for it Government is providing financial aid to various voluntary organizations to do away with the loopholes in the Act.

श्री भागवत झा आज़ाद : मेरा प्रश्न उनके आर्थिक पुनर्वास के बारे में था।

Shri Arvind Netam : During Fourth Plan period a number of steps were taken. By March 1474 about 1442 condensed courses were started and about 3404000 women were enrolled and 25,000 women completed the course. We are contemplating to add some more units to it. We want that thhey should be provided with employment in the courses under these programmes. There is provision of training as well as employment.

Shri Swami Brahmanandji : Prostitution is the most hated means of earning livelihood. There is marriage system in all the religions of the world. Prostitution is the violation of marriage system. There should be provision of stern punishment for prostitutes as well as for those who go to the prostitutes whether they are political leaders or big Government officers. If officers are of good character the evil can be put to an end.

Shri Arvind Netam : This suggestion is worth considering.

सरदार स्वर्ण सिंह सोखी : क्या बम्बई, कलकत्ता, इलाहाबाद, गया, लखनऊ और अन्य स्थानों पर वैश्यालय विद्यमान है ?

श्री अरविन्द नेताम : मैं प्रश्न नहीं समझ सका।

Shri Hukum Chand Kachwai : Is it a fact that brothels are being run under the protection of police stations and police officers get monthly income from such red light areas. Do you propose to take action against those officers ? What is the difficulty in collecting the figures about them, when figures about smugglers are being collected I would like to know the amount being spent per annum on voluntary organisations.

Shri Arvind Netam : It i· : wrong to say that prostitution is being done under police protection. Police have made some arrests in this connection and some cases have been registered.

Shri Hukum Chand Kachwai : What is difficulty in collecting the figures ?

अध्यक्ष महोदय : श्री पराशर।

भाषाओं के विकास के लिये स्वयंसेवी संस्थाओं को वित्तीय सहायता

*185. **श्री नारायण चन्द परमार :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए सहायता के बारे में 6 अगस्त, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2079 और 22 जुलाई, 1974 के तारांकित प्रश्न संख्या 4 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रादेशिक भाषाओं तथा भारतीय आधुनिक भाषाओं के विकास के क्षेत्र में काम करने वाली स्वयसेवी संस्थाओं (मान्यता-प्राप्त तथा गर-मान्यता प्राप्त) के नाम क्या हैं; और

(ख) वित्तीय वर्ष 1974–75 में इनमें से प्रत्येक संस्था को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) सरकार, हिन्दी तथा अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के लिए कार्य कर रही स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता प्रदान करने की दो योजनाओं को कार्यान्वित कर रही है। उन स्वैच्छिक संगठनों संस्थाओं के नाम, जिन्हें वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान इन योजनाओं के अन्तर्गत अब तक वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, सभा पटल पर रखे गए एक विवरण में दिए गए हैं तथा कुछ अन्य आवेदन-पत्रों पर विचार किया जा रहा है। तथापि, उन स्वैच्छिक संगठनों/संस्थाओं के बारेमें सरकार के पास पूरी सूचना नहीं है, जिन्होंने सरकार से वित्तीय सहायता की मांग नहीं की है। **[ग्रंथालय में रखी० गयी। देखिये संख्या एल0 टी0 8560/74]**

Shri Narain Chand Parashar : May I know the ground for giving the grant and the procedure therefor.

Shri D. P. Yadav : Applications received by the Ministry are examined by a committee.

Shri Narain Chand Parashar : The statistics show that the assistance given to other regionals languages is less than that in the case of Hindi. I want to know whether there is a fixed amount out of which the assistance is given or the assistance is given to each and every language who so ever applies. I also want to know if applications are invited through advertisements in the newspapers for this purpose.

Shri D. P. Yadav : The people should not have this feeling that we are not interested in the development of others regional, languages. An amount of one crore rupees was allocated in the Fourth Plan for the development of each language that has been recognised by our constitution. The grants are given to voluntary organisations who are working for the promotion of the languages. The amount is not much it might be near about eight to ten crore rupees.

Shri Janeshwar Mishra : The hon. Minister has stated that some assistance is given for the promotion of Indian languages. It is being asserted that grant for Hindi should get greater grant as compared to other languages but does the hon. Minister know that the Indian languages are more particular about their status than the money they get. Even today the foreign languages are given precedence over Indian languages. All important examinations such as recruitment to higher posts in Civil and military administrations are being conducted in a foreign language. I want to know whether Government has any plan under consideration to give these languages their due status.

Shri D. P. Yadav : I haven't followed what does the hon. Member mean by status.

Shri Janeshwar Mishra : The regional languages require recognition of their status more than the financial assistance being given to them.

Shri D. P. Yadav : I would like to assure the hon. member that the development of regional languages will not be hampered for lack of funds. We will do our best to give all possible financial assistance to all official and non official organisations who approach us.

श्री वीरभद्र सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन भाषाओं के विकास हेतु, जिन्हें संविधान की 8 वी सूची में स्थान प्राप्त नहीं हुआ है, की सरकार द्वारा सहायता दी गई है यदि हाँ, तो सरकार द्वारा अब तक ऐसी किनि भाषों को सहायता दी गई है ?

श्री डी० पी० यादव : मैथिली, अंग्रेज़ी, राजस्थानी डोगरी, और मनीपुरी आदि आधुनिक भारती भाषाएं हैं जिन्हें संविधान की 8 वी सूची में स्थान प्राप्त नहीं हुआ है परन्तु इन्हें सहायता दी गई है जिन स्वयंसेवी विकास संस्थाओं की ओर से प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए हैं उन्हें भी सहायता दी गई है।

Shri Shankar Dayal Singh : Hindi has no grouse against the regional languages. Hindi is national language and the regional languages have their own significance. These languages should also be given their due priority alongwith Hindi. I want to know whether the Government has tried to find out if the grants given by it to the voluntary organisation is being used properly or is being misused. If this is misused the names of those voluntary organisations that have misused the grant during last three years and the names of the organisations that have been disqualified for grant ?

Shri D. P. Yadav : Fresh grant is not given to any institution until their accounts of the previous grant are audited by chartered Accountant. There is an association of all these voluntary institutions which keeps us informed about the activities and working of each member organisation.

Shri Shankar Dayal Singh : May I know if the institution which have received grants have rendered their accounts. Is it also a fact that the grants have been given to some such organisation also who have failed to render account of the earlier grant and there are charges of malpractices against them.

Shri D. P. Yadav : I will get the matter investigated.

Shri D. P. Yadav : I want to know the amount spent for English during Fourth Plan and the amount if any spent on any foreign language other than English and also the amount spent for the promotion of Hindi during the said period ?

Shri D. P. Yadav : The information regarding foreign language is not available with me. Due attention is being paid in the Universities to the important international languages.

Shri G. P. Yadav : My question is with regard to the amount of money that has been spent for the promotion of foreign languages and Hindi during the Fourth Plan.

Shri D. P. Yadav : It is a specific question. A separate notice should be given for it.

श्री विश्वनारायण शास्त्री : सभी प्रादेशिक भाषाओं को हिन्दी के साथ साथ, जोकि हमारी राष्ट्रभाषा है, का विकास होना चाहिए इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या चौथी और पांचवीं योजनाओं में प्रादेशिक भाषाओं के विकास के लिए कोई निश्चित राशि निर्धारित की गई है ?

श्री डी० पी० यादव : यह एक सुझाव है सरकार इसको पांचवीं योजना में भी ध्यान में रखेगी ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : पांचवीं योजना के दौरान उड़िया और नेपाली भाषाओं के विकास के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री डी० पी० यादव : क्या यह प्रश्न संगत है ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : प्रश्न के भाग (क) में ब्रैकेट में लिखा है । अत: यह संगत है ।

श्री डी० पी० यादव : उड़िया भाषा को आठवीं सूची में मान्यता दी गई है । अन्य भाषाओं के विकास के लिए चौथी योजना में जो सहायता दी गई है उसमें से यदि कुछ बचता है तो उसका उपयोग हमें पाँचवीं योजना में भी करने का प्रयत्न करना चाहिए । जहाँ तक नेपाली का संबंध है इस पर साहित्य अकादमी विचार कर रही है किन्तु यह कोई ऐसा निकाय नहीं जोकि सरकार को इन भाषाओं के लिए सब कुछ करने के लिये निर्देश दे सकता है । लेकिन हम केवल उन्हीं भाषाओं को लेंगे जोकि आठवीं सूची में उल्लिखित है ।

Shri Jharkhande : Mr. speaker, sir, may I know while giving assistance for the promotion of a particular language whether the number of the people speaking that language and the area under which it is spoken is also kept under consideration ?

Shri D. P. Yadav : I don't think this question arises out of it.

Shri Dinesh Singh : I want to know whether some steps are being taken for the promotion of Avdhi language also ?

Shri P. P. Yadav : Avdhi is a sister language of Hindi.

Shri Dinesh Singh : If the hon. Minister is of the view that Hindi and Avdhi mean the same language how can then Avdhi be developed ?

मेघालय से आसाम तथा बंगलादेश को खाद्यान्नों की तस्करी

***186. श्री एम० एस० पुरती :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को ऐसी सूचना मिली है कि मेघालय के खासी हिल्स जिले से खाद्यान्नों से भरे ट्रक आसाम और अन्य पड़ौसी क्षेत्रों तथा बंगलादेश के अभावग्रस्त क्षेत्रों में चोरी-छिपे ले जाये जाते है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बध में सरकार नें क्या कदम उठाये है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिंदे) : (क) मेघालय सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार यह कहना ठीक नहीं है कि खासी पहाड़ियों से खद्यान्नों से भरे ट्रकों को चोरी छिपे भेजा जा रहा है । जिला प्राधिकारी सतर्क हैं और ऐसी तस्करी रोकने के लिए उपयुक्त स्थानों पर चैक गेट हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

चुकंदर से चीनी बनाने के लिए चीनी मिलों को प्रोत्साहन देना

*187. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :**

श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन चीनी मिलों को प्रोत्साहन देने हेतु कोई योजना बनाई है जो गन्ने के अतिरिक्त चुकंदर से चीनी बनायेंगे; और

(ख) यदि हां, तो उसका सार क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) और (ख) जी नहीं। तथापि सरकार ने इसके साथ-साथ, चुकंदर से चीनी बनाने के लिए उद्योग को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता पर विचार करने के लिए एक समिति गठित की है।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी समिति की अब तक कोई बैठक हुई है, और यदि हां, तो इसकी सिफारिशें क्या है ?

श्री शाहनवाज खां : समिति की केवल एक बार बैठक हुई और उसने अभी अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की है।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : इसमें कितना समय लगेगा ?

श्री शाहनवाज खां : यह बताना कठिन है कि इसमें कितना समय लगेगा क्योंकि समिति की केवल एक ही बैठक आयोजित हुई है।

States' Demand for Foodgrains

*189. **Shri Nathu Ram Ahirwar :**

Shri B. N. Reddy :

Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the foodgrains demanded by each State and the percentage of the demand met during the last three months; and

(b) the reasons for short supply ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिंदे) : (क) और (ख) एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

केंद्रीय पूल से प्रत्येक मास राज्यों को खाद्यान्नों का आबंटन, केन्द्रीय पूलमे खाद्यान्नों की कुल उपलब्धता, राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं, स्थानीय बाजार में उपलब्धता, मूल्य स्थिति, खपत के पिछले स्तर और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है।

राज्य सरकारों से प्राप्त मांग और पिछले तीन महीनों में उनकी मांग कहां तक पूरी की गई, सम्बन्धी एक विवरण संलग्न है।

अनुबंध I

विवरण

अगस्त से अक्तूबर 1974 के दौरान राज्य सरकारों की मांग और केन्द्रीय पूल से उनको आबंटन

(हजार मी० टन में)

क्रम संख्या	राज्य	अगस्त से अक्तूबर 1974 के लिए मांग	अगस्त से अक्तूबर 1974 के लिए आबंटन	आबंटन मांग का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	48.0	19.5	40.6
2.	असम	95.0	45.1	47.5
3.	बिहार	265.0	165.0	62.3
4.	गुजरात	525.0	186.0	35.4
5.	हरियाणा	60.0	40.0	66.6
6.	हिमाचल प्रदेश	18.0	18.0	100.0
7.	जम्मू कश्मीर	62.0	57.0	91.9
8.	कर्नाटक	75.0	55.0	73.3
9.	केरल	386.2	268.0	69.9
10.	मध्य प्रदेश	41.0	30.0	73.2
11.	महाराष्ट्र	490.0	371.6	75.8
12.	मनीपुर	9.0	8.5	94.4
13.	मेघालय	18.0	18.0	100.0
14.	नागालेंड	8.5	6.9	81.2
15.	उडीसा	95.5	47.3	49.5
16.	पंजाब	70.0	65.0	92.9
17.	राजस्थान	98.0	63.3	64.6
18.	तामिलनाडु	25.0	24.0	96.0
19.	त्रिपुरा	12.0	9.0	75.0
20.	उत्तर प्रदेश	187.0	112.0	59.9
21.	पश्चिम बंगाल	530.0	373.0	70.4
22.	अंडमान निकोबार	4.1	3.5	85.4

क्रम संख्या	राज्य	अगस्त से अक्तुबर 1974 के लिए मांग	अगस्त से अक्तुबर 1974 के लिए आबंटन	मांग की प्रतिशत आबंटन
1	2	3	4	5
23.	अरुनाचल प्रदेश	4.75	4.2	88.4
24.	चंडीगढ	10.5	1.5	14.3
25.	दादरा और नगर हवेली	1.5	1.2	80.0
26.	दिल्ली	117.0	117.0	100.0
27.	गोआ	20.1	14.3	71.1
28.	मिजोरम	10.6	6.6	62.3
29.	पांडिचेरी	1.64	1.64	100.0
	जोड	3290.39	2132.14	64.8

नोट :— इस अवधि के दौरान कुछेक राज्य सरकारों से विशिष्ट मांग प्राप्त नहीं हुई थी ।

Shri Nathu Ram Ahirwar : The statement placed on the Table shows the demand of the foodgrains made by 29 states and the quantity supplied to them. May I also know whether drought Conditions of a particular place has been taken into consideration at the time of allotment of foodgrains? What is the criteria adopted regarding allotment of foodgrains ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिंदे : राज्य सरकारों को खाद्यान्नों का आबंटन करते समय उत्पादन संभावना तथा सूखे की स्थिति की महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान रखा जाता है।

Shri Nathu Ram Ahirwar : Madhya Pradesh is worst affected from drought canditions. May I know whether the Madhya Pradesh Government have demanded more foodgrains again on the plea that the foodgrains supplied to the state are inadequate. If so, the reaction of the Government thereto ? May I know whether the Government propose to allot more foodgrains to Madhya Pradesh ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : यह विवरण में बता दिया गया है । विवरण में राज्य सरकारों की मांगें, मध्य प्रदेश राज्य सहित, दिखाई गयी है।

Shri Narsingh Narayan Pandey : The hon. Minister is of the view that state Governments should be given foodgrains according to their needs. May I know the criteria adopted by the Government for the allotment of foodgrains to the states ? May I also know whether the allotment to the States has been made according to their requirement or some other criteria has been adopted in this regard ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिंदे : आबंटन करते समय हम सर्वप्रथम उपलब्धता तथा निर्मंत्रित स्टाक के स्तर को ध्यान में रखते है। इसके पश्चात उन राज्यों में उत्पादन संभावनाओं को ध्यान में रखा जाता है। इस बात पर ध्यान रखा जाता है कि राज्य अभावग्रस्त है अन्यथा उसमें फालतू खाद्यान्न है और सामान्य वितरण की प्रणाली क्या है, यह विचार ठोक नहीं है कि आबंटन मन माने ढंग से किया जाता है।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड में कुछ पूर्वी जिलों के अकाल स्थिति से निपटने के लिये और अधिक खाद्यानों की मांग की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने कितनी मांग की है और उन्हें कितनी मात्रा में खाद्यान्न सप्लाई किये गये है ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिंदे : मुझे खेद है कि माननीय सदस्य ने विवरण नहीं पढा है। मैंने बताया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने गत तीन महीनों में 1,87,000 मीटरी टन खाद्यान्नों की मांग की है और इसमें से 59 प्रतिशत पूरी की गई है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैंने विवरण पढा है।

श्री अण्णासाहेब पी० शिंदे : मांग के अनुसार सप्लाई नहीं की गई है । राज्य सरकारों की कुल मांगे बहुत अधिक है । निर्णय करते है और अपने निर्णयों के आधार पर आबंटन करते है **(व्यवधान)**

Shri Lalji Bhai : May I know the names of those states which have demanded additional quota of foodgrains to meet the famine conditions there ? May I also know the demand of foodgrains by Rajasthan and whether the Government have considered and approved it; if not the reasons therefor ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिंदे: राजस्थान सरकार ने 98,000 मीटरी टन की मांग की है और उन्हें 64,000 मीटरी टन आबंटन किया गया है।

Shri Jagannath Mishra : As per Government figures it is a fact that Bihar has been worst affected by the floods and the drought. In view of this may I know whether the Government have taken any special steps to meet the demand from Bihar Government?

श्री अण्णासाहेब पी० शिंदे : सामान्य वर्षों में हमने कभी इतनी बडी मात्रा में सप्लाई नहीं की है परन्तु इस वर्ष बिहार को हम 70,000 मीटरी टन की मासिक सप्लाई कर रहे है ।

Shri Ram Kanwar : Rajasthan Government demanded 92,000 tonnes of foodgrains and the state has been supplied 64,000 tonnes. Despite severe drought conditions there levy was procured from the farmers. Good quality of foodgrains is sent to some other states and the substandard foodgrains of other states are supplied to Rajasthan. There is no foodgrains available to villagers. No attention is being paid towards them. May I know whether the hon. Minister has received any complaint to the effect that there is no distribution of foodgrains at all in villages and small towns and cities are also facing scarcity of foodgrains ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिंदे: पश्चिमी राजस्थान में वर्षा न होने से खरीफ की फसल को हानि हुई है। शेष राजस्थान में सितम्बर, अक्तूबर में अच्छी वर्षा हुई है अतः रबी की फसल अच्छी होने की आशा है । उस से स्थिति में बहुत सुधार होगा ।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : मैं मंत्री महोदय का ध्यान पश्चिम बंगाल के कांग्रेस अध्यक्ष श्री मित्रा के वक्तव्य की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें उन्होनें कहा है कि केवल एक ही जिले में 1000 लोग भूख से मर गये हैऔर मिदनापुर, बांकुरा, पुरुलिया तथा जलपायगुडी के उत्तर में अकाल की स्थिति अभी भी चल रही है। पश्चिमी बंगाल में खाद्यान्नों की कमी जैसा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने बताई है, को पूरी करने के लिये सरकार क्या कदम उठायेगी ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिंदे : हमें पश्चिम बंगाल की कठिन स्थिति का पता है । परन्तु वहां फसल अच्छी होने की संभावना है । सरकार उन्हें 1,45,000 मीटर टन प्रति मास खाद्यान्न सप्लाई कर रही है । वक्तव्य जो पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारा दिया गया बताया गया है वह उन्होने नहीं दिया है । उन्होनें मुझे एक तार से सूचना दी है कि यह वक्तव्य उनका दिया हुआ नहीं है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

चीनी की वसूली में गिरावट

188. श्री एम० आर० लक्ष्मीनारायण : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दशक में जब से चीनी की वसूली को गन्ने के मूल्य के साथ सम्बद्ध किया गया है, चीनी की औसत वसूली में गिरावट आई है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) इसे रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (ग) 1962–63 से जब कि गन्ने के मूल्य को वसूली से जोडा गया था, तब से जलवायु की स्थिति, कीटाणु आक्रमण तथा बीमारी, मौसम की अवधि, उत्पादकों द्वारा पैदा किए गए गन्ने की किस्म आदि जैसी विभिन्न बातों पर निर्भर करते हुए वसूली के वार्षिक अखिल भारत भारित औसत के आंकडों में सीमा के अन्दर प्रत्येक वर्ष घट-बढ़ हुई है। वसूली में बराबर गिरावट का कोई ऐसा तरीका दृष्टिगोचर नहीं है जिसे गन्ने के मूल्यों की वसूली से जोडने सम्बन्धी किए गए निर्णय के साथ सम्बद्ध किया जा सके ।

शोधित तेल और वनस्पति मक्खन (वेजीटेबल बटर) के मूल्य पर नियंत्रण

***191. श्री वेकारिया** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकार का वनस्पति घी के मूल्य पर नियंत्रण है, शोधित (रिफाइन्ड) तेल और वनस्पति मक्खन (वेजीटेबल बटर) के मूल्य पर भी नियंत्रण लागू करने का है, और

(ख) यदि हां, तो कब ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) इस समय ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों द्वारा त्यागपत्र

*192. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973 और 1974 के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के उपकुलपतीयोंने त्यागपत्र दिए है, और

(ख) इसके क्या कारण है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) और (ख) किसी भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति ने, 1973 के दौरान त्यागपत्र नहीं दिया। अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपतियोंने 1974 के दौरान त्यागपत्र दिये, पहले ने एक अन्य पद पर कार्य करने के लिये तथा दूसरे ने पूर्णकालिक अध्यापन कार्य पुनः शुरू करने हेतु त्यागपत्र दिये थे।

राज्यों में बाढ़ से हानि

*193. **श्री माधवराव सिन्धिया :**

श्री ईश्वर चौधरी :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष बाढ़ से प्रत्येक राज्य को कितनी हानि हुई,

(ख) बाढ़ों पर नियंत्रण पाने के लिए कौन सी योजनायें क्रियान्वित की गयीं और उन पर कितना व्यय किया गया; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने किन क्षेत्रों को तुरन्त राहत कार्यों के लिये सहायता दी है और प्रत्येक क्षेत्र को दी गई सहायता की राशि कितनी है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) 1974 के दौरान बाढ़ों द्वारा हुई हानियों का राज्यवार ब्यौरा उपाबंध एक में दिया गया है।

(ख) 1954 में राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम के आरंभ होने से लेकर राज्य सरकारों ने अनेक बाढ सुरक्षा उपायो को कार्यान्वित किया है जिससे लगभग 76.8 लाख हैक्टर क्षेत्र में विभिन्न मात्रा में सुरक्षा की व्यवस्था हो चुकी है। चौथी योजना के अंत तक की गई प्रगति में 7712 किलोमीटर तटबंधों और 12411 किलोमीटर जल विकास नालियों का निर्माण 4638 गांवों का स्तर ऊंचा करना और 219 नगर सुरक्षा स्कीमों को पूरा करना सम्मिलित है। चौथी योजना के अन्त तक इन कार्यों को 347 करोड रुपये के परिव्यय से पूरा किया गया है। चौथी योजना के अन्त तक कार्यों की प्रगति तथा उनके परिव्ययों का राज्यवार विवरण क्रमशः संलग्न उपबंध दो और तीन में दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8561/74]**

कार्यान्वित की गई स्कीमों में से अधिकतर स्कीमें लघु प्रकृति की है और केवल सैकडों की है जिनकी विस्तृत सूचना केन्द्र के पास उपलब्ध नहीं है। पूर्ण की गई 2 करोड रुपये प्रति से अधिक लागत वाली महत्वपर्ण स्कीमों के संबंध में सूचना, जैसे कि राज्यों से प्राप्त हुई है संलग्न उपाबंध चार में दी गई है।

(ग) छटे वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार पांचवी योजना के आरंभ से राज्यों को केन्द्रीय सहायता प्राकृतिक संकटो के लिए राहत व्यय के लिए दी जा रही है परन्तु ऐसे व्यय को पूरा करने के लिए राज्यों की सहायता करने के उद्देश्य से उपाबंध पांच में दिखाई गई राशियां केन्द्र द्वारा केंद्रीय राजस्व के राज्यों को अन्तरण की स्कीम में राज्य सरकार को वार्षिक आधार पर दी गई है ।

बोढ़ स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक तत्काल सहायता उपायों को हाथ में लेने से राज्य के संसाधनों की स्थिति पर कुप्रभाव न पडने देने के उद्देश्य से वर्तमान वर्ष के दौरान केन्द्र द्वारा केरल की राज्य सरकार को 1 करोड रुपये की राशि 'संसाधन अग्रिम' के रूप में दी गयी है ।

स्कूल आयु से छोटे बच्चों में कुपोषण

*194. **श्री राम सहाय पांडे :**

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 नवम्बर, 1974 के एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में "मालन्यूट्रीशन एमंग प्रो–स्कूल चिल्ड्रेन इन इंडिया" (भारत में स्कूल आयु से छोटे बच्चों में कुपोषण) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण पत्र लोक सभा के पटल पर रखा जाता है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 8562/74]**

बाणसागर बांध संबंधी परियोजना प्रतिवेदन

*195. **श्री रणबहादुर सिंह :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को बाणसागर बांध के बारे में केन्द्र को पुनरीक्षित परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के कार्य में धीमी गति अपनाने का निदेश दिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो परियोजना प्रतिवेदन कब तक तैयार हो जाने की संभावना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं । बानसागर बांध के संशोधित परियोजना रिपोर्ट मध्य प्रदेश सरकार से सितम्बर 1974 में प्राप्त हुई थी तथा इस समय इसकी तकनीकी जांच की जा रही है ।

रोहतक विश्वविद्यालय की स्थापना

*196. **श्री प्रबोध चन्द्र :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने रोहतक, हरियाणा में विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय किया है, और

(ख) यदि हां, तो देश में कोई अन्य विश्वविद्यालय स्थापित न किये जाने के पूर्व निर्णय को बदलने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) भारत में विश्वविद्यालय राज्यों की विधान सभाओं अथवा संसद के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किए जाते है, न कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा । तथापि, रोहतक में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने के बारे में हरियाणा सरकार के एक प्रस्ताव पर आयोग द्वारा अपनी 12 अगस्त, 1974 को हुई बैठक में विचार किया गया था। आयोग राज्य सरकार के इस प्रस्ताव के पक्ष में नहीं था कि रोहतक में एक विश्वविद्यालय खोला जाय। राज्य सरकार ने आयोग से उक्त प्रस्ताव पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया है।

वर्ष 1974-75 के लिये गेहूं और चावल का वसूली लक्ष्य

*197. **मौलाना इसहाक सम्भली :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974–75 के लिए गेहू और चावल दोनों का वसूली लक्ष्य क्या है;

(ख) वसूली के क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) वसूली को प्रभावी बनाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ;

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिंदे) : (क) रबी मौसम 1974–75 के दौरान गेहू की अधिप्राप्ति के लिए कोई भी लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है । जहां तक चावल का सम्बध है, खरीफ विपणन मौसम 1974–75 अभी शुरू हुआ है और विभिन्न राज्यों में राज्य सरकारों से परामर्श करके अधिप्राप्ति के लक्ष्य का हिसाब लगाया जा रहा है।

(ख) रबी विपणन मौसम 1974–75 के दौरान अब तक 18.62 लाख मी० टन गेहूं की अधिप्राप्ति हुई है । 23-11-74 तक प्राप्त सूचना के अनुसार चालू खरीद विपणन मौसम के दौरान 4.25 लाख मी० टन चावल की अधिप्राप्ति हुई है।

(ग) अधिप्राप्ति तेज करने के लिए जो पग उठाए गये है उनमें ये पग शामिल हैं— किसानों को मूल्य-प्रोत्साहन देना, किसानों से सीधे खरीदारी करना, अधिप्राप्ति को उर्वरकों के वितरण और अन्य आवश्यक वस्तुओं के साथ जोडना, उत्पादकों/मिल मालिकों पर लेवी लगाना, उत्पादकों / व्यापारियों पर स्टाक रखने की सीमा लगाना, आदि।

विश्व खाद्य सम्मेलन में भारत द्वारा भाग लेना

*198. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा आयोजित किये जाने वाले आगामी विश्व खाद्य सम्मेलन में सरकार भाग लेगी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बधी विशेष बातें क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय कृषि तथा सिंचाई मंत्री ने 5 से 16 नवम्बर, 1974 तक रोम में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित किए हुए विश्व खाद्य सम्मेलन में भाग लिया था। मंत्री जी ने 12 नवम्बर, 1974 तक सम्मेलन में भाग लिया था।

विश्व खाद्य सम्मेलन के लिए निर्धारित कार्य सूची पर तीन समितियों दवारा विचार विमर्श किया गया जिसमें निम्नलिखित मदें सम्मिलित थी :—

प्रथम समिति :

(1) विकासशील देशों में व्यापक विकास के दृष्टिकोण को अपनाते हुए खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के उपाय ।

(2) विकासशील देशों में खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए उपाय ।

(3) सभी देशों में खपत प्रतिमानों में सुधार करने के लिए विकासशील देशों में और विशेषकर कमजोर वर्गों को पर्याप्त मात्रा में खाद्य की उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए नीतियां और कार्यक्रम तैयार करना ।

दूसरी समिति :

(4) विश्व खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए उपाय करना जिनमें अन्य बातों के साथ साथ ये भी शामिल हैं— शीघ्र चेतावनी देने की व्यवस्था करना तथा खाद्य सम्बन्धी बेहतर पद्धति, अधिक प्रभावी राष्ट्रीय तथा अन्तराष्ट्रीय स्टोक-होल्डिंग नीतियां और आपतकालीन सहायता तथा खाद्य सहायता के लिए उन्नत प्रबन्ध ।

(5) अनुवर्ति कार्यवाही जिसमें सम्मेलन की सिफारिशों या प्रस्तावों सम्बन्धी उपर्युक्त चालू मशीनरी शामिल है, के लिए प्रबंध ।

तीसरी समिति :

(6) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और समायोजन के क्षेत्र सम्बन्धी विशिष्ट उद्देश्य और उपाय जो खाद्य समस्या से संबंधित हैं । इन में विकासशील देशों से निर्यात के लिए मंडियों का स्थिरीकरण तथा विस्तार सम्बन्धी उपाय करना भी शामिल है ।

प्रथम समिति के कार्य के दौरान 14 प्रस्तावों पर विचार किया गया जो कृषि तथा ग्रामीण विकास की समस्याओं के सम्बन्ध में थे। इन प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव भारत द्वारा रखा गया था जो वैज्ञानिक जल प्रबन्ध, सिंचाई, जलनिष्कासन तथा बाढ नियंत्रण के संबंध में था। उसका एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकला और यह निर्णय किया गया कि संयुक्त राष्ट्र के महा सचिव से अनुरोध किया जाए कि वे कृषि विकास के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय निधि का ब्यौरा तैयार करने के लिए सभी इच्छुक देशों की एक बैठक शीघ्र बुलायें। इस से मुख्यत: विकासशील देशों में खाद्य उत्पादन बढ़ाने सम्बन्धी परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध करने में सहायता मिलेगी। तीन प्रस्ताव दूसरी समिति के काम के आधार पर रखे गए थे और ये विश्व व्यापी जानकारी तथा खाद्य और कृषि की शीघ्र चेतावनी पद्धति की व्यवस्था, विश्व खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था और खाद्य सहायता के लिए एक उन्नत नीति के बारे में है। तीसरी समिति के कार्य से सम्बन्धित प्रस्ताव से विश्व खाद्य समस्या और अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध स्थापित हुआ और सभी देशों की सरकारों और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से अनुरोध किया गया कि न्यूनतम विकसित तथा विकासशील देशों को (जो बहुत ज्यादा आर्थिक संकट से प्रभावित हैं) उच्चतम प्राथमिकता दें और उनके लिए व्यापार सम्बन्धी शर्तें ऐसी बनाएं जो उनके लिए अधिक से अधिक अनुकूल हों।

सम्मेलन की सिफारिशों की शीघ्र क्रियान्विति करने और उच्चतम राजनैतिक स्तर पर विश्व खाद्य समस्याओं की ओर बराबर ध्यान देने के लिए सम्मेलन ने संयुक्त राष्ट्र के अधीन एक विश्व खाद्य परिषद की स्थापना की सिफारिश की। इसके अतिरिक्त विश्व खाद्य परिषद सम्बन्धी एक समिति खाद्य तथा कृषि संगठन परिषद की एक स्थायी समिति के रूप में स्थापित की जाएगी। विश्व खाद्य कार्यक्रम की अन्तर-सरकारी समिति पुनर्गठित की जाएगी ताकि सम्मेलन द्वारा सिफारिश की गई अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन खाद्य सहायता नीतियों को प्रोत्साहन दिया जा सके तथा विकास करके उन्हें समन्वित किया जा सके। अंत में सम्मेलन ने भूख से मुक्ति के सम्बन्धी घोषणा पर विचार विमर्श किया और विश्व से भूख तथा उपोषण को समाप्त करने के लिये दस वर्ष के समय का लक्ष्य निर्धारित किया।

सम्मेलन ने अंत में जिन प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया उनमें ये शामिल हैं:—संयुक्त राष्ट्र महा सभा (जो अब विश्व खाद्य परिषद कहलाती है) के अधीन एक उच्च स्तरीय राज नैतिक निकाय का गठन करना, पर्याप्त संख्या में राष्ट्रीय आरक्षित भण्डारों के माध्यम से विश्व खाद्य सुरक्षा की ओर शीघ्र ध्यान देना, वर्ष 1975 से प्रति वर्ष कम से कम 100 मीटरी टन खाद्य सहायता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना, सिंचाई के क्षेत्र में विस्तार करके विकासशील देशों के कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाना, ये ऐसे प्रस्ताव हैं जो भारत में हित में है। भारतीय प्रतिनिधि ने विश्व खाद्य परिषद कृषि विकास और सिंचाई हेतु अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय निधि सम्बन्धी प्रस्तावों के तैयार करने और प्रस्तुत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यदि सम्मेलन के सभी प्रस्ताव तेजी से लागू हो जाए तो भविष्य में आपात स्थिति में सामयिक खाद्य सप्लाई के लिए प्रबंध करना और कृषि विकास के लिए काफी मात्रा में सहायता बढ़ाना हो सकेगा।

रत्नागिरी, महाराष्ट्र में काजू की खेती करने की योजना

*199. **श्री मधु दंडवते** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में केन्द्रीय सहायता से आरम्भ की गई काजू के पेड लगाने की महाराष्ट्र सरकार की योजना आम तौर पर असफल हो गई है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या उन किसानों को, जिनकी भूमि काजू की खेती करने की योजना के अन्तर्गत शामिल की गई है, बकाया राशि का भुगतान न करने के कारण उनकी सम्पत्ति जब्त करने की धमकी दी जाती है चाहे काजू की खेती असफल हो जाये; और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार महाराष्ट्र सरकार को ऐसे अन्यायपूर्ण और दमनकारी तरीके न अपनाने की सलाह देने का है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) महाराष्ट्र में केन्द्रीय सहायता से काजू के पेड़ लगाने की कोई योजना लागू नहीं की गई है। राज्य सरकार ने सूचना दी है कि केन्द्रीय सहायता के बिना उनके द्वारा शुरू की गई काजू के पेड़ लगाने की योजना असफल नहीं रही है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नही उठता।

दिल्ली स्कूल अध्यापक सहकारी गृह निर्माण समिति के सदस्यों द्वारा दायर किये गए शपथ पत्र

*200. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन (सहकारी विभाग) नोटिस संख्या एफ 954 (एच)/ 42, दिनांक 2 मार्च, 1974 के उत्तर में दिल्ली स्कूल अध्यापक सहकारी भवन निर्माण समिति के सदस्यों द्वारा आज तक कुल कितने शपथ पत्र दायर किये गए हैं; और

(ख) क्या यह सच है कि सहकारी समितियों के सहायक रजिस्ट्रार (लेखा परीक्षा) ने केवल कुछ चुने हुए सदस्यों को सत्यापन के लिये बुलाया था और यदि हां, तो ऐसे व्यक्ति कुल कितने हैं और शेष व्यक्तियों को न बुलाये जाने के क्या कारण है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) 18-11-1974 तक 1,482 शपथ पत्र प्राप्त हो चुके हैं।

(ख) केवल ऐसे 569 व्यक्तियों को सत्यापन के लिए बुलाया गया था, जिन्होंने अपने शपथ पत्रों में पूरा ब्यौरा नहीं दिया था अथवा जिन्होंने ऐसे विवरण दिये थे जो 27-8-1967 को प्राप्त हुई लेखा परीक्षा रिपोर्ट से मेल नही खाते थे।

खाद्यान्न में आत्म-निर्भरता के बारे में प्रधान मंत्री द्वारा घोषणा

*201. **श्री मधु लिमये** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1972 के चुनाव अभियान के दौरान प्रधान मंत्री ने अनेक आम सभाओं में घोषणा की थी कि भारत खाद्यान्न के मामले में अन्ततोगत्वा आत्मनिर्भर हो गया है ;

(ख) क्या इन चुनाव रैलियों में उन्होंने यह भी कहा था कि लगभग 70 वर्ष अन्तराल के बाद भारत पहली बार खाद्यान्न का पूरा निर्यात कर्ता होने की स्थिति में है ;

(ग) प्रधान मंत्री की इन आशावादी घोषणाओं का क्या आधार था; और

(घ) क्या अगले दो वर्षों में इन घोषणाओं के कटु सत्य में बदल जाने की संभावना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिंदे) : (क) से (घ) प्रधान मंत्री ने इन बातों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्यानों के मामलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में देश की सफलता का विशेष रूप से उल्लेख किया था कि (1) नई कृषि नीति अपनाए जाने से पूर्व के सब से अच्छे वर्ष 1964–65 में खाद्यानों का अधिकतम उत्पादन 894 लाख मीटरी टन था, जब कि इसके बाद यह उत्पादन बढ़ कर 1970–71 में 1084 लाख मीटरी टन हो गया और (2) भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान जो अब बांगला देश है, से आये लाखों शरणार्थियों को अधिकांशता इस देश ने अपने ही संसाधनों से राशन की सप्लाई की थी। उस समय बंगला देश की खाद्यानों की तत्काल आवश्यकता की पूर्ति के लिए उसे कुछ मात्रा में निर्यात भी किया गया था। यदि मौसम सामान्य होता और उर्वरक बिजली आदि जैसे कृषि के साधन आवश्यक मात्रा में उपलब्ध होते, तो बाद के वर्ष में उत्पादन और भी अधिक होता। आगामी दो वर्षों में उत्पादन में कितनी वृद्धि होगी, यह मौसम और महत्वपूर्ण कृषि साधनों की उपलब्धि पर निर्भर करेगा।

उत्तर बंगाल में बाढ संरक्षण कार्य के लिए केन्द्रीय सहायता

1801. **श्री हाजी लुतफल हक** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केरल से उत्तर बंगाल में बाढ़ संरक्षण कार्य के लिए लगभग 1.5 करोड़ रुपये की राशि मांगी है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन हेतु राज्य सरकार के प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस प्रस्ताव के बारे में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने उत्तरी बंगाल के जलपाइगुडी कूचबिहार और दार्जिलिंग जिलों में बाढ़ सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन के लिए 1974–75 के वास्ते योजना से बाहर 277 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता मांगी थी।

(ख) राज्य सरकार द्वारा बाढ़ सुरक्षा उपायों के लिए कुल 295 लाख रुपये की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया था जिसमें 48 चालू स्कीमों के लिए 246 लाख रुपये तथा 4 नई स्कीमों के लिए 49 लाख रुपये थे। इसमें से राज्य योजना में 18 लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी।

(ग) राज्य सरकार को सूचित किया गया था कि केन्द्र पर अत्यधिक वित्तीय दबाव होने के कारण उत्तरी बंगाल में बाढ़ नियंत्रण स्कीमों के लिए राज्य सरकार को योजना से बाहर सहायता देने के प्रस्ताव पर विचार करना संभव नहीं होगा।

पश्चिम बंगाल में बाढ़ संरक्षण कार्य पर खर्च किये गये धन की कथित बर्बादी

1802. **श्री शंकर नारायण सिंह देव** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय द्वारा पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में बाढ़ संरक्षण कार्य के लिए

आबंटित राशि बेकार चली गई है जैसा कि 14 अप्रैल, 1974 के कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले एक अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र मे 'एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड करप्शन' शीर्षक से समाचार छपा है ;

(ख) यदि हां तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार मालदा जिले के विशेष संदर्भ मे बाढ राहत कार्य के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को कितनी राशि मंजूर की गई है तथा इस अवधि के दोरान अब तक कितनी राशि व्यय की गई है; और

(ग) यदि नही, तो राज्य तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा दोषि अधिकारीयों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) से (ख) राज्य मे कुछ प्राथमिकता प्राप्त बाढ़ नियंत्रण स्किमों पर कार्यों मे जिसमे मालदा जिले मे महानंदा तटबंध स्कीम भी शामिल है तेजी लाने के लिए चौथी योजना के अंतिम दो वर्षों में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को योजना के बाहर वित्तीय सहायता दी गई थी। सभी प्राथमिकता प्राप्त स्कीमों के लिए 1972-73 मे 3 करोड रुपये तथा 1973-74 मे 8 करोड रुपय दिए गए थ। माल्दा जिले मे महानंदा तटबंध स्कीम के लिए कोई विशेष पथक सहायता नही दी गई थी। प्राथमिकता प्राप्त कार्यो के लिए ये राशियां, ऋणों के रुप में दो थी जो कि राज्य सरकार द्वारा सूचित व्यय के आंकडों पर आधारित थी । इस वर्ष मे ऐसी कोई सहायता देना प्रस्तावित नही है।

बाढ़ नियंत्रण राज्य विषय होने के कारण, इन कार्यों के कार्यान्वयन का ऊत्तरदायित्व राज्य सरकार का है । अत: स्कोमों के कार्यान्वयन में कदाचार तथा भ्रष्टाचार के अभिकथनों को जांच करने का कार्य राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र तथा सामर्थ्य के अंतर्गत आता है। माल्दा जिले में बाढ़ नियंत्रण कार्यों के कार्यान्वयन में कथित कदाचार तथा भ्रष्टाचार की रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दी गई है ।

नई दिल्ली में भारत-बंगला देश संयुक्त नदी आयोग की बैठक

1803. **श्री सुखदेव प्रसाद शर्मा :**

डा० सरदोश राय :

क्या **कृषि और सिचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नहर बांध गंगा नदी के साथ ब्रम्हपुत्र को जोडने की योजना का अध्ययन करने के लिए नयी दिल्ली में हाल मे भारत बांगला देश संयुक्त नदी आयोग की बैठक हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उस बैठक में किए गय निर्णयो के की मुख्य बातें क्या है ?

कृषि और सिचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) और (ख) भारत बंगला देश संयुक्त नदी आयोग की नई दिल्ली में 28 सितम्बर से 4 अक्तूबर 1974 तक तथा ढाका में 16 नवम्बर से 20 नवम्बर, 1974 तक हुई बैठक मे गंगा के शुष्क मौसम-बहाव में वद्धि करने के लिए जिन प्रस्तावों पर विचार किया गय। था उन मे से एक ब्रम्हपुत्र गंगा सम्पर्क नहर से संबंधित था। बातचित अभी चल रही है ।

कृषि योजनाओं के लिए गोआ को केन्द्रीय सहायता

1804. **श्री पुरषोत्तम काकोडकर** : क्या **कृषि और सिचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1972-73 और वर्ष 1973-74 मे कृषि योजनाओं के लिए गोआ को कोई वित्तीय सहायता दी थी ; और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

कृषि योजनाओं के लिये राजस्थान को केन्द्रीय सहायता

1805. श्री श्रीकृष्ण मोदी : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान राज्य को कृषि योजनाओं के लिए वर्ष 1972–73 तथा 1973–74 में कोई वित्तीय सहायता दी थी, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी, हां ।

(ख) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

कृषि योजनाओं के लिए उड़ीसा को केन्द्रीय सहायता

1806. श्री अनादि चरण दास :

श्री पी० गंगा देव :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1972–73 और वर्ष 1973–74 में कृषि योजनाओं के लिये उडीसा राज्य को कोई वित्तीय सहायता दी थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी तथ्य क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी, हां ।

(ख) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

फल तथा सब्जी विकास निगम

1807. श्री धामनकर :

श्री जी० वाई० कृष्णन :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई फल तथा सब्जी विकास निगम बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कब और किस स्थान पर;

(ग) इस निगम के उद्देश्य तथा कार्यक्षेत्र क्या है; और

(घ) इस समय कितने टन फलो तथा सब्जियों का निर्यात होता है और प्रस्तावित निगम कहां तक अपने निर्यात को बढायेगा तथा अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिंदे) : (क) से (ग) फल एवं सब्जी विकास निगम स्थापित करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। उसके ब्योरे अभी तैयार किए जाने है ।

(घ) वर्ष 1973–74 के दौरान 70074 मीटरी टन ताजा फल और सब्जियां तथा 10,334 मीटरी टन फलों और सब्जियों के पदार्थों का निर्यात किया गया था । प्रस्तावित निगम निर्यातों में वृद्धि करने की दिशा में कार्य करेगा ।

वसन्त विहार कालोनी में शान्ति निकेतन में प्लाटों के अलाटियों द्वारा देय प्रीमियम

1809. श्री सुरेन्द्र महन्ती : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारी सहकारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड, वसन्त विहार, नई दिल्ली की शान्तिनिकेतन कालोनी में प्लाटों के अलाटियों को प्रीमियम का भुगतान करना पडता था;

(ख) यदि हां, तो उनसे कितनी बार तथा किस दर पर उक्त प्रीमियम लिया गया;

(ग) उक्त कालोनी में किन विशेष सुविधाओं के लिये उक्त प्रीमियम लिया गया है और समय-समय पर लिया जा रहा है जब कि वसन्त विहार कालोनी में अलाटियों को भूमि की लागत की आंशिक राशि वापिस कर दी गई है; और

(घ) शान्ति निकेतन कालोनी के अलाटियों से और कितनी बार तथा किस दर पर प्रीमियम मांगे जाने की सम्भावना है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) भूमि के प्लाटों के सभी आबंटियों द्वारा प्रीमियम का भुगतान भूमि की लागत के आधार पर सरकार के आदेशों के अनुसार किया जाता है । आरम्भ में, अगस्त 1966 में शान्ति-निकेतन कालोनी के प्लाटों के आबंटियों को भूमि के लिए प्रीमियम का भुगतान 10.723 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से देना अपेक्षित था । तद्पश्चात, भूमि अर्जन समाहर्ता द्वारा दिए गए मुआवजे में वृद्धि होने के कारण, पट्टाविलेख की शर्तों के अनुसार उन्हें, 6.60 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से अतिरिक्त रकम का भुगतान करने के लिए कहा गया था।

(ग) विशेष सुविधाए देने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्यों कि प्रीमियम की राशि का सम्बन्ध भूमि की लागत से है तथा समिति और उप-राज्यपाल दिल्ली के बीच निष्पादित करारनामें की शर्तों के अनुसार यह समिति/आबंटी सदस्यों द्वारा देय है । दिल्ली विकास प्राधिकरण ने वसन्त बिहार के आबंटियों को भूमि की लागत का कोई भी अंश वापिस नहीं किया है ।

(घ) समिति ने, उन आबंटियों को जिन्होने देय राशि का अभीतक भुगतान नहीं किया है, अन्तिम रूप से कहा है कि वे बकाया राशि को 3 किस्तों में 15 सितम्बर, 15 दिसम्बर 1974 और 15 मार्च 1975 को अदा कर दें ।

Persons holding 30/88 Hectares of Land

1811. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 309 on the 12th August, 1974 regarding acreage of forest desert and cultivable land reclaimed and state the names of persons in each State in possesssion of 30/88 hectares of cultivable land in the country?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Shah Nawaz Khan): Information in respect of names of persons in possession of an area of 30/88 hectares of cultivable land in the country are not available withthe Ministry of Agriculture and Irrigation. Collection ofsuch information from all the States/Union Territory Governmentes, will take considerable time.

थन्नरमुक्कम स्थित 'साल्ट वाटर बेरियर'

1812. **श्री एम० श्रीकान्तर नायर :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थान्नेरमुक्कम स्थित 'साल्ट वाटर बेरियर' के बारे में संशोधित प्राक्कलन भारत सरकार की स्वीकृति के लिये अभी तक विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस विलम्ब के क्या कारण है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) राज्य सरकार से मई 1974 में निर्धारित प्रोफोर्मों पर स्कीम रिपोर्ट प्राप्त हुई। केन्द्रीय जल आयोग ने परियोजना के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण और आंकडे मांगे थे। राज्य सरकार के उत्तरों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

पश्चिम बंगाल की खाद्य कठिनाइयों को हल करने के बारे में मंत्री महोदय का वक्तव्य

1813. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल में अपनी कलकत्ता यात्रा के दौरान कहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग के साथ पश्चिम बंगाल राज्य की वर्तमान खाद्य कठिनाइयां अगले मोसम तक हल की जा सकती है; और

(ख) क्या उनकी अपील के परिणाम स्वरूप स्थिति में कोई सुधार हुआ है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिंदे) : (क) और (ख) कृषि और सिंचाई मंत्री ने यह बताया कि यदि राज्य सरकारें बडे किसानों और व्यापारियों से जमाशुदा खाद्यान्नों को निकलवाने में और खाद्य उत्पादन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने तथा खाद्यान्नों की अपेक्षित मात्राएं अधिप्राप्त करने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करती है, तो देश में इस समय चल रही खाद्य की कमी को काफी हद तक पूरा किया जा सकता है। उन्होंने पश्चिमी बंगाल के बारे में कोई खास उल्लेख नहीं किया । अक्तूबर से 16 नवम्बर, 1974 के अन्त तक की अवधि के बीच पश्चिमी बंगाल के विभिन्न रिपोर्टिंग केन्द्रों पर चावल के मूल्यों में गिरावट आयी ।

डा० भगवान दास मेमोरियल ट्रस्ट, दिल्ली की सम्पत्ति के कब्जाधारियों को बेदखल किया जाना

1814. **श्री अम्बेश :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री 26 नवम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2111 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डा० भगवान दास मेमोरियल ट्रस्ट दिल्ली की सम्पत्ति के कब्जाधारियों को बेदखल करने के लिये मामले शुरू कर दिये है; और

(ख) यदि हां, तो उनको बेदखल किये जाने के क्या आधार है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) प्रश्नाधीन भूमि पहले आल इण्डिया ब्लाइंड रिलीफ सोसाइटी को, चक्षु अस्पताल के लिये पट्टे पर दी गई थी। भूमि को डा० भगवान दास मेमोरियल ट्रस्ट के नाम अभी तक हस्तांतरित नहीं किया गया है। सम्पत्ति के अनधिकृत दखलकारी के विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही चल रही है।

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले उत्पादों से फल उत्पाद आदेश को लागू न करना

1815. **श्री नवल किशोर सिंह :**

श्री शशि भूषण :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री "साफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री' में फल उत्पाद आदेश को लागू करने के बारे में 26 अगस्त, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3533 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दोनों अधिनियम तथा फल उत्पाद आदेश के लागू करने के कारण निर्माताओं को होने वाली कठिनाइयों के बारे में जानकारी हैं, और

(ख) क्या सरकार का विचार खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले उत्पादों से फल उत्पाद आदेश को लागू न करने का है और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिंदे) : (क) फल उत्पाद आदेश के लाइसेंसधारियों को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अधीन लाइसेंस लेने की छूट है। अधिनियम और आदेश दोनों के ही उपबंध अनुपूरक है और वे अपने परिचालन में एक जैसे है। इसलिए निर्माताओं को सामान्यत: कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, ऐसे उत्पादों, जिनमे फल अथवा सब्जियां नहीं होती है, को फल उत्पाद आदेश की सीमा से छूट देने संबंधी प्रश्न विचाराधीन है।

चयनग्रेड के लिए प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों की पात्रता

1816. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री चयन ग्रेड के लिये पात्र प्राथमिक स्कूल के अध्यापकों की सूची के पुनरीक्षण के संबंध में 4 मार्च, 1974 तथा 26 अगस्त, 1974 के क्रमश: अतारांकित प्रश्न संख्या 1607 तथा 3559 के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस बीच अपेक्षित जानकारी एकत्र कर ली गई है, और यदि हां, तो वह क्या है; और

(ख) यदि नहीं, तो जानकारी कब तक एकत्र कर लिए जाने की आशा है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी०पी०यादव) : (क) जी, हां। दिल्ली नगर निगम द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार प्राथमिक स्कूलों के उन अध्यापकों की जिन्हें 4-11-1973 तक और उन अध्यापिकाओं की जिन्ह 4-1-1973 तक सेलेक्शन ग्रेड दि जानी थी, सूचियों जारी कर दी गई है। इन सूचियों के अनुसार 131 अध्यापकों को तथा 107 अध्यापिकाओं को सिलेक्शन ग्रेड का लाभ प्राप्त हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पंजाब को रबी की फसल के गेहूं के लिये राजकीय व्यापार की अनुमति

1817. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने केन्द्र से रबो को फसल के लिए भी राज्य व्यापार को अनुमति मांगो है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर केन्द्रोय सरकार को क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल सप्लाई सम्बन्धी परियोजनायें

1818. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने गुजरात के ग्रामोण क्षेत्रों में पेय जल सम्बन्धो किन्हीं परियोजनाओं को स्वीकृति दी है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधो तथ्य क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां ।

(ख) चौथो पंचवर्षीय योजना में, 1972–74 के लिए ग्रामोण जल पूर्ति का एक केन्द्रोय त्वरित कार्यक्रम शत प्रतिशत केन्द्रोय सहायता से आरम्भ किया गया था। इस कार्यक्रम के अधोन गुजरात में 366.83 लाख रुपये को कुल अनुमानित लागत पर 892 ग्रामों के लिये नल द्वारा पानी देना (162 ग्रामों के लिये) तथा हैन्ड पम्पों के साथ नल कूप (730 ग्रामो के लिये) स्वीकृत किये गये थे। 1972–74 के दौरान 291 लाख रुपये के कुल व्यय को सूचना मिलो है । हैन्ड पम्पो के साथ 436 नल कूप सफल सिद्ध हुए तथा 78 नल द्वारा जल (पम्प तथा जलाशय) के कार्य पूर्ण किये गये थे। 77 ग्रामों के लिये क्षेत्रोय जलपूर्ति को एक योजना प्रगति पर है ।

शिक्षा के स्तर के सम्बन्ध में समन्वय एवम् उसका निर्धारण करने के लिए समिति

1819. **श्री शशि भूषण** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शिक्षा के स्तर के संबंध में समन्वय तथा उसका निर्धारण करने के प्रश्न पर विचार करने के लिये एक समिति गठित की है; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति के, विशेष रूप से (एक) विदेशों से प्राप्त डिग्री तथा (दो) विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा डिग्री हेतु निर्धारण अध्ययन पाठ्यक्रम के संदर्भ में निदेश पद क्या है?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, भारत सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यकरण को विशेष रूप से उच्च शिक्षा के स्तरों के समन्वय तथा निर्धारण को ध्यान में रखते हुए समीक्षा करने के लिए तथा ऐसे उपायों के संबंध में सिफारिशें करने के लिए एक समिति नियुक्त की है, जो उसकी जिम्मेदारियों को और अधिक कारगर ढंग से निभाने में सहायक हो। समिति ऐसे किसी भी मामले की जांच करने के लिए स्वतंत्र होगी जिसकी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कामकाज से संबंध हो।

उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्र में पेय जल सप्लाई सम्बन्धी परियोजना

1820. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उडीसा के ग्रामीण क्षेत्र में पेय जल सप्लाई संबंधी किसी परियोजना को मंजूरी दी है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां।

(ख) त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति का कार्यक्रम केन्द्रीय सरकार द्वारा शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से 1972–74 के दौरान आरम्भ किया गया था। उडीसा सरकार को 173.30 लाख रुपये की राशि दी गई थी। 437 बरमा नलकूप (4″ × 2″) तथा 988 नलकूप (2″ व्यास) खोदे गए है। नलों द्वारा जलपूर्ति की 7 योजनाओं पर कार्य चल रहा है।

पांचवी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण जलपूर्ति को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है जो कि राज्य क्षेत्र में है और इसलिए इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निष्पादित की जा रही इन योजनाओं के शेष कार्य को राज्य क्षेत्र में हस्तांतरित कर दिया गया है।

टाइप–4 आवास के हकदार कर्मचारियों पर तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों का प्रभाव

1821. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय वेतन आयोग से पूर्व के वेतनमानों के अन्तर्गत टाईप-4 आवास के हकदार कर्मचारियों के वेतनमानों को तृतीय वेतन आयोग की सिफारिश के अन्तर्गत पुनः निर्धारित करने के पश्चात टाइप–4 आवास के हकदार कतिपय श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों को उस हक से वंचित करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और इस प्रस्ताव से कितने व्यक्तियों पर प्रभाव पडने की संभावना है, और

(ख) किस वेतन स्तर से कर्मचारी ऐसे आवास के हकदार बनते है और तृतीय वेतन आयोग के वेतनमान के अन्तर्गत तदनुरूप वेतन स्तर किया है?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) जी नहीं। इस समय 500 रुपये से 799 रुपये प्रतिमास तक, जिसमें महंगाई वेतन शामिल है, परिलब्धियां पाने वाले कर्मचारी टाइप-4 आवास के पात्र है। 800 रुपये और 1299 रुपये के बीच परिलब्धियां पाने वाले अधिकारी भी अगली निचली टाइप के रूप में टाइप-4 पात्र है। इस टाइप के लिए संशोधित पात्रता 700 रुपये और 999 रुपये के बीच है। संशोधित पात्रता नियत करते समय इस बात का यथा संभव ध्यान रखा गया है कि कर्मचारियों के विभिन्न वर्ग, तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार संशोधित किए गए वेतन मानों के आधार पर पात्रता बदल जाने के बाद भी उसी टाइप के आवास के पात्र बने रहे।

कारखाना श्रमिकों के लिए उचित दर दुकान खोलने के बारे में पंजाब सरकार का निर्णय

1822. श्री बरके जार्ज : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार शीघ्र ही सभी कारखानों को, जिस में सौ अथवा इससे अधिक श्रमिक रोजगार पर लगे हुए है मुनाफा रहित आधार पर श्रमिकों के लिये उचित दर दुकाने खोलने के बारे में अध्यादेश जारी करेगी; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार अन्य राज्यों को इस का अनुसरण करने के लिये प्रेरित करने का है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे) : (क) और (ख) राज्य के अन्दर उचित मूल्य का दुकानों के माध्यम से खाद्यानों को वितरित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। पंजाब सरकार से सूचना मांगी गई है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

उड़ीसा को बाढ के लिये केन्द्रीय सहायता

1823. श्री श्यामसुन्दर महापात्र : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970 से इस वर्ष तक उडीसा को बाढ के लिये कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई और बालासोर और मयूरभंज जिलों में कितनी राशि व्यय की गई,

(ख) क्या ये राशि स्थायी कार्यों में अथवा राहत परिक्षणपर व्यय की गयी है, और

(ग) यदि हां, तो अब तक क्या स्थायी कार्य किये गये है?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) से (ग) राज्य सरकार से सूचना मांगी गई है और प्राप्त होने पर यह यथा शीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

World Bank Aid for Development of pulses and oils Seeds in M.P.

1824. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whther the Madhya Pradesh Government have sent a special scheme for economic assistance from the World Bank for the development of pulses and oil seeds in the State; and

(b) if so, the action taken or proposed to be taken by Government thereon?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel) : (a) Yes, Sir.

(b) The scheme received from the State is being considered by the Government of India for seeking World Bank assistance for the development of pulses and oilseeds in certain are as of Madhya Pradesh.

पंजाब के किसानों को रियायती दरों पर ट्रैक्टरों की पुनः बिक्री

1825. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य कृषि आयोग निगम द्वारा बेचे गये ट्रैक्टरों की पंजाब के किसानों को रियायती दरों पर पुनः बिक्री कर दी गई है;

(ख) क्या इस कार्य में निगम के कुछ अधिकारी भी शामिल है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

बांकुरा और पुरुलिया में गेंहू की खरीद

1826. **श्री अजीत कुमार राहा** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल के बांकुरा और पुरुलिया जिलों में राहत कार्य करने हेतु सस्ती दर पर वस्तुए बचने के लिये कैन्टीन चलाने वाले ऐच्छिक संगठनों को निजी व्यापारियों से 225 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदनी पडी जब कि इन एच्छिक संगठनों को 176 रुपये प्रति क्विंटल की रसीद दी गई, और

(ख) यदि हां, तो इन व्यापारियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिंदे) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बाढ तथा सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्यों के लिये विदेशी संघों द्वारा सहायता का प्रस्ताव

1827. **श्री आर० एन० वर्मन** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विदेशी संघों ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि उन्हें पश्चिम बंगाल में विशेषकर हाल ही में बाढ तथा सूखा से प्रभावित क्षत्रों में राहत काय करन, को अनुमति दी जाय;

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इन विदेशी संघों न किस प्रकार की तथा कितनी सहायता दने का प्रस्ताव किय है, और

(घ) क्या अन्य राज्यों के सम्बन्ध में भी ऐसे प्रस्ताव किये गये है, और यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) तथा (ख) देश के किसी भाग में सहायता कार्य करने के लिए किसी विदेशी संघ ने केन्द्रीय सरकार से अनुमति नहीं मांगी है । किन्तु केन्द्रीय सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय स्वैच्छिक संगठनों से अनुरोध किया है कि वे सूखा तथा बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में अपने कार्यक्रमों को तेज करने की सम्भावनाओं का पता लगाए ।

(ग) तथा (घ) यूनीसेफ ने सूचित किया है कि सीमित और सुसंहत क्षेत्रों में 5 महीनों तक बच्चों (0–6 वर्ष,) गर्भवती माताओं और बच्चों को दूध पिलाने वाली माताओ के लिए पैकेज सेवाओं हेतु 22.5 लाख डालर तक की सहायता उपलब्ध की जा सकती है ।

कयर-इंडिया ने अपने मौजूदा चालू कार्यक्रमों के लिए और अधिक सहायता देने के लिए कोई संदेह नहीं दिया है ।

कैरोटास ने सूचित किया है कि उन्होंने पश्चिम बंगाल, बिहार, कर्नाटक, मेघालय, असम, उत्तर प्रदेश, केरल और गुजरात राज्यों के कुछ क्षेत्रों में राहत कार्य के लिए मकानों के पुनर्निर्माण तथा मरम्मत, दवाइयां, कपडे, खुराक, बर्तन आदि खरीदने के लिए 9.25 लाख रु० की सहायता दी है ।

सी० आर० एस० ने निम्नलिखित बातों के लिए सरकार को सूचित किया है :—

(1) उनके रोम स्थित क्षेत्रीय कार्यालय ने 5,000 डालर की कीमत तक की साडियां तथा धोतियां शीघ्र खरीदने का अधिकार दिया है ।

(2) सी० आर० एस० न्यूयार्क, कलकत्ता और बम्बई को शीघ्र भेजने के लिए 55,000 डालर तक के विशेष खाद्य पदार्थ खरीद रहा है ।

(3) उन्होंने उडीसा, बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश राज्यों के 4.47 लाख लाभानुभोगियों के लिए कलकत्ता और बम्बई को अतिरिक्त मात्रा में 270 लाख पौंड के खाद्यान्न सप्लाई किए है । उन्होने 30 लाख पोंड गेहूं, सोयाबीन का भी उपयोग किया है ।

(4) उनके 'फूड फार वर्क' नामक कार्यक्रम को तेज किया जा रहा है ताकि कलकत्ता क्षेत्र के प्रभावित क्षत्रों में 172000 लाभानुभोगियों और बम्बई के प्रभावित क्षत्रों में 2 लाख लाभानुभोगियों को लाभ पहुंच सके ।

सी० ए० एस० ए० ने सरकार को सूचित किया है कि उन्होंने विभिन्न प्रभावित क्षेत्रों में निम्नलिखित कार्य शुरू किए हैं :—

(1) पश्चिम बंगाल के पश्चिम दिनाजपुर और जलपाइगुडी जिलों में अस्थायीरूप में 12,000 बच्चों को खराक देना, तथा बच्चों के लिए 14,000 कपडे और वयस्कों के लिए 6,000 कपडे वितरित करना,

(2) पश्चिम बंगाल के बंकुरा तथा पुरुलिया जिलों के सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में 4,300 बच्चों को खुराक देना,

(3) मध्य प्रदेश में रायपुर जिले के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में रायपुर चर्चिज ड्राफ्ट रिलिफ कमेटी के माध्यम से परियोजनाओं के कर्मचारियों के लिए खाद्य पदार्थ देना (इन योजनाओं के लिए प्रस्तावित बजट लगभग 1.80 लाख रु० है),

(4) महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त जिलों में लगभग 40 पोषण कार्यक्रम (परियोजनाओं और पोषण विकास के लिए खाद्य), बम्बई के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में लगभग 2,000 वासियों हेतु और कुछ विकास परियोजनाओं (जिनका उद्देश्य खाद्य उत्पादन करना है और जो सूखाग्रस्त जिलों में स्थित है) के लिए खाद्य तथा औषध सम्बन्धी सहायता देना,

(5) कर्नाटक में बाढ प्रभावित लोगों के लिए कार्मिकों कपडों, साबुन, धन (25,000 रु०) चावल तथा सब्जियों के रूप में सहायता देना,

(6) केरल के बाढ़ग्रस्त जिलों में उपहार रूप में 180,000 पौड गेहूं देना,

(7) वे प्रभावित क्षेत्रों को सर्वेक्षण भी कर रहे है और या पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में तटीय तथा केन्द्रीय उडीसा, दक्षिण बिहार, गुजरात के पंच महल तथा वडोदा जिले, राजस्थान के जिले, केरल के बाढ प्रभावित जिले, आन्ध्र प्रदेश तथा कर्नाटक के रायलसीमा क्षेत्र और असम के गोलपारा जिलों में परियोजनाओं के में काम करने वालों के लिए खाद्य पदार्थ तैयार कर रहे हैं ।

विश्व खाद्य कार्यक्रम ने 6,000 मीटरी टन गेहूं, 500 मी० टन डी एस एम और 500 मी० टन बटर आयल की सहायता देने की पेशकश की है । इस प्रस्ताव को भी अन्तिम रूप दिया जाना बाकी है ।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि

1828. **श्री समर गुह :**

श्री आर० बी० बड़े :

श्री जगन्नाथ राव जोशी :

श्री अटल बिहारी बाजपेयी :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक सभा के पिछले सत्र के बाद खाद्य पदार्थों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के बारे में तथ्य क्या है;

(ख) 1972–73 के वर्षों में इसी अवधि के दौरान उक्त खाद्य पदार्थों तथा वस्तुओं के मूल्यों के तुलनात्मक आंकडे क्या है; और

(ग) खाद्य पदार्थों तथा आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है, और करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पो० शिंदे) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 8563/74]** (परिशिष्ट-1), जिसमें 14 सितम्बर, 1974 (लोक सभा के पिछले अधिवेशन के बाद) और 26 अक्तूबर, 1974 के लिए प्रमुख खाद्य पदार्थों और अन्य आवश्यक वस्तुओं के

थोक मूल्य का अखिल भारतीय सूचकांक (आधार 1961-62=100) तथा पिछले वर्ष उसी प्रकार के आंकडे और उक्त अवधि के दौरान मूल्यों में वृद्धि और गिरावट को प्रतिशतता के ब्योरे दिए गए है । इस विवरण को देखने से यह मालूम होगा कि 14 सितम्बर और 26 अक्तूबर के बीच दोनों खाद्य पदार्थों और अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में गिरावट आयी है । पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान ज्वार, बाजरा, मक्का तथा मछली अण्डे और मांस के मूल्यों में मामूली गिरावट को छोडकर मूल्यों में सामान्यतया वृद्धि हुई।

(ग) खाद्य पदार्थों की उपलब्धता में सुधार करने और मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए सरकार ने विभिन्न उपाय किए है :—

(1) खाद्यान्न और अन्य खाद्य पदार्थों को निर्धारित मूल्यों पर उपलब्ध करने के लिए उचित मूल्य की दुकानों/राशन की दुकानों के माध्यम से सरकारी वितरण करने की प्रणाली में सुधार करना और उसे सशक्त करना।

(2) अतिथि नियन्त्रण आदेश को लागू कर खाद्यान्नों की खपत पर रोक लगाना और होटलों तथा जलपान गृहों में परोसी जाने वाली मदों की संख्या पर पाबंदी लगाना ।

(3) मोटे अनाजों के अन्तरजोनल संचलन पर लगे प्रतिबन्धों को हटाना ताकि अधिशेष राज्यों से कमी वाले राज्यों को इन वस्तुओं का मुक्त संचलन हो सके।

(4) भारत सरकार राज्य सरकारों पर बराबर जोर देती रही है कि वे विभिन्न नियन्त्रण आदेशों को सख्ती से लागू करें और जमाखोरों तथा काले धन्धे में लग व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए भारत सुरक्षा नियमों और आसुंका तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के उपबन्धों का इस्तेमाल करें। राज्य और केन्द्रीय सरकार व्यापारियों और अन्य व्यक्तियों द्वारा जमाखोरी करने की किसी भी सम्भावना पर कडी निगरानी रख रही है ।

(5) कृषि उत्पादन में वृद्धि करने और खाद्यानों की अधिकतम अधिप्राप्ति करने के लिए भी सभी निरन्तर प्रयास किए जा रहे है ताकि सरकारी वितरण प्रणाली को उपयुक्त स्तर पर बनाए रखा जा सके।

(6) तिलहनों और तेलों के स्टाक को सट्टेबाजी के लिए जमाखोरी को रोकना और आवश्यक आदेश जारी करना जिनके अधीन व्यापारियों और मिल मालिकों द्वारा तिलहनों/तेलों के स्टाक की घोषणा करना तथा उनके मूल्यों को प्रदर्शित करना ।

Prices of Urea Fertiliser

1629. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Government have fixed the price of chemical fertilizer called urea; if so, price fixed;

(b) whether Government are aware that it is being sold at a rate of Rs. 3 to Rs. 4 per kg. in North Bihar; and

(c) if so, whether Government have issued directive to maintain the price and if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel) : (a) The Government of India have fixed the maximum retail prices of Urea as indicated below w.e.f. 1st June, 1974:—

Urea (46% Nitrogen)	Rs. 2,000 per tonne.
Urea (Coated—45% Nitrogen)	Rs. 1,960 per tonne.

(b) There were reports received from the Government of Bihar about some cases of black-martketing in fertilisers, but these reports do not indicate whether the cases relate to North Bihar. In any case, after the fertiliser price increases notified in June, 1974, the Bihar Government have not reported any cases of black-marketing in fertilisers.

(c) The State Governments have been given adequate powers under the Fertilizer (Control) Order, 1957 and the Essential Commodities Act 1955 to apprehend and prosecute the offenders indulging in black-marketing. The Fertiliser (Control) Order has been declared as a 'Special Order' under the Act enabling the State Governments to try the offenders in summary trials.

Sale of Fertilisers in Bihar

1830. Shri Ramavtar Shastri : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether fertilisers are sold both by the private agencies and the cooperative societies in Bihar ;

(b) if so, the ratio of the quantity of fertilisers sold by each of these agencies;

(c) whether a large portion of the fertilisers supplied to private agencies for sale is sold in the black market; and

(d) if so, the arrangements made by Government to check the sale of fertilisers in black market?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel) ; (a) Yes Sir.

(b) As per the information furnished by the National Cooperative Development Corporation, Cooperatives in Bihar handle about 57% of the supplies of fertilisers, received in the State from the indigenous manufacturers. In addition they also handle the entire supplies of fertilisers, received in the State from the Central Fertiliser Pool. The private trade in Bihar therefore handle only about 43% of the supplies made by domestic manufacturers in the State.

(c) A few cases of black-marketing in fertilisers prior to the fertilisers price increase in June 1974 have been reported by the Government of Bihar. There is, however, no indication in these reports that such cases relate only to private agencies.

(d) A number of steps have been taken to check the sale of fertilisers in the black-market. Deterrent punishment for this offence has been provided for the in Essential Commodities Act, 1955. State Governments have been given adequate powers under the Fertilizer (Control) Order, 1957 and the Essential Commodities Act, 1955 to apprehend and prosecute persons indulging in black-marketing. The Fertiliser (Control) Order has also been declared a special Order under the Act enabling the State Governments to try these offenders in summary trials. The Central Government have also been impressig upon the State Government from time to time the need for vigorously implementing the price control on fertiliser.

उड़ीसा में चीनी उद्योग में गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रवेश पर लगे प्रतिबन्ध को हटाना

1831. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्र से अनुरोध किया है की चीनी उद्योग में गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रदेश पर लगे प्रतिबन्ध को हटाया जाये, और

(ख) यदि हां, तो उसके लिये क्या कारण बताये गये है और उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पंजाब और हरियाणा के बीच नदी जल का बटवारा

1832. **श्री भोला मांझी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नदियों के जल के बटवारे पर पंजाब और हरियाणा के बीच विवाद के संबंध में केन्द्रीय सरकार ने कोई निर्णय कर लिया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) जी, अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

राज्यों में कावेरी के जल का बटवारा

1833. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :**

श्री डी० वाई० कृष्णन :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीन राज्यों के बीच कावेरी के जल के बटवारे के संबंध में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है, और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) और (ख) कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु के राज्यों के बीच कावेरी जल का विभाजन कावेरी जल के वर्तमान तथा प्रस्तावित समुपयोजन में संभव किफ़ायत को दृष्टिकोण में रखते हुए किया जाना है ।

मद्रास में जून, 1974 में अन्तर्राज्यीय बैठक के उपरांत इन संभावनाओं पर जुलाई, 1974 में राज्यों के तकनीकी अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया गया है तथा अब इससे संबंधित बातों पर 28 या 29 नवम्बर, 1974 को दिल्ली में तीनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करने का प्रस्ताव है ।

सरदार वल्लभ भाई पटेल कि जन्मशति

1834. श्री पी० जी० मावलंकर : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल को जन्मशतो पर देश पर्यन्त समारोह आयोजित करने का कार्यक्रम बनाने के लिए प्रधान मंत्रो की अध्यक्षता में कोई राष्ट्रोय समिति बनाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति के सदस्य कौन-कौन हैं तथा उनके पदनाम क्या हैं;

(ग) इस समिति की अब तक कितनो बैठकें हुई हैं और क्या निर्णय किए गए;

(घ) विभिन्न कार्यों के लिए कुल कितनो धनराशि नियत को गई और उन पर होने वाले अनुमानित व्यय का विस्तृत ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या विभिन्न समारोह पूरे शताब्दो वर्ष में समय-समय पर आयोजित किए जायेंगे ; और यदि हां, तो तत्संबंधो मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा, और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) जो हाँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जन्मशताब्दो के लिए, प्रधान मंत्रो को अध्यक्षता में एक राष्ट्रोय समिति गठित को गई है।

(ग) राष्ट्रोय समिति को एक बार बैठक हुई है। तथापि, यह समारोह मनाने के लिए कार्यक्रमों के ब्यौरे तैयार करने हेतु, समिति द्वारा स्थापित कार्यदल को तोन बार बैठक हो चुको हैं। समारोह मनाने के लिए सिफारिश किए गए कार्यक्रमों का सारांश संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) खर्चे के प्राक्कलनों के ब्यौरे, सरकार के उन सम्बन्धित विभागों द्वारा तैयार किए जा रहे है जिन्हें प्रत्येक को एक-एक कार्यक्रम सौंपा गया है तथा आशा को जातो है कि इस प्रकार का खर्चा इन विभागों द्वारा अपने अपने बजट विनिधानों में से पूरा किया जाएगा।

(ड़) जी, हां। समारोह के कार्यक्रमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

1. गन्ना उत्पादन तथा शुष्क खेतो के सुधार के लिये कृषि परियोजनाएं जो केन्द्रोय कृषि मंत्रालय द्वारा तैयार को जा रहो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखो जाएंगी।
2. बारदोली में एक स्मारक की स्थापना ।
3. अहमदाबाद में एक संग्रहालय को स्थापना तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल के घर का एक स्मारक के रुप में संरक्षण।
4. भूतपूर्व रियासतों में जनप्रिय सरकारें स्थापित करने के लिये रियासतों के लोगों के संग्राम तथा अन्त में उनका भारतोय संघ में विलयन संबंधो ऐतिहासिक पुस्तक का प्रकाशन।
5. हिन्दो तथा अंग्रेजी में बच्चों के लिए उनको जोवनो प्रकाशित करना तथा उसका विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद करना।
6. सरदार पटेल स्मारक भाषणों का आयोजन।
7. सरदार पटेल स्मारक भवन, अहमदाबाद द्वारा प्रकाशित सरदार पटेल स्मारक खंडोंका सार्वजनिक पुस्तकालयों इत्यादि को वितरित किया जाना।
8. 31–10–1974 को दिल्लो में एक आम सभा का आयोजन।

9. "आधुनिक भारत के निर्माता" नामक पुस्तक माला में सरदार पटेल की जीवनी प्रकाशित करना।

10. राष्ट्रीय एकता के विषय पर स्कूल के बच्चों में प्रतिस्पर्धाएं तथा सेमिनार का आयोजन। विश्वविद्यालयों तथा कालिजों में पहले से स्थापित राष्ट्रीय एकता समितियों द्वारा, राष्ट्रीय एकता के निर्माता के रूप में सरदार पटेल नामक विषय पर भाषणों तथा सेमिनारों का आयोजन।

11. राष्ट्रीय एकता तथा रियासतों के विलयन के प्रति सरदार पटेल के योगदान को चित्रित करने वाली एक प्रदर्शनी का दिल्ली में आयोजन।

12. रेडियों, टेलीविजन तथा डाक सेवाओं में स्मारक कार्यकलाप।

(क) भारत सरकार के फिल्म प्रभाग द्वारा सरदार पटेल के जीवन पर वृत्त-चित्र;

(ख) सरदार पटेल के समय तथा उनके जीवन से संबंधित रेडियों तथा टेलीविजन कार्यक्रम; और

(ग) डाक तथा तार विभाग द्वारा प्रथम दिवस लिफाफा तथा डाक टिकट जारी करना।

13. राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, माउन्ट आबू का नाम सरदार पटेल के नाम पर रखना।

14. शताब्दी समारोहों के लिये राज्य स्तर पर समितियों का गठन।

हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड द्वारा कुकिंग मारगरीन की बिक्री के लिये अवसर पैदा करने हेतु डालडा के उत्पादन में कटौती

1835. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री को एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें बताया गया है कि वनस्पति पर नियंत्रण उपहासपद बना दिया गया है;

(ख) क्या इस तथ्य की ओर उनका ध्यान दिलाया गया है कि हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड को विदेशी सहायक कम्पनी द्वारा बनाया जाने वाला तथाकथित कुकिंग मारगरीन और कुछ नहीं है बल्कि वनस्पति ही है जिसमें 20 प्रतिशत (मायस्चर) है,

(ग) क्या कुकिंग मारगरीन को बड़े पैमाने पर बिक्री के लिए अवसर पैदा करने हेतु ही डालडा ब्रांड वनस्पति का उत्पादन बन्द किया गया। उत्पादन में कटौती की गई, और

(घ) क्या मारगरीन के उत्पादन से इसके उत्पादकों को डालडा के उत्पादन की तुलना में 50 प्रतिशत अधिक लाभ होता है, और यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) वनस्पति के कुछ निर्माताओं, जिनमें हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड भी शामिल है, द्वारा मारगरीन, जिसमें 17 प्रतिशत नमी है, का उत्पादन करने के विरुद्ध प्रधान मंत्री को सितम्बर, 1974 में अभ्यावेदन प्राप्त हुये थे।

(ग) हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड तीस से अधिक वर्षों से मारगरीन के उत्पादन में लगा हुआ है। पिछले छः महीनों के दौरान लाभकारी मूल्यों पर कच्चे तेलों के उपलब्ध न होने से वनस्पति के उत्पादन में जो गिरावट आई है वह समूचे उद्योग के लिए सामान्य बात रही है और केवल इस फर्म तक सीमित नहीं थी।

(घ) मारगरीन के मूल्य पर कोई नियंत्रण नहीं है और इसलिए मारगरीन की बिक्री से किसी उत्पादक द्वारा अर्जित लाभ की वनस्पति की बिक्री से किन्हीं उत्पादकों को हुये लाभ की तुलना करना सम्भव नहीं है।

गुजरात के जिलों में पीने के पानी की अत्यधिक कमी

1836. श्री अरविन्द एम० पटेल :

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में राजकोट, जामनगर तथा अन्य जिलों में सूखा पड़ने के कारण पीने के पानी की अत्यधिक कमी है; और

(ख) यदि हां, तो इन क्षत्रों में पीने का पानी सप्लाई करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है।

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

चीनी के मूल्य वृद्धि के कारण

1837. श्री झारखंडे राय : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वायदा व्यापार तथा (पैनिक) खरीददारी खुले बाजार में चीनी के मूल्यों में अभूतपूर्व वृद्धि के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है,

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में अधिकारियों और बेइमान व्यापारियों के बीच कोई सांठ-गांठ है, और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) इस वर्ष खुले बाजार में चीनी के मूल्य लगभग जून, 1974 तक खासे स्थिर रहे। उसके बाद जो मूल्यों में वृद्धि हुई वह मुख्यतया निम्नलिखित उल्लेखनीय कारणों से हुई :—

(1) 1973–74 मौसम में चीनी का वास्तविक उत्पादन लगाएं गएं प्रारम्भिक अनुमानों से कम होना।

(2) जून से आन्तरिक खपत के लिए निर्मुक्त किए जाने वाले चीनी के कोटे में कटौती करने के कारण जिससे उचित मूल्य की दुकानों से वितरित की जाने वाली लेवी चीनी की मात्रा में तदनुसार कमी करनी पड़ी और इससे मुक्त बिक्री की चीनी पर दबाव पड़ा।

(3) 15 दिसम्बर, 1973 से मुक्त बिक्री की चीनी के ऊपर उत्पादन शुल्क की दर को मुल्यानुसार 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 37 1/2 प्रतिशत करना और जून, 1974 से खुली बिक्री की चीनी के टैरिफ मूल्य में वृद्धि करना।

(4) 1973 की तुलना में 1974 के दौरान चीनी का बहुत अधिक निर्यात करना।

(5) अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की आम प्रवृत्ति।

(6) अक्तूबर और नवम्बर, 1974 में त्यौहारों के कारण चीनी की अधिक मांग होना।

(ख) ऐसी सांठ-गांठ का कोई सबूत नहीं मिला है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

'एशियाटिक सोसायटी' कलकत्ता के कार्यकरण संबंधी समिति

1838. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "एशियाटिक सोसायटी" कलकत्ता के कार्यकरण की समीक्षा हेतु जवाहरलाल नेहरु नई दिल्ली के डा० शतीशचन्द्र की अध्यक्षता में बनाई गई है समिति ने अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो समिति ने क्या निष्कर्ष निकाले हैं तथा क्या सिफारिशें की है; और

(ग) सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए यदि कोई कदम उठाये गये हैं तो वे क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, हां ।

(ख) समिति द्वारा की गई सिफारिशें निम्नलिखित हैं :—

(i) सोसायटी को उसके अनुरक्षण के लिए भारत सरकार तथा पश्चिम बंगाल सरकार दोनों का कुल वार्षिक आवर्ती अनुदान 2.20 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए ।

(ii) दुर्लभ तथा प्राचीन पांडुलिपियों को रखने के लिए स्थान के एक छोटे भाग को, वातानुकूलित करने के लिए, सोसायटी को दोनों सरकारों द्वारा 30,000 रुपये की अनावर्ती सहायता दी जा सकती है ।

(iii) सोसायटी को अपने पिछले कुल घाटे को धीरे धीरे अपने साधनों से ही पूरा करना चाहिए ।

(iv) सोसायटी द्वारा पुस्तक खरीद निधि, उपदान निधि, टैक्स रिजर्व निधि इत्यादि जैसी कुछ निधियों के लिए तदर्थ राशि के उपयोग को प्रणाली बन्द की जानी चाहिए । संबंधित निधियों को बन्द कर देना चाहिए और जमा राशि को प्राप्तियां मान कर सोसायटी को अपने घाटे को पूरा करने के लिए उसका प्रयोग करना चाहिए ।

(v) स्टाफ वेतन भत्ते और फुटकर खर्च के किसी भाग को, जो मुद्रण कार्यकलापों से संबंधित हो सामान्य अनुरक्षण की ओर से पूरा नहीं किया जाना चाहिए । सोसायटी एक पृथक प्रकाशन निधि का संचालन कर सकती है जिसमें से प्रकाशन का सारा खर्च पूरा किया जा सकता है ।

(vi) भारत के नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक से उन मानदण्डों के संबंध में सलाह की जा सकती है जिनके अनुसार सोसायटी अपने लेखों को रखे और उनकी सलाह को ध्यान में रखते हुए सरकार सोसायटी को निदेश दे सकती है ।

(ग) भारत सरकार ने सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और तदनुसार अनुदान स्वीकृत किए जा रहे हैं ।

खरीफ की अनुमानित फसल और वसूली की सम्भावनाएं

1839. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुछ राज्यों में मानसून न आने तथा बाढ़ आने को ध्यान में रखते हुए खरीफ की फसल में अनाजवार और राज्यवार अनुमानतः कितनी कमी हुई; और

(ख) राज्य एजेंसियों द्वारा वसूली की सम्भावनाएं क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) वर्ष 1974–75 की खरीफ की फसलों के क्षेत्र तथा उनके उत्पादन के पक्के अनुमान चालू कृषि वर्ष के समाप्त होने पर अर्थात् जुलाई-अगस्त, 1975 में किसी समय उपलब्ध होंगे। परन्तु, वर्तमान संकेतों से पता चलता है कि देश में खरीफ के धान्यों का कुल उत्पादन पिछले वर्ष से कम रहेगा।

(ख) वर्ष 1974–75 की खरीफ की फसलों का विपणन मौसम अभी प्रारम्भ हुआ है। अतः इस अवस्था में विभिन्न राज्यों में अधिप्राप्ति की संभाव्यताओं के विषय में कुछ कहना संभव नहीं है। तथापि, राज्य सरकारों के परामर्श से अधिप्राप्ति के लक्ष्य तैयार किये जा रहे हैं।

अनाजों पर निर्भरता कम करने के लिए आलू का उत्पादन

1841. **श्री वी० मयावन :**
श्री राजदेव सिंह :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार अनाजों पर अत्यधिक निर्भरता में कमी लाने के लिए आलू को वैकल्पिक खाद्य पदार्थ बनाने के उद्देश्य से देश में आलू के उत्पादन में वृद्धि करने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में राज्य सरकारों से परामर्श किया गया है;

(ग) अधिक भूमि को आलू की खेती के अंतर्गत लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, और

(घ) योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) तथा (ख) जी हां।

(ग) राज्य सरकारों को अतिरिक्त क्षेत्र के लिए बीजों "डार्मेंसी ब्रेकिंग कैमिकल" तथा अपेक्षित मात्रा में उर्वरकों की सप्लाई के विषय में सहायता दी गई है। उन्हें ऋण के मामले में भी सहायता दी गई है।

(घ) आगामी वर्षों में आलू का बुवाई के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान के सहयोग से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल में विस्तार कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है ताकि आलू उत्पादकों को आलू के बीजों में वृद्धि करने के लिए सहायता दी जा सके और इस प्रकार आलू की उपज को बढ़ाकर उसके उत्पादन की लागत को घटाया जा सके। सहकारी संघों की सलाह दी जाती है कि वे प्रमुख आलू उत्पादक क्षेत्रों में और विशेषकर उत्तर प्रदेश में वाणिज्यिक आधार पर खरीद करने की व्यवस्था करें ताकि उत्पादकों को उचित मुल्य मिल सके। प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों से खपत केन्द्रों तक आलुओं को शीघ्र पहुंचाने के लिए इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि रेलवे वेगन पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होते रहें। उन्नत किस्मों और विशेषकर कुफरी व ज्योति आदि "लेट ब्लाइट" प्रतिरोधी किस्मों के प्रमाणित बीजों के वर्धन सम्बधी कार्यक्रम को भारी और अधिक सुदृढ़ तथा गतिमान किया जा रहा है।

खाद्यान्नों की खेती के लिए नए क्षेत्रों पर कृषि अनुसंधान

842. **श्री एच० एम० पटेल : कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में निरन्तर बाढ़ तथा सूखे की स्थितियों को देखते हुए सरकार का विचार कृषि अनुसंधान कार्यक्रम को तीव्र कराने का है ताकि अत्यधिक खाद्यान्न उपजाने की सम्भावनाएं पैदा करने के लिए खेती के तथा मिट्टी के परीक्षण के नये क्षेत्रों का पता लग सके ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) :(क) और (ख) देश के कुल क्षेत्र के करीब आधे भाग में पहले से ही खेती की जा रही है। इस तरह और अधिक भूमि में खेती करने अथवा खेती की जाने वाली भूमि को बढ़ाने की अब बहुत कम गुंजाइश है। अतः निम्न विस्तार कार्यों द्वारा ही फसल-उत्पादन बढ़ाना है ।

(1) बहुफसली खेती द्वारा फसल उगाये जाने वाले कुल क्षेत्र में विस्तार (2) सिंचित क्षेत्र में वृद्धि (3) सिंचित क्षेत्रों में अधिकतम मात्रा में उत्पादकता बढ़ा कर (4) वर्षा पर निर्भर (बारानी) क्षेत्रों में मिट्टी और जल की वैज्ञानिक प्रबन्ध-व्यवस्था तथा उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाकर (5) सूखा और बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में विभिन्न मौसम वाली परिस्थितियों के लिए उपयुक्त एकान्तर फसल नीतियों के विकास के जरिये और (6) लवणीय, क्षारीय और अम्लीय मिट्टियों की उत्पादकता में सुधार और उसमें वृद्धि करके। प्रस्तुत कृषि नीति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा और राज्य स्तर पर कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा कृषि के कई विषयों संबंधी और कई स्थानों पर तेजी से कृषि अनुसंधान का काम चल रहा है। भारतीय कृषि-अनुसंधान परिषद ने सारे देश में फैले अपने कई क्षेत्रीय स्टेशनों सहित 26 अनुसंधान संस्थानों और 51 अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजनाओं द्वारा फसल सुधार संरक्षण और उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में मौलिक और व्यावहारीक अनुसंधान का काम तेज कर दिया है। इसके अलावा विभिन्न राज्यों में स्थित एक या एक से अधिक कुल 20 कृषि विश्वविद्यालय भी इसी तरह से विभिन्न कृषि जलवायु और सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के अन्तर्गत कृषि अनुसंधान का काम करते हैं ।

इन क्रियात्मक अग्र, अनुसंधान प्रायोजनाओं को भी, जिनके अन्तर्गत सभी गांव आते हैं, कार्यान्वित किया जा रहा है, ताकि फसल-उत्पादन की उन्नत प्रौद्योगिकी को तेजी से गांव-गांव पहुंचाया जा सके और कृषि क्षेत्र में तेजी से होने वाली प्रगति के लिए आवश्यक संस्थागत आधार का पता लगाया जा सके ।

बारानी खेती के क्षेत्र में नयी प्रौद्योगिकी की उपयुक्तता के परीक्षण बारानी खेती में काम में लाने लिए 24 अग्र-प्रायोजनाएं शुरु की गयी हैं जिसमे जैसे मिट्टी-सुधारकों का प्रयोग करके लवणीय और क्षारीय मिट्टियों का सुधार करने के लिए पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में से प्रत्येक के तीन जिलों में चालू योजना के दौरान विकास प्रायोजनाएं शुरू की जा रही हैं ।

कमी वाले राज्यों को चावल की सप्लाई के बारे में नीति

1843. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम्** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में चावल बहुतायत में पैदा होता है और इन राज्यों की वर्तमान वसूली नीति क्या है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार की बहुतायत वाले राज्यों से चावल वसूल करके कमी वाले राज्यों की आवश्यकता हेतु उसे विकल्प वितरित करने की राष्ट्रीय नीयत है;

(ग) यदि हां, तो यह नीति किस सीमा तक सफलतापूर्वक चल रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो कमी वाले राज्यों को चावल की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये केन्द्रीय सरकार की वर्तमान नीति क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (घ) आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, तमिल नाडु और उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य हैं जोकि सामान्यत : चावल का अधिक उत्पादन करते है । चालू खरीफ विपणन मौसम 1974-75 के लिए अधिप्राप्ति

लक्ष्य और केन्द्रीय भण्डार के लिए चावल के अंशदान के बारे में राज्य सरकारों से परामर्श कर हिसाब लगाया जा रहा है। अधिशेष राज्यों से अनुरोध किया गया है कि अधिप्राप्ति को तेज कर दें और केन्द्रीय भण्डार में अधिकतम मात्रा में चावल दें जैसाकि वे पिछले वर्षों के दौरान करते रहे हैं। सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार, अधिशेष राज्यों द्वारा अपनी आन्तरिक सरकारी वितरण प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद केन्द्रीय भण्डार में जितना चावल दिया जाएगा उसे प्रत्येक राज्य की सापेक्ष आवश्यकताओं, स्थानीय बाजार उपलब्धता, मूल्य स्थिति और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कमी वाले राज्यों को आबंटित किया जाएगा। देश में चावल की सरकारी वितरण संबंधी उचित मांग को पूरा करने में योजना सफल रही है।

दिल्ली में मंत्रियों के लिए साधारण गृह

1845. **श्री बी० वो० नायक :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रियों को वर्तमान कोठियों के स्थान पर साधारण गृह दिये जाने की सम्भावना है;

(ख) कितने मंत्री संसद सदस्यों के स्टैन्डर्ड क्वार्टरों में रहते है और कितने बड़े बंगलों में; और

(ग) मंत्रियों के आवास में मितव्ययीता लाने के लिये गत तीन वर्षों में क्या प्रयास किये गये हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) बंगलों तथा संसद् सदस्यों के स्टैन्डर्ड फ्लेटों में रह रहे मंत्रियो की सूची संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 8564/74]**

(ग) मंत्रियों के लिये हाल ही में कोई नये मकान नहीं बनाये गये है।

मद्रास में रुके हुए माल डिब्बों से गेहूं को उतारना

1846. **श्री सरजू पांडे :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा अनाज को न उतारने के कारण सितम्बर, के अंतिम सप्ताह में गेहूं से भरे हुए लगभग 60 माल डिब्बे मद्रास में रुके पड़े रहे थे;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) विलम्ब करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिंदे) : (क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा वैगनों से माल न उतारे जाने के कारण मद्रास में कोई भी खाद्यान्नों के वैगन नहीं रोके गये थे।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

मत्स्य पालन की सुधरी हुई विधि

1847. **श्री राजदेव सिंह :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में कटक स्थित अन्तर्देशीय मत्स्य अनुसंधान केन्द्र ने मत्स्य पालन की सुधरी हुई विधि का विकास करके मत्स्य पालन के मामले में बड़ी सफलता प्राप्त की है, तथा विधि का आधुनिकीकरण

कर दिया है और उसे सरल भी बना दिया है ताकि वाणिज्यिक पैमाने पर मत्स्य पालन करने के बारे में रुचि रखने वाले सीधे सादे ग्रामीणों को यह विधि समझ में आ सके;

(ख) यदि हां, तो क्या इस विधि से नियंत्रित जल स्रोतों में मत्स्य अण्डी (सीड्स) पैदा किये जा सकते हैं जिससे विशेषकर ग्रामीण भारत में जहां ऐसे जल स्रोतों का वाणिज्यिक उपयोग अभी किया जाना है, बड़े पैमाने पर उत्पत्ति तथा संकरण सम्भव हो सके; और

(ग) क्या अब इस विधि से रोके हुए अथवा नियंत्रित जल में अच्छी किस्म की मछलियों का अधिक संख्या में उत्पादन सम्भव है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी हां ।

केन्द्रीय अन्तःस्थलीय मत्स्य उपकेन्द्र ने एक नयी विधि का विकास कर, मत्स्य-पालन के क्षेत्र में महत्व पूर्ण प्रगति की है, जिसमें विभिन्न प्रकार के आहार वाली भिन्न-भिन्न तरह की मछलियों को एक साथ पाला जाता है, ताकि तालाबों में उपलब्ध सभी तरह के मत्स्य-आहार का पूरा उपयोग किया जा सके । इस तकनीक से प्रति यूनिट क्षेत्र में मत्स्य-उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि करने में काफी सहायता मिली है । मत्स्य पालकों के सामने इन विधियों का अनेक अवसरों पर प्रदर्शन किया गया है, ताकि वे अपने फार्मों पर इन विधियों को अपना सकें ।

(ख) मत्स्य-पालन में सुधार के साथ-साथ पाच्युटरी (श्लेष्मीय हारमोन्स का इंजेक्शन देकर तालाब आदि जैसे बांध बंधे जल में कृत्रिम ढंग से मछली के जीरे के उत्पादन की तकनीक भी विकसित की गयी है । मछलियों की अधः कंठिका में हारमोन का इंजेक्शन देकर प्रजनन को उत्प्रेरित करने की विधि को काफी सरल बना दिया गया है, ताकि मत्स्य पालन में रूचि रखने वाले ग्रामीण बड़े पैमाने पर मछली-प्रजनन के लिए इस विधि को अपना सकें । पर संकर प्रजनन की विधि अभी प्रायोगिक अवस्था में ही है ।

(ग) केन्द्रीय अन्तःस्थलीय मत्स्य अनुसंधान केन्द्र द्वारा विकसित सधन मत्स्य-पालन तकनीकों को अपना कर तालाब आदि जैसे बंधे जल से अधिक मात्रा में अच्छी मछलियों प्राप्त करना अब संभव हो सकेगा ।

मेघालय में ग्रामीण विकास के लिए द्रुत योजनाएं

1848. श्री बी० के० दासचौधरी :

श्री बीरेन संगती :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72 तथा 1972-73 में ग्रामीण विकास की द्रुत योजनाओं के लिये मेघालय सरकार को कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गई ;

(ख) क्या मेघालय सरकार ने उनके मंत्रालय को बताया है कि उन्होंने इस योजना के अन्तर्गत कितने किलोमीटर लम्बी सड़के बनाई हैं;

(ग) क्या भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने बताया है कि जांच करने पर 25 किलोमीटर लम्बी सड़क बनी हुई पायी गयी जबकि मेघालय राज्य सरकार ने 267 किलोमीटर लम्बी सड़क तैयार की गई बताई थी; और

(घ) क्या उन्होंने इस मामले पर मेघालय सरकार से बातचीत की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) मेघालय सरकार को ग्राम रोजगार की त्वरित योजना के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 1971-72 में 12·50 लाख रुपये और 1972-73 73 में 43·98 लाख रुपये दिये गए थे ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां । संबंधित सूचना केवल दो जिलों अर्थात् खासी हिल्स और जयन्तियां हिल्स के बारे में है ।

(घ) इस मामले में मेघालय सरकार को लिखा गया था । उन्होंने स्पष्ट किया है कि निर्मित सड़कों के अन्तर्गत किलोमीटरों की संख्या के बारे में उनके द्वारा दी गई सूचना सड़क निर्माण के अन्तर्गत आरम्भ किये गये कार्य विशेष के बारे में थी । उदाहरण के लिए, वर्ष 1971-72 में उन्होंने कुल 98 किलोमीटर लम्बी लगभग 23 सड़कों का केवल "अर्थ फारमेशन" का और 20 किलोमीटर लम्बाई की 6 सड़कों का केवल रोड़ी की भराई और उन्हें पक्का करने का कार्य आरंभ किया था जबकि नियंत्रक तथा महालेखा-निरीक्षक ने उन सड़कों को हिसाब में लिया है जिन्हें सभी प्रकार अर्थात् "अर्थ फारमेशन", रोड़ी की भराई और कंकर डालने आदि कार्यों की दृष्टि से पूरा कर दिया गया था ।

उत्तर प्रदेश में अन्वेषी नलकूप

1849. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा अब तक प्रदान किये गये गहरे "बोरिंग रिग्स" से उत्तर प्रदेश में कितने अन्वेषी अथवा अन्य प्रकार के नलकूप लगाये; गये और

(ख) उत्तर प्रदेश में गहरे बोरिंग के लिये केन्द्रीय सरकार के कितने "बोरिंग रिग्स" उपलब्ध हैं और उनको किस प्रकार उपयोग में लाया जाता है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड ने उत्तर प्रदेश में 1954 से 145 वेधन छिद्रों (101 समन्वेषी, 35 पर्यवेक्षण सम्बन्धी और 9 पतले छिद्र) तथा 385 उत्पादन कुओं का निर्माण किया है ।

(ख) इस समय उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड के सात गहरे बेधन करने वाले रिग उपलब्ध हैं । जहां वे उपलब्ध हैं वहां उन्हें समन्वेषी बेधन और उत्पादन कुओं के निर्माण के लिये उपयोग में लाया जा रहा है ।

दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाये गए मकानों की संख्या

1850. **श्री जगन्नाथ राव जोशी** :

श्री आर० बी० बडे :

श्री अटल बिहारी बाजपेयी :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में मकानों की वार्षिक आवश्यकता कितनी है और दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गत तीन वर्षों में कितने मकान बनाये गये हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : दिल्ली में मकानों की वार्षिक आवश्यकता का मूल्यांकन करने के लिये कोई ठीक-ठीक सर्वेक्षण नहीं किया गया है । तथापि, भारत के महा पंजीयक से प्राप्त अनन्तिम आंकड़ों के आधार पर, दिल्ली में लगभग 88,620 मकानों की कमी का अनुमान लगाया गया है, इसमें पक्के या अर्ध पक्के वास स्थान को इस्तेमाल योग्य आवास एकक माना गया

है। पिछले तीन वर्षों में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित किये गये मकानों की संख्या नीचे दी जाती है :--

1971-72	8732
1972-73	3568
1973-74	6467
(दिसम्बर, 1973 तक)	

वनस्पति तथा इसकी अन्तर्वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि

1851. **श्री विक्रम महाजन** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अक्तूबर, 1974 को खत्म होने वाले वर्षों में दिल्ली में बनस्पति घी के मूल्यों में कितनी बार वृद्धि की गई थी और प्रत्येक बार कितने मूल्य की वृद्धि की गई;

(ख) क्या मूल्य में वृद्धि का एक प्रमुख कारण मूंगफली के तेल के मूल्य में वृद्धि होना था;

(ग) क्या वनस्पति निर्माता वनस्पति घी के निर्माण में मूंगफली का तेल प्रयोग नहीं कर रहे है और यह घी केवल वनस्पती तेलों से ही बनाया जा रहा है; और

(घ) इस बात को देखते हुए कि वनस्पति घी के निर्माण में मूंगफली का तेल प्रयोग नहीं किया जा रहा है क्या उपभोक्ताओं के लिए वनस्तति घी के मूल्य कम करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) : मूल्यों में दस बार वृद्धि की गई थी लेकिन पांच बार कमी भी की गई थी। की गई वृद्धि/कमी का ब्योरा नीचे दिया गया है :—

(पैसे प्रति किलोग्राम)

		की गई वृद्धि	की गई कमी
1	23-11-1971	—	0.10
2	23-2-1972	—	0.05
3	8-5-1972	—	0.10
4	23-6-1972	0.20	—
5	8-8-1972	0.20	—
6	8-9-1972	0.20	—
7	8-10-1972	0.20	—
8	9-11-1972 .	0.10	—
9	2-1-1973 .	0.40	—
10	1-6-1973	0.75	—
11	16-7-1973	0.75	—
12	16-11-1973	—	0.20
13	1-12-1973	—	0.20
14	1-2-1974	0.55	—
15	15-6-1974	1.85	—

(ख) कच्चे तेलों, जिनमें मूंगफली का तेल भी शामिल है, जिसे इसको बनाने के लिए इस्तेमाल किय जाता है, के मूल्यों में वृद्धि/कमी होने से वें वृद्धियां/कमियां करना आवश्यक हो गया था।

(ग) वनस्पति तैयार करने के लिए अन्य वनस्पति तेलों के साथ-साथ मूंगफली के तेल का भी इस्तेमाल किया जा रहा है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

'फिश फार्मस्' विकास एजेंसियां

1852. श्री जी० वाई० कृष्णन :

श्री सी० के० जाफर शरीफ :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मत्स्य पालन के विकास के लिये देश में "फिश फार्म्स" विकास एजेंसियां स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रमुदास पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) नीचे दिये गये विवरण के अनुसार 20 राज्यों के चुनींदा जिलों में मत्स्य पालन विकास एजेंसियां स्थापित करने का प्रस्ताव है :

राज्य का नाम	स्थापित की गई एजेंसियों की संख्या
1. आन्ध्र प्रदेश	2
2. मध्य प्रदेश	2
3. कर्नाटक	2
4. उड़ीसा	2
5. महाराष्ट्र	2
6. तमिल नाडु	2
7. पश्चिम बंगाल	2
8. असम	2
9. बिहार	2
10. उत्तर प्रदेश	2
11. गुजरात	1
12. हरियाणा	1

राज्य का नाम	स्थापित की गई एजेंसियों की संख्या
13. केरल	1
14. मेघालय	1
15. मणिपुर	1
16. नागालैंड	1
17. पंजाब	1
18. राजस्थान	1
19. त्रिपुरा	1
20. अरुणाचल प्रदेश	1
योग	30

सघन मत्स्य पालन के प्रसार में निम्न मुख्य-मुख्य रुकावटें मौजूद हैं :

(i) प्रशिक्षित मत्स्य-पालकों की आम कमी,

(ii) सम्बन्धित एजेंसियों की भूमिका के समन्वय और मत्स्य पालन के विभिन्न पहलुओं के विषय में समाकलन सम्बन्धी आम कमी, और

(iii) संगठित विस्तार सेवाओं की कमी/मत्स्य पालन विकास एजेंसियों का उद्देश्य आवश्यक समन्वय और समाकलन की व्यवस्था करना है ।

यह एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है। एजेंसियां वाणिज्यिक मत्स्य पालकों को वाणिज्यिक बैंकों से तालाबों का निर्माण करने/उनका सुधार करने के लिये ऋण प्राप्त करने में सहायता करेगी। केन्द्रीय सरकार तालाबों का निर्माण/पुनः सुधार करने और आदानों के सम्बन्ध में राजसहायता देती है। इन एजेंसियों के प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए भी केन्द्रीय सरकार 100% राजसहायता देती है। राज्य सरकारें इन एजेंसियों को मत्स्य बीज फार्म देती हैं। वे तकनीकी और अन्य व्यक्तियों की सेवायें भी प्रदान करती हैं ।

अभी तक पश्चिम बंगाल (जिला बर्दवान), मध्य प्रदेश, (रायपुर), बिहार (जिला चम्पारन) और कर्नाटक (जिला मैसूर) में चार एजेंसियां स्थापित की गई हैं।

पांचवी योजना की अवधि में एजेंसियों की स्थापना के लिये 9 करोड़ रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। आशा है कि इस योजना की क्रियान्विति के फलस्वरूप पांचवीं योजना के अंत तक 37,500 मीटरी टन मछलियों का अतिरिक्त वार्षिक उत्पादन हो सकेगा ।

Prices of Fertilisers

1853. Shri Mahadeepak Singh Shakya;

Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the prices of fertilisers have doubled as compared to these prevailing last year; and

(b) if so, the reasons therefor and whether Government have any scheme to supply fertilisers to the farmers in proportion to the prices of foodgrains and if not the difficulties in regard thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel) : (a) As compared to the statutorily notified maximum retail prices of urea Calcium Ammonium Nitrate and Ammonium Sulphate on 11-10-1973 there has been a 90% 77% and 56% rise respectively in these prices as from 1-6-1974.

(b) The reasons for the increase in the prices of fertilisers are the steep increases in the cost of imported fertilisers, and the increase in the cost of domestic production of fertiliser. While there is no specific scheme to supply fertilisers to farmers in proportion to the prices of foodgrains, the increase in fertiliser prices and the extent to which it affects the cost of production, is one of the many factors taken into consideration, while determining procurement prices.

मेघालय में खाद्य संकट

1854. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेघालय में गंभीर खाद्य संकट है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस प्रयोजन के लिये मेघालय को कोई सहायता दी है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिंदे) : (क) से (ग) 1973-74 में मेघालय राज्य में चावल के उत्पादन में कमी होने के कारण राज्य को चावल की आवश्यकताएं पूरी करने में कुछ कठिनाई हुई थी। 1974-75 की अहू धान की आमद शुरू होने से और केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों के आवंटन होने से, अब स्थिति में काफी सुधार हो गया है।

चीनी उत्पादन का लक्ष्य

1856. **श्री राम कंवर** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी उद्योग ने आगामी मौसम में चीनी के उत्पादन के वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति के बारे में गम्भीर शंका प्रकट की है ; और

(ख) यदि हां,तो इसके क्या कारण हैं और चीनी का बढ़ा हुआ उत्पादन प्राप्त करने के लिये सरकारने क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) हालांकि सरकार का उद्देश्य उत्पादन में बराबर वृद्धि करने का रहा है, लेकिन इस मौसम के लिए उत्पादन का कोई लक्ष्य नहीं निर्धारित किया गया है। यह ठीक-ठीक कहना भी बहुत जल्दबाजी होगी कि इस मौसम में अन्ततः कितना उत्पादन होगा, तथापि, फैक्ट्रियों से प्राप्त सूचना से यह विश्वास होता है कि उत्पादन पिछले वर्ष से कम नहीं हो सकता है। इस मौसम में 15 नवम्बर तक, लगभग 36,000 मी० टन का उत्पादन हुआ है जोकि पिछले वर्ष इसी अवधि के उत्पादन से अधिक है। सरकार के चीनी पर आंशिक विनियंत्रण की नीति को जारी रखने के निर्णय से ताकि चीनी फैक्ट्रीयां प्रोत्साहन मूल्यों पर गन्ना खरीद सकें और अधिक उत्पादन करने के लिए उत्पादन शुल्क में छूट देने से इस प्रवृत्ति को बनाए रखने में मदद मिलनी चाहिए।

चीनी उद्योग का विस्तार

1858. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**

श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी क्षेत्र द्वारा उन नये कारखानों को स्थापना करने में विफल रहने के कारण चीनी उद्योग का विस्तार डांवा-डोल है, जिन के लिये लाइसेंस दिए गए थे; और

(ख) यदि हां, तो क्या चीनी उद्योग की स्थिति में सुधार करने के लिए कृषि मंत्रालय योजना आयोग और उद्योग मंत्रालय कुछ उपायों पर विचार कर रहा है, और यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) संयंत्र और मशीनरी को और उनको लगाने तथा स्थापित करने की अधिक लागत होने के कारण नयी स्थापित की गई फैक्ट्रियां, जोकि अधिकांशतः सहकारी क्षेत्र में हैं, सामान्यतया कठिनाइयों का सामना कर रही है। सरकार ने इस समस्या का अध्ययन करने और नयी चीनी फैक्ट्रियों को लाभकार और आत्मनिर्भर यूनिट बनाने लिए अन्य उपायों का सुझाव देने के लिए एक समिति स्थापित की है। इस समिति की रिपोर्ट इस समय सरकार के विचाराधीन है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पुनर्गठन

1859 **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गजेन्द्रगडकर समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के ढांचे को वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसधान परिषद की तरह पुनर्गठित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्रियान्वयन में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी हां, सरकार द्वारा सरकार समिति की सिफारिशों के मुताबिक वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के ढांचे में किये गये परिवर्तनों के आधार पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पुनर्गठन करने का निश्चय किया गया है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के पुनर्गठन प्रतिमान में कृषि की विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप आवश्यक संशोधन के साथ यह काम किया जाएगा।

(ख) पुनर्गठन की दिशा में पहला कदम उठाया गया है, जिसके मुताबिक मुख्यालय स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का सचिवालय, जो अब तक कृषि विभाग के अधीन एक सम्बद्ध कार्यालय था, का दिनांक 1-4-1974 से उससे पृथक हो गया है और अब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सोसाइटी का अपना निजी सचिवालय है और उसकी सम्पूर्ण वित्त व्यवस्था और अनुरक्षण कार्य सोसायटी द्वारा होता है। इसके आगे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सोसायटी के गठन और परिचालन में होने वाले परिवर्तनों की विस्तृत रूपरेखा तैयार कर ली गयी है और उसे सोसायटी के निर्धारित नियमों के अनुसार तेजी से क्रियान्वित किया जाएगा।

दूध के उत्पादन में स्थिरता

1860. **श्री इंद्रजीत गुप्त :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्किम्ड दुग्ध चूर्ण तथा बटर आयाल की निःशुल्क सप्लाई के बावजूद देश में दूध का उत्पादन लगातार स्थिर है;

(ख) जहां वितरण करने के लिये दूध नहीं है वहां दूध वितरण की योजनाओं के सम्बन्ध में पशु पालन विकास को निरन्तर उपेक्षा के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या दूध की न्यूनतम सप्लाई सुनिश्चित किये बिना भारतीय डेरी निगम को दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में नई "मदर डेरोज" स्थापित करने को अनुमति दी गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल): (क) जी नहीं, दुग्ध उत्पादन के मौसमी उतार चढ़ाव के कारण कुछ डेरी संयंत्रों के उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। मौसमी कमियों को पूरा करने के लिए संप्रदादुग्ध चूर्ण तथा बटर आयल का प्रयोग किया जाता है ताकि अधिक से अधिक क्षेत्रों को दुग्ध सप्लाई किया जा सके। परन्तु विश्व खाद्य कार्यक्रम की सप्लाई केवल दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता और बम्बई की चारों डेरियों तक सीमित है।

(ख) मुख्य वितरण योजनाओं के संबंध में पशुपालन विकास कार्यक्रम की कोई उपेक्षा नहीं की गई है।

डेरी उद्योग का सही ढंग से विकास करने, दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने और ग्रामों में उत्पादित दूध और शहरी खपत में समन्वय स्थापित करने के लिए डेरियों की स्थापना करना जरूरी है।

(ग) भारतीय डेरी निगम द्वारा ग्रामीण दूध के एकत्रण में सहायता देने के लिए दूध प्राप्ति के क्षेत्रों में स्थित फीडर बैलेंसिंग डेरियों (जिनसे इन्हें एक व्यवस्थित कार्यक्रम के अनुसार सहायता मिलेगी) के साथ-साथ दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में मदर डेरियों की स्थापना की जा रही है। साथ ही इन दूध प्राप्ति के क्षेत्रों में भी दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहन देने और सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक आदान देने के लिए भी कार्यवाही की जा रही है।

केरल को खाद्यान्न की सप्लाई

1861. **श्री वयालार रवि :**
श्री रामचन्द्र कडनापल्ली :
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :
श्री सी० जनार्दनन :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन महीनों में केन्द्रीय पूल से केरल सरकार को खाद्यान्नों की मदवार और महीने-वार कुल कितनी मात्रा सप्लाई की गई ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : पिछले तीन महीनों के दौरान अर्थात् अगस्त, सितम्बर और अक्तूबर, 1974 के दौरान केरल राज्य को चावल, गेहूं, मोटे अनाजों और चीनी की सप्लाई/आवंटित की गई मात्रा का मासवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(मात्रा हजार मीटरी टन में)

महीना	सप्लाई की गई मात्रा			लेवी चीनी की आबंटित की गई मात्रा
	चावल	गेहूं	मोटे अनाज	
अगस्त, 1974 . .	86.3	8.1	1.0	6.759
सितम्बर, 1974 . .	44.9	35.9	—	6.759
अक्तूबर, 1974 . .	34.6*	42.1*	—	6.809
जोड़ .	165.8	86.1	1.0	20.327

*अस्थायी—इनमें संशोधन हो सकता है।

महाराष्ट्र राज्य में आवास के लिये केन्द्रीय अनुदान

1862. **श्री शंकरराव सावन्त** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य को वर्ष 1972–73 और 1973–74 के दौरान आवास के लिये अनुदान के रूप में कितनी राशि दी गई है;

(ख) वर्ष 1974–75 में उस राज्य की परियोजनावार मांग क्या है; और

(ग) विभिन्न परियोजनाओं के लिये वर्ष 1974–75 में कितना अनुदान देने का विचार है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास-स्थल देने की केन्द्रीय क्षेत्र योजना के अधीन महाराष्ट्र सरकार को निम्नलिखित राशियां पूर्णतया अनुदान के रूप में दी गई थी :—

1972–73	41.14 लाख रुपये
1973–74	कुछ नहीं

अन्य सभी सामाजिक आवास योजनाएं राज्य क्षेत्र में हैं तथा "आवास" सहित सभी राज्य क्षेत्र कार्यक्रमों के लिये केन्द्रीय वित्तीय सहायता, राज्य सरकारों को समेकित ऋणों तथा समेकित अनुदानों के रूपमें दी जाती है। राज्य सरकारें राज्य क्षेत्र कार्यक्रमों के लिये उनद्वारा निर्धारित की जाने वाली आवश्यकताओं तथा प्राथमिकताओं के अनुसार निधियों का नियतन करने में स्वयं स्वतंत्र हैं।

2. ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास-स्थल देने की योजना भी 1 अप्रैल, 1974 से केन्द्रीय क्षेत्र से राज्य क्षेत्र में हस्तान्तरित कर दी गई है।

(ख) तथा (ग) विभिन्न सामाजिक आवास योजनाओं के अधीन परियोजनाएं स्वीकृत करने में राज्य सरकारें स्वयं-सक्षम है तथा इन योजनाओं के लिये 1974–75 में केन्द्रीय सरकार को कोई मांग भेजने का प्रश्न ही नहीं उठता।

पंजाब में छोटे कृषकों के लिये सिंचाई परियोजनाएं

1863. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब राज्य में पांचवीं योजना में छोटे कृषकों तथा किसानों को सहायता करने के लिए सिंचाई परियोजनाओं के लिये कोई उपबंध किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उपबंध किए गए हैं ; और

(ग) इन उपबन्धों से पंजाब राज्य के किन-किन कस्बों और जिलों को लाभ मिलेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) से (ग) छोटे किसानों के लिए प्रारंभ किए गए लघु सिंचाई कार्यक्रम ये हैं—(i) लघु कृषक विकास अभिकरण (एस० एफ० डी० ए०), और (ii) उपान्तिक कृषक और कृषि श्रमिक अभिकरण (एम० एफ० ए० एल०)। लघु कृषक विकास अभिकरण तथा उपान्तिक कृषक और कृषि श्रमिक अभिकरण परियोजना के लिए लघु सिंचाई स्कीमों के अन्तर्गत धन का आबंटन वार्षिक आधार पर किया जाता है।

इन स्कीमों के अन्तर्गत पंजाब के विभिन्न जिलों में 1974–75 वर्ष के लिए निम्नलिखित राशियों का प्रावधान किया गया है :—

जिला	कार्यक्रम	धनराशि (लाख रुपयों में)
1. अमृतसर-फिरोजपुर	एस० एफ० डी० ए०	16.25
2. संगरूर-पटियाला	एस० एफ० डी० ए०	24.40
3. होशियारपुर	एम० एफ०ए० एल०	प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।
4. जालन्धर	एम० एफ० ए० एल०	

उपर्युक्त के अतिरिक्त, बृहत्, मध्यम और लघु सिंचाई के सामान्य कार्यक्रम के भी छोटे किसानों को लाभ प्राप्त होंगे।

बहु उद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण

1864. श्री भोगेन्द्र झा : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक-सभा के किसी सदस्य ने कटिहर के निकट कोसी नदी पर, सीसापानी के निकट कमला नदी पर और तराई के निकट बागमती, घाघरा और ब्रह्मपुत्र नदियों पर बहु-उद्देश्यीय (सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण एवं विद्युत उत्पादन) परियोजनाओं का निर्माण सुनिश्चित करने हेतु प्रधान मंत्री को पत्र लिखा था और प्रधान मंत्री ने उन्हें एक पत्र के माध्यम से उस प्रस्ताव को जांच के लिये आश्वासन दिया था ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की जांच करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) नेपाल सीमा में कटिहर के निकट कोसी नदी पर एक बांध के प्रस्ताव की बिहार सरकार द्वारा जांच की जा रही है। नेपाल सीमा में कमला और बागमती नदियों पर संचय बांधों के लिए प्रारम्भिक प्रस्ताव भी बिहार सरकार द्वारा तैयार कर लिए गए थे। विस्तृत अनुसंधान अभी किए जाने हैं। नेपाल सरकार घागरा नदी (करनाली) पर एक बांध का प्रस्ताव रखती है और भारत सरकार पहले ही इस परियोजना से विद्युत खरीदने के लिए सहमत हो गई है।

असम सरकार द्वारा पहाड़ियों के निकट ब्रह्मपुत्र पर एक बांध के प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

अधिक ऊंचे भवनों में आग बुझाना

1865. श्री के० मालन्ना : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 अक्तूबर, 1974 के एक अंग्रेजी दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें दिल्ली अग्नि सेवा अधिकारी ने कहा है कि बहु मंजिली इमारतों में पांचवीं मंजिल से ऊपर आग बुझाना असम्भव है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया): (क) जी, हां। यह मालूम हुआ है कि मुख्य अग्नि सेवा अधिकारी ने ऐसा कोई सुस्पष्ट वक्तव्य नहीं दिया था। तकनीकी विचार विमर्श में वह ऐसी अनेक प्रकार की कठिनाइयों का केवल वर्णन कर रहे थे जिनसे बहु मंजिले भवनों में प्रभावात्मक रूप से आग बुझाने में रुकावट होती है।

(ख) बहु मंजिले भवनों में आग बुझाने के सामान की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए एक ऐसी संहिता बनाने के लिए प्रयत्न जारी किए जा चुके हैं जिसे स्थानीय निकायों के भवन निर्माण उपनियमों में शामिल किया जायगा।

अखिल भारतीय महापौर परिषद् और स्वशासी सरकार की केन्द्रीय परिषद् का संयुक्त अधिवेशन

1866. श्री समर मुखर्जी :
श्री एम० के० कृष्णन् :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय महापौर परिषद और स्वशासी सरकार की केन्द्रीय परिषद के संयुक्त अधिवेशन में, अधिवेशन के अध्यक्ष ने यह कहा था कि अनेक नगरपालिकाओं और नगर निगमों को भंग करके राज्य सरकारें नगर निगमों सम्बन्धी अपने अधिकारों का "दुरुपयोग" कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया): (क) नगर निगमों के अधिक्रमण के विषय पर 22 सितम्बर, 1974 को चण्डीगढ़ में हुई स्थानीय स्वायत्त शासन की केन्द्रीय परिषद तथा महापौरों की अखिल भारतीय परिषद् की कार्यकारी समिति की चौथी संयुक्त बैठक में कार्य सूची की एक मद के रूप में चर्चा की गई थी। सर्वसम्मति की राय यह थी कि यद्यपि किसी विशिष्ट मामले के निपटान में सही निर्णय राज्य सरकार ही कर सकती है तथापि निर्वाचित स्थानीय निकायों की अधिक्रम संबंधी शक्ति का प्रयोग बड़ी सावधानी से किया जाना चाहिये और इस बात का सुनिश्चय किया जाना चाहिये कि संबंधित स्थानीय निकाय को अपनी स्थिति को स्पष्ट करने का पहले पूर्ण अवसर दिया जाता है जैसा कि सम्बन्धित नगर निगम अधिनियम में व्यवस्था है।

परिषद् की कार्यवाही के किसी भी समय पर अध्यक्ष महोदय द्वारा यह नहीं कहा गया कि राज्य सरकारें इस बारे में अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहीं थीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Removal of Restrictions on Inter-District Movement of Wheat in Madhya Pradesh

1867. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether the Government of Madhya Pradesh had imposed restrictions on the movement of wheat from one district of the State to another during the agricultural year 1973-74; in order that the farmer may not get a fair price for his produce and that it removed these restrictions later on to provide an opportunity to the traders to make maximum profits; and

(b) if not, the reasons for lifting those restrictions?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) & (b) On 26th February, 1973, the Government of Madhya Pradesh promulgated the Madhya Pradesh Wheat (Restriction on Transport by Rail, Road

and Water) Order, 1973 restricting the inter-district movement of wheat. The restrictions remained in force till 17th August, 1973 when they were lifted. It is not correct to say that the restrictions were imposed so that the farmer may not get a fair price for his produce or that the restrictions were lifted so as to allow traders to make maximum profits. The restrictions were imposed with a view to ensuring the success of the scheme of take-over of whole sale trade in wheat and were lifted at a later stage for easing the supply position of wheat in the deficit pockets of the State.

Effect of Shortage of Cement on the Construction Work of D. D. A.

1868. Shri Mohan Swarup :
Shri Piloo Mody :

Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether Delhi Development Authority was supplied only 30 thousand tons of cement against its demand for 1.34 lakh tons last year and this year also it has been given only 15 thousand tons of cement in place of 80 thousand tons;

(b) whether in these circumstances the construction work of the Delhi Development Authority has come to a halt which may result into heavy loss; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Works & Housing (Shri Mohan Dharia) : (a) Yes, Sir.

(b) The construction work of the Delhi Development Authority has slowed down due to shortage of cement.

(c) The Delhi Development Authority has been advised to use time and fly ash as partial substitute for cement. Efforts are also being made to secure extra cement to the extent possible

उत्तर प्रदेश में सिंचाई योजनाएं

1869. श्रीमती सावित्री श्याम : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश राज्य में धन के अभाव में कौन-कौन सी लघु तथा मध्यम सिंचाई योजनाएं स्थगित की गई हैं;

(ख) धन कब उपलब्ध किया जाएगा और इन योजनाओं को कब तक आरंभ किया जाएगा; और

(ग) उक्त प्रयोजन के लिए आवंटित किये गये धन तथा राज्य एवं केन्द्रीय सरकार दोनों द्वारा उपलब्ध किये गये धन का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि धन के अभाव में कोई लघु अथवा मध्यम सिंचाई स्कीम स्थगित नहीं की गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Registration to Middle and Lower Income Groups by D. D. A.

1870. Dr. Govind Das Richharia : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether there is any proposal for changing the terms and conditions particularly increasing the amount of initial deposits in respect of new Registration for Middle and low in come groups for D. D. A. flats and if so, the revised conditions and the amount of initial deposits; and

(b) whether Government would advance to Government employees the amount of initial deposits in the form of loan and if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri Mohan Dharia) : (a) No, Sir.

(b) It has been decided to grant house building advance to the Central Government servants, who have been allotted flats by the DDA, an amount equal to 20% of the cost of the flat allotted minus the deposit or payment, if any, which the Central Government servant concerned might have already made to the Authority.

खाद्य-नीति के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार का प्रस्ताव

1871. श्री रानेन सेन: क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल राज्य में खाद्य-नीति के बारे में राज्य सरकार के नये प्रस्ताव की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है, और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिंदे) : (क) और (ख) पश्चिमी बंगाल सरकार ने हाल ही में 1974–75 खरीफ वर्ष के लिए अपनी खाद्य-नीति घोषित की है। इस नीति से संबंधित मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

1. चावल के हिसाब से आन्तरिक अधिप्राप्ति का लक्ष्य 5.01 लाख मी० टन निर्धारित किया गया है ।

2. चावल मिल मालिकों पर पचास प्रतिशत लेवी लगाई गई है। लेवी से मुक्त भाग को बाजार में चल रहे मूल्यों पर बेचने की अनुमति दी जाएगी ।

3. ऐसे धान (औस तथा बोरो के अलावा) के उत्पादकों, जिनके पास सिंचित क्षेत्रों में 4 एकड़ से अधिक और असिंचित क्षेत्रों में 6 एकड़ से अधिक भूमि है, पर क्रमिक लेवी लगाई गई है ।

4. "कस्टम मिलिंग" में लगे यूनिटों पर प्रति वर्ष यूनिट पर 5 मी० टन की समान लेवी लगाई जाएगी ।

5. क्रय एजंटों और भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से उत्पादकों से सीधे ही अधिप्राप्ति की जाएगी ।

6. यथा आवश्यक, राज्य सरकार उत्पादकों तथा गैर उत्पादकों के अधिशेष स्टाक को अभिग्रहण करेगी ।

7. चावल की अधिप्राप्ति की सुविधा के लिए कुछ अधिशेष जिलों और क्षेत्रों की हदबंदी कर दी गई है। जिन क्षेत्रों में सांविधिक रूप से राशनिंग व्यवस्था लागू की गई है उनकी हदबंदी जारी रहेगी ।

8. बृहत्तर कलकत्ता और आसनसोल-धुर्गापुर औद्योगिक क्षेत्र में सांविधिक राशनिंग-व्यवस्था, बृहत्तर कलकत्ता के आस-पास के कमी वाले क्षेत्रों में फ्रिंज राशनिंग और शेष राज्य में परिशोधित राशनिंग चालू रहेगी ।

आसाम में बाढ़ के कारण क्षति

1872. **श्री नूरुल हुडा :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष 30 सितम्बर, 1974 तक आसाम में बाढ़ के कारण कुल कितने व्यक्ति मरे;

(ख) कुल कितने मूल्य की सम्पत्ति नष्ट हुई; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या उपचारात्मक कार्यवाही की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) और (ख) असम सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, 1974 के दौरान बाढों के कारण जान और माल की हुई हानि निम्न प्रकार है :—

जन-जीवन की हानि . . .	45
फसलों की हानि .	4,000 लाख रुपये
मकानों की क्षति . .	500 लाख रुपये
जन सुविधाओं की क्षति . . .	500 लाख रुपये

(ग) राज्य सरकार बाढों से क्षति को कम करने के लिए बाढ सुरक्षा उपाय कार्यान्वित कर रही है । 1954 से चौथी योजना के अन्त तक की गई प्रगति निम्नलिखित है :—

निर्माण किए गए तटबंधों की लम्बाई	337.8 किलोमीटर
निर्माण किए गए जल निकास मार्ग	770 किलोमीटर
पूर्ण की गई नगर सुरक्षा स्कीमें	49

इनका कार्यान्वयन 58.66 करोड रुपये के परिव्यय के साथ किया गया है तथा इसे लगभग 7.50 लाख हैक्टेयर बाढ प्रवण क्षेत्र को लाभ हुआ है ।

बाढ सुरक्षा उपायों को पांचवी योजना में भी जारी रखा जा रहा है तथा इस उद्देश्य के लिए, अस्थायी रूप से, 61 करोड रुपये का प्रावधान किया गया है ।

ब्रह्मपुत्र तथा बारक नदियों में बाढों की पूर्व सूचना देने के लिए 1969 से गुहाटी में केन्द्र द्वारा स्थापित एक बाढ पूर्व सूचना युनिट कार्य कर रही है । ये पूर्व सुचनाऐं जिला प्राधिकारियों के लिए, बाढों से प्रभावित प्रभावित होने वाले लोगों को सावधान करने तथा बचाव एवं राहत कार्यों की व्यवस्था करने में बहुत उपयोगी रही है ।

खाद्यान्नों की जमाखोरी के बारे में आल इंडिया फूडग्रेंस डीलर्स एसोसियेशन का वक्तव्य

1873. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान आल इंडिया फूड ग्रेन्स डीलर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी के इस कथित वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि 30 लाख टन खाद्यान्न छिपा कर रखा गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिंदे) : (क) सरकार के ध्यान में ऐसी प्रेस रिपोर्ट आयी है ।

(ख) भारत सरकार इस समस्या के प्रति पहले से ही जागरूक है और राज्य सरकारों पर निरन्तर जोर देती रही है कि वे नियन्त्रण संबंधी विभिन्न आदेशों को कडाई से लागू करें और जमाखोरों तथा काला बाजारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए भारत सुरक्षा नियमों आंसुका तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के उपबन्धों के प्रयोग करें। राज्य और केन्द्रीय सरकारें व्यापारियों और अन्य व्यक्तियों द्वारा कोई सम्भावी जमाखोरी करने पर कडी निगरानी रखी हुई है। जमाशुदा स्टाक को बाहर निकलवाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। जमाखोरों और चोर बाजारियों के विरुद्ध भारत सुरक्षा नियमों आंसुका और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन सख्त कार्यवाही की जा रही है।

मछली उद्योग के लिये केरल को केन्द्रीय सहायता

1874. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि केन्द्रीय सरकार नें मछली उद्योग क विकास के लिय गत तीन वर्षों में केरल राज्य को वर्षवार कुल कितनी सहायता दी है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री प्रभुदास पटेल) : कोचीन में 272.4 लाख रु० की लागत से एक मात्स्यकी बन्दरगाह का निर्माण करने का प्रस्ताव है। इसके लिए केन्द्र द्वारा राशि दी जाएगी। मंजुरी जुन 1971 में जारी की गई थी। पोर्ट ट्रस्ट अधिकारी इस कार्य को प्रारम्भ कर रहे है । यह कार्य अगल दो वर्षों में पूरा होने की सम्भावना है । परियोजना को पुरा करनें के लियें पोर्ट ट्रस्ट के लिए स्वीकृत की गई राशि का विवरण नीचें दे दिया गया है :—

वर्ष	बन्दरगाह का नाम	राशि (लाख रु०)
1971–72	कोचीन	25.00
1972–73	,,	25.00
1973–74	,,	25.00
		75.00 लाख

छोटे बन्दरगाहों पर जहाजों के ठहरने आदि की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत 1971–72 1972–73 और 1973–74 के दौरान 77.45 लाख रु० की केन्द्रीय सहायता निर्मुक्त की गई थी। आंकडों का ब्यौरा नीचे दे दिया गया है ।

वर्ष	बन्दरगाह का नाम	राशि
1971–72 . . .	1. विझिनजोम	18,01,958 रु०
	2. कन्नानोर	1,42,283 रु०
	योग	19,44,241 रु०
1972–73 . .	1. विझिनजोम	23,91,674 रु०
	2. कन्नानोर	5,22,134 रु०
	योग	29,13,808 रु०
1973–74 . . .	1. विझिनजोम	27,21,896 रु०
	2. कन्नानोर	1,63,800 रु०
	3. बलियापट्टम	1,000 रु०
	योग	28,86,696 रु०

गंगा से हुगली भागिरथी चैनल में पानी

1875. **श्री शक्ति कुमार सरकार :**

श्री एन० ई० होरो :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगा से हुगली भागीरथी चैनल में 40 क्यूसेक्स पानी देने के लिए पोषक नहर (फीडर कैनाल) पर आज तक कितना काम हुआ है;

(ख) बल्लारपुर आर० डी० 62 के निकट धुलिया-पाकुर अन्तर्राज्यीय रोड के लिए आर० डी० 28 तथा शंकरपुर के निकट आर० डी० 34 पर फरक्का बांध परियोजना पोषक नहर पर पुल के निर्माण के संबंध में अद्यतन स्थिति क्या है; और

(ग) बिहार तथा पश्चिम बंगाल द्वारा फरक्का के ऊपर बैंक कैचमेंट और बांध में जल वाहन के लिए भूमि अधिग्रहण के संबंध में किये गये कार्य का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) फरक्का बराज परियोजना की 40,000 क्युसेक्स की अभिकल्प क्षमता वाली पोषक नहर का 99 प्रतिशत से अधिक खुदाई कार्य किया जा चुका है और 1974 के अन्त तक इसके पूर्ण हो जाने की संभावना है ।

(ख) आर० डी० 29.5 पर नए पुल के लिए अन्वेषण तथा अभिकल्प कार्य आरंभ कर लिया है और आर० डी० 62 पर पुल का निर्माण कार्य चालू कर दिया गया है । तथा प्रगति पर है । आर० डी० 34 पर कोई पुल बनाने का प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) अब तक फरक्का बराज परियोजना के अंतर्गत जलमग्न होने वाली 87.50 एकड भूमि पश्चिम बंगाल तथा बिहार सरकार द्वारा अधिग्रहण की जा चुकी है । शेष 8755 एकड़ भूमि को अधिग्रहण करने का कार्य किया जा रहा है ।

बिहार के बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों के लिये राहत

1876. **श्री माधुर्य्य हालदार :**

श्री हरी किशोर सिंह :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि राज्य सरकार की सरकारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार के पूर्वी चम्पारन जिले में लगभग 13,18,000 लोग प्रलयकारी बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुये है;

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों के निर्धन तथा बाढ़ प्रभावित लोगों की सहायता करने के-लिये सरकार ने क्या कदम उठाये है; और

(ग) बाढ़ से प्रभावित उन लोगों को राहत देने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) से (ग) राज्य सरकार से जानकारी मांगी गई है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली में पाठय पुस्तकों की चोर-बाजारी

1877. **श्री एम० कतामुतु :**

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली में व्यापारियों द्वारा पाठय पुस्तकों की कथित चोर-बाजारी की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है तथा उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) सरकार को, दिल्ली में व्यापरियों दवारा पाठय-पुस्तकों की कथित चोर बाजारी के किसी मामले की जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उचित दर दुकानों के माध्यम से वितरित किये जाने के लिए खाद्यान्नों की मात्रा के बारे में मुख्य मंत्री संम्मेलन में निर्णय

1878. **श्री एच० एन० मुकर्जी :**

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य मंत्रीयों के सम्मेलन में इस बात पर सहमति हुई थी कि सरकार इस वर्ष उचित दर दुकानों से वितरण के लिए खाद्यान्नों की मात्रा बढ़ाकर एक करोड़ टन कर देगी ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ; और

(ग) उचित दर दुकानों के साथ किये गये उस वायदे को कहां तक पुरा किया गया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिंदे) : (क) से (ग) हालांकि सितम्बर, 1974 में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मलन में उचित मुल्य की दुकानों के माध्यम से वितिरित किए जाने वाले खाद्यान्नों की मात्रा के बारे में कोई विशिष्ट आश्वासन नहीं दिया गया था, लेकिन कृषि मंत्री ने प्रैस को बताते हुए यह कहा था कि इस वर्ष सरकारी वितरण प्रणाली के माध्यम से लगभग 100 लाख मीटरी टन खाद्यान्न वितरित कि ए जा सकते हैं। जनवरी-सितम्बर 1974 के दौरान सरकारी वितरण प्रणाली के माध्यम से लगभग 80 लाख मीटरी टन खाद्यान्न पहले ही वितरित किए जा चुके हैं।

भूसंरक्षण कार्यक्रम

1879. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में 6 लाख हैक्टर कृषि भूमि को भूसंरक्षण कार्यक्रम क अंतर्गत लाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके लिये कुल कितनी धनराशि नियत की गई है ;

(ग) क्या उड़ीसा में भी इस कार्यक्रम को लागू किया जाएगा ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बंधी तथ्य क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) राज्य क्षेत्र के कार्यक्रम के अंतर्गत देश में चालू वर्ष के दौरान 6.38 लाख हेक्टर कृषि भूमि में मृदा संरक्षण उपाय किए जा रहे हैं।

(ख) चालू वर्ष में इस कार्यक्रम के लिए 3198.42 लाख रुपए की धनराशी नियत की गई है।

(ग) तथा (घ) वार्षिक योजना के लिये कार्यकारी दल ने उड़ीसा के लिये चालू वर्ष के लिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत 7,000 हैक्टर क्षेत्र का लक्ष्य निर्धारित किया था और इस पर 68.50 लाख रुपये के परिव्यय की सिफ़ारिश की थी।

सिंचाई सुविधाओं के बारे में विशेषज्ञों की बैठक

1880. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में बेहतर और अधिक सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करने तथा बार-बार पड़ने वाले अकाल की समस्या का समाधान करने के लिए विचार विमर्ष करने हेतु नवम्बर में जयपुर में सिंचाई सुविधा विशेषज्ञों को एक बैठक हुई थी जिसमें अन्य लोगों के साथ-साथ योजना आयोग के सदस्य और इस विषय पर एक विश्व विख्यात विषेशज्ञ श्री कंवर सेन ने भी भाग लिया था ;

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठक की सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) क्या राज्य सरकार उक्त सिफारिशों को क्रियान्वित करने में पूरी तरह समर्थ है और यदि नहीं तो क्या केन्द्रीय सरकार से कोई सहायता मांगी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में केन्द्रीय सरकार को क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह): (क) से (ग) राजस्थान नहर परियोजना चरण-दो को पुन: तैयार करने का प्रस्ताव करते हुए रेगिस्तान विकास पर अपनी अंतरिम रिपोर्ट में राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार करने के लिए 20 नवम्बर को जयपुर में बात-चीत की गई थी। यह सहमति हुई थी की प्रस्तावों के तकनीकी तथा आर्थिक सर्वेक्षण करने के लिए राजस्थान सरकार एक अध्ययन दल का गठन करेगी। इस कार्य के लिए आवश्यक जनशक्ति तथा तकनीकी ज्ञान राज्य सरकार के पास उपलब्ध है तथा इसमें एक वर्ष का समय लगेगा। बहरहाल, यह कार्य करने के लिए उन्होंने कुछ वित्तीय सहायता मांगी है, जिस पर विचार किया जा रहा है।

क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और आल इंडिया फुटबाल फेडरेशन

1881. **श्री प्रिय रंजन दास मूंशी :** क्या **समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और आल इण्डिया फुटबाल फेडेरेशन के कार्यकरण का पता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार खेलकूद आदि की प्रगति के लिये सी०सी० बी०, और ए०आई०एस० एफ० को प्रत्यक्ष रुप से कोई वित्तीय सहायता दे रही है ; और

(ग) पंजाब में राष्ट्रीय खेल-कूद संस्थान के लिए प्रति वर्ष वास्तव में कितनी धनराशि खर्च की जाती है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार, राष्ट्रीय खेल संघों/संगठनों को उनके कार्यकरण सम्बन्धी खर्च के लिए वित्तीय सहायता नहीं देती है । तथापि, विशिष्ट प्रयोजनों, जैसे प्रशिक्षण शिबिरों, राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का आलोचन करने तथा विदेशों में अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने, आदि के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है । जहां तक भारत में क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड और अखिल भारतीय फुटबाल संघ का संबंध है, बोर्ड ने उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए किसी वित्तीय सहायता की प्रार्थना नहीं की है। तथापि, अखिल भारतीय फुटबाल संघ को विदेशों में भ्रमणार्थ समय समय पर अपनी टीमें भेजने और प्रशिक्षण शिबिर आयोजित करने के लिए सहायता स्वीकृत की गई है ।

(ग) नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला को उसके कार्यकरण सम्बन्धी खर्च के लिए स्वीकृत किए गए अनुदानों का ब्योरा इस प्रकार है :–

1971-72	30.00 लाख रुपए
1972-73	30.75 लाख रुपए
1973-74	27.98 लाख रुपए

खाद्य उत्पादन में कमी

1882. **श्री आर० आर० सिंह देव :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन ने अपनी रिपोर्ट में 1974-75 में एशिया में खाद्य उत्पादन में भारी कमी होने का संकेत दिया है ;

(ख) यदि हां, तो 1973-74 की इसी अवधि की तुलना में भारत में चावल, गेहूं, काफी, तम्बाकू, चीनी आदि आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में कितनी कमी हुई है और क्या भारत में इन वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन द्वारा अतिरिक्त सहायता दिये जाने की सम्भावना है ; और

(ग) यदि हां, तो कितनी ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) विश्व खाद्य सम्मेलन (रोम 5-16 नवम्बर, 1974) के सम्बन्ध में खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा तैयार किये गये 'एसेसमेंट आफ दी वर्ल्ड फूड सिचुएशन प्रेझेन्ट एण्ड फ्यूचर' सम्बन्धी लेख में बताया गया है कि जुलाई के मध्य में अच्छी फसल होने की सम्भावना है । यह भी उल्लेख किया गया है कि सुदूर पूर्व में जून-सितम्बर की मानसून के परिणामों

के विषय में मुख्य अनिश्चितता मौजूद है, जिसका उस घनी जन संख्या के क्षेत्र में वर्ष के अन्तिम भाग में फसलों पर प्रभाव पड़ेगा। जुलाई के प्रारम्भ में काफी वर्षा हुई, जिसके फलस्वरूप बंगलादेश और भारत के कुछ भागों में काफी बाढ़े आई।

(ख) तथा (ग) वर्ष 1969-70 से 1973-74 तक अवधि के लिए महत्वपूर्ण फसलों के उत्पादन के अनुमानों का एक बृहत् विवरण संलग्न है। इससे पता चलेगा कि 1972-73 की तुलना में केवल गेहूं तथा काफी के उत्पादन में कमी हुई है। भारत सरकार ने खाद्य एवं कृषि संगठन से कोई अतिरिक्त सहायता नहीं मांगी है।

विवरण

महत्वपूर्ण फसलों के उत्पादन के अखिल भारतीय अनुमान.

वर्ष 1969-70 से 1973-74 तक (आंकड़े दस लाख मीटरी टनों में)

फसल	1969–70	1970–71	1971–72	1972–73	1973--74
1	2	3	4	5	6 (अंतिम)
1 खाद्यान्न					
चावल—शरद	17.13	19.35	19.34	15.96	18.70
जाड़ा	20.46	20.21	20.65	20.36	21.96
ग्रीष्म	2.84	2.67	3.08	2.92	3.08
योग	40.43	42.23	43.07	39.24	43.74
ज्वार— खरीप	6.43	5.82	5.36	5.35	5.85
रबी	3.29	2.28	2.36	1.62	3.14
योग	9.72	8.10	7.72	6.97	8.99
बाजरा	5.33	8.03	5.32	3.93	7.09
मक्का	5.67	7.49	5.10	6.39	5.64
रागी	2.12	2.15	2.21	1.92	2.13
छोटे-मिलेट	1.73	1.99	1.67	1.55	1.87
गेहूं	20.09	23.83	26.41	24.74	22.07
जौं	2.72	2.78	2.58	2.38	2.33
कुल धान्य	87.81	96.60	94.08	87.12	93.86
चना	5.55	5.20	5.08	4.54	4.00
तुर	1.84	1.88	1.68	1.93	1.37

फसल	1969–70	1970–71	1971–72	1972–73	1973–74
1	2	3	4	5	6 (अंतिम)
अन्य दालें					
खरीप .	1.64	2.00	1.65	1.25	2.11
रबी . .	2.66	2.74	2.68	2.19	2.27
योग . .	4.30	4.74	4.33	3.44	4.38
योग दालें . .	11.69	11.82	11.09	9.91	9.75
खरीप खाद्यान्नों का योग	62.35	68.92	62.99	58.64	66.72
रबी खाद्यान्नों का योग	37.15	39.50	42.18	38.39	36.89
योग खाद्यान्न .	99.50	108.42	105.17	97.03	103.61
2–मुख्य वाणिज्यिक फसलें					
गन्ना (गुड़) .	13.78	12.98	11.63	12.76	14.05
मुंगफली .	5.13	6.11	6.18	4.09	5.80
एरंड के बीज .	0.12	0.14	0.16	0.15	0.23
तिल . .	0.45	0.56	0.45	0.38	0.49
तोरिया तथा सरसों	1.56	1.98	1.43	1.81	1.69
अलसी .	0.47	0.47	0.53	0.43	0.47
पांच प्रमुख तिलहनों का योग .	7.73	9.26	8.75	6.86	8.68
कपास* .	52.55	44.99	65.64	54.17	58.19
जूट* .	56.55	49.38	56.84	49.78	61.76
मैस्ता* .	11.30	12.55	11.50	11.12	14.61
काफी† (सी बी)	..	..	..	..	..
तम्बाकू ‡ .	.	..	..	..	..
काफी ‡सी बी .	0.64	1.10	0.69	0.91 (**)	0.86 (**)
तम्बाकू ‡ .	3.37	3.62	4.19	3.72	4.41

*180 कि० ग्रा० की लाख गांठ ।

†(सी बी) काफी बोर्ड द्वारा सप्लाई किये गये आंकड़े ।

(**) अनतिम ।

‡लाख मीटरी टन ।

Changes in export policy and Domestic consumption of Sugar

1884. Shri Hari Singh : Will the Minsiter of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the shortfall in sugar production during the current season as compared to the corresponding season in the past;

(b) if so, whether Government propose to effect some changes in their policy in respect of export of sugar to foreign contries and its domestic conpsumption; and

(c) the likely impact on the farmers of the country as a result of this change?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Shah Nawaz Khan): (a) The sugar production from the beginning of October upto 15th November during the current season as well as during the corresponding periods in the last four seasons is as under :—

Sugar Season	Production (Lakh Tonnes)
1970-71	1·42
1971-72	1·13
1972-73	2·51
1973-74	1·41
1974-75	1·77

The over-all production during the current season is expected to be almost on par with the production of last year.

(b) and (c) Do not arise.

कृषि द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय अनुदान

1885. श्री विश्वनारायण शास्त्री : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को राज्यवार कितनी धनराशि दी गई;

(ख) क्या उन्होंने इस योजना की क्रियान्विती से हुए लाभ का कोई अनुमान लगाया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या परिणाम उत्साहजनक है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) कोई धनराशि अदा नहीं की गई है क्योंकि कृषि हेतु कोई विशेष त्वरित कार्यक्रम तैयार नहीं किया गया है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

बिहार में फसल को हुए नुकसान के बारे में केन्द्रीय दल की रिपोर्ट

1886. श्री सरोज मुखर्जी : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राकृतिक प्रकोप बाढ़ और सुखा के कारण हुए नुकसान का घटनास्थल पर अध्ययन करने के लिये किसी दल ने बिहार का दौरा किया था ; और

(ख) यदि हां, तो अध्ययन के निष्कर्ष क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी हां। केन्द्रीय अध्ययन दल ने 14 और 15 नवम्बर, 1974 का बिहार का दौरा किया।

(ख) अभी इस दल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

कल्याणी विश्वविद्यालय के पास धनराशि की कमी

1887. **श्रीमती विभा घोष गोस्वामी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि धनराशि की भारी कमी के कारण कल्याणी विश्वविद्यालय बन्द होने वाला है ; और

(ख) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि इस के पास कर्मचारियों को वेतन देने के लिये भी धनराशि नहीं है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) कल्याणी विश्वविद्यालय के कुलपति ने अपने 1 नवम्बर, 1974 के पत्र द्वारा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के सचिव को यह सूचित किया था कि विश्वविद्यालय आर्थिक संकट का सामना कर रहा है तथा वह अपने कर्मचारियों को नवम्बर मास का वेतन देने की भी स्थिति में नहीं है।

वनस्पति और तिलहनों में वृद्धि की योजना

1888. **श्री पी० बंकटा सुब्बया :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनस्पति के उत्पादन में वृद्धि करने तथा इसे देश के उपभोक्ताओं में उचित मूल्य पर बेचने के लिए कोई व्यापक योजना बनाई गई है ;

(ख) क्या देश में तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये भी कोई योजना बनाई गई है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) अनुभव से यह पता चला है कि जब वनस्पति को तैयार करने में इस्तेमाल किए जाने वाले कच्चे तेल लाभकारी मूल्यों पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं तब उस के उत्पादन में वृद्धि होती है और सरकार द्वारा उसे प्राप्त करने के लिये प्रयास किये जाते हैं जैसा कि इस प्रश्न के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में बताया गया है।

(ख) और (ग) मुख्यत: केन्द्र सरकार द्वारा शुरु की गई योजना जिसमें निम्नलिखित कार्य करने हैं, के माध्यम से पांचवीं योजनावधी के अंत तक 125 लाख मीटरी टन तक तिलहन के उत्पादन में वृद्धि करने का विचार है :—

(1) व्यापक तिलहन विकास कार्यक्रम चुनींदा राज्यों में प्रत्येक प्रमुख तिलहन की फसल के बारें में क्षेत्र के आधार पर 'पैकेज' पहुंच का विस्तार करना जिसमें 1978-79 तक कुल 23.56 लाख हेक्टर क्षेत्र आएगा।

(2) नये सिंचित क्षेत्रों में तिलहन का विस्तार—प्रमुख सिंचाई-परियोजना क्षेत्रों में तिलहनों की खेती करना और खेती की उन्नत तकनीकों को लोकप्रिय बनाना।

(3) अपरम्परागत तिलहनों का विकास—1978–79 तक सुरजमुखी के अंतर्गत क्षेत्र को बढ़ाकर 10.60 लाख हेक्टर करना और सोयाबीन के अंतर्गत क्षेत्र को बढ़ाकर 4.30 लाख हेक्टर करना।

उडीसा में एक जिलें से दुसरे में खाद्यान्नों के लाने-ले जाने पर लगे प्रतिबंध को हटाना

1889. **श्री गजाधर मांझी :** क्या कृषि और सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें की :

(क) क्या एक जिले से दूसरे जिले में खाद्यान्नों के लाने-ले-जाने पर लगे प्रतिबंध को हटाने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिससे उड़ीसा राज्य में विद्यमान खराब स्थिति को ध्यान में रखते हुए व्यापार के माध्यमों को पुनः सामान्य किया जा सके ;

(ख) क्या सरकार बड़े किसानों, व्यापारियों और मिलरों के पास जमा माल का पता लगाने के लिये कोई उपाय करना चाहेगी जिसमें अध्यादेश जारी करना भी शामिल है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिंदे) : (क) उड़ीसा में केवल चावल और धान के अन्तर-जिला संचलन पर प्रतिबंध हैं। राज्य सरकार का विचार अधिप्राप्ति के हित में इन प्रतिबंधों को जारी रखने का है।

(ख) और (ग) राज्य सरकार के पास पहले ही आवश्यक खाद्य पदार्थ (जमाखोरी विरोधक और स्टाक अभिग्रहण) आदेश 1974 के अधीन किसानों और अन्य व्यक्तियों से चावल और धान के स्टाक को अभिग्रहण करने की पर्याप्त शक्तियां हैं।

Land under Forest

1890. Shri Chandulal Chandrakar : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the acreage of land under forest in 1951-52 and whether this acreage had increased to some extent in 1971-72;

(b) the acreage of land brought under aforestation during the last three years; and

(c) the percentage of live trees to the total number of trees planted?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel) : (a) The total area under forests in the country in the year 1951-52 was 73.44 million hectares. The area under forests in 1971-72 is 74-56 million hectares.

(b) & (c) The information is being collected from the Forest Departments of States & Union Territories and will be placed on the table of the Sabha in due course.

गुजरात में अध्यापकों के वेतनमान

1891. **श्री एम० वी० कृष्णप्पा :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में अध्यापकों के वेतनमान संबंधी सेन समिति की सिफारिशों को उस राज्य में लागू नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या समुचे गुजरात के कालेजों के अध्यापकों ने उक्त सिफारिशों के क्रियान्वयन की मांग करते हुए राज भवन, गुजरात के सामने विरोध प्रकट किया ; और

(घ) उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) :(क) और (ख) भारत सरकार ने विश्वविद्यालय तथा कालेज अध्यापकों के संशोधित वेतनमानो को कार्यान्वित करने के लिये सभी राज्य सरकारों को 2 नवम्बर, 1974 को अपनी संस्वीकृति भेज दी है तथा उनसे केन्द्रीय सहायता स्वीकृत करने के संबंध में अपने प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया है। गुजरात सरकार द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है ।

(ग) और (घ) गुजरात सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार समस्त गुजरात के अध्यापकों द्वारा राज भवन के सामने कोई विरोध प्रकट नहीं किया गया है। किन्तु गुजरात विश्वविद्यालय क्षेत्र शिक्षक संघ के एक शिक्षक शिष्ट मंडल ने अहमदाबाद में एक जुलूस निकालने के बाद राज्यपाल से भेंट की और उन्हें एक ज्ञापन प्रस्तुत किया जिसमें उनकी मांगों का ब्यौरा दिया गया था ।

भारतीय डेरी निगम, बड़ोदा का कार्यकरण

1892. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय डेरी निगम, बड़ौदा के गत तीन वर्षों के कार्यकरण की जांच की है ;

(ख) यदि हां तो इस अवधि के दौरान किस प्रकार की अनियमितताएं सरकार के ध्यान में आई हैं; और

(ग) बोर्ड के कार्यकरण में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) और (ख) भारतीय डेरी निगम भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत गठित सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है और ऐसा कोई अवसर नहीं आया है जबकि निगम के कार्यों की विशेष रूप से जांच की गई हो। सरकार की जानकारी में कोई अनियमितता नहीं आई है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पाठ्य पुस्तकों का भारतीयकरण

1893. **श्री आर० के० सिन्हा** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय विश्वविद्यालयों में पाठ्य-पुस्तकों के भारतीयकरण के लिये कोई समयबध्द कार्यक्रम तयार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क)और (ख) सरकार, विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकें हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं में तैयार करने की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना को कार्यान्वित कर रही है जिसके अंतर्गत देश के विश्वविद्यालयों में पढ रहे छात्रो की आवश्यकताओं के संबंध में भारतीय लेखकों द्वारा मौलिकरुप से लिखी गई पुस्तकोंकी निर्माण पर बल दिया जाता है। सरकार, भारतीय लेखकों द्वारा लिखी गई विश्वविद्यालय स्तरके अंग्रेजी पुस्तकों के निर्माण के लिये भी सहायता देने की योजना को कार्यान्वित कर रही है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियरों और सुपरिंटेंडिंग इंजीनियरों के स्थायी पद

1894. **श्री भारत सिंह चौहान** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सिविल और इलेक्ट्रीकल विभागों में जूनियर इंजीनियरों एवं सुपरिंटेंडिंग इंजीनियरों के लिये कितने स्वीकृत स्थायी पद हैं ; और

(ख) ये पद किन तिथियों से स्वीकृत किये गये हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) सूचना संलग्न विवरण-पत्र में दी गई है । **[ग्रंथालय मे रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०8565/74]**

Procurement price and Selling Price of Paddy , Rice and Jowar

1895. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the procurement price of paddy, rice and jowar fixed; and

(b) the price at which Government will sell them?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) & (b) The procurement price for paddy (coarse variety) and jowar has been fixed at Rs. 74/- per quintal for the kharif season 1974.75. The procurment prices of coarse variety price fixed for different States in relation to the price of coarse paddy ranges between Rs. 104/- and Rs. 125/- per quintal. Consequent upon the increase in the procurement price of paddy and other coarse grains, the Central issue prices will have to be adjusted suitably.

Research Scholarships to Madhya Pradesh students by U. G. C.

1896. Shri R. R. Sharma : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether the University Grants Commission has granted research scholarships to some of those students of Madhya Pradesh who have failed to secure first class in M. A.; and

(b) if so, the reasons for awarding scholarships to them?

The Minister of Education and Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurual Hasan) : (a) and (b) The University Grants Commission awards Junior Research Fellowships on an all-India basis. Selections for these fellowships are made on the basis of recommendations of expert selection committees constituted for the purpose. Till 1973-74, candidates possessing 1st or 2nd class Master's degree with atleast one year's research experience, were eligible for consideration for these awards. From 1974-75 onwards the Commission has decided that candidates who have obtained a Master's degree in 1st or 2nd class (with atleast 55% marks) or atleast B+ in the Grade system would be eligible for consideration.

Out of 16 candidates from Universities in Madhya Pradesh awarded fellowships by the Commission during the period 1969-70 to 1973-74, only one candidate possessed a high second class Master's degree (58% marks).

In addition, a certain number of Fellowships are allocated to different universities who are responsible for making selections. Since 1971-72, the universities have been advised that these Jr. Fellowships be awarded for doctoral work normally to 1st class Master's degree holders and the awards be subject to the rules framed by the University for award of these Fellowships.

मध्य प्रदेश में चम्बल में बीहड़ भूमि को कृषि योग्य बनाने सम्बन्धी योजना के लिए केन्द्रीय सहायता

1897. **डा० लक्ष्मीनारायण पांड्ये** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश के चम्बल क्षेत्र में बीहड़ भूमि को कृषि योग्य बनाने सम्बन्धी योजनाएं क्रियान्वित करने के लिये केन्द्रीय सरकार से सहायता के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये केन्द्रीय सरकार ने कितनी धनराशि दी है; और

(ग) यदि कोई धनराशि नहीं दी गई है, तो इसके क्या कारण है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) अभी तक कोई धनराशि नहीं दी गई है ।

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारुप में केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत पठार के बचाव तथा खड्डे वाले क्षेत्रों के स्थिरीकरण को मार्गदर्शी परियोजनाओं के लिए व्यवस्था की गई है । यह योजना अभी तक भारत सरकार के विचाराधीन है । इस योजना को अन्तिम रुप दिए जाने के बाद ही धनराशि दी जाएगी ।

सरकारी क्षेत्र में चीनी मिलों के कार्यकरण के बारे में पंजाब सरकार के आर्थिक तथा सांख्यिकी संगठन द्वारा अध्ययन

1898. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार के कार्मिक तथा सांख्यिकी संगठन द्वारा हाल ही में किये गये अध्ययन से पता चला है कि सहकारी क्षेत्र में चीनी मिलों के कार्यकरण में अनेक त्रुटिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संगठन द्वारा किये गये अध्ययन तथा उक्त त्रुटियों को दूर करने के लिए दिये गये हिसाब क्या है और उनके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) पंजाब सरकार से अपेक्षित सूचना मांगी गई है और प्राप्त होते ही सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

पांचवी योजना के दौरान रुई का उत्पादन

1899. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं योजना के दौरान रुई के उत्पादन के विकास के लिये तैयार किये गए कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या है ;

(ख) रुई का उत्पादन करने वाले विभिन्न राज्यो को चालू वर्ष में कितनी धनराशि नियत की गई ; और उस राशि का किस कृषि सामग्री के लिये उपयोग किया जाएगा; और

(ग) उससे कृषि उत्पादन में कितनी वृद्धि होने की सम्भावना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) भारत सरकार देश में कपास के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये, प्रमुख कपास उगाने वाले राज्यो में सघन कपास जिला कार्यक्रम की केन्द्रीय प्रायोजित परीयोजना की क्रियान्विति कर रही है। इस योजना के अन्तर्गत, कृषकों को कपास की खेती के उन्नत तरीकों के विषय में सलाह देने और उनके आदान सम्बन्धी जरुरतों की व्यवस्था करने के लिये पर्याप्त फील्ड कर्मचारी दिये गये हैं।

(ख) 1974-75 के दौरान, सघन कपास जिला कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों के लिए स्वीकृत धनराशि को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है। कर्मचारियों और अनुषंगिक व्यय (जिनके लिये भारत सरकार द्वारा 100% सहायता दी जा रही है) के अतिरिक्त, बीजों, वनस्पति रक्षण उपस्करों की खरीद और प्रदर्शनों के लिये भी राज सहायता दी जाती है।

(ग) आशा है 1974-75 के दौरान 3 14 लाख गांठो का उत्पादन होगा।

विवरण

1974-75 के दौरान सघन कपास जिला कार्यक्रम के लिए राज्य सरकार को दी गई वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति।

राज्य	धनराशि (लाख रुपये
आन्ध्र प्रदेश	43.44
गुजरात	18.50
हरियाणा	18.37
कर्नाटक	38.11
मध्य प्रदेश	15.72
महाराष्ट्र	32.13
उड़ीसा	1.75
पंजाब	22.62
राजस्थान	23.36
तमिलनाडु	29.20
उत्तर प्रदेश	0.26
पश्चिम बंगाल भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय केन्द्र (कोयम्बेटूर)	0.18

सांस्कृतिक समझौते

1900. श्री प्रियरंजन दास मुंशी : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971 से 1974 (सितम्बर) तक विदेशों के साथ कितने सांस्कृतिक समझौते किये गये और उन देशों के नाम क्या हैं ; और

(ख) क्या उन सभी समझौतों को क्रियान्वित कर दिया गया है ?

शिक्षा, और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) दस । उन देशों के नाम हैं : आस्ट्रेलिया, अर्जेंटाइना, बंगला देश, बेल्जियम, कोलम्बिया, जर्मन जनवादी गणतन्त्र, मोरोशस, कोरिया गणतन्त्र, यमन लोकतांत्रिक गणतन्त्र तथा सेनेगल ।

(ख) सांस्कृतिक करारों में सहयोग के केवल मोटे-मोटे सिद्धीन्त निर्धारित किये जाते हैं । इन करारों के अनुसरण में, विशिष्ट अवधि में निष्पादित किये जाने वाले सहयोग और विनियमो के ब्यौरे निर्धारित करते हुए नियमित सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम तैयार किये जाते हैं । उपरोक्त दस देशों में से बंगला देश, बेल्जियम, और जर्मन जनवादी गणतन्त्र के साथ इस प्रकार के विनिमय कार्यक्रम किये जा जुके हैं ।

तथापि, बाकी देशों के साथ तदर्थ सांस्कृतिक विनिमय किये गये हैं ।

ब्रिग्रेडियर होशियार सिंह रोड के रेलवे फाटक पर पुल

1901. श्री वनमाली पटनायक : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में एम० एवेन्यू और विनय मार्ग के साथ ब्रिगेडियर होशियार सिंह रोड या रेलवे लाइन के ऊपर पुल बनाये जाने के प्रस्ताव में कोई प्रगति हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है ; और

(ग) इस मामले की वर्तमान स्थिति क्या है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रस्तावित पुल पर 100 फूट का मार्ग है जिस में आने जाने के मुख्य मार्ग दोनों ओर 24 फुट चौड़े हैं जिन्हें बीच में से 4 फुट चौड़ी रेखा द्वारा विभाजित किया गया है, दोनों ओर 12 फूट चौड़ी सर्विस रोड हैं तथा 8 फूट चौड़े पैदल पथ हैं ।

(ग) कार्य का वह भाग जो रेलवे द्वारा किया जाना है, आरम्भ कर दिया गया है । सम्पर्क मार्गों पर कार्य जो नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा किया जाना है, इस कारण आरम्भ नहीं किया जा सका, क्योंकि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित बहुत सी भूमि पर अनधिवासी बैठे हैं । एक गुरुद्वारा, मन्दिर तथा कुछ व्यापारिक प्रतिष्ठान भी संरेखा में आते हैं । अनधिवासियों को हटाने के मामले पर गौर हो रहा है । अनधिवासियों के हटते ही कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा ।

सूखा पीड़ित गुजरात को अल्प कालीन ऋण

1902. श्री प्रसन्न भाई मेहता : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सूखा पीड़ित गुजरात को आगामी रबी की बुवाई के बीजों कीट नाशक पदार्थों और उर्वरकों की खरीद एवं बिक्री के लिए 5 करोड़ रुपए के अल्पावधि ऋण की मंजूरी दी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य में ऋणों तथा उर्वरकों के वितरकों पर इन विधियों के भेदभावपूर्ण वितरण तथा भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने ऋण के वितरण एवं उपयोग के बारें में राज्यों से विवरण मांगे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और क्या राज्य को इस बारे में कोई निदेश जारी किए गए हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

हिमाचल प्रदेश में उर्वरक घोटाला

1903. **श्री के० लकप्पा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में हाल ही में एक ऐसा घोटाला प्रकाश में आया है जिस में एक लाख रुपये के मूल्य के उर्वरक के नष्ट हो जाने का समाचार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने उक्त मामले की जांच की है ;

(ग) क्या ऐसे उर्वरक घोटालों के बारे में अन्य कई राज्यों से भी समाचार मिले ह; और

(घ) ऐसे घोटालों को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये जा रहे हैं ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) तथा (ख) हिमाचल प्रदेश सरकार से प्राप्त हुई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1957 से 1972 तक की अवधि के दौरान कई बातों, अर्थात् ऊंचे पर्वतों की नदी, परिवहन तथा भंडारण के दौरान भारी वर्षा होने और भंडारण की उचित सुविधाओं की कमी के कारण 160 मीटरी टन उर्वरक बेकार हो गया था । यह मात्रा इस अवधि के दौरान राज्य के कृषि विभाग द्वारा संभाली गई उर्वरकों की कुल मात्रा का 0.1 प्रतिशत है, जो पर्वतीय क्षेत्रों में संचलन संबंधी कठिनाइयों और उर्वरकों के उपयोग को लोकप्रिय बनाने के लिये दूरवर्ती क्षेत्रों में उर्वरकों की बिक्री के डिपुओं की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए नगण्य है ।

(ग) हाल ही में अन्य राज्यों ने ऐसे मामलों की कोई रिपोर्ट नहीं भेजी है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली स्टेट कोआपरेटिव बैंक के शासी निकाय के विरुद्ध लगाये गए आरोप

1904. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लगभग 1500 सहकारी समितियों के शीर्षस्थ बैंक दिल्ली स्टेट कोआपरेटिव बैंक के शासी निकाय पर गम्भीर आरोप लगाये गये हैं और उक्त शासी निकाय 6 जुलाई, 1974 को भंग कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है;

(ग) क्या बैंक ने नयी लघु नगरीय सहकारी समितियों को ऋण देने पर वस्तुत: प्रतिबन्ध लगा दिया है;

(घ) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या उक्त प्रतिबन्ध के लगाये जाने के बाद भी दी मामलों में ऋण दिया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) दिल्ली स्टेट कोआपरेटिव बैंक लि० के निदेशक मण्डल को अन्य बातों के साथ-साथ निम्न कारणों से भंग कर दिया गया है :

(1) बैंक की साधारण-सभा की पिछली बैठक 28-12-70 को हुई थी । उसके बाद बार-बार अनुरोध करने के बावजूद भी बैंक ने अपनी साधारणसभा की बैठक नहीं बुलाई । इसके अलावा, दिल्ली सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1972 के उपबन्धों और बैंक की उपविधियों के अनुसार निदेशक मण्डल के सभी सदस्यों का अवकाश प्राप्त करने का समय हो चुका था ।

(2) बैंक ऋण देने के बारे में दोषपूर्ण नीतियां अपना रहा था और उसने कुछ मामलों में उन सदस्यों को ऋण मंजूर किए थे जो बकायादार थे या उधार लेने के पात्र नहीं थे । इसी प्रकार, कुछ एसी सोसायटीयो को भी ऋण मंजूर किए थे, जिनके लेखाओं की 2 वर्षों अथवा उससे अधिक समय से लेखा-परीक्षा ही नहीं की गई थी ।

(3) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कोई भी नियंत्रण नहीं था कि माल की बन्धक पर जो अग्रिम दिये गये हैं, उनकी प्रतिभूति का मूल्य अग्रिमों के लिए पर्याप्त है ।

(4) बैंक ने अपनी उपविधियों के अनुसार सदस्यों से उसे देय राशि के समंजन के लिए कार्यवाही नहीं की थी ।

(5) बैंक की विभिन्न शाखाओं के बारे में लेखा-परीक्षा रिपोर्ट का अनुपालन नहीं किया गया था ।

(6) 30-6-72 को बैंक की परिसम्पत्ति के मूल्य में अनुमानत: 73.89 लाख रुपये की कमी आई । बैंक के 67.08 लाख रुपए के अनुमानित अशोध्य तथा संदिग्ध बकायों के मुकाबले में उसके पास 6.95 लाख रुपये की अशोध्य तथा संदिग्ध आरक्षित निधि थी ।

(7) अतिदेयों की स्थिति चिन्ताजनक थी, क्योंकि बैंक ने बड़े पैमाने पर ऐसे लेनदेन किये हैं जो पुस्तक-समायोजन प्रतीत होते हैं ।

(8) बैंक द्वारा अपनाई गई ऋणदायी नीति और ऋणदायी पद्धति में अनेक कमियां थीं, उदाहरणार्थ, ऋण के आवेदन पत्रों की पूरी तरह से जांच नहीं की जाती थी; ऋण व्यक्तियों द्वारा स्वीकृत किए जाते थे, सोसायटियों से सामान्य उधार सीमा विवरणियों प्राप्त होने के लिए कोई समय-सूची निर्धारित नहीं की गई थी, सोसायटियो द्वारा वितरण विवरणियां भेजने की प्रणाली लागू नहीं की गई थी ; सोसायटियों से उपयोग प्रमाण-पत्रों की समय से प्राप्ति तथा जांच-पड़ताल सुनिश्चित नहीं की गयी थी, औद्योगिक सोसायटियों, उपभोक्ता भंडारों आदि को ऋण-सीमायें मंजूर करते समय सामान्य बचाओ का पालन नहीं किया जाता था ; बैंक के भूमिबन्धक बैंकिंग अनुभाग द्वारा दिए जाने वाले दीर्घकालीन ऋणों के बारे में सामान्य बचाओं का पालन नहीं किया जाता था ;

(9) बैंक के प्रधान कार्यालय का अपनी शाखाओं पर बहुत ही निष्प्रभावी नियंत्रण था ।

(ग) नई छोटी शहरी सहकारी सोसायटियों को ऋण मंजूर करने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहा है । फिलहाल, बैंक द्वारा केवल नवगठित मुहल्ला मितव्यय तथा उधार सोसायटियों को धन नहीं दिया जा रहा है । उन मितव्यय तथा उधार सोसायटियों, जो कार्यालयों, स्कूलों आदि में चल रही थी और उन मुहल्ला मितव्यय तथा उधार सोसायटियो, जिन्हें पहले बैंक से धन मिल चुका है और जिनकी वापसी-अदायगी संतोषजनक रही है, उन्हें बैंक द्वारा धन दिया जा रहा था ।

(घ) बैंक की संशोधित ऋणदायी नीति के अनुसार फिलहाल नवगठित मुहल्ला मितव्यय तथा उधार सोसायटियों को धन नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि इन सोसायटियों के पास अपने सदस्यों से देयों की वसूली करने के लिए बहुत कम प्रबन्ध है ।

(ङ) जी नहीं ।

राज्यों में राज्य सहकारी बैंको की अतिदेय राशि

1905. श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में राज्य सहकारी बैंकों की अतिदेय राशि में कुछ समय से काफी वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां राशि नहीं लौटाई गई और राशि न लौटाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा काश्मीर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा राजस्थान और पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्यों में राज्य सहकारी बैंकों के अतिदेयों में वर्ष 1967-68 से आमतौर पर वृद्धि का रुख रहा है । राज्य सहकारी बैंकों के अतिदेयों का कारण यह है कि केन्द्रीय सहकारी बैंकें और प्राथमिक सोसायटी के स्तरों पर अतिदेय हुये हैं और राज्य सहकारी बैंकों के आन्तरिक संशोधन अल्प रहे हैं । अतिदेयों के जमा होने के कारणों में कुछ तो सहकारी ऋण ढांचे के आंतरिक और दुसरे बाहरी कारण हैं । आंतरिक कारण मुख्यत: ये हैं—अस्वस्थ उधार नीतियां, ऋण का दुरुपयोग, अपर्याप्त पर्यवेक्षण तथा भुगतान करने की इच्छा न होना, और बैंकों तथा सोसायटियों का असंतोषजनक प्रबंध। बाहरी कारण ये हैं—सूखा, बाढ आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं का आना और ऐसी परिस्थितियों में ऋण परिवर्तन सुविधाओं का लाभ न उठाना ।

(ग) राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे वसूली के लिए वातावरण में सुधार करें, जानबुझकर बने बकायादारों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करें, बैंकों और सोसायटियों की ऋणदायी नीतियों तथा पद्धतियों को सरल तथा कारगर बनाए और सहकारी ऋण ढांचे को पुनर्गठित तथा पुनर्जीवित करें ।

पश्चिम बंगाल में बाढ़ संरक्षण कार्य

1906. श्री हाजी लुत्फूल हक : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त-सितम्बर, 1974 के दौरान पश्चिम बंगाल के उत्तरी जिलों में जिलेवार बाढ़ से प्रभावित होने वाले गांवों के नाम क्या हैं ;

(ख) इन जिलों में गत तीन वर्षों में वर्ष-वार बाढ़ संरक्षण कार्य के लिए राज्य सरकार के सुझावों का जिला वार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार ने इस संबंध में जिलावार और वर्षवार क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) पश्चिम बंगाल को राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, राज्य के उत्तरी जिलों में अगस्त-सितम्बर 1974 के दौरान बाढ़ों से निम्नलिखित क्षेत्र प्रभावित हुए थे :—

जिला	प्रभावित क्षेत्र
कूचबिहार	कूचबिहार ब्लाक-दो, समग्र सदर उप-मंडल, समग्र तुफानगंज उपमंडल, दीनहाट उपमंडल का भाग, मथाभंगा उपमंडल का भाग और मखलीगंज उपमंडल का भाग ।
जलपाइगुड़ी	मोइनागुडी, धूपगुड़ी, माल, अलीपुरद्वार, कुमारग्राम, मद्रोहाट कलकत्ता पुलिस स्टेशन क्षेत्र ।
माल्दा	रतुआ और मनिकचाक पुलिस स्टेशन के क्षेत्र । हरिशचन्द्रपूर ब्लाक-दो का इस्लामपुर अंचल और मनिकचाक ब्लाक का भूतनी दियारा ।
पश्चिम बंगाल	चौपरा, इटाहर, गंगारामपुर और तपन पुलिस स्टेशन क्षेत्र ।

(ख) पश्चिम बंगाल के उत्तरी जिलों के लिए 1971-72, 1972-73 और 1973-74 के दौरान राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की तकनीकी सलाहकार समिति।उत्तर बंगाल बाढ़ नियंत्रण आयोग के सलाहकारों के बोर्ड द्वारा स्वीकृत बाढ़ सुरक्षा कार्य के प्रस्ताव उपाबंध में दिए जाते हैं ।

(ग) बाढ़ सुरक्षा कार्यो को कार्यान्विति राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है । केन्द्र ने प्रति स्कीम 50 लाख रुपये से अधिक लागत वाली स्कीमों को योजना में शामिल करने के लिए स्वीकृति दे दी है । केन्द्र द्वारा स्वीकृति की गई 50 लाख रुपये से अधिक लागत वाली स्कीमों उपाबंध में दी गई हैं । [ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 8566174]

राज्य सरकार द्वारा स्कीमों के कार्यान्वियन की स्थिति भी उपाबंध में बताई गई है ।

"रिमोट सेंसिग" के लिए राष्ट्रीय एजेंसी

1907. श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समेकित और व्यापक विकास कार्यक्रम आरम्भ करने में सहायता देने के लिए नियमित आधार पर बड़े भूमि खण्डों का सर्वेक्षण करने हेतु "रिमोट सेंसिग" के लिये एक राष्ट्रीय एजेंसी स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) विज्ञान और टेकनालोजी विभाग के अंतर्गत एक पंजीकृत समिति के तौर पर नेशनल रिमोट सेंसिग एजेंसी पहले ही स्थापित की जा चुकी है । इस एजेंसी को स्थापित करने का एक उद्देश्य रिमोट सेंसिग टेकनालोजी का प्रयोग करके कृषि भू-जल विज्ञान, मौसम-विज्ञान

मात्स्यकी, खनिज तेल मृदा, पर्यावरण सम्बन्धी देख-रेख, वानिकी, समुद्री स्त्रोत, स्थलाकृति-विज्ञान भूमि संसाधन और फसलो के रोग की निगरानी जैसे विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों का सर्वेक्षण करना है ।

66 लाख निर्माण श्रमिकों को जबरी छुट्टी का खतरा

1908. **श्री धामणकर** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 सितम्बर, 1974 को एक अंग्रेजी दैनिक में "6.6 एम कंस्ट्रक्शन वर्कर्स में बी० लेड आफ" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) निर्माण श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) सरकार ने कुछ वर्गो के भवन निर्माण पर सीमेंट के प्रयोग पर एक वर्ष के लिए प्रतिबन्ध लगाया है । यह इसलिए किया गया है ताकि प्राथमिकता वाले क्षेत्र के लिए सीमेन्ट और इस्पात बकाया जाय और निर्यात की आवश्यकता की पूर्ति हो तथा देश में मुद्रास्फिति की सामान्य प्रवृत्ति को रोका जा सके । सरकार ने स्थानीय सामग्री को यथा सम्भव सीमा तक प्रयोग में लाने का परामर्श दिया है ताकि निर्माण गतिविधियां कों और मजदूरों को क्षति न पहुंचे ।

Production and Demand of Bread in Delhi and neighbouring Areas

1909. **Shri B. S. Chowhan :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether of late there has been scarcity of bread in Delhi and neighbouring areas;

(b) if so, the production of bread in this area and demand thereof; and

(c) the steps taken by Government so far to meet the full demand?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) to (c) As reported by the Delhi Administration there is no scarcity of bread in Delhi and the neighbouring areas of the Union Territory. The production of bread in Delhi is about 2,25,000 to 2,50,000 loaves per day which is adequate for meeting the reasonable demand of this area.

दिल्ली विश्वविद्यालय की परीक्षा में कथीत भ्रष्ट तरीके अपनाना

1912. **श्री महेंद्र सिंह गिल** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 10 अक्तूबर, 1974 के स्थानीय दैनिक में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के परीक्षा परिणामों में सारणीकरण तैयार करने में त्रुटियां विद्यमान हैं और परीक्षापत्र बनाने वाले लोगों द्वारा भ्रष्टाचार किया जाता है और परीक्षा पत्रों की बिक्री तक की जाती है : और

(ख) यदि हां, तो इन समाचार पत्रों के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) टाइम्स आफ इंडिया के 10 अक्तूबर, 1974 के अंक में प्रकाशित "टेबुलेशन मैलाइज आन कैम्पस" नामक एक प्रेस रिपोर्ट में, दिल्ली विश्वविद्यालय की वर्षा 1974 में आयोजित परीक्षाओं में कुछ अनियमितताओं की ओर ध्यानाकर्षित किया गया था । दिल्ली विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक ने उक्त आरोपों का एक पत्र में खण्डन किया था जो टाइम्स आफ इण्डिया के 16 अक्तूबर, 1974 के अंक में प्रकाशित हुआ था ।

चावल के प्रति किलो उत्पादन के लिये पानी और उर्वरक का प्रयोग

1913. श्री प्रबोध चन्द्र : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ एशियायी देशों में विशेषतया जापान में एक किलोग्राम चावल के उत्पादन के लिये केवल 600 गैलन पानी का प्रयोग किया जाता है जब कि भारत में इतनी ही मात्रा में चावल के उत्पादन के लिये 1500 गैलन पानी तथा तुलनात्मक दृष्टि से बड़ी मात्रा में उर्वरक का प्रयोग किया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, हां, आमतौर पर उपयुक्त प्रति यूनिट जल और उर्वरक से भारत के मुकाबले जापान अधिक धान पैदा करता है ।

(ख) जापान में अधिक कुशलता से धान उगाने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:—

(1) उष्ण समशीतोष्ण क्षेत्र की धान उगाने की दृष्टि से अनुकूल परिस्थितियां, जो अधिक कारगर शरीर क्रियात्मक प्रक्रिया के लिए अनुकूल होती है तथा जहां जल का बाष्पीकरण बहुत कम होता है ।

(2) वर्षा का अनुकूल वितरण ।

(3) धान की खेती की वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाना, मालिक-किसानों द्वारा उपयुक्त किस्मों का चयन भी शामिल है ।

(4) उच्च स्तरीय कृषि प्रबन्ध, जिसमें—जमीन को समतल बनाना, खेत की गीली जुताई और भूमि को सधन बनाना, नियंत्रित सिंचाई और जल निकास की व्यवस्था उत्स्यन्दन (क्षरण) और रिसाव की रोकथाम, जिस कारण जल और उर्वरक की क्षमता काफी बढ़ जाती है, उर्वरकों और पौद-संरक्षण रसायन जैसे निवेशों का सधन उपयोग और खरपतवारों का कारगर ढंग से नियंत्रण आदि शामिल है । इन अनुकूल कृषि जलवायुवीय परिस्थितियों और उच्च स्तर की कृषि प्रबन्ध व्यवस्था के अन्तर्गत जापान में धान की प्रति हैक्टर औसत पैदावार 5,000 किलो से भी अधिक है, जबकि हमारे देश में मौजूद कृषि परिस्थितियों में कृषकों द्वारा प्राप्त धान की औसत उपज जापान की तुलना में बहुत ही कम है । इसलिए, इस तरह की उच्चस्तर की कृषि प्रबन्ध व्यवस्था और अधिक पैदावार के कारण ही जापान में प्रति यूनिट जल और उर्वरक के प्रयोग से धान का अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाता है ।

जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के लिए आवास बस्तियों के लिए केन्द्रीय सहायता

1914. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में जम्मू और काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में उन आवास बस्तियों के नाम क्या हैं जिनके लिये केन्द्रीय सहायता मंजूर की गई है ; और

(ख) प्रत्येक बस्ती के निर्माण पर कितनी लागत आयेगी और इनका निर्माण कब तक हो जाने की संभावना है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) : जम्मू तथा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब तथा हरियाणा की सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही सभी सामाजिक आवास योजनाएं प्लान के राज्यक्षेत्र में हैं तथा उन की वित्तीय व्यवस्था संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपनी आवश्यकताओं तथा प्राथमिकताओं के अनुसार की जाती है । सभी राज्य क्षेत्र के कार्यक्रमों के लिये राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता जिस में आवास भी शामिल है, "समेकित ऋणों" तथा "समेकित अनुदानों" के रूप में दी जाती है । तथापि, आवास तथा नगर विकास निगम सीमित ने इन राज्यों की कतिपय आवास योजनाएं स्वीकृत की हैं तथा उन का ब्यौरा संलग्न विवरण-पत्र में दिया गया है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 8567/74]**

उत्तर प्रदेश में सामुदायिक विकास खण्ड

1915. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों में उत्तर प्रदेश में सामुदायिक विकास खंडों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) इनकी संख्या में वृद्धि होने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या किसी अन्य राज्य में, मांग किये जाने पर या अन्यथा, सामुदायिक विकास खंडों की संख्या में वृद्धि करने का प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (घ) राज्य सरकारों/केन्द्रशासित क्षेत्रों से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

दिल्ली में अनधिकृत कालनियां

1916. श्री बनमाली पटनायक : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांग्रेस के नेतृत्व में आये एक प्रतिनिधि-मण्डल को प्रधान मंत्री ने अभी हाल में यह आश्वासन दिया था कि 15 जून, 1972 से पहले दिल्ली में निर्मित अनधिकृत बस्तियों को सरकार द्वारा विनियमित कर दिया जायेगा ;

(ख) क्या ईस्ट मोतिया बाग, सराय रोहिल्ला, दिल्ली का निर्माण 15 जून, 1972 से पहले हुआ था ;

(ग) यदि हां, तो क्या प्रधान मंत्री के आश्वासन के अनुसार इस बस्ती को विनियमित करने का सरकार का विचार है ; और

(घ) यदि, नही तो इस के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) 27 अगस्त, 1974 को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस समिति द्वारा आयोजित एक रैली में, प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये संकेत के आधार पर उन सभी अनधिकृत कालोनियों के बारे में जो समय-समय पर और विशेषकर 15 जून, 1972 से पूर्व दिल्ली में बनी हैं, प्रत्येक के मामले में अलग-अलग अध्ययन करने के लिये एक उच्च स्तरीय समिति की स्थापना की गयी है ताकि सरकार उन के भविष्य के बारे में निर्णय ले सके ।

(ख), (ग) तथा (घ) इस समिति की रिपोर्ट के प्राप्त होने के बाद ईस्ट मोतिया बाग, सराय रोहिल्ला को नियमित करने या न करने के प्रश्न पर निर्णय लिया जाएगा ।

गुजरात में विद्यार्थियों में असंतोष

1917. श्री प्रसन्नभाई मेहता : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में विद्यार्थियों में असंतोष निरन्तर बना हुआ है और विद्यार्थियों और शिक्षकों में तालमेल नही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका कारण विद्यार्थियों की अधिकांश मांगों को पूरा न किया जाना है ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार राज्य में विद्यार्थियों में असंतोष के मामले की जांच करने हेतु आयोग नियुक्त करने के बारे में विचार कर रही है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) गुजरात राज्य में इस वर्ष जून-जुलाई में शैक्षिक संस्थाओं के फिर से खुलने के बाद से स्थिति शांतिपूर्ण रही है । केवल स्थानीय संस्थागत समस्याओं के कारण हड़ताल तथा अनुशासनहीनता की कुछ छुट पुट घटनाओं को छोड़कर, राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में शांतिपूर्ण ढंग से कार्य चल रहा है । राज्य सरकार से यह सूचना मिली है कि राज्य सरकार को किसी भी छात्र संघ से कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है । राज्य की शिक्षा संस्थाएं तथा प्राधिकारी, पिछले शैक्षिक सत्र के दौरान छात्रों को हुई अध्ययन की हानि को पूरा करने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं ।

(ग) जी, नहीं ।

वामनपुरम सिंचाई परियोजना

1919. श्री वयालार रवि : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वामनपुरम सिंचाई परियोजना जो पिछले कुछ वर्षों से सरकार के विचाराधीन है, इस समय किस स्थिति में है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस क्षेत्र के विकास और कृषि उत्पादन को बढ़ाने की दृष्टि से यह परियोजना अत्याधिक महत्वपूर्ण है ; और

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना के द्रुत गति से क्रियान्वयन के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) केरल सरकार से वामनपुरम सिंचाई परियोजना की परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय जल आयोग में दिसम्बर, 1973 में प्राप्त हुई थी । आयोग की टिप्पणियां राज्य सरकार को भेज दी गई हैं, जिनके उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) यह परियोजना की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता तथा इसके कार्यान्वयन के लिए धन की उपलब्धि पर निर्भर करेगा ।

केरल औद्योगिक बागान योजना के लिए केन्द्रीय सहायता

1920. श्री वयालार रवि : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति और उससे वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए केरल औद्योगिक बागान योजना प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य बातें क्या हैं और इस पर सरकार ने क्या निर्णय किये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी, नहीं । केरल सरकार ने केरल के सागौन के वनों के समेकित विकास तथा लकड़ी पर आश्रित उद्योगों के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए विश्व बैंक को एक योजना प्रस्तुत की है । विश्व बैंक के दल ने हाल ही में परियोजना क्षेत्रों का दौरा किया है । उसकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है ।

(ख) परियोजना की व्यापक रुपरेखा निम्न प्रकार है :—

(1) सागौन के वनों के 42,000 हैक्टार क्षत्र की इमारती लकड़ी का उपयोग करना ;

(2) आरा मिल, प्लाइवुड मिल, फाइबर और पार्टीकल बोर्ड मिल फर्नीचर प्लांट आदि की स्थापना करना;

(3) लगभग 6500 व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार की व्यवस्था करना ;

(4) छोटे साइज की और घटिया स्टैन्डर्ड की इमारती लकड़ियों का पूरा उपयोग करना ;

(5) लगभग 30 प्रतिशत काष्ठ उत्पादों को विदेशों को निर्यात करने का सुझाव देना ;

(6) अपरिसस्करित बढ़िया हाईवुड के निर्यात को घटाना ;

(7) सहायक उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देना ।

परियोजना का परिव्यय अनुमानत: 107 करोड़ रूपये है । अभी विश्व बैंक इस परियोजना की जांच कर रहा है, अत: विश्व बैंक दल की प्रतिक्रिया का पता नहीं है । यह परियोजना स्वीकृति और आर्थिक सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत नहीं की गई है अत: परियोजना के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी प्रकार का निर्णय करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

खेती के लिये आवश्यक पदार्थों की कमी के कारण खाद्यान्न की कमी

1921. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व के कुछ कृषि विशेषज्ञों का मत है कि मुख्यतया खेती के लिए आवश्यक पदार्थों की कमी और फालतू खादयान्न का हिस्सा बटाने की अनिच्छा के कारण खाद्यान्न की कमी वर्ष 1985 तक निरन्तर बनी रहेगी ;

(ख) क्या यह मत भारत पर भी लागू होता है ; और

(ग) यदि हां, तो खेती के लिए आवश्यक किस-किस पदार्थ को कितनी-कितनी कमी की पता लगा है और उनकी कमी को दूर करने के लिये क्या अल्पावधि तथा दीर्घावधि उपाय किये जा रहे हैं ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) 'विश्व की वर्तमान और भविष्य की खाद्य स्थिति का जायज़ा' शीर्षक दस्तावेज़ जोकि विश्व खाद्य सम्मेलन के लिये तैयार किया गया है, में इस बात का संकेत किया गया है कि खाद्यान्नों की सप्लाई और मांग की हाल की प्रवृत्ति यदि तत्सम्बन्धी नीति में कोई प्रमुख परिवर्तन किये बिना 1985 तक ऐसी ही बनी रहो, तो विश्व की खाद्य स्थिति में गम्भीर असन्तुलन पैदा हो सकता है । विकासशील मंडियों की अर्थ-व्यवस्था में धान्यों की कमी 1985 तक बढ़कर लगभग 850 लाख मीटरी टन प्रति वर्ष हो जायेगी, जबकि इसकी तुलना में 1969/72 में कुल 160 लाख मीटरी टन का आयात किया गया था । इस दस्तावेज में यह बात स्पष्ट की गयी है कि विगत के रुख के आधार पर अनुमानित खाद्यान्नों से बहुत अधिक मात्रा में खाद्यान्न उत्पन्न करने की क्षमता विकासशील देशों में विद्यमान है । इस दस्तावेज और इसके साथ-साथ 'विश्व खाद्य समस्या के समाधान के लिये राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय कार्यवाही के प्रस्ताव' नामक एक अन्य दस्तावेज़ में अधिक क्षमता की प्राप्ति के लिये आवश्यक कुछ कार्यक्रमों को उजागर किया गया है ।

(ख) इस दस्तावेज में भारत का इस दृष्टि से कोई विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन भारत भी सुदूरपूर्व के अन्तर्गत आ जाता है, जिसकी मांग और उत्पादन के बीच असन्तुलन का अनुमान लगाया गया है ।

(ग) 1974-75 के वर्ष के दौरान उर्वरकों की मांग की तुलना में उनकी सप्लाई लगभग 28 प्रतिशत कम होने का अनुमान है । इस स्थिति का सामना करने के लिये कई कदम उठाये गये हैं । इनमें यथा सम्भव अधिकतम मात्रा में उर्वरकों का आयात करना, उर्वरकों की वर्तमान वितरण प्रणाली में सुधार करना और वर्तमान देशी उर्वरक कारखानों से यथा सम्भव अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना शामिल है । इन कदमों से निकट भविष्य में स्थिति में सुधार होने की संभावना है । भविष्य में उर्वरकों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दृष्टि से देश में उर्वरक उद्योग की क्षमता का विस्तार किया जा रहा है । जहां तक कीटनाशी

दवाओं का सम्बन्ध है, कुछ कमी अनुभव की जा रही है । देश में इन का उत्पादन अधिकतम बढ़ाने और विशुद्ध कीटनाशी दवाओं के आयात के लिये कदम उठाये जा रहे है । नई लाइनों पर उत्पादन क्षमता के सृजन पर विचार किया जा रहा है ।

गोआ के ग्रामीण क्षेत्र में पेय जल के लिए परियोजना

1922. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय सरकार ने गोआ के ग्रामीण क्षेत्र में पेय जल सप्लाई सम्बन्धी किसी परियोजना को स्वीकृति दी है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : गोआ, दमण तथा दीव में, 1972-74 के दौरान 417 ग्रामों में से, 28 ग्रामों में नल द्वारा जलपूर्ति की व्यवस्था की गई है । एक अन्य ग्राम जलपूर्ति योजना का कार्य प्रगति पर है । इस कार्य पर कुल व्यय 40.07 लाख रुपये है । पांचवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण जलपूर्ति के लिए 100 लाख रुपये की व्यवस्था है ।

गोआ में बेरोजगार कृषि स्नातक

1923. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोआ में कुल कितने बेरोजगार कृषि स्नातक हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : ठीक ठीक सूचना उपलब्ध नहीं है । तथापि, 31 दिसम्बर, 1973 को गोवा में रोजगार कार्यालयों के मौजूदा रजिस्टर के अनुसार रोजगार के इच्छुक कोई कृषि स्नातक नहीं थे ।

भूमि कटाव संबंधी कार्य के बारे में नेपाल की शिकायतें

1924. **श्री एम० एस० पुरतो :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल ने यह शिकायत की है कि उसके द्वारा आवश्यक मेड़बन्दी करने वाले व्यक्ति और टिम्बर उपलब्ध करने के बावजूद भारत ने भूमि कटाव संबंधी कार्य प्रारंभ नहीं किया है ;

(ख) क्या कोसी के लाभों के बारे में भारतीय सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) से (ग) नेपाल ने 8 अक्तूबर, 1974 के नोट में कोसी नदी के दक्षिण तट पर कटाव की रोक-थाम के लिए कार्यों के किए जाने में देरी की ओर निर्दिष्ट किया है ।

कोसी नदी के दक्षिण तट पर जलपापुर के निकट कटाव की रोक-थाम के लिए एक व्यापक स्कीम स्वीकृत की जा चुकी है और इसपर पहले से ही कार्य किया जा रहा है । निर्मित किए जाने के लिए प्रस्तावित 22 खम्बों में से 8 का पहले ही निर्माण किया जा चुका है और शेष खम्बो के निर्माण में तेजी लाई जा रही है ।

खम्भों के निर्माण के लिए साल की बल्लियों की व्यवस्था नेपाल सरकार द्वारा की जानी है । साल की बल्लियों को काटने के लिए बताया गया स्थान कार्य-स्थल से लगभग 90 मील दूर है और ऐसे दुर्गम स्थान पर है जहां से, विशेषकर वर्षा के दौरान, माल ढोना बहुत ही कठिन है । नेपाल सरकार से अनुरोध किया जा रहा है कि कोई निकटतर स्थान बताएं जहां से उपयुक्त लागत एवं कम कठिनाई से साल की बल्लियां लाई जा सकें ।

कोसी परियोजना के अन्तर्गत नेपाल को होने वाले लाभों से संबंधित वास्तविक स्थिति उपयुक्त अवसरों पर, नेपाल के प्राधिकारियों को विभिन्न स्तरों पर स्पष्ट की जा चुकी है।

मूंगफली का उत्पादन

1925. श्री मधु लिमये : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिलहनों और खाद्य/अखाद्य तेलों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार ने कोई दीर्घ कालिक योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संम्बंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस साल की मूंगफली की फसल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है ;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान मूंगफली के उत्पादन सम्बन्धी तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ; और

(ङ) मूंगफली के तेल और डालडा की कीमतों पर उत्पादन की उक्त कमी का क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी, हां ।

(ख) 94 लाख मीटरी टन के आधार स्तर के उत्पादन को पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 125 लाख मीटरी टन तक बढ़ाने का प्रस्ताव है । यह कार्य अन्य बातों के अलावा तिलहन विकास की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के क्रियान्वयन के माध्यम से किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित बातें शामिल होंगी :—

(1) सघन तिलहन विकास कार्यक्रम ;

(2) नये सिंचित क्षेत्रों में तिलहनों का विस्तार करना ; और

(3) गैर-परम्परागत तिलहनों (सोयाबीन और सूरजमुखी) का विकास करना ।

सघन तिलहन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अपनाई जाने वाली प्रस्तावित नीति में ऐसे चुनींदा राज्यों में, जहां कि उत्पादन तकनोलोजी का अच्छी तरह से विकास हो चुका है और जहां उत्पादन में तेजी से वृद्धि की संभावनाएं मौजूद हैं, प्रत्येक महत्वपूर्ण तिलहन फसलें के सम्बन्ध में क्षेत्र आधार पर पैकेज पद्धति को क्रियान्वित करना शामिल है । पांचवीं योजना के अंत तक इस कार्यक्रम को क्रमिक ढंग से 23,56 लाख हैक्टर क्षेत्र में क्रियान्विति करने का प्रस्ताव है । इस योजना का नए सिंचित क्षेत्रों में विस्तार करने का उद्देश्य यह है कि तिलहनों का ऐसे प्रमुख सिंचाई परियोजना के क्षत्रों में विस्तार किया जाए जहां उनकी खेती की अच्छी सम्भावना उपलब्ध हैं और जहां प्रति हैक्टर अधिकतम

उपज प्राप्त करने के लिए खेती की उन्नत तकनीकों का प्रचार किया जा सकता है। गैर-परम्परागत तिलहनों के विकास के लिये योजना के अन्तर्गत, पांचवीं योजना के अंत तक 4.30 लाख हैक्टर क्षेत्र सोयाबीन के अन्तर्गत और 10.60 लाख हैक्टर क्षेत्र सूरजमुखी के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव है।

पांचवीं योजना में तिलहनों के विकास के लिये केन्द्रीय प्रायोजित योजना की अन्य बातें नीचे दे दीं गई है :—

1. इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाये जाने वाले क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये उन्नत किस्मों के शुद्ध बीजों की नियमित सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिये, प्रमाणित बीज के परिवहन और व्यवस्था पर होने वाले व्यय के एक भाग को पूरा करने के साथ-साथ केन्द्रके और आधार बीज उत्पादन हेतु उदार वित्तीय सहायता देकर आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करना।

2. प्रथम वर्ष कृषकों को पैकेज पद्धतियों का साहित्य और सीड ड्रेसर तथा चुनींदा जिलों के लिये सिफारिश की गई तिलहनों की नई किस्में और तिलहनों की नई फसलों के बीज तथा मिनी किट, आदि मुफ्त सप्लाई किये जायेंगे।

3. कस्टम सेवा आधार पर अथवा वनस्पति रक्षण टुकड़ियों के माध्यम से बड़ी संख्या में वनस्पति रक्षण अभियानों की व्यवस्था करना। इसके लिए तथा वनस्पति रक्षण रसायनों के लेन देन के संबंध में होने वाली हानि के लिये वित्तीय सहायता की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

4. समस्या मूलक प्रदर्शनों की व्यवस्था करना। इन प्रदर्शनों के लिये आदानों की लागत के सम्बन्ध में भी वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव है।

जहां तक अखाद्य तेलों का संबंध है, उनका साबुन तथा वनस्पति घी के निर्माण में अधिक उपयोग करने के लिये पहले ही कुछ वित्तीय प्रोत्साहन दिया जा चुका है।

(ग) 1974-75 के लिये मूंगफली के क्षेत्र और उत्पादन के सही अनुमान अभी उपलब्ध नहीं है। फिर भी, मौजूदा संकेतों के अनुसार, प्रमुख उत्पादक राज्यों के कुछ भागों और विशेष कर गुजरात में दक्षिण पश्चिमी मानसून मौसम में अपर्याप्त और कम वर्षा होने की वजह से मूंगफली की फसल पर कुप्रभाव पड़ने की सूचना मिली है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान, मूंगफली के उत्पादन के अनुमान नीचे दे दिये गये है:—

वर्ष	उत्पादन ('000 मीटरी टन)
1971-72	6181
1972-73	1092
1973-74	1798

(ङ) मूंग फली के तेल की कीमतों पर देश में तिलहनों की फसलों की बुवाई के क्षेत्र तथा अन्य अनेक कारणों का प्रभाव पड़ता है। खरीफ की फसल के तिलहनों के ठीक-ठीक अनुमान अभी उपलब्ध नहीं है और रबी की फसल के तिलहनों के उत्पादन के बारे में

कोई अनुमान लगाना भी अभी सम्भव नहीं है, अतः यह अनुमान लगाना अभी सम्भव नहीं है कि उत्पादन का मूंगफली के तेल की कीमतों पर वनस्पती घी की तैयारी के लिए मूंगफली के तेल का प्रयोग होता है अतः मूंगफली के मूल्य में होने वाले उतार चढ़ाव का भी इस जिन्स के मूल्य पर असर पड़ेगा ।

पेय जल के लिए परियोजना

1926. **श्री श्रीकिशन मोदी :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में पेय जल की सप्लाई सम्बन्धी किसी परियोजना को केन्द्रीय सरकार ने मंजूरी दी है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां ।

(ख) त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम को केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 1972-74 के दौरान 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से आरम्भ किया गया था । राजस्थान सरकार को 300 लाख रुपये की रकम दी गई थी । नल द्वारा जलपूर्ति की 10 योजनाएं तथा हैंड-पम्पों वाले 1126 नलकूप तैयार कर दिए गए हैं । राजस्थान के लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी विभाग के मुख्य इंजीनियर, द्वारा 300 लाख रुपये का व्यय बताया गया है । कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय के नियंत्रणाधीन "सूखा प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम" नामक एक अन्य केन्द्रीय कार्यक्रम में, 242 ग्रामों के लिए 335 लाख रुपये की अनुमानित लागत की नल द्वारा जलपूर्ति की 29 योजनाओं की व्यवस्था है । 31 जुलाई, 1973 तक लगभग 168 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं ।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण जलपूर्ति को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में शामिल किया गया है जो कि राज्य क्षेत्र में है और इसलिए इन दो कार्यक्रमों के अन्तर्गत निष्पादित की जा रही योजनाओं के शेष कार्य को राज्य क्षेत्र में हस्तांतरित कर दिया गया है ।

राजस्थान में बेरोजगार कृषि-स्नातक

1927. **श्री श्रीकिशन मोदी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में बेरोजगार कृषि-स्नातकों की कुल संख्या कितनी है ; और

(ख) क्या उन्हें अपने आपको स्वनियोजित करने के लिये कोई प्रोत्साहन दिया गया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) ठीक-ठीक सूचना उपलब्ध नहीं है । तथापि, 31 दिसम्बर, 1973 को राजस्थान में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर के अनुसार रोजगार के इच्छुक 457 कृषि स्नातक थे । इनमें 8 इंजीनियरी स्नातक और 57 स्नातकोत्तर उम्मीदवार भी शामिल हैं ।

(ख) कृषि विभाग ने इंजीनियरों तथा कृषि स्नातकों आदि को स्वतः रोजगार की सुविधायें प्रदान करने के लिये कृषि सेवा केन्द्र स्थापित करने की एक योजना स्वीकृत की है । इस सम्बन्ध में राज्य सरकार और अन्य संगठनों द्वारा दिए गए प्रोत्साहनों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर यथा-शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

नई दिल्ली के डी० आई० जेड० क्षेत्र के सेक्टर 'डी' में नलकूप का निर्माण

1928. **श्री नवल किशोर सिंह** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के डी० आई० जेड० क्षेत्र के सेक्टर 'डी' तथा अन्य इलाकों की जरुरतों को पूरा करने के लिये एक नलकूप का निर्माण किया गया है ;

(ख) क्या वहां बिजली का कनेक्शन दिया गया है और यदि हां, तो कब ;

(ग) क्या नई दिल्ली नगरपालिका निर्माण कार्य का पूर्णतया प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया गया है और यदि हां, तो कब ;

(घ) क्या नलकूप इस बीच चालू हो गया है और यदि हां, तो कब ; और

(ङ) अगर नलकूप अब तक चालू नहीं हुआ है, तो इसके क्या विशिष्ट कारण है, जबकि वहां कि निवासियों को पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है और उक्त विलम्ब के लिये कौन जिम्मेदार है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां, 14-10-1974 को ।

(ग) जी, हां, 7-10-1974 को ।

(घ) अभी नहीं ।

(ङ) सरकार को पानी की कमी के बारे में मालूम है ; इसलिए नलकूप खोदा गया तथापि, नलकूप का पानी अभी प्रयोग में नहीं लाया गया क्योंकि सामान्यत: प्रथा यह है कि सर्वप्रथम काफी समय तक पम्प चलाकर नलकूप को जलराशि को बढ़ाना है उसके बाद उसे चालू करने के पूर्व इसके पानी का पीने की दृष्टि से परीक्षण करना है । इसमें कुछ समय लगता है । पानी के नमूने परीक्षण के लिए नई दिल्ली नगरपालिका को भेज दिये गए है । जैसे ही इसे पीने योग्य माना जायेगा , पानी की सप्लाई शुरु कर दी जायेगी । इसमें विलम्ब का अथवा उत्तरदायित्व निश्चित करने का कोई प्रश्न नहीं है ।

अक्तूम्बर, 1974 के दौरान अनाज की जमाखोरी के लिए 'आंसुका' और भारत रक्षा नियमों के अधीन किसानों की गिरफ्तारी

1929. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि अक्तूबर, 1974 के दौरान प्रत्येक राज्य में अनाज की जमाखोरी के लिये 'आंसुका' और 'भारत रक्षा नियमों' के अधीन कितनी संख्या में बड़े, बडे किसानों को गिरफ्तार किया गया ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिंदे) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

गुजरात में बेरोजगार कृषि-स्नातक

1930. श्री डी० डी० देसाई : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में बेरोजगार कृषि-स्नातकों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) क्या उनके स्व-नियोजन के लिये उन्हें कोई प्रोत्साहन दिया गया है; और

(ग) क्या उन्हें उर्वरक एजेंसियां भी दी गई हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) ठोक-ठोक सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, 31 दिसम्बर, 1973 को गुजरात में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर के अनुसार रोजगार के इच्छुक 270 कृषि स्नातक थे, जिनमें 4 स्नातकोत्तर उमीदवार भी शामिल हैं।

(ख) और (ग) कृषि विभाग ने इंजीनियरों और कृषि स्नातकों आदि को स्वत: रोजगार की सुविधाएं प्रदान करने के लिए कृषि सेवा केन्द्र स्थापित करने की एक योजना स्वीकृत की है। इस संबंध में राज्य सरकार और अन्य संगठनों द्वारा दिए गए प्रोत्साहनों तथा उन्हें दी गई उर्वरक एजेंसियों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

तमिलनाडु के सहकारी चीनी कारखानों द्वारा गन्ने की कीमत अदायगी

1931. श्री एम० आर० लक्ष्मीनारायण : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973-74 के मौसम के लिये तमिलनाडु के सहकारी चीनी कारखानों द्वारा प्रोत्साहन और सहायता सहित गन्ने की प्रति टन कीमत की अदायगी के बारे में तमिलनाडु सरकार ने क्या निर्णय किया ;

(ख) प्रत्येक कारखाने के लिये क्या किमत निर्धारित की गई है और इसका क्या फार्मूला है; और

(ग) क्या इस बारे में किये गये निर्णयों को सहकारी समितियां क्रियान्वित कर रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खा) : (क) और (ख) तमिलनाडु सरकार ने 1973-74 के लिए सहकारी चीनी फैक्ट्रियों द्वारा देय गन्ने के निम्नलिखित अन्तिम मूल्य 16 नवम्बर, 1974 को सूचित किए हैं :-

फैक्ट्री का नाम	गन्ने की प्रति मी० टन मूल्य (रुपयों में)
1. अम्बर	137.00
2. मधुरथकम	135.00
3. अमरावथी	118.00
4. सलेम	118.00
5. कल्लाकुरीची	113.00
6. नैशनल	102.50
7. धर्मपुरी	106.00

इन मूल्यों को निर्धारित करने के लिए यदि कोई फार्मूला अपनाया गया हैं, उसके बारे में तमिलनाडु सरकार से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई।

(ग) राज्य सरकार द्वारा उपर्युक्त फैक्टरियों को केवल 31 अक्तूबर, 1974 को सूचित किए गए अन्तिम मूल्यों को फैक्ट्रियों द्वारा अभी लागू करना है ।

Allotment of Fertiliser Quota for Rabi and Kharif Crop

1932. Shri Ramavtar Shastri : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the fertilisers quota allotted to various States this year for Kharif crops; and

(b) the scheme chalked out by the Government for supplying fertilisers to various States for Rabi compaign and the details thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Prabhudas Patel) : (a) A statement showing the net approved requirements and the allocations of fertiliser made in favour of various States during Kharif 1974 (Fevruary-July, 1974) is attached at Annexure 'A'. [*Placed in the Library. See No. LT*—8568/74]

(b) The net requirements of the States keeping in view their agricultural production programme for the Rabi season (August, 74 to January, 1975) were assessed in Zonal Conferences before the start of the season. The suppiles to be made by the manufacturers to different States were also decided in keeping with a rational distribution plan in which various factors like the logistics of railway operations and the economic marketing zones of the factories etc. were kept in view. Thereafter the percentage of availability of fertiliser in the country from domestic and imported sources to the total net approved requirement of all the States etc. was worked out. Keeping in view this level of availability, the overall share of each State (from the Central Fertiliser Pool and manufacturers) was determined, by and large, proportionately. From this, the supply promised to be made by domestic manufacturers to each State, in the Zonal Conference, was deducted and the balance allotted from the Pool. The allocations made from the manufacturers have been notified under the Essential Commodities Act to enable the State Governments to enforce the supply. The allocations from the manufacturers and allotments from the Pool have been issued against two quarters of the 6 month period i.e., August-October, 1974 quarter and November, 1974-January, 1975 quarter. The position of supplies both by manufacturers and by Pool is watched regularly to see that various oprational difficulties of transport etc., if any, are sorted out from time to time and maximum supplies are made as quickly as possible. For this purpose a close liaison is maintained with the State Governments, their agencies, the port authorites, railways, Ministry of Transport, Railway Board and others concerned.

फोर्ड ट्रैक्टरों की कीमत में कमी

1933. श्री रण बहादुर सिंह : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों द्वारा अभ्यावेदन किये जाने पर निर्माताओं द्वारा वसूल की जाने वाली फोर्डट्रैक्टरों की मूल कीमत में सरकार ने कमी कर दी थी; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Move to make Self-Sufficiency in Food—a Central Responsibility

1934. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether India could not become self-reliant in the matter of food even after 27 year of independence and several schemes; and

(b) if so, whether Central Government propose to make it a Central subject so that the Central Government could formulate schemes without depending on States?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Prabhudas Patel) : (a) Significant progress in production of foodgrains has been made in India since independence. Compared to the level of 60.8 million tonnes (adjusted) in 1949-50 (Base level of First Five Year Plan), foodgrain production reached 108·4 million tonnes in 1970-71. In that year the country was self-sufficient in foodgrains; in fact the internal procurement of foodgrains exceeded the total public distribution in 1971. However, because of adverse weather conditions and consequent set-back to production in the subsequent years, the country has had to import some quantities of foodgrains to meet the requirements of public distribution system. In the Draft Fifth Year Plan, a target of 140 million tonnes by 1978-79 has been envisaged to meet the internal demand as also to provide a cushion for building up of a buffer-stock.

(b) There is no such proposal at present.

समय पूर्व लाभप्रद मूल्य नियत करने के कारण गन्ने का उत्पादन कम होना

1936. श्री डी० के० पंडा :

श्री मान सिंह भौरा :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मौसम से पूर्व ही गन्ने के लिए "लाभप्रद मूल्य" नियत न करने के कारण गन्ना उत्पादन कम हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इन समस्याओं को हल करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Irrigation programme to meet Drought conditions

1937. Shri Shrikrishna Agrawal : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether in view of the recent drought conditions in the country, any specific irrigation programme has been prepared in each State in consultation with them; and

(b) if so, the facts thereof?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) and (b) No Sir. No such specific irrigation programme has been prepared in each State in consultation with them. However, in view of the drought situation, concerted efforts, in consultation with the State Governments are being made to supply electric power and diesel oil for irrigation pumping on a priority basis. Also irrigation system are being kept in good condition for making maximum use of existing irrigation facilities and maximum emphasis is being laid on the utilisation of the potential already created.

Rajasthan Canal

1938. Shri M. C. Daga :
Dr. Karni Singh :

Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether the work on Rajasthan canal is likely to be expedited in order to give employment to lakhs of people ; and

(b) whether the Centre propose to provide special financial assistance to the State Government to complete this work expeditiously and if so, the extent thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri K. N. Singh) : (a) The State Government have allocated an additional amount of Rs. 5.24 crores over and above the approved outlay of Rs. 9.5 crores during the current financial year for the Rajasthan Canal Project for providing employment to about 1 lakh famine labour.

(b) The matter is under consideration. However final decision can be expected only at the time of finalization of the Fifth Plan.

खाद्य स्थिति पर पश्चिम बंगाल की सरकार के साथ बातचीत

1939. श्री एम० एस० पुरती :
श्री शक्ति कुमार सरकार :
श्री शंकर नारायण सिंहदवे :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही में पश्चिम बंगाल का दौरा किया था तथा खाद्य स्थिति पर मुख्य मंत्री तथा राज्य सरकार के मंत्रीमण्डल के सदस्यों के साथ बातचीत की थी ;

(ख) इस बातचीत का क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) इस बैठक की आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिंदे): (क) से (ग) केन्द्रीय कृषि एवं सिंचाई मंत्री ने अक्तूबर, 1974 के अन्तिम सप्ताह के दौरान कलकत्ता का दौरा किया था और उन्होंने राज्य में खाद्य-स्थिति के बारे में राज्य के खाद्य मंत्री के साथ विचार-विमर्श किया था । राज्य में खाद्य स्थिति के बारे में सामान्य रूप से चर्चा की गई थी और केन्द्रीय सरकार ने अक्तूबर और नवम्बर 1974 के लिए गेहूं का अधिक कोटा मंजूर किया था और यह भी निर्णय किया कि राज्य के खाद्य के कोटे के प्रति बोझ के प्रयोजन हेतु 10,000 मीटरी टन गेहूं के आबंटन का समायोजन न किया जाए ।

जल-दूषण पर नियंत्रण के लिये केन्द्रीय बोर्ड की स्थापना

1940. श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :
श्री राम सहाय पांडे :
श्री एन० ई० होरो :
श्री गजाधर माझी :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जल दूषण को रोक थाम करने तथा इसके लिए नियंत्रण के लिए एक उच्च स्तरीय केन्द्रीय बोर्ड की स्थापना करने की घोषणा की है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके कृत्य क्या होंगे और इसका प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया जाएगा ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां ।

(ख) बोर्ड का मुख्य कार्य राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में नदियों तथा कुओं की सफाई को बढ़ावा देना है ; इसके अतिरिक्त, यह निम्नलिखित कार्य करेगा :—

(1) जल प्रदूषण को रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार को सलाह देना ;

(2) राज्य बोर्ड के कार्यकलापों का समन्वय करना तथा उनके आपसी झगड़े निपटाना ;

(3) राज्य बोर्डों को तकनीकी सहायता तथा मार्गदर्शन प्रदान करना, जल प्रदूषण तथा रोकथाम नियंत्रण अथवा जलप्रदूषण के निवारण के सम्बन्ध में अन्वेषण तथा अनुसन्धान करना तथा उनको प्रवर्तित करना ;

(4) जल प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण अथवा निवारण के कार्यक्रमों में लगे अथवा लगाये जाने वाले व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाना तथा उसका आयोजन करना ;

(5) जल प्रदूषण की रोकथाम तथा नियंत्रण सम्बन्धी विस्तृत कार्यक्रम का जनप्रचार के जरिए आयोजन करना ;

(6) जल प्रदूषण तथा उसके रोकथाम और नियंत्रण के लिए की गई कार्यवाही व सम्बन्ध में तकनीकी तथा सांख्यिकी ब्यौरा एकत्र करना, संकलन करना तथा उसका प्रकाशन करना और मल तथा व्यवसायिक अपशिष्टों के व्ययन तथा संसाधित करने के सम्बन्ध में मेनुअल, संहिता अथवा मार्ग निर्देशन तैयार करना तथा उससे सम्बन्धित सूचना का वितरण करना ;

(7) सम्बन्धित राज्य सरकार के परामर्श से नदी अथवा कुएं के मानक निर्धारण करना, उन्हें संशोधित अथवा रद्द करना ;

(8) जल प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण अथवा निवारण के लिए देशव्यापी कार्यक्रम आयोजित करना तथा उनका निष्पादन करवाना ;

केन्द्रीय बोर्ड, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट के अलावा, कोई विशेष रिपोर्ट नहीं देगा ।

तमिल नाडु में कारखानों द्वारा गन्ने के लिए दिये गये मूल्य में अन्तर

1941. श्री एम० आर० लक्ष्मीनारायण : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में सहकारी चीनी कारखानों और गैर-सरकारी क्षेत्र के चीनी कारखानों द्वारा वर्ष 1972–73 के मौसम के लिए दिए गए गन्ने के प्रति टन मूल्य में बहुत अन्तर है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस अन्तर को दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) तमिलनाडु में सहकारी चीनी फैक्टरियों ने निजी क्षेत्र की फैक्टरियों की तुलना में गन्ने का अधिकांशतः अधिक मूल्य दिया है ।

(ख) सहकारी फैक्ट्रियां सामान्यतया गन्ने का अपेक्षाकृत अधिक मूल्य देने की स्थिति में है क्योंकि गन्ना उत्पादक स्वयं ही शेयरधारी होते हैं ।

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा अपनी जिम्मेदारी से निर्धारित किए गए गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य से ऊंचे मूल्यों का भुगतान किसी फैक्ट्री द्वारा स्वेच्छिक रूप से नहीं किया जाता है।

Central Grants to Public Schools

1942. Shri Nathu Ram Ahirwar : Will the Minister of **Education, Social Welfare and culture** be pleased to state :

(a) the number of public schools in the country and the amount of grants given by the Central Government to each of these schools ;

(b) the category of people whose children get the opportunity to study in these schools) and

(c) whether children of only high officials and rich people can get admission in these schools and the children of middle class people and those the economically weak classes cannot get admission there ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) Public schools are taken to be those schools which are members of the Indian Public Schools Conference. The number of public schools in the country is 48. This figure includes 5 military schools and 13 sainik schools. The five military schools are entirely financed by the Ministry of Defence as a welfare measure for J.C.Os./other ranks whose children are being provided residential public school education at practically nominal cost. The sainik schools are not in receipt of any direct grant but the Ministry of Defence provides three Service Officers, namely, Principal, Headmaster and Registrar who are paid by the Ministry of Defence. The other public schools are not in receipt of any maintenance grant from the Central Government.

(b) & (c) All categories of people can get their wards admitted to sainik schools provided they qualify Sainik School Entrance Examination conducted by the Sainik Schools Society. In the military and sainik schools, boys come from middle classes and economically weak sections of the society. As far as other public schools are concerned, admission is open to all irrespective of the caste, creed or State considerations, where parents can afford to pay for them. Some schools have introduced scholarship schemes to take in boys/girls from low income group. The Ministry of Education have also instituted a Scheme of Scholarships in approved Residential Secondary Schools under which 500 awards are made every year to selected children whose parents' income does not exceed Rs. 500/- per month to enable them to receive education in Public/Residential Schools. Out of the scholarships awarded by the Ministry of Education, 15% and 5% scholarships are also reserved for Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates respectively.

खाद्य की कमी का डेरी परियोजनाओं पर प्रभाव

1943. श्री आर० बी० स्वामीनाथन :

श्री धामनकर :

श्री वसन्त साठे :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व व्यापी खाद्य कमी ने भारत के डेरी परियोजनाओं सम्बन्धी कार्यक्रम पर भारी प्रभाव डाला है ;

(ख) क्या भारत ने वर्ष 1975 में राष्ट्रीय दुग्ध सप्लाई के लिए एक बड़ी परियोजना की योजना बनाई है ;

(ग) यदि हां, तो दुग्ध परियोजना के कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) विश्वव्यापी खाद्य कमी के कारण इसमें कितनी कटौती हुई है तथा उसको कब आरम्भ किया जाएगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) :(क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

Unauthorised construction on Government Land in Delhi

1944. Shri Prabodh Chandra :

Shri Shrikrishna Agrawal :

Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether some persons have unauthorisedly constructed shops and houses on Government land and main road in approved portion of Saraswati Garden Colony, New Delhi;

(b) if so, the action taken so far to demolish such unauthorised constructions and the difficulty faced by the Government to demolish unauthorised constructions on Government land in an approved Colony; and

(c) whether some stringent action will be taken against those responsible for raising unauthorised constructions on Government land?

The Minister of State in the Ministry of Works & Housing (Shri Mohan Dharia): (a) Unauthorised construction of houses has taken place on the lands earmarked for community facilities, link roads and a part of Master Plan 'green' in the approved portion of Saraswati Garden Colony, New Delhi. The lands have not yet been acquired by Government.

(b) & (c) Action under the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 has been initiated against these unauthorised constructions.

दिल्ली/नई दिल्ली में किराये के मकानों में रहने वाले परिवार

1945. कुमारी कमला कुमारी : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और नई दिल्ली में किराए के मकानों में कुल कितने परिवार रह रहे हैं ;

(ख) वर्ष 1977 तक निर्धन तथा मध्यम श्रेणी के लोगों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के कुल कितने फ्लेट उपलब्ध हो जाएंगे ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) 1971 की जनगणना के सम्बन्ध में एकत्र किए गए अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली के शहरी और ग्रामीण क्षत्रों में, 4,00,494 परिवार किराए के मकानों में रह रहे थे ।

(ख) सीमेन्ट तथा अन्य निर्माण सामग्री की अनिश्चित सप्लाई के कारण कोई सही अनुमान लगाना संभव नहीं है । तथापि, साधनों तथा भवन-निर्माण सामग्री की उपलब्धता पर निर्भर रहते हुए, पांचवी योजना अवधि के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण का 50,000 से 70,000 के बीच मकान निर्माण करने का प्रस्ताव है ।

शिशु कल्याण सम्बन्धी समिति

1946. **श्री मधु लिमये :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शिशुओं के कल्याण सम्बन्धी सब पहलुओं का अध्ययन करने के लिये एक समिति स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो समिति को सम्भावित निर्देश पद क्या होंग ; और

(ग) यदि नहीं तो उक्त समस्या के अध्ययन के लिए समिति स्थापित न करने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण मंत्रालय और संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इस समस्या का पहले ही अध्ययन किया जा चुका है। अब इस प्रकार की समिति की आवश्यकता नहीं है। तो भी, जैसा कि बालकों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय नीति पर 22 अगस्त, 1974 के संकल्प, जिसे संसद के दोनो सदनों के पटलों पर 26 अगस्त, 1974 को रखा गया था, के पैरा 5 में दिया गया । कि बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए की जाने वाली अनेक प्रकार की सेवाओं के आयोजन पुनर्विलोकन और उचित समन्वय हेतु एक फोक्स और एक संच की व्यवस्था करने के लिए शीघ्र ही एक राष्ट्रीय बाल बोर्ड की स्थापना की जाएगी ।

देश में उत्पादित तथा आयातित दुग्ध चूर्ण

1947. **श्री मधु लिमये :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1973–74 के दौरान दुग्ध तथा सपरटा दुग्ध चूर्ण का कितना आयात किया गया था ;

(ख) इसका देश में कुल कितना उत्पादन हुआ था ; और

(ग) क्या दुग्ध तथा सपरेटा दुग्ध दोनों के आयातित दुग्ध चूर्ण तथा देश में उत्पादित दुग्ध चूर्ण के मूल्यों में भारी अन्तर है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) वर्ष 1973–74 के दौरान 26,846.89 मीटरी टन सपरेटा दूग्ध चूर्ण (जिसमें विश्व खाद्य कार्यक्रम की सप्लाई उपहार, वाणिज्यिक आयात आदि शामिल है) और 2851.50 मोटरी टन दुग्ध चूर्ण आयात किया गया था ।

(ख) वर्ष 1973–74 के दौरान 10,615 मोटरी टन सपरेटा दुग्ध चूर्ण और शुद्ध दुग्ध चूर्ण का उत्पादन हुआ ।

(ग) जी हां, बीमा भाड़ा सहित आयातित सपरेटा दूग्ध चूर्ण का मूल्य 7,000 रुपये प्रति टन और 8,955 रुपये के बीच रहा है। देशी सपरेटा दुग्ध चूर्ण का मल्य 16,000 रुपय प्रति मीटरी टन तथा 18,000 रुपये प्रति मोटरी टन के बीच रहा। इसमें कर भी शामिल हैं और देशीय दुग्ध चुर्ण का मूल्य 18,000 रुपये प्रति मोटरी टन और 21,000 रुपये प्रति मोटरी टन (जिसमे कर भी शामिल है) के बीच रहा है। शुद्ध दुग्ध चूर्ण वाणिज्यिक आधार पर आयातित नहीं किया गया और 1973–74 के दौरान प्राप्त किया गया माल उपहार तथा दान के रूप में था अतः उसके मूल्य के बारे में बताना सम्भव नहीं है ।

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा सप्लाई की जाने वाली दूध की मात्रा तथा उसकी किस्म

1948. श्री मधु लिमये : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा प्रतिदिन कुल कितनी मात्रा में दूग्ध की सप्लाई की जाती है ;

(ख) क्या यह सच है कि सप्लाई किया जाने वाला दूध वास्तव में अपने में पूर्ण दूध नहीं है अपितु चूर्ण वाला सप्रेटा दूध है जिसमें बहुत कम चिकनाई है ;

(ग) दूध में वास्तव में क्या क्या तत्व होता है तथा वितरण किये जाने वाले दूध में सप्रेटा, चूर्ण दूध चिकनाई तथा अपने में पूर्ण दूध का क्या अनुपात है ; और

(घ) क्या सप्लाई किए जाने वाले दूध का कोई रासायनिक परिक्षण किया गया है तथा रासायनिक परीक्षण का क्या परिणाम निकला है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) दिल्ली दुग्ध योजना समय प्रतिदिन लगभग 3,07,000 लिटर दूध वितरित कर रही है ।

(ख) तथा (ग) योजना निम्नलिखित किस्मों का दूध वितिरत कर रही है :—

1. विशेष टोन्ड दूध (3.5 प्रतिशत चर्बी तथा 7.5 प्रतिशत एस एन एफ)

2. डबल टोन्ड दूध (1.5 प्रतिशत चर्बी और 9.0 प्रतिशत एस एन एफ)

दूध की कमी के महीनों में या दूग्ध क्षरण के पहले, जब दिल्ली दुग्ध योजना के दूग्ध क्षेत्रों में दुध का उत्पादन कम होता है, उस समय अनेक कौशिशों बावजूद काफी मात्रा में तरल दूध प्राप्त करना असम्भव हो जाता है । परन्तु अपने ग्राहकों को दूध की सप्लाई करने के लिए दिल्ली दुग्ध योजना वचन बद्ध है, अत: ताज दूध में बटर फट और सप्रेटा दुग्ध चूर्ण मिलाना जरूरी हो जाता है । ताजेदूध में कितना बटर आयल और कितना सप्रेटा दुग्ध चूर्ण मिलाया जाता है यह ताजे दूध की सप्लाई पर निर्भर करता है और प्रत्येक मौसम में अलग अलग मात्रा में मिलाया जाता है । किन्तु चर्बी और एस एन० एफ तत्व पी० एफ० ए० के नियमों के अनुसार मिलाए जाते हैं ।

(घ) बोतल में भरने और उसे वितरण के लिये ठीक प्रमाणित करने से पहले दूध के प्रत्येक लाट की रासायनिक तथा बक्टेरिया सम्बन्धी जांच की जाती है । रासायनिक दृष्टि से दूध से निम्नलिखित तत्वमौजूद होते हैं :

विशेष टोन्ड दूध	डबल टोन्ड दूध
चर्बी— 3.5 से 3.6 प्रतिशत	1.55 से 1.65 प्रतिशत
एस एन एफ —8.55 से 8.7 प्रतिशत	9.0 से 9.2 प्रतिशत
खटाई—0.10 स .12 प्रतिशत	.10 से .12 प्रतिशत
एम० बी० आर०—4 से 6 घण्टे	4 से 6 घण्टे
फास्फिट परीक्षण—नहीं	नहीं ।
	ऐसा कोई दूध वितरण के लिए निर्मुक्त नहीं किया जाता जो निर्धारित क्वालिटी के स्टैंडर्ड पर पूरा न उतरता हों ।

अमरीकी विद्वानों द्वारा भारत में शैक्षिक संस्थाओं में व्याख्यान दिया जाना

1950. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीका के उन विद्वानों के नाम तथा ब्यौरे क्या हैं जिन्होंने वर्ष 1973 और 1974 में भारत का दौरा किया था विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं में व्याख्यान दिए थे ;

(ख) इन अमरीकन विद्वानों ने किन-किन शैक्षिक शिक्षाओं का दौरा किया था; और

(ग) उन्होंने किन किन विषयों पर व्याख्यान दिए थे ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और विवरण सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

सरकार के पास अनाज का भंडार

1951. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष सितम्बर के अन्त तक सरकार के पास खाद्यान्न का कितना भंडार था ;

(ख) तब से देश में वसूली द्वारा कितना खाद्यान्न उसमें और जमा किया गया तथा आगामी महीनों में कितना खाद्यान्न और वसूल किये जाने की सम्भावना है ;

(ग) क्या सरकारी वितरण व्यवस्था की आवश्यकता की तुलना में यह बहुत कम होगा ; और

(घ) यदि हां, तो देश में इसकी वसूली में तेजी लाकर तथा आयात द्वारा इसकी सप्लाई बढाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिंदे) : (क) से (घ) सितम्बर 1974 के अन्त को सरकार के पास खाद्यानों का अनुमानित प्रत्यक्ष स्टाक 28 लाख मी० टन था । अक्तूबर 1974 के दौरान एक लाख मी० टन से थोड़े अधिक खाद्यानों की आन्तरिक अधिप्राप्ति हुई थी । खरीफ की अधिप्राप्ति का मौसम अभी हाल ही में शुरू हुआ है और राज्य सरकारों के परामर्श से खरीफ विपणन मौसम 1974–75 के लिए खरीफ के अनाजों की अधिप्राप्ति के लक्ष्यों को तैयार किया जा रहा है । हालांकि आगामी महीनों के लिए सरकारी वितरण प्रणाली की आवश्यकताओं और कितनी कमी होगी के ठीक-ठीक मात्रात्मक अनुमान लगाना अभी सम्भव नहीं है, तथापि, अन्तरिक अधिप्राप्ति में तेजी लाकर और विदेशों से यथावश्यक खाद्यान्नों का आयात कर खाद्यान्नों की सप्लाई में वृद्धि करने की दिशा में पग उठाए जा रहे हैं । अधिप्राप्ति में तेजी लाने से सम्बन्धित जो पग उठाए जा रह हैं; उसमें ये शामिल हैं : किसानों को प्रोत्साहन मूल्य देना, किसानों से सीधी खरीदारी करना, अधिप्राप्ति को, उर्वरकों और अन्य आवश्यक वस्तुओं के साथ जोड़ना, उत्पादकों पर लेवी लगाना, उत्पादकों/व्यापारियों पर स्टाक रखने की सीमा लगाना, आदि । जहां तक आयात करने का सम्बन्ध है, चालू वर्ष में विदेशों से 35 लाख मी० टन खाद्यान्नों की खरीदारी पहले ही की जा चुकी है । सरकारी वितरण प्रणाली को बनाए रखने के लिए विदेशों से यथावश्यक मात्रा में खाद्यान्नों की खरीदारी की व्यवस्था की जा रही है ।

नदियों में पानी के बटवारे के बारे में भारत बंगला वार्ता

1952. **श्री एस० आर० दामाणी :**

श्री रानेन सेन :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नदियों के पानी के बटवारे के बारे में भारत बंगला वार्ता की क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या फरक्का बांध का चालू होना स्थगित किए जाने की कोई सम्भावना है ; और

(ग) यदि हां तो जिन बातों पर समझौता नहीं हुआ वे कौन सी है और इन मामलों को कैसे और कब तय कर लिया जाएगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) और (ख) मई, 1974 में भारत तथा बंगलादेश के प्रधान मंत्रियों के बीच हुए विचार-विमर्श के दौरान दोनों पक्षों ने अपना-अपना निश्चय व्यक्त किया था कि फरक्का परियोजना को चालू करने से पूर्व, गंगा में न्यूनतम बहाव उपलब्ध होने की अवधियों के दौरान दोनों को मान्य जल आबंटन कर लेंगे । उसके बाद और बात-चीत नहीं हुई है । पोषक नहर पर कार्य अनुसूचित के अनुसार हो रहा है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Taking over of Agriculture and Irrigation as Central Subjects

1953. Shri K. M. Madhukar : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Government have decided that the subjects of agriculture and irrigation will be taken over by the Centre ;

(b) if so, whether Government have taken some steps to implement this decision indicating the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) "Agriculture" and "Irrigation are State subjects under List II (State List) of the Seventh Schedule to the constitution. The matter regarding their transfer to the Centre has not come up for consideration of the Government of India in the recent past.

उत्तर-पूर्व मानसूनों का फसलों पर प्रभाव

1954. श्री बी० बी० नायक : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में उत्तर पूर्व में अनुकूल वर्षा के कारण रबी की फसल की सम्भावनाएं क्या हैं ; और

(ख) उत्तर-पूर्व में इस व्यापक वर्षा का खरीफ फसल पर क्या विपरित प्रभाव पड़ा है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल): (क) सितम्बर-अक्तूबर के दौरान उत्तर पूर्वी मान्सून के अनुकूल होने से रबी की फसलों की सम्भावनाओं में सुधार हो गया है । राज्य सरकारों को सलाह दी गई थी कि वे रबी को चालू मौसम के दौरान विस्तृत क्षेत्र में चना, गेहूं तथा तिलहनों की, बूवाई कराने की व्यवस्था करें । उन क्षेत्रों में जहां प्राय: केवल खरीफ की फसलें ही उगाई जाती हैं वहां दूसरी फसल उगाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं । उर्वरकों के ठीक प्रयोग के लिए सिंचित क्षेत्रों में ही नहीं बल्की असिंचित क्षेत्रों में भी उर्वरकों की ठीक मात्रा और उचित पद्धतियों तथा इस्तेमाल करने के समय के बारे में किसानों को सलाह दी गई है क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में मिट्टी में नमी मौजूद हो तो उर्वरकों को प्रयोग से अच्छी उपज होने की सम्भावना है ।

(ख) धान की पछेती फसलों को छोड़कर इस अवधि में उत्तर-पूर्वी राज्यों में अधिकांश खरीफ फसलें परिपक्व अवस्था में थी। इस प्रकार बाद को वर्षा से धान की पछेती फसल को भारी सहायता मिली है और परिपक्व फसलों पर मामूली प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

मत्स्य उद्योग में विदेशी सहयोग

1955. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विदेशी फर्मों ने भारत में मत्स्य उद्योग में सहयोग करने की इच्छा प्रकट की है ;

(ख) यदि हां, तो उन विदेशी फर्मों के नाम क्या हैं और उन भारतीय फर्मों के नाम क्या हैं जिनके साथ करारों को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ग) उन फर्मों के नाम क्या हैं जो अभी बात चीत कर रही हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

खाद्य की कमी का अनुमान लगाने का सूत्र

1956. **श्री अरविन्द एम० पटेल** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किसी राज्य विशेष में खाद्यान्न की कमी का किस प्रकार अनुमान लगाया जाता है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : खाद्यान्नों की दृष्टि से राज्य अधिशेष, आत्म निर्भर या कमी वाला है अथवा नहीं, यह उसके उत्पादन और खपत सम्बन्धी जरूरतों पर निर्भर करता है। खपत सम्बन्धी जरूरतों का सही सही अनुमान लगाना कठिन है क्योंकि ये जरूरतें जनसंख्या और आय की वृद्धि, आय के वितरण में परिवर्तन, वैकल्पिक खाद्यों की उपलब्धता, खाद्यान्नों और उनके वैकल्पिक पदार्थों के सापेक्ष मूल्य आदि समेत कई तथ्यों से प्रभावित होती है। केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों के आबंटनों के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखकर राज्यों की सापेक्ष जरूरतों का अन्दाजा लगाया जाता है :

(1) केन्द्रीय सरकार की स्टाक स्थिति।

(2) राज्य सरकारों से प्राप्त मांग के अनुमान।

(3) मौसम सम्बन्धी स्थिति।

(4) फसल अनुमान।

(5) इन राज्यों में स्टाक की उपलब्धता और चल रही बाजार सम्बन्धी परिस्थितियां।

अन्य कसौटियां जो ध्यान में रखी जाती हैं वे इस प्रकार हैं —वितरण का मौजूदा स्तर और अतीत में केन्द्र द्वारा किए गए आवन्टनों के प्रति खाद्यान्नों के क्षेत्र वास्तव में लेना।

वैकल्पिक फसल पद्धति

1957. श्री राजदेव सिंह : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश मे कृषि के मौसमी वर्षा और मौसम पर निर्भर रहने के कारण सरकार ने अपने अनुसंधान संगठनों के माध्यम से मौसम सम्बन्धी विभिन्न सम्भावनाओं के अनुकूल वैकल्पिक फसल पद्धति तैयार करने का प्रयत्न किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस पद्धति के बारे में किसानो को जानकारी देने और उसे लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) : (क) जी, हां, देश की विभिन्न कृषि जलवायु वाली परिस्थितियों के लिए उपयुक्त एकान्तर बारानी फसल शिडयूल तैयार करने के लिए सघन अनुसन्धान कार्य शुरू किया गया और मौसम की विभिन्न सम्भावनाओं के लिए भी आनुषंगिक योजनाए तैयार की गई है ।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई०सी०ए०आर०) के कृषि अनुसन्धान संस्थानों राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों और अखिल भारतीय समन्वित अनुसन्धान प्रयोजनाओं द्वारा विभिन्न फसलों और बारानी कृषि पर जो अनुसन्धान कार्य किए जा रहे हैं उनके परिणामस्वरूप वर्षा पर निर्भर विभिन्न परिस्थितियों और अनियमित मौसम के लिए उपयुक्त कारगर फसलें, उनकी किस्मे और सस्य पद्धतियां प्रकाश में आ रही हैं । भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद ने इन अनुसन्धान कार्यों के परिणामों पर आधारित "1974–75 के दौरान विभिन्न मौसम वाली परिस्थितियों के अन्तर्गत बारानी क्षेत्रों में फसल उत्पादन नीति" सम्बन्धी एक पुस्तक प्रकाशित की है, जिसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए इन बातों पर सुझाव दिए गए हैं (1) अच्छे/सामान्य मानसून से पूरा लाभ उठाने के लिए क्या आवश्यक कदम उठाये जाये और (2) असामान्य मौसम जैसे (क) मानसून की सामान्य शुरूआत और बाद में काफी समय तक वर्षा न होने (ख) मानसून के देर से शुरू होने और (ग) मौसम के अन्त में पहले ही वर्षा बन्द हो जाने की स्थिति में आवश्यक उपाय । देश के विभिन्न क्षेत्रो में वर्षा की विभिन्न स्थितियों के लिए उपयुक्त कारगर फसलों किस्मों तथा सस्य पद्धतियों की सिफारिश की गयी है । शोलापूर क्षेत्र (शोलापुर, उस्मानाबाद, भीर, अहमदनगर, नासिक के कुछ भागो, पूना, सातारा और सांगली जिले) के लिए, जो सिफारिशें की गयीं हैं वे बतौर नमूने के निम्न लिखित हैं :—

(क) सामान्य मौसम—

गहरी काली मिट्टी 60–90 सें० मी० .	बाजरा के बाद चना या मूग, इसके बाद रबी दो फसलें उगाने की स्थिति में

(ख) असामान्य मौसम—

(1) सामान्य मौसम के बाद काफी समय तक वर्षा न होने की स्थिति में	बाजरा उगाने की स्थिति में उसकी पेड़ी से चारा लेना और फिर उसकी पेंडी से अनाज की फसल तैयार करना
	मानसून के दुबारा शुरू होने के तुरन्त बाद सूरजमुखी उगाना

(2) देर से मानसून आरम्भ होने पर	सामान्य वर्षा की स्थिति में	—संकर बाजरा, अरहर, मूग और मूंगफली
	जून और जुलाई के दौरान वर्षा न होने और अगस्त में सामान्य वर्षा होने पर	—संकर बाजरा, दालें, मूंगफली और सूरजमुखी
	जून और जुलाई के दौरान वर्षा न होने और अगस्त में सामान्य वर्षा होने पर	—संकर बाजरा, दालों और सूरजमुखी
	खरीफ के मौसम में वर्षा न होने और सितम्बर के शुरू में वर्षा होन पर	—संकर बाजरा, दालें, सूरजमुखी और 'रबी' कपास
	सामान्य रबीमौसम सितम्बर में वर्षा न होने और अक्तूबर के मध्य में अच्छी वर्षा होने पर	—रबी ज्वार, कपास, चना और सुरजमुखी —ज्वार, सूरजमुखी और चना
	नवम्बर में देरसे बुआई करने पर	—सूरजमुखी और चना
	दिसम्बर में बहुत देर से बुआई करने पर	—सूरजमुखी और चना
(3) वर्षा के जल्दी समाप्त हो जाने पर		—ज्वार की फसल के लिए भूमि की सतह पर पलवार का प्रयोग करना —पौधों को छितरा कर करीब 40,000 पौधें कृषि हैक्टर रखना —ज्वार और सूरजमुखी या ज्वार और चना की मिलवां फसल उगाने की स्थिति में ज्वार जसी नमी संवेदी फसलों को निकाल देना

इन सिफारिशों को "इण्डियन फार्मिंग" के जून 1974 के अंक में भी प्रकाशित किया गया था। बारानी खेती प्रायोजना के अनुसंधान केन्द्र से जुड़े हुए अग्र प्रायोजना क्षेत्रों में पड़ी उगाने जैसे कुछ अवधारणाओं का प्रदर्शन किया जा रहा है। अक्सर सूखा ग्रस्त रहने वाले क्षेत्रों सम्बन्धी कार्यक्रमों के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की गयी है। ऐसी एकान्तर फसल पद्धतियों के लिए राज्यों के कृषि विभागों को एकान्तर फसलों के बीजों को समुचित मात्रा में आरक्षित रखना होगा।

नार्थ ईस्टर्न हिल्स यूनिवर्सिटी

1958. **श्री वी० के० दासचौधरी :**

श्री वीरेन एंगती :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नार्थ-ईस्टर्न हिल्स यूनिवर्सिटी ने अपनी स्थापना के बाद से कितनी प्रगति की है ;

(ख) क्या यह विश्वविद्यालय अपने विश्वविद्यालय परिसर में स्थित है ; और

(ग) इसने कितने स्नातकोत्तर विभाग तथा अध्ययन संस्थान खोले हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) और (ग) विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, सतत शिक्षा विभाग के अलावा, उसने अब तक आठ उत्तर स्नातक विभागों सहित चार अध्ययन स्कूल आरम्भ किए है। विश्वविद्यालय उन 22 कालेजों के लिए परीक्षाएं संचालित कर रहा है जो पहले गोहाटी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध थे और अब जिन्हें इसके अधिकार क्षेत्र में स्थानान्तरित कर दिया गया है। विश्वविद्यालय ने कोहिमा में भी उप-कुल सचिव के प्रभार मे एक कार्यालय खोला है।

(ख) विश्वविद्यालय किराए के भवनों में कार्य कर रहा है क्योंकि उसके अपने कैम्पस का अभी निर्माण किया जाना है।

"बैक बे रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट"

1959. **श्री वी० के० दासचौधरी :**

श्री वीरेन एंगती :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने महाराष्ट्र सरकार का ध्यान "बैक बे रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट", और "अण्डर सी प्लाटस" की बिक्री से नागरिक सुविधाओं पर पड़ने वाले असहनीय भार की ओर दिलाया है ;

(ख) क्या इस परियोजना के लिए अवस्थापना सुविधाओं तथा भूमिगत रेलवे पर अनुमानित व्यय लगभग 1,000 करोड़ आयेगा ; और

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार को कहा गया है कि उसे इस बारे में केन्द्र से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता की आशा नहीं करनी चाहिए ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है।

(ग) महाराष्ट्र सरकार ने इस परियोजना के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से किसी भी वित्तीय सहायता का अनुरोध नहीं किया है।

सिसिया (उत्तर प्रदेश) में सूखा रोकने के लिये नलकूपों का निर्माण

1960. **श्री बी० आर० शुक्ल :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहराइच जिले (उत्तर प्रदेश) के सिसिया ब्लाक की भूमि पर गम्भीर सूखे का बूरा प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) क्या वहां पर कोई नल कूप नहीं लगाए गए हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रमुदास पटेल) : (क) और (ख) राज्य सरकार से सूचना मांगी गई है। यह प्राप्त होने पर यथा-शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

Unauthorised Houses and Colonies in Delhi

1961. Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri R. V. Bade:
Shri Atal Bihari Vajpayee:

Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) the total number of unauthorised houses in Delhi, their value and the number of inhabitants there in 1967, 1971 and at present; and

(b) the action taken by Government for regularising the unauthorised colonies in Delhi during the last three years indicating the names of the areas?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri Mohan Dharia) : (a) No survey has been carried out to assess the total number of unauthorised houses, their value and number of inhabitants.

(b) Government have appointed a committee to make case by case study in respct of unauthorised colonies which have come up in Delhi, particularly those which came up before 15th June, 1972.

पश्चिमी बंगाल में बड़ी एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाएं

1962. श्री शंकर नारायण सिंह देव :
श्री शक्ति कुमार सरकार :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर प्रदेश राज्यों में बड़ी एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओ को गत तीन वर्षों में, वर्ष-वार एवं परियोजना-वार कुल कितनी हानि अथवा लाभ हुआ ;

(ख) प्रत्येक परियोजना को हानि अथवा लाभ के क्या कारण हैं ; और

(ग) इन परियोजनाओं से इन राज्यो में राज्य-वार व परियोजना-वार कितने ग्राम लाभान्वित हुए ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल को मयूराक्षी, कंसावती, दामोदरघाटी निगम और साहरजोर सिंचाई परियोजनाओ के 1970–71, 1971-72 और 1972–73 के तीन वर्षों के दौरान हुई हानि और इन परियोजनाओं से लाभान्वित हुए जिलों का विवरण संलग्न है। पश्चिम बंगाल में मयूराक्षी तथा कंसावती परियोजनाओं के पूर्ण होने के बाद लाभान्वित होने वाले गांवों/मौजो के नामों का विवरण पहले ही अतारांकित प्रश्न संख्या 4668 दिनांक 26-3-1974 के उत्तर में दिए आश्वासन की पूर्ति में पहले ही सभा पटल पर रख दिया गया है। दामोदर घाटी निगम तथा साहरजोर सिंचाई परियोजना के सम्बन्ध में ऐसी ही सूचना उपलब्ध की जा रही है तथा राज्य सरकार से प्राप्त होने पर सभा पटलपर रख दी जाएगी।

हानियों के मुख्य कारण ये हैं :—निम्न जल दरें, विकास कर की वसूली न होना, परियोजनाओं को पूर्ण करने में अधिक समय लगाना, निर्मित सिंचाई शक्यता के समूपयोजन में कमी तथा निर्माण की लागत में सामान्य वृद्धि का होना।

विवरण

मयूराक्षी, कंसावती, दामोदर घाटी निगम तथा साहर जौर सिंचाई परियोजनाओं से हुई हानि तथा उनसे लाभान्वित जिले

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	हुई हानि			लाभान्वित जिले
		1970–71	1971–72	1972–73	
1	मयूराक्षी	1.000	1.343	1.251	बीरभूम, मुर्शिदाबाद, बर्दवान
2	कंसावती	1.729	1.961	2.201	मिदनापुर, बंकुरा हुगली
3	दामोदर घाटी निगम	0.075	0.110	0.064	हुगली, बर्दमान, बंकुरा हावड़ा
4	साहरजौर	0.021	0.023	0.025	पुरुलिया
		2.825	3.437	3.541	

Control on Sugar Prices

1963. Shri Shiv Kumar Shastri : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the total production of sugar in the country at present ;

(b) the quantity of sugar exported ; and

(c) whether Government propose to exercise a control over the present prices of sugar in the country and if so, how it is proposed to be done ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) 39.49 lakh tonnes of sugar was produced during 1973-74 season. During the current 1974-75 season, which began on the 1st October, 1974, 1.77 lakh tonnes of sugar has been produced upto the 15th November, which is about 36,000 tonnes more than what was produced in the corresponding period of last season.

(b) 3.31 lakh tonnes of sugar has been exported upto the 23rd November, 1974 against 1974 sales.

(c) 70% of the production is already taken over as levy, primarily for distribution through fair price shops at a uniform retail price of Rs. 2.15 per kg. all over the country. There is no proposal to control the prices of the remaining 30%.

Assistance for Implementation of Irrigation Projects in Madhya Pradesh

1964. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Madhya Pradesh Government have requested for assistance for full implementation of Tawa and Punasa irrigation Projects (Madhya Pradesh) in the Fifth Five Year Plan ; and

(b) if so, Central Government's reaction thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri K. N. Singh) : (a) and (b) Irrigation is a State subject and funds for irrigation schemes are provided for in the State Plans.

No assistance, outside the plan has been sought by the Government of Madhya Pradesh for Tawa Project.

Punasa scheme is in the Narmada basin and has not yet been approved for inclusion in the Developmental Plan of the State.

Irrigation Projects in Madhya Pradesh

1965. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be please to state the names of the irrigation projects in Madhya Pradedh approved by the Central Government for the years 1973-74 and 1974-75?

The Deputy Minister in the Ministry of Agricultures and Irrigaation (Shri K. N Singh) : No new major or medium irrigation schemes in Madhya Pradesh have so far been approved for inclusion in the developmental plan of the State during 1973-74 and 1974-75.

Scheme for Prevention of Floods by Madhya Pradesh

1966. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Madhya Pradesh Government have suggested any scheme to Central Government for the prevention of floods in the State ; and

(b) if so, the reaction of the Government in regard thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri K. N. Singh) ; (a) & (b) No comprehensive plan for controlling floods in the rivers in Madhya Pradesh has been received at the Centre from the Madhya Pradesh Government.

खेल खूद संगठनों के बीच वैमनस्य

1967. श्री नरेन्द्र सिंह : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश में विभिन्न खेल कूद संगठनों के बीच आपसी वैमनस्य का हमारे खेल कूद कार्यक्रम पर प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का उन संघठनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय खेल संघ/संगठन, स्वायत्त निकाय है और इस लिए सरकार उनके आन्तरिक कामकाज में प्रत्यक्ष रूप से दखल नहीं दे सकती। तथापि, अपने दायित्वों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने, राष्ट्रीय खेल संघों/संगठनों को वित्तीय तथा अन्य सहायता प्रदान करने के लिए इस सम्बन्ध में स्वयं ही कुछ मार्ग-दर्शी रूपरेखाएं निर्धारित की है। इन रूपरेखाओं का ब्यौरा 29 अप्रैल, 1974 को लोक सभा में उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 8620 के उत्तर में दिया जा चुका है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे कर्मचारी

1968. **श्री भोला मांझी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के बहुत से कर्मचारी भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय वायुपत्तन प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे है ;

(ख) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के ऐसे कर्मचारियों को अन्त र्राष्ट्रीय वायुपत्तन प्राधिकरण अधिनियम की धारा 12(च) के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे माना जा रहा है ;

(ग) यदि हां, तो अधिनियम किस तिथि से प्रवर्तित हुआ था ; और

(घ) यदि उक्त कर्मचारियो को प्रतिनियुक्ति पर नहीं माना जा रहा है तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां ।

(ख), (ग) तथा (घ) अन्तर्राष्ट्रीय पत्तन प्राधिकरण अधिनियम 1971, 1 फरवरी, 1972 से लागू हुआ । तथापि, केन्द्रीय सरकार ने अधिनियम की धारा 12(1) के अधीन परिसम्पत्तियों, देनदारियों, ऋणों तथा दायित्वों के अन्तरण तथा प्रतिनियुक्ति आदि पर कर्मचारियो के स्थानान्तरण के प्रयोजन के लिए 1, अप्रैल, 1972 को निश्चित तिथि के रूप में अधिसूचित किया है : अत: केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के उन कर्मचारियों को जो 1-4-72 को चार अन्तर्राष्ट्रीय पत्तनों के मामलो से सम्बन्धित थे, अधिनियम की धारा 12(1) (एफ) के अधीन उक्त प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर माना गया है ।

दिल्ली में सुपर बाजारों तथा उचित मूल्य की दुकानों द्वारा कदाचार

1969. **श्री भोला मांझी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय उपभोक्ता परिषद् ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में दिल्ली में सुपर बाजारों तथा उचित मूल्य की दुकानों द्वारा कथित कुछ कदाचारो का उल्लेख किया है ;

(ख) इन कदाचारों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) सरकार ने भारतीय उपभोक्ता परिषद् की रिपोर्ट देखी है । सुपर बाजार के अधिकारियों ने बताया है कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए कि आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री में कदाचार न हो, कारगर जांच करते हैं । दिल्ली प्रशासन ने भी सूचित किया है कि जब कभी किसी उचित मुल्य की दुकान के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त होती है तब उनके विभाग के प्रवर्तन स्टाफ द्वारा जांच की जाती है और चूककर्ताओं के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाती है ।

गुजरात में वनस्पति एककों को बन्द करने की धमकी

1970. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के उत्पादको ने कहा है कि यदि सरकार वनस्पति घी पर से नियंत्रण नहीं हटा लेती अथवा उत्पादकों की लागत की पूरी तौर से प्रतिपूर्ति नहीं करती तो गुजरात राज्य में वनस्पति घी के कक बन्द हो जायेंगे :
ए

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) उक्त उत्पादकों को किस प्रकार की सहायता दी जाएगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) : (क) गुजरात के वनस्पति के निर्माताओ से ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठतें ।

खेती सम्बन्धी शिक्षा

1971. श्री प्रसन्नभाई मेहता :

श्री के० लकप्पा :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार देश में बड़े पैमाने पर खेती सम्बन्धी शिक्षा आरम्भ करने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही कर रही है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) शिक्षा नीति सम्बन्धी 1968 के संकल्प में देश के लिए प्रस्तावित नयी शिक्षा पद्धति में 10 वर्षीय सामान्य शिक्षा, व्यावसायिक पाठ्यक्रम सहित दो वर्षीय उच्चतर माध्यमिक शिक्षा और उसके बाद तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम शामिल है। 10 वर्षीय सामान्य शिक्षा में सभी छात्रों के लिए कार्य अनुभव सम्मिलित होगा । इसक अन्तर्गत खेतों, दुग्धशालाओ, मुर्गीपालन, बागवानी तथा अन्य सम्बद्ध व्यवसायों में कार्य करना शामिल होगा । दो वर्षीय उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम में इन व्यवसायों में व्यवसायिक पाठ्यक्रम भी शामिल होंगे। इनका प्रशिक्षण उच्चतर माध्यमिक स्कूलो में अथवा कृषि विभाग के विभागीय प्रशिक्षण केन्द्रों में दिया जा सकता है। कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय भी, पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि विज्ञान केन्द्रों अथवा कृषि पालिटेक्निको के जरिए कृषकों के बच्चों को प्रशिक्षण देने पर विचार कर रहा है ।

उच्च अध्ययन के लिए विदेशों को भजे गए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्र

1972. श्री **नथूराम अहिरराव** : क्या **शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री विदेश में अध्ययन करने हेतु राष्ट्रीय छात्र वृत्ति के बारे में 18 नवम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 929 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उनमें अनुसूचित जातिय तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की संख्या कितनी थी और क्या इस वर्ग के लिए स्थानों के आरक्षण की कोई व्यवस्था की गई है और यदि हां, तो उसकी प्रतिशतता क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी०पी० यादव) : विदेशों में अध्ययन के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत, छात्रवृत्तियां चुने गए उम्मिदवारो को योग्यता व आय के आधार पर प्रदान की जाती है । योजना के अन्तर्गत,अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के उम्मिदवारो के लिए, छात्रवृत्तियों के आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है । योजना के अन्तर्गत अब तक विदेशो में भेजे गए विद्यार्थियों में से कोई भी छात्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति का प्रतीत नहीं होता है । अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों, अनुसूचित, खानाबदोश, अर्ध-खानाबदोश जन-जातियों और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति नामक एक योजना अलग से है, जो गृह मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है, और जिस के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियो आदि के उम्मिदवारों को विदेशों में अध्ययनार्थ छात्रवृत्तिया प्रदान की जाती हैं ।

भारतीय हाकी संघ के प्रतिस्पर्धी गुटों के बीच झगड़ा

1973. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री जुन सेठी :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय हाकी संघ के दो प्रतिस्पर्धी गुटों के बीच के झगड़े को हल करने के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) दल नियंत्रण तथा अन्य अवांछनीय बातों को रोकने के लिए सरकार द्वारा सिफारिश किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों की विभिन्न खेल-कूद संघो/एसोसिएशनों द्वारा स्वीकृति सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) भारतीय हाकी संघ के पदाधिकारियो के बीच लगातार चल रहे विवादों को देखते हुए, शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय, संघ के सामान्य कामकाज को फिर से चलाने तथा देश में हाकी के प्रोत्साहन के लिए समुचित ध्यान दिए जाने के उद्देश्य से, विवादों को निपटाने हेतु अप्रैल, 1974 से ही अपने प्रभाव का उपयोग कर रहा है। विरोधी गुटों के साथ कई बैठकों के बाद 12 अक्तूबर, 1974 को यह समझौता हुआ कि सरकार द्वारा मनोनीत एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी की देखरेख में संघ के पदाधिकारियो का नया चुनाव कराया जाये और ये चुनाव आयोजित करने के लिए, जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोनीत होगा उसका निर्णय तथा परिणामों की घोषणा अन्तिम होगी। सरकार ने, इस प्रयोजन के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश डा० पी० बी० गजेन्द्रगडकर को मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप मनोनीत किया है। दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के अनुसार नए चुनाव आयोजित करने क लिए प्रारम्भिक कार्रवाही की जा रही है और आशा है कि नये चुनाव यथाशीघ्र आयोजित किए जाएंगे।

(ख) मान्यता प्राप्त 39 राष्ट्रीय खेल संघो/संगठनों में से 15 संघों ने "मार्गदर्शी रूपरेखाओ" के सम्बन्ध में अपनी स्वीकृति की सूचना दे दी है जब कि 2 और संघों ने यह संकेत दिया है कि उनकी स्वीकृति भेजी जा रही है। केवल दो संघों ने यह कहा है कि "मार्गदर्शी रूपरेखाएं" उन्हें स्वीकार्य नहीं तथा बाकी संघोंने अपनी प्रतिक्रियाओं के सम्बन्ध में अभी कोई सूचना नहीं भेजी है। जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, मार्गदर्शी रूपरेखाओ को 15 सितम्बर, 1974 से लागू किया जा रहा है, जैसा कि निर्धारित किया गया था।

अमृतराज बन्धुओं का वक्तव्य

1974. **श्री वयालार रवि :**
श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेरिस में अमृतराज बन्धुओं के कथित वक्तव्य की ओर सरकार ने ध्यान दिया है कि डेविस कप फाइनल में दक्षिण आफ्रिका के खिलाफ भारत द्वारा न खेलने पर विरोध प्रकट करते हुए उन्हों ने भारत के लिए दोबारा न खेलने के लिए कहा है ; और

(ख) यदि हा, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) सरकार को समाचार-पत्रों में प्रकाशित इन समाचारो की जानकारी है, जिनका सम्बन्ध सर्वश्री विजय तथा आनन्द अमृतराज के भविष्य में भारत के लिए डेविस कप में न खेलने के तथाकथित

निर्णय से है। बाद की प्रेस रिपोर्टों के अनुसार दोनों टेनिस खिलाड़ियों ने समाचार पत्रों को ऐसो बयान दिया जाने से इन्कार किया है तथा इस बात की पुष्टि की है कि यदि उन्हें देश के लिए खेलने को कहा जाएगा, तो वे खेलेंगे।

खाद्य नीति की समीक्षा

1975. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

श्री डी० डी० देसाई :

क्या **कृषी और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वर्तमान खाद्य नीति का पुनरीक्षण करने पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय ले लिया गया है; यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ; और

(ग) क्या केन्द्र समूचे देश में गेहूं और चावल के लाने-ले जाने पर लगे सभी प्रकार की रोकों को हटाने के लिए राज्यों को कहेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिंदे): (क) से (ग) भारत सरकारने हाल ही में खरीफ मौसम 1974-75 के लिए मूल्य तथा अधिप्राप्ति सम्बन्धी नीति घोषित की है। इस नीति के अधीन, विभिन्न राज्यों में मोटे किस्म केधान का अधिप्राप्ति मूल्य 74 रुपये प्रति क्विन्टल निर्धारित किया गया है। और धान की अन्य किस्मों के मूल्य को उनके मूल्यों में मौजूदा किस्म सम्बन्धी अन्तर को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया गया है। ज्वार, मका, बाजरा और रागी का अधिप्राप्ति मूल्य भी 74 रु०प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। अधिप्राप्ति मूल्यों में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए चावल और मोटे अनाजों के निर्गम मूल्यों में समायोजन किया जाएगा। मौजूदा धान/चावल जाने बने रहेंगे। मोटे अनाजों के मुक्त संचलन की वर्तमान नीति भी जारी रहेगी और उत्पादकों पर लेवी लगाई जाएगी। खरीफ के अनाजों की अधिक से अधिक अधिप्राप्ति करने के लिए प्रत्येक राज्य में इस समय जो अधिप्राप्ति प्रणाली चल रही है उसे सशक्त बनाया जाएगा। केन्द्रीय भण्डार को दी जाने वाली चावल की मात्रा के बारे में प्रोत्साहन बोनस योजना जारी रहेगी।

फिलहाल, रबी के खाद्यान्नों से सम्बन्धित मौजूदा नीति में कोई भी परिवर्तत करने का विचार नहीं है।

समस्त चीनी खरीद कर चीनी के मूल्य पर नियंत्रण करना

1976. **श्री पी० गंगादेव :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खुले बाजार में चीनी 6 रुपये 50 पैसे प्रति किलो की दर से बेची जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या कारखानों से चीनी के समस्त उत्पादन को खरीद कर चीनी के मूल्य में तेजी से होने वाली वृद्धि को रोका जा सकता है :

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) : (क) जी, नहीं। 21 नवम्बर 1974 को समाप्त होने वाले सप्ताह में प्रमुख केन्द्रों में चीनी के खुदरा मूल्य 4.25 रुपये से लेकर 5.60 प्रति किलोग्राम तक थे।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता। बहरहाल, पूर्ण नियंत्रण लागू करने के बारे में कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

महाराष्ट्र में खरीफ की फसल को हुई क्षति

1977. **श्री शंकरराव सावन्त :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष अक्तूबर में हुई भारी हानि से महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र में खरीफ की फसल को भारी क्षति पहुंची है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी क्षति होने का अनुमान है ; और

(ग) कृषकों को कितनी राहत-सहायता देने का प्रस्ताव है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) राज्य सरकार ने सूचना दी है कि महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र में औसत से अधिक वर्षा हुई थी। वर्षा के कारण खरीफ की फसल को व्यापक क्षति नहीं हुई है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पंजाब में कपास और कपास के बीजों का उत्पादन

1978. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य में कपास उत्पादकों को कुल कितनी कपास का बीज वितरित किया गया है ;

(ख) पंजाब राज्य में किन-किन किस्म की कपास पैदा की जाती है ; और

(ग) इस वर्ष पंजाब में कपास का कुल उत्पादन कितना हुआ ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) 1974-75 के दौरान पंजाब राज्य में कपास के उत्पादकों को 964 क्विंटल कपास के बीज वितरित किए गए हैं।

(ख) पंजाब राज्य में निम्नलिखित किस्मों की कपास पैदा की जाती है :—

1. एल० एस० एस० (अमेरिकन)
2. 320 एफ (अमेरिकन)
3. जे-34 (अमेरिकन)
4. बिकानेरी नमा (अमेरिकन)
5. जी-27 (देशी)

(ग) 1973-74 के दौरान पंजाब में कपास का उत्पादन 9.60 लाख गांठें था। 1974-75 वर्ष के दौरान कपास के उत्पादन के सरकारी अनुमान अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं।

पंजाब के लिये वनस्पति की अतिरिक्त मात्रा

1979. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीमाहो के दौरान पंजाब को वनस्पति की कमी का सामना करना पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मांग को पूरा करने के लिये पंजाब को अतिरिक्त वनस्पति अलाट करने का है; और

(ग) यदि हो, तो कितना वनस्पति अलाट किया जा रहा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) कम उत्पादन के कारण विभिन्न परिमाणों में देश भर में वनस्पति की कमी को महसूस किया गया था।

(ख) और (ग) वनस्पति के वितरण पर कोई केन्द्रीयकृत नियंत्रण नहीं है। अतः पंजाब को आबंटन करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

वाइनाड बनों के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उपलब्ध तेल निकालने के लिये बीजों का एकत्र किया जाना

1980. **श्री के० मालन्ना :**

श्री एम० एस० पुरती :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महुआ बीजों (इलिप्पा) रबड़ बीजों और 'नंगुल' बीजों, जो वाइनाड़ बनोंके ऊंचे क्षेत्रों में भारी मात्रा में उपलब्ध है, तेल निकालने के लिये एकत्र किया जा सकता है; जिससे प्रति वर्ष 10 करोड रुपये से अधिक की विदेशी मुद्रा की बचत की जा सकती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड को इस प्रयोजन के लिये कोई धनराशि मंजूर की है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) तथा (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Ban on Movement of Foodgrains in M. P.

1982. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether the Madhya Pradesh Government had banned the movement of wheat from one district to another in the State and also from that State to other States in the agricultural year 1973-74 ; and

(b) if so, the period for which the said ban remained in force and when it was lifted ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) & (b) On 26th February, 1973, the Government of Madhya Pradesh promulgated the Madhya Pradesh Wheat (Restriction on Transport by Rail, Road and Water) Order, 1973 restricting the inter-district movement of wheat. The ban imposed under the Order remained in force till 17th August, 1973 when it was lifted.

The inter-State movement of wheat and wheat products is regulated under the Inter-Zonal Wheat and Wheat Products (Movement Control) Order, 1973 issued by the Government of India. Under this Order Madhya Pradesh is a separate wheat zone. The Order is still in force.

Implementation of Kothari Commission Recommendation

1983. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state whether the State Governments have asked the Central Government for financial assistance in order to implement the report of the Kothari Commission in full and if so, the names of the States which have asked for money and the amount demanded by them ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Professor S. Nurul Hasan) : The recommendations of the Education Commission (1964-1966) are to be implemented through the successive Five Year Plans and they have generally been kept in view while finalising Plan allocations both in the Central and State sectors. The Central assistance to the State Governments is provided for the State Plans as a whole and includes the assistance for all aspects of educational development although it is not earmarked. Some important recommendations of the Education Commission *e.g.* the uniform educational structure for school and college stages throughout the country, vocationalisation of secondary education, work experience, non-formal education have been included as part of the State educational plans.

सोसायटी/ट्रस्ट को पट्टे पर दी गई भूमि का दुरुपयोग

1984. **श्री अम्बेश** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रस्ट/सोसायटी को पट्टे पर दी गई भूमि को वापस लिया जा सकता है और पट्टा रद्द किया जा सकता है, यदि पट्टे पर दी गई भूमि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये नहीं किया जाता जिसके लिए उसका नियतन किया गया हो;

(ख) यदि कोई अलाटी भूमि के गलत उपयोग के लिये क्षति शुल्क देने पर सहमत हो जाता है तो क्या भूमि के गलत उपयोग को नजरअन्दाज किया जा सकता है और सोसाइटी अथवा ट्रस्ट को भूमि के गलत उपयोग को अनुमति दी जा सकती है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) यदि समिति/न्यास को पट्टा आधार पर आबंटित की गई भूमि का उपयोग, उस प्रयोजन के लिये नहीं होता जिसके लिये उसे आबंटन किया गया था, तो यह न तो वापस ली जा सकती है और न तो पट्टा रद्द किया जा सकता है । तथापि, यदि भूमि का उपयोग उस विशिष्ट प्रयोजन के लिये नही किया जाता जिस के लिये वह पट्टे पर दी गई है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिये किया गया है तो पट्टे की शर्तों के अधीन पट्टे की पुनः प्रविष्टि तथा निर्धारण के लिये कार्यवाही की जा सकती है ।

(ख) तथा (ग) पट्टे की शर्तों का कोई भी उल्लंघन, जिसमें दुरुपयोग शामिल है, आपत्तिजनक है तथा पट्टाधारी को उल्लंघन समाप्त करने का अवसर दिया जाता है । यदि नोटिस में निर्धारित समय के अन्दर उल्लंघन समाप्त नहीं किया जाता तथा वह आपत्तिजनक नहीं है, तो इसे अस्थायी अवधि के लिये हर्जाना प्रभारों के भुगतान करने पर नियमित किया जा सकता है । यदि भूमि का उपयोग बृहत्त/क्षेत्रीय योजना के अनुसार नहीं है तो यह आज्ञा स्थायी आधार पर नहीं दी जाती है ।

अस्थायी नियमितीकरण पट्टे की शर्तों तथा सरकार के निर्णयों और आदेशों के अनुसार किया जाता है ।

कलकत्ता विकास परियोजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता

1985. **श्री समर गुह** :

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी०एम०डी०ए० द्वारा शुरू की गई कई कलकत्ता विकास परियोजनाएं केंद्रीय वित्तीय सहायता के अभाव के कारण या तो बिल्कुल त्याग दी गई है अथवा स्थगित कर दी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ख) क्या विश्व बैंक द्वारा सी०एम०डी०ए० को दी गई वित्तीय सहायता को भी केन्द्रीय सरकार ने केन्द्र से मिलने वाली सहायता में सम्मिलित कर लिया है; यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सी०एम०डी०ए० द्वारा किए गए विकास कार्यों की प्रगति के बारे में कोई मूल्यांकन किया गया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) कलकत्ता का बड़े पैमाने पर विकास करने में कार्य में सी०एम०डी०ए० के सामने आने वाली वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) सरकार की नीति के अनुसार, योजना के अन्तर्गत राज्यों को किए गए वित्तीय आबंटन में विश्व बैंक की वित्तीय सहायता शामिल है ।

(ग) केन्द्रीय सरकार, कलकत्ता महानगरीय क्षेत्र में सी०एम०डी०ए० द्वारा निष्पादित की जा रही विकास परियोजनाओं की प्रगति पर आवधिक उच्च स्तरीय पुनरीक्षण बैठकों का आयोजन करके नियमित रूप से ध्यान रखती आ रही है । अन्तिम पुनरीक्षण बैठक 30 सितम्बर, 1974 को हुई थी ।

(घ) सरकार, कुल उपलब्ध निधियों को देखते हुए , सी०एम०डी०ए० को यथासंभव आर्थिक सहायता देने का भरसक प्रयत्न पहले से ही करती आ रही है ।

फरक्का नहरों का खोला जाना

1986. **श्री समर गुह** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हुगली नदी को गंगा का पानी सप्लाई करने के लिए फरक्का नहरों को खोलने का समय निर्धारित कर दिया है ;

(ख) छोड़े जाने वाले गंगा के पानी की कितनी मात्रा निर्धारित की गई है और गंगा का पानी हुगली नदी में छोड़ने के लिए कार्य पद्धति निर्धारित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार हुगली नदी को सुन्दरबन क्षेत्र के माध्यम से बंगाल की खाड़ी के साथ मिलाने के लिये नहर बनाने पर विचार कर रही है जिससे हुगली नदी में से हो कर समुद्र की ओर जाने वाले जहाज शीघ्र तथा आसानी से चल सकें ;

(घ) क्या सरकार का ध्यान इस बारे में उस समाचार की ओर दिलाया गया है जो 18 अक्तूबर, 1974 को कलकत्ता के एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था ; और

(ङ) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) और (ख) गंगा के शुष्क मौसम में उपलब्ध बहाव के आबंटन के प्रश्न पर भारत तथा बंगला देश की सरकारें विचार-विमर्श कर रही हैं। प्रचालित किए जाने पर, फरक्का खास की पोषक नहर गंगा के जल को हुगली में सप्लाई करेगी। इस नहर को इस वर्ष के अंत तक पूरा करने के लिए, जिसमें कुछ कठिन कार्य शामिल हैं, सभी प्रयत्न किए जा रहे हैं। इस कार्य को पूर्ण करने में हुई देरी के मुख्य कारण ये हैं:—परियोजना क्षेत्र में कानूनी व्यवस्था की स्थिति, पोषक नहर पर और पुलों की मांग करने वाले स्थानीय लोगों द्वारा विरोध तथा नहर के निर्माण कार्य में आने वाली अन्य विभिन्न कठिनाइयां ।

(ग) से (ङ) कलकत्ता के दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित तथा अन्य रिपोर्टों का सरकार को पता है, जिनमें हुगली नदी पर एक बराज तथा सुदरबन द्वारा कलकत्ता पत्तन का समुद्र से सम्पर्क करने के लिए एक सीधी नहर का सुझाव दिया है। इस स्कीम को तकनीकी रूप से अव्यवहार्य तथा अमान्य पाया गया। इसलिए इस संबंध में और कार्यवाही नहीं की जा रही है।

कृषि विज्ञान सेवा केन्द्र स्थापित करना

1987. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कृषि विज्ञान सेवा केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ; और

(ग) क्या देश में ऐसे केन्द्र स्थापित करने के मार्ग में बाधाएं हैं और यदि हां, तो देश में सिंचाई और कृषि विकास के लिए इस प्रकार की कठिनाइयों पर काबू पाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि–जलवायु प्रोद्योगिकी और समाजिक–आर्थिक स्थितियों के आधार पर 32 कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की एक परियोजना प्रस्तावित की है। इनका मुख्य उद्देश्य कृषि और उससे संबंधित विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों और किसानों को, खेती की वैज्ञानिक विधियों का तकनीकी प्रशिक्षण देना होगा, ताकि उत्पादन में वृद्धि हो और ग्रामीण नवयुवकों के खुद अपने रोजगार की सम्भावना बढ़े। इसके लिए केन्द्रीय स्तर पर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में एक लघु समिति स्थापित की जाएगी जो कार्यक्रम के कार्यान्वयन और राज्य सरकारों, कृषि विश्वविद्यालयों तथा राज्य के दुसरे संस्थानों के परामर्श से केन्द्रों के स्थान के चयन में मदद करेगी।

(ग) ऐसे केन्द्रों की स्थापना में किसी तरह की कठिनाई की कोई सम्भावना नहीं है।

हीराकुड बांध में दरार

1988. **श्रीमती सावित्री श्याम :**

श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में हाल में निर्मित हीराकुड बांध में दरार पड़ गयी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या दरारों के कारणों का पता लगाने के लिए विशेषज्ञों की कोई समिति नियुक्त कर दी गई है ;

(ग) यदि हां, तो उक्त समिति अपना प्रतिवेदन सरकार को कब तक प्रस्तुत करेगी ; और

(घ) क्या समिति देश के अन्य बांधों में पड़ी दरारों के बारे में भी जांच करेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) उड़ीसा सरकार ने अक्तूबर, 1974 में, केन्द्रीय जल आयोग से हीराकुड बांध में दरारें आने के कारणों की जांच करने तथा दरारों के और बढ़ने को रोकने के लिए उपाय ढूंढने के लिए राज्य सरकार की सहायता करने हेतु अधिकारियों को प्रतिनियुक्त करने के लिए अनुरोध किया था।

केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियों ने स्थल का निरीक्षण किया था और विश्लेषण करने तथा उपयुक्त सलाह देने के कार्य को सुसाध्य बनाने के लिए आवश्यक अन्य प्रेक्षण करने तथा आंकड़े भेजने के लिए कहा था। अपेक्षित आंकड़े अभी राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुए हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि अन्य बांधों में ऐसी दरारों की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

झुग्गी-झोंपडी योजनाओं के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश की सरकारों को अनुदान

1989. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से झुग्गी-झोंपड़ी योजनाओं की स्वीकृति के लिए तथा निर्धन एवं निम्न आय वर्ग वाले लोगों के लिए मकान बनाने के लिए अधिक अनुदान देने का अनुरोध किया है ; और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ;

(ख) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) गत छः महीनों में इन राज्यों को कितना धन स्वीकृत किया गया और कितना धन दिया गया ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) उत्तर प्रदेश तथा बिहार की सरकारों से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। साथ ही गन्दी बस्ती उन्मूलन/सुधार योजना तथा अन्य सामाजिक आवास योजनाएं राज्य क्षेत्र में हस्तांतर कर दी गई हैं। अब सहायता सनेकित ऋणों/अनुदानों के रूप में दी जाती है। इस प्रकार दी गयी निधियों की राज्य सरकारें अपनी-अपनी प्राथमिकताओं तथा आवश्यकताओं के अनुसार उपयोग करने में स्वतन्त्र हैं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Allotment of Accommodation to Government Employees

1990. **Dr. Govind Das Richharia** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(a) the number of Central Government officers and employees, who have put in 10 years or more service but have not been allotted Government accommodation in the capital ;

(b) whether Government propose to provide relief and allot Government accommodation to them early, keeping in view the exorbitant rent in the capital and ineffective Rent Control Law;

(c) the steps proposed to be taken by Government in this regard; and

(d) whether according to the recommendation of the Pay Commission, Government propose to acquire private houses on rent and allot them to Government employees and if so, by what time?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri Mohan Dharia) :(a) Applications for allotment of accommodation from the general pool in Delhi/ New Delhi are invited on a restricted basis keeping in view the number of units likely to become available in a particular type during a particular allotment year. The number of all such officers as have put in 10 years' or more service but have not been allotted Government accommodation is, therefore, not available, as applications had not been invited from all who had put in 10 years, service or more.

(b) Due to the ban on construction of new buildings and meagre allotment of funds on account of financial stringency, building activity of the Government has been very much curtailed. No appreciable relief can, therefore, be afforded as long as the rate of construction of new houses continues to be low. However, nearly, 1820 houses are under construction in lower types in Delhi and these will be available for allotment by the end of this year or early next year.

(c) Government propose to step up building activity as soon as the financial position improves.

(d) The recommendations made by the Third Pay Commission in regard to housing facilities to Government servants is receiving the attention of Government and no final decision in the matter has yet been taken.

Scheme for Increasing Rabi Production

1991. Dr. Govind Das Richharia :
Shri B. S. Chowhan :
Dr. Laxminarayan Pandeya :

Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Government have formulated a Rs. 200 crores scheme for increasing the production of rabi crop ;

(b) if so, the facts thereof ; and

(c) the allocation made to Uttar Pradesh and other States?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel) : (a) No, Sir.

(b) & (c) Do not arise.

Land under Irrigation

1992. Shri B. S. Chowhan :
Shri Phool Chand Verma :

Will the Minister of **Agricluture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the area of irrigated land, State-wise and year-wise during the last three years ;

(b) the area of land proposed to be brought under irrigation area, State-wise during the current year ; and

(c) estimated expenditure to be spent on the scheme?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) The figures of actual irrigated area are available only upto 1970-71. The State-wise and year-wise figures of the irrigated area for the year 1970-71 and the two preceding years are given in the statement enclosed. [*Placed in the Library. See No. LT.—8569/74*].

(b) The information is given in the Statement enclosed. [*Placed in the Library. See No. LT—8569/74*].

(c) The total public sector approved outlay for major-medium and minor irrigation schemes is Rs. 445.18 crores during 1974-75. This is expected to be supplemented by institutional investment to the extent of Rs. 130 crores.

खाद्यान्नों के जमाखोरों के विरुद्ध 'आसुका' तथा भारत रक्षा नियमों का उपयोग करने के लिये राज्यों को निर्देश

1993. डा० हरि प्रसाद शर्मा :

श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जमाखोरी को रोकने हेतु हाल ही में सभी राज्य सरकारों को 'आसुका' तथा भारत रक्षा नियमों का उपयोग करने के निर्देश जारी किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो जारी किये गये निर्देशों की मुख्य बातें क्या हैं तथा हाल ही के अभियान में प्रत्येक राज्य में भारत रक्षा नियमों के अधीन निकाला गया जमा खाद्यान्न कितनी मात्रा में जब्त किया गया ; और

(ग) ऐसे कितने मामले हैं जिनमें विशेष रूप में इन उपबन्धों का उपयोग करना पड़ा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिंदे) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत सरकार राज्य सरकारों पर बराबर जोर देती रही है कि वे विभिन्न नियंत्रण आदेशों को कड़ाई से लागू करें और जमाखोरों और काला-धन्धा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए भारत सुरक्षा नियमों, आसुका और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के उपबन्धों का इस्तेमाल करें।

जमा माल को निकालने के लिए किए जा रहे अभियान के अन्तर्गत पकड़े गए और भारत सुरक्षा नियम के अधीन रजिस्टर किए गए मामलों की संख्या के बारे में अद्यतन सूचना अभी प्राप्त होनी है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

फसल की सुधरी हुई प्रणालियों के प्रदर्शन पर हुआ खर्च

1995. श्री अनादि चरण दास : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973-74 में फसल की सुधरी हुई प्रणालियों का कृषकों के सामने प्रदर्शन करने पर राज्य-वार कितनी धन राशि खर्च हुई ; और

(ख) राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार ने इस शीर्षक के अन्तर्गत कितना कितना खर्च किया ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) इस से संबंधित सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र इसे सभा के पटल पर रखा जाएगा।

फाजिल्का (पंजाब) में फसल बीमा सम्बन्धी प्रायोगिक परियोजना

1996. श्री एम० कतामुत्तु : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री चुने हुए क्षेत्रों में फसल बीमा संबंधी प्रायोगिक योजनाओं पर राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया के बारे में 11 मार्च, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2586 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने फाजिल्का में बीमा फसल संबंधी प्रायोगिक परियोजना आरम्भ करने का निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां तो उक्त परियोजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) फाजिल्का उप-मण्डल के अबोहर के चुने इलाके में अमरिकी कपास के लिए फसल बीमा की एक पाइलट योजना सामान्य बीमा निगम के विचाराधीन है। इस योजना का पूरा ब्यौरा इकट्ठी की जा रही सामग्री के मिलने पर तैयार किया जाएगा। यह सामग्री भारतीय उर्वरक निगम जो क्षेत्र सेवाओं की व्यवस्था करेगा, और पंजाब सरकार के कृषि विभाग द्वारा इकट्ठी की जा रही है।

खरीफ की वसूली के लक्ष्यों का निर्धारित न किया जाना

1997. श्री एम० कतामुत्तु : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने इस मौसम में खरीफ की फसल के खाद्यान्नों की वसूली संबंधी राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा केन्द्रीय पूल के लिये सरकार का विचार किस प्रकार खाद्यान्न एकत्रित करने का है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिंदे) : (क) और (ख) खरीफ विपणन मौसम 1974-75 अभी शुरु हुआ है। कृषि मूल्य आयोग ने पहले जिन लक्ष्यों का सुझाव दिया था उनमें अद्यतन फसल की सम्भावनाओं के मूल्यांकन की दृष्टि में परिशोधन की आवश्यकता है। इस संबंध में राज्यों को लिखा गया है और प्रत्येक राज्य के बारे में उचित लक्ष्य का हिसाब लगाया जाएगा।

चालू खरीफ विपणन मौसम के दौरान खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति संयुक्त रूप से होगी जोकि धान के लिए उत्पादक पर लेवी और चावल के लिए मिल मालिकों/व्यापारियों पर लेवी के माध्यम से होगी। इसी प्रकार, यथा आवश्यक, उत्पादकों तथा व्यापारियों पर क्रमिक लेवी के माध्यम से खरीफ के मोटे अनाजों की अधिप्राप्ति की जाएगी।

वनस्पति के मूल्य पर नियंत्रण हटाने को बाध्य करने के लिये वनस्पति के उत्पादन में कमी

1998. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :

श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनस्पति का उत्पादन अगस्त में 17,000 टन से घट कर सितम्बर में, 13,500 टन रह गया जब कि इसकी उत्पादन-क्षमता एक लाख टन प्रति मास है;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्पादक-गण उत्पादन में जानबूझकर कमी कर रहे हैं ताकि सरकार को वनस्पति के दामों पर से नियंत्रण हटाने को बाध्य किया जा सके; और

(ग) यदि हां, तो इन दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) वनस्पति का उत्पादन, जोकि अगस्त में 18,335 मी० टन था, गिरकर सितम्बर, में 13,740 मी० टन हो गया था। तथापि अक्तूबर, 1974 में उत्पादन बढ़कर 20,316 मी० टन हो गया था।

(ख) इन महीनों के दौरान उत्पादन में जो उतार-चढ़ाव हुए हैं वे मुख्यतः लाभकारी मूल्यों पर समय-समय पर, उद्योग को कच्चे तेलों की जितनी उपलब्धता हुई है उसके द्योतक है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली माध्यमिक स्कूल अध्यापक संघ द्वारा धरना

1999. श्री बाई० ईश्वर रेड्डी :

श्री एम० एम० जोजफ :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली माध्यमिक स्कूल अध्यापक संघ (दिल्ली सेकण्डरी स्कूल टीचर्स फेडरेशन) के सदस्यों ने अपनी मांगों के समर्थन में 30 अक्तूबर, 1974 को बोट क्लब, नई दिल्ली पर प्रदर्शन किया था; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांग क्या है और उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) :

(क) जी, हां।

(ख) संघ द्वारा की गई मांगे इस प्रकार हैं :—

(i) एक ओर प्रधानाचार्यों तथा अन्य वर्गों के अध्यापको के वेतनमानों तथा दूसरी ओर विश्वविद्यालयीय अध्यापकों और स्कूलों के अध्यापकों के वेतनमानों के बीच असमानताओं को दूर किया जाए,

(ii) सब से कम वेतन प्राप्त करने वाले वर्गों के प्राथमिक अध्यापकों तथा अन्य संबद्ध वर्गों के वेतनमानों में सुधार किया जाए ;

(iii) वेतन वृद्धि की दर में बढ़ोत्तरी की जाए और सभी वर्गों के अध्यापकों के वेतनमानो में 12 वर्ष की अवधि सीमा कों कम किया जाए ;

(iv) 6 वर्ष की सेवा पूरी होने पर सभी अध्यापकों को सलैक्शन ग्रेड दिया जाए, और

(v) "प्वाइंट टू प्वाइंट" के आधार पर वेतन निर्धारित किया जाए अर्थात् तीन वेतन-वृद्धियों की सीमा, सहित सेवा के हर तीसरे वर्ष एक वेतन-वृद्धि दी जाए।

सरकार ने इन मांगों के विषय में सावधानीपूर्वक विचार कर लिया है, परन्तु तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों का पालन न करना संभव नहीं है।

सूखाग्रस्त होने वाले क्षेत्रों का विकास

2000. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में सूखाग्रस्त होने वाले क्षेत्रों के विकास के लिये विशाल स्तर पर एक परियोजना तैयार की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या उड़ीसा राज्य को भी इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी हां।

विवरण

सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम की मुख्य-मुख्य बातें : सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम का उद्देश्य चुने सूखाग्रस्त इलाकों में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को समन्वित ग्राम विकास करना है। इसमें इस प्रकार धन लगाने पर बल दिया जाता है कि जिससे न केवल विकास कार्य ही होता रहे वरन् भविष्य में रोजगार भी पैदा हो। यह सुनिश्चित करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं कि परियोजना बनाने के लिए जिले को इकाई के रुप में लिया जाए। जिले के विकास के लिए जिन विभिन्न तत्वों की जरुरत होती है उनकी योजना संसाधन निधि को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, जिससे कि उन्हें ऐसे ढंग से जोड़ा जा सके कि प्रत्येक तत्व का दूसरे तत्वों से सीधा संबंध हो। प्रमुख बात यह है कि सीमित और व्यापक स्तरों पर धन लगाकर कृषि आय में तुलनात्मक स्थिरता लाई जाये। इस कार्यक्रम में पूरा ध्यान ग्रामीण समुदायों के कमजोर वर्गों पर दिया जाता है, जिससे कि इन क्षेत्रों की आय में ज्यादा से ज्यादा स्थिरता लाई जा सके। इस कार्यक्रम में प्रमुख ध्यान इस बात पर दिया जाता है कि भूमि और जल का साधनो के रूप में ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाए।

इस कार्यक्रम के तत्वों में ये गतिविधियां शामिल हैं जैसे : भूमि और नमी संरक्षण, वनरोपण सिंचाई साधनों का विकास तथा प्रबन्ध, कृषि विकास, डेरी से संबंध पशु-विकास, चरागाह से संबंध भेड़-विकास, सुअर, कुक्कुट आदि का विकास।

विशेषाधिकार का प्रश्न

QUESTION OF PRIVILEGE

आयात लाइसेंस कांड

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैंने श्री ललित नारायण मिश्र के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रस्ताव की सूचना दी थी क्योंकि उन्होंने सभा को गुमराह करने के लिये जानबूझकर गलत वक्तव्य दिया था .... **(व्यवधान)**

Shri Madhu Limaye (Banka) : On a point of orders, Sir. The question Hour is over and first of all Privilege Motion should be taken up, as per your directions. It was being discussed on Friday as to whether the letter written to you amounted to the contempt of the House and the chair or not. Shri Brahmananda Reddy explained that he was confused about the ruling and thereupon the contempt motion was with drawn on compassionate grounds.

Now regarding the report of C. B. I., as we have demanded.... **(Interruptions)**

श्री वसंत साठे (अकोला) : उपाध्यक्ष महोदय ने उसे अस्वीकार कर दिया था।

*** *** *** *** ***

***अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

***Expunged as ordered by the Chair.

अध्यक्ष महोदय : आप 'ठीक नहीं' कह सकते हैं । इस शब्द का प्रयोग मत कीजिये । यह असंसदीय है । इसे हटा दीजिए ।

Shri Madhu Limaye : There are three things to be done : (1) Will you give your ruling about the C.B.I. Report and all other investigation reports to be laid keeping in view the proceedings of the House ? (2) We would like to listen to Ministers individually because the privilege issues is not against the Government but against the individual Ministers and a Member. (3) You will allow us to speak on *'Sub-judice'* issue and thereafter you may give your ruling.

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने विशेषाधिकार के प्रस्ताव की सूचना दी है । मैं उस पर बोलना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : हम एक विशेषाधिकार के प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिये किसी अन्य विशेषाधिकार प्रस्ताव पर चर्चा नहीं की जा सकती ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : The charge-sheet given by C. B. I., on which a new privilege motion is being saught, may also be included in it.

अध्यक्ष महोदय : उन्हें एक समझा जायेगा । इसी में उस पर भी चर्चा कर लीजिये ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : व्यवस्था का प्रश्न निपटाने के बाद मुझे नियम 223 के अधीन निवेदन करने की अनुमति दी जाये ।

Mr. Speaker : I have already said that let it be included and discussed simultaneously. I would like to clear one thing that you have given an adjournment motion..

Shri Atal Bihari Vajpayee : That will be taken up later on. In the first instance privilege motion is to be discussed.

Mr. Speaker : Adjournment Motion is No. 1 and thereafter the Privilege Motion.

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : हम उसपर अभी जोर नहीं दे रहे ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं आज के लिये जोर नहीं दे रहा । इस मामले के तथ्य ये हैं । श्री एल० एन० मिश्र ने अपने व्यक्तिगत स्पष्टीकरण में कहा था कि जब वह विदेश व्यापार मंत्री थे तब उनके पास एक पत्र आया था जिसपर अनेक संसद सदस्यों के हस्ताक्षर थे... **(व्यवधान)**

श्री सी० एम० स्टीफन (मुक्तुपुजा) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । गत तीन दिनों से कुछ मामले अनिर्णीत पड़े हैं । विरोधी पक्ष के कुछ सदस्यों ने विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना दी थी जिसे आप स्व-विवेक से गृहीत या रद्द कर सकते थे । परन्तु आप ने उनके विचार सभा में सुनने चाहे । आपने अभी अन्तिम विनिर्णय नहीं दिया । नियम 224 के अनुसार जब एक विशेषाधिकार प्रस्ताव चर्चाधीन है तब किसी अन्य विशेषाधिकार प्रस्ताव पर चर्चा नहीं की जा सकती । यदि पहले प्रस्ताव से सम्बद्ध किसी अन्य मामले पर विचार करने की अनुमति दी जायेगी तो इससे सभा की कार्यवाही में रुकावट पड़ेगी । हम आपसे कार्यसूची में उल्लिखित मदों पर विचार करने के लिये कह सकते हैं । मेरा आप से अनुरोध है कि आप दूसरे विशेषाधिकार प्रस्ताव को रद्द कर दें और पहले विशेषाधिकार प्रस्ताव पर अपना विनिर्णय दें ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : The rule that "not more than one question shall be raised at the same sitting" does not apply in this case, because all the privilege motions are connected with one issue (**Interruptions**)..Mr. Speaker, Sir, four members gave notices of privilege motions against three Ministers and you admitted them for consideration. You did not take the plea of one motion for the day as you felt that they related to the same subject. The Congress members should also cooperate. C. B. I. Charge sheet has been filed in the court and if a new Privilege Motion is necessary, can't we give notice for the same?

Mr. Speaker : You have yourself said that it is new and have come a new motion be taken up when the first one is still being discussed. Let it be disposed of first. They were identical motions and one was taken up but now it is a separate motion, notice of which has been given on a different date. Now, you come with a privilege motion arising out of a matter which arose on a different day. You are bringing it in a new shape. How can it be taken up ?

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : बात यह है कि जब विशेषाधिकार के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा हो तो क्या किसी अन्य 'शिकायत' पर विचार किया जा सकता है । मेरा निवेदन यह है कि जहां तक विशेषाधिकार भंग सम्बन्धी शिकायतो की बात है वे विशेषाधिकार भंग होने के तत्काल बाद करनी होती है । यह एक पृथक मामला है कि सभा द्वारा विशेषाधिकार भंग के मामले पर विचार किया जा सकता है या नहीं । 'हाऊस आफ कामन्स' में यह प्रक्रिया है कि कोई सदस्य विशेषाधिकार भंग की शिकायत अध्यक्ष को सूचना दिये बिना सीधे सभा में प्रस्तुत कर सकता है **(व्यवधान)**

श्री सी० एम० स्टीफन : मेरे व्यवस्था के प्रश्न पर दिये गये निर्णय के बाद वह इस मामले को पुन: नहीं उठा सकते ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे उनका व्यवस्था का प्रश्न सुनने दीजिये ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : जब कोई अपराध होता है तो सर्वप्रथम प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ० आई० आर०) दर्ज कराई जाती है । यह रिपोर्ट दर्ज कराने पर ही श्री बसु, श्री वाजपेयी और श्री लिमये ने विशेषाधिकार भंग का मामला उठाया है । एक अपराध किया गया है और हम सभा के समक्ष यह शिकायत ले कर आये है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में विशेषाधिकार भंग हुआ है । 'हाऊस आफ कामन्स' की प्रक्रिया के अनुसार, ऐसी शिकायत तुरन्त प्रस्तुत की जानी चाहिये । इस बात का निर्णय आपको करना है कि उस पर किस दिन चर्चा की जाये ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : जब मैं प्रश्न काल के बाद खड़ा हुआ तो आप ने मुझे श्री मधु लिमये का व्यवस्था का प्रश्न समाप्त होने के बाद बोलने का निदेश दिया था । मैं केवल सभा का ध्यान आपकी ओर दिलाना चाहता था । मैंने जो विशेषाधिकार का प्रस्ताव तैयार किया है वह सभा पटल पर रखे गए क्षारोप पत्र पर आधारित है । आपने मुझे इस पर बोलने की अनुमति दी थी और इस पर मेरे माननीय मित्र उत्तेजित हो गए और उन्होंने मुझे बोलने से रोका ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : We have given Notice of a Privilege Motion based on the Charge-sheet filed in the Court. The Charge-sheet was not there when the notices of earlier Privilege Motions were given. These motions are being discussed. They have to give clarification on these points. And, Mr. Speaker, you have to give your ruling in regard there to. As regards the new motions, no rule prevents us from raising them. But unless old motions are settled, they will remain pending.

Shri Madhu Limaye (Banka) : I have a new point. Firstly, you should distinguish between a Notice and a Question. If there was only one Notice, why have you taken Previlege Motions in unison ? I gave notices of motions during the last session. You have not taken decision on them. They are pending. I have also given a new Notic regard thereto but no decision has been taken as yet. On the other hand You have heard on four other notices in regard to the same questions. Besides, this new cognate notice have come up. In the circumstances it would be better if we are heard first.

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra) : I have a point of Order.

Mr. Speaker : I will give you chance after hearing him.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं आपका ध्यान नियम 224 के उप नियमों (दो) और (तीन) की ओर दिलाना चाहता हूं। क्या इसके सिवाय कोई अन्य मामला ऐसा है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और जिस पर सदन में विचार किये जाने की आवश्यकता है ? क्या इसके अतिरिक्त और कोई महत्वपूर्ण विषय है ?

Shri Shankar Dayal Singh : They are raising points of order under rule 222. Shri Stephon has raised a point of order under rule 376 that under rule 224 only one privilege motion can be moved at a time. In the book "Practices and Procedure in Parliament" by Shandher and Kaul, it is written that the ruling of the Speaker will be final in deciding whether a question is a 'point of order' or not. You have given your ruling in Shri Stephon's case. Now there is no scope for debating on this privilage motion.

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्व दिल्ली) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपका ध्यान नियम 376 के उप नियम 2 की ओर दिलाना चाहूंगा जिसमें कहा गया है कि व्यवस्था का प्रश्न सभा में चल रही कार्यवाही के बारे में उठाया जा सकता है। परन्तु यहां व्यवस्था के प्रश्न का उपयोग सभा में अव्यवस्था फैलाने के लिए किया जा रहा है। विशेषाधिकार का प्रस्ताव एक विशेष प्रस्ताव होता है जो किसी विशेष मुद्दे के बारे में विशेष व्यक्ति से संबंधित होता है तथा इसके लिए विशेष साक्ष्य की आवश्यकता होती है। इसलिए आपको पहले अपना विनिर्णय देना चाहिए कि क्या इस प्रकार उठाये जा रहे व्यवस्था के प्रश्न का उद्देश्य सभा में अव्यवस्था फैलाना है या नहीं। जब तक कोई विषय सभा के समक्ष नहीं आता है तब तक उस बारे में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है।

श्रीमती माया एच० (रायगंज) : जहाँ तक मैं समझती हूं, आपने श्री स्टीफन द्वारा उठाये गए व्यवस्था के प्रश्न पर अपना यह विनिर्णय दिया है कि यदि विशेषाधिकार के प्रश्न पर चर्चा चल रही है तो नया प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। अतएव आपका विनिर्णय कायम है।

श्री पीलू मोदी : इस बारे में काफी गलतफहमी पैदा हो गई है कि श्री स्टीफन द्वारा उठाये गए व्यवस्था के प्रश्न पर विनिर्णय दिया गया है या नहीं। मेरा कहना है कि विनिर्णय नहीं दिया गया है। मैंने ऐसा कभी नहीं सुना है कि कोई विनिर्णय अन्त में प्रश्न के रूप में समाप्त होता है। आप अपना रिकार्ड देख सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह आपने अच्छा तरीका निकाला है। आप इसे समझे नहीं हैं।

श्री पीलू मोदी : हमारे विचार में श्री स्टीफन के व्यवस्था के प्रश्न पर आपने जो विनिर्णय दिया है, वह प्रश्न पर समाप्त होता है, वस्तुतः उसमें विनिर्णय नहीं दिया गया है क्योंकि एक अन्य सदस्य को व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति दी गई थी। इसलिए मेरे विचार में जब एक व्यवस्था के प्रश्न का निपटान नहीं किया गया है और आपने दूसरा व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति दी है तो हम दूसरे व्यवस्था के प्रश्न पर बोल सकते हैं। पहला व्यवस्था का प्रश्न बिना विनिर्णय के समाप्त हुआ है। दूसरा व्यवस्था का प्रश्न व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। वह केवल यही कहते रहे कि 'व्यवस्था के प्रश्न' की व्यवस्था का कई प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है। मेरे विचार में व्यवस्था के प्रश्न उठाने की प्रक्रिया का दुरुपयोग कोई गम्भीर आरोप नहीं है।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए

अध्यक्ष महोदय : मैं पुनः याद दिलाना चाहता हूं कि क्योंकि श्री वाजपेयी ने यह कहा था कि सभी विशेषाधिकार के प्रश्न एक जैसे हैं अतः उनपर एक साथ विचार किया जा सकता है, इसीलिये मैंने यह कहा था कि इन पर एक साथ विचार किया जा सकता है...

श्री मधु लिमये : वह प्रश्न भिन्न था।

अध्यक्ष महोदय : मैंने स्पष्ट शब्दों में यह पूछा था कि सभी पर क साथ विचार किया जाये। अब हम अन्य प्रश्न पर तभी विचार करेंगे जब पहले विशेषाधिकार के प्रश्न का निपटान हो जायेगा।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : इसको ध्यान में रखा जाये तथा इस पर बाद में इस पर विचार-विमर्श किया जा सकता है... (**व्यवधान**)

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : नियम 224(1) के अनुसार एक बैठक में एक से अधिक ऐसे प्रश्न नहीं उठाये जा सकते।

अध्यक्ष महोदय : जब एक प्रश्न विचाराधीन है तब हम दूसरा प्रश्न कैसे उठा सकते हैं।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : यदि सभा की कोई अवमानता होती है तो क्या हम उस मामले को नहीं उठा सकते ?

Shri Atal Bihari Bajpayee : We would like to know your ruling sought by the Home Minister on C.B.I. Report. Have they submitted one report to you or more than one report?

श्री समर गुह (कंटाई) **:** आज की कार्यसूची में प्रश्नकाल के पश्चात् विशषाधिकार का प्रश्न सम्मिलित किया जाना चाहिये था किन्तु संसदीय कार्य मंत्री ने ऐसा नहीं किया। हमने इस आशय की सूचना भी दी थी। क्या आप संसदीय कार्य मंत्री से इस बारे में स्पष्टीकरण मांगेंगे ?

Shri Atal Bihari Bajpayee : May I know whether the Home Minister has submitted the relevant report to you as he declared in the House and if so whether he has submitted more than one reports to you ? I would also like to know your ruling on this matter.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस प्रकार कब तक चलेगा... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने मंत्री महोदय से शाम को पूछा था कि आप मेरे विनिर्णय किस बात पर जानना चाहते हैं। मुझे रिपोर्ट लगभग 10 बजे मेरे निवास स्थान पर मिली थी। मैं प्रातःकाल लगभग 5 बजे पंजाब चला गया जिससे मैं इसे पढ़ नहीं सका लेकिन मुझे इतना ज्ञात था कि इस पर भाग एक लिखा था। इस बीच मुझे जानकारी मिली कि मंत्री महोदय दिल्ली से बाहर गये हैं तथा मुझे दूसरा भाग सोमवार को प्राप्त हो जायेगा। वह इसे तथा इसके साथ कुछ दस्तावेजों को लेकर मेरे पास लगभग 10-30 बजे आये। मैं उसे पढ़ नहीं सका। मेरे विचार से अध्यक्ष का यह दायित्व नहीं होना चाहिये कि वह इस प्रकार की रिपोर्ट पर अपना न्यायिक मत व्यक्त करे। मैं इस बारे में कुछ भी कहने में समर्थ नहीं हूं। यदि वे इस सभा पटल पर रखना चाहें तो उनका स्वागत है। मैं इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहता।

श्री एच० एन० मुखर्जी : महोदय ! आपने यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है कि आप इन दस्तावेजों का क्या करें। मेरे विचार से आप इन रिपोर्टों का अध्ययन सभा को विश्वास में लेकर कर सकते हैं। आप किसी भी समिति की इस सम्बन्ध में सहायता ले सकते हैं।

Shri Madhu Limaye : It can not be a matter of Sub-judice on any ground (*Interruption*).

श्री श्याम नन्दन मिश्र : विशेषाधिकार के मामले में सभा सबसे बड़ा न्यायालय है।

श्री समर गुह : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। (**व्यवधान**) महोदय ! हमें यह याद रखना चाहिये कि लाइसेंस कापड का मामला सभा के समक्ष आया था तथा इस पर सभा में विचार-विमर्श हुआ था। ऐसी स्थिति में इस मामले को न्यायालय में क्यों ले जाया गया ? इस मामले को अब न्यायालयाधीन कैसे माना जा सकता है ? इस पर सभा में दो बार चर्चा हो चुकी थी...

श्री ज्योतिर्मय बसू : मे की 'पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस' नामक पुस्तक में स्पष्ट लिखा है कि किसी भी सदन के सदस्यों अथवा अधिकारियों के कदाचार का मामला विशेषाधिकार का मामला होता है...

अध्यक्ष महोदय : आप तो बोल चुके हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उपाध्यक्ष महोदय ने कहा था कि यह मामला कुछ संसद सदस्यों का मामला है जिन्होंने संसद-सदस्यों की हैसियत से कुछ किया है तथा इस मामले पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये । स्वयं आपने भी कहा था कि यदि कुछ लोगों ने जाली हस्ताक्षर किये हैं तो इस पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये । गृह मंत्री तथा विधि मंत्री ने भी आश्वासन दिया था

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाइये । अब विधि मंत्री को बोलने दीजिये ।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले :) : महोदय ! आपने मुझे विशेषाधिकार भंग के प्रश्न का उत्तर देने का आदेश दिया है । **(व्यवधान)** मैं केवल उसी विशेषाधिकार का उत्तर दूंगा जो मेरे विरुद्ध उठाया गया है ।

माननीय सदस्य ने 9 सितम्बर को मेरे द्वारा की गई टिप्पणी को उद्धृत किया है । मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि मैंने यह टिप्पणी की थी । किन्तु किसी भी टिप्पणी का संदर्भ से हटकर उल्लेख करना ठीक नहीं है । मैंने यह बात कई बार कही है कि यदि मामला स्पष्ट हो जाये तथा अभियुक्तों के नाम ज्ञात हो जायें तो सरकार का यही दायित्व है कि वह उस मामले को न्यायालय में ले जाये ।

एक माननीय सदस्य ने मेरे 5 सितम्बर के भाषण का हवाला दिया है किन्तु उन्होंने उस भाषण में महत्वपूर्ण अंश को उद्धृत नहीं किया । मैंने उस भाषण में कहा था कि सरकार भी सभा तथा माननीय सदस्यों की प्रतिष्ठा के मामले में उतनी ही चिंतित है जितने माननीय सदस्य चिंतित हैं । इसीलिये सरकार ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो से इसकी जांच का आदेश दे दिया है तथा प्रारम्भिक रिपोर्ट प्राप्त हो गई है । प्रतीत होता है कि कुछ अपराध किये गये हैं जिनको रजिस्टर कर लिया गया है तथा उनकी उचित जांच की जा रही है । मैंने यह भी कहा था कि यदि जांच से यह सिद्ध हो गया कि अपराध किये गये हैं तो अपराधियों के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा चलाने के लिये हर प्रयत्न किया जायेगा । . . . **(व्यवधान)** . . दिनांक तीन सितम्बर को भी मैंने स्थिति स्पष्ट कर दी थी कि यदि जांच के पश्चात् आवश्यकता हुई तो अपराधियों पर मुकदमा चलाया जायेगा । किन्तु माननीय सदस्यों ने मेरे इन शब्दों का कोई उल्लेख नहीं किया तथा अन्य बातों को संदर्भ से हटकर उद्धृत किया है । मैंने कहा है कि सभा को जांच के परिणामों की जानकारी दी जाएगी । जानकारी दे दी गई है . **(व्यवधान)**

माननीय सदस्यों ने इस बात का निर्णय स्वयं ही कर लिया है तथा उनके लिये अपराधी और दोषी कहना आरम्भ कर दिया है । महोदय ! आप सब की बात सुनकर इस बात का स्वयं निर्णय करें कि वास्तविक स्थिति क्या है । अभी कोई दोषी नहीं पाया गया है । **(व्यवधान)** मैंने यह आश्वासन कभी नहीं दिया था कि केन्द्रीय जांच ब्यरो को रिपोर्ट को प्रस्तुत किया जाएगा । **(व्यवधान)** मेरे भाषण को तोड़-मरोड़ कर कहा गया है । मैंने हर बार यही कहा था कि यदि यह सिद्ध हो गया कि अपराध किये गये हैं तथा अपराधियों का पता चल गया तो सरकार का सम्बद्ध व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने का विचार है । मैंने यह भी कहा था जांच के परिणामों को सभा को जानकारी दे दी जायेगी **(व्यवधान)**

श्री समर गुह : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मंत्री महोदय ने कहा है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच के निष्कर्षों को सभा को बता दिया जाएगा । केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट को सभा-पटल पर नहीं रखा गया है ।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री एच० आर गोखले : मैंने यह कभी नहीं कहा था कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट को सभा पटल पर रखा जायगा । ऐसी रिपोर्टों को कभी सभा-पटल पर रखा भी नहीं जाता **(व्यवधान)**

Shri Madhu Limaye: I would like to read out only three passages from the speeches.

श्री वसंत साठे : महोदय ! नियम 376 के अनुसार व्यवस्था का प्रश्न उठाने के लिये यह बताना आवश्यक है कि व्यवस्था का प्रश्न किस नियम के अन्तर्गत उठाया जा रहा है। क्या व्यवस्था का प्रश्न बनाने के लिये आप माननीय सदस्य को 3 या 4 पृष्ठ पढ़कर सुनाने की अनुमति देंगे तथा आधा घंटा या एक घंटा का समय देंगे ?

Shri Madhu Limaye : I will read out only three paragraphs and add only these sentences of my own. He said,

"The CBI has been instructed to expedite the inquiry and to complete it as early as possible. I also want to mention this. I do not want to say that the Government alone will look at the results of the C.B.I. inquiry."

"I want to assure the Home that when the results of the C.B.I. investigations are known, The Government will take the House into confidence and, at that stage, it will be proper for Parliament, for the House, to consider as to what appropriate steps are to be taken for protecting the rights of the hon. Member."

The second passage is :

"The Government have said that they are having an inquiry by the C.B.I. and that the matter could be considered after the preliminary facts have been gathered, after the investigation is over."

The third passage is :

"Please refer to my remarks. I have said at that time that we shall take the House into confidence after the investigation report was available. After the results of the investigations are available, we shall take the House into confidence. The whole matter is open to the House to consider at that stage."

Now I will add only three sentences. Has he taken the House into confidence *suo moto* ? I do not think so.

His conduct as well as behaviour is quite disorderly. I demand that he should be reprimended for that.

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्व दिल्ली) : विधि मन्त्री के वक्तव्य के बाद श्री मधु लिमये ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है और दुबारा उन सभी मामलों का उल्लेख किया है और विधि मन्त्री पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। विधि मन्त्री ने यही कहा है कि जांच पड़ताल के परिणाम सभा-पटल पर रख दिये जायेंगे और उसके बाद सदन इस बारे में विचार कर सकता है। जांच का परिणाम सदन के समक्ष रखा जा चुका है। **(व्यवधान)** दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अनुसार केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट पहले ही सभा पटल पर रखी जा चुकी है, क्योंकि अभियुक्तों के नाम, आरोपों का सारांश और साक्ष्य का सारांश सभा-पटल पर रखा जा चुका है। **(व्यवधान)** विपक्ष चाहता है कि साक्ष्य अधिनियम और दण्ड प्रक्रिया संहिता का पूर्ण अवहेलना कर दी जाय। ऐसा करने से जाँच पड़ताल में बाधा पहुँचेगी। **(व्यवधान)**

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Sir, the Law Minister has not directly replied to my question . . .

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : क्या हम इस मामले पर बहस करने जा रहे हैं ? किस नियम के अन्तर्गत यह हो रही है ?

Mr. Speaker : Let me listen to the Honourable Member.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : I fully agree with the statement of the Honourable Law Minister that the Honourable Speaker has to take a decision on the Privilege issue and not the opposition. Would you make the mistake of examining the assurance of the Law Minister in parts ? He made three speeches in three days, but these speeches were self-contradictory. The Honourable Law Minister has misguided you. Before taking a decision, you should go through the entire proceedings.

The statement of the Law Minister just now is contradicting his statement on 3rd in the House. The Honourable Home Minister has said that the matter may come up before the Parliament after C.B.I. enquiry into the matter and the matter might be referred to the Privileges Committee, if Parliament so desires. Whereas the Law Minister says that these matters can be looked into only by a Court of Law. The proper agency, the statutory agency, that can investigate into the matter is the Court. On another occasion, the Law Minister has said that the House would be taken into confidence after the investigation report was available. The whole matter is open to the House to consider at that time.

I would like to know whether the Government had consulted the Law Minister before going to the Court and if the Law Minister had advised the Government to go to the Court. Then the Law Minister is guilty for the breach of his assurance to the House. By taking this matter to the Court. This House can not be prevented from discussing the matter. The Law Minister's assurance can be fulfilled only when the C.B.I. report is placed before the House, otherwise he is guilty for the breach of privilege of the House.

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । एक बार उत्तर दिया जा चुका है और सामान्य नियम यह है कि बार-बार उस पर भाषण नहीं हो सकता । अब आपको निर्णय होना चाहिए । अगर आप भाषण देते को अनुमति देते हैं, तो सब पक्षों को भाषण की अनुमति होनी चाहिए । इसकी अनुमति नहीं होनी चाहिए । **(व्यवधान)**

यह कहा गया है कि आश्वासन दिया गया और उसका उल्लंघन किया गया । "सर्वश्री कौल और शकधर" की पुस्तक के अनुसार सदन में किसी मन्त्री द्वारा दिये गये आश्वासन को पूरा न किया जाना न तो विशेषाधिकार भंग का मामला है और न ही सदन का अपमान, क्योंकि किसी नीति के क्रियान्वयन की प्रक्रिया अनेक बातों पर निर्भर करती है । आश्वासन को पूरा न करने का मामला सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति को भेजा जा सकता है और नियमों के अनुसार इस पर बाद में सदन में चर्चा नहीं हो सकती । शिकायत करने वाले सदस्य को एक बार से ज्यादा भाषण करने का अवसर नहीं मिलना चाहिए और जिसके विरुद्ध आरोप लगाया गया है, उसके द्वारा उत्तर देने पर बात समाप्त हो जानी चाहिए । अगर शिकायत करने वाले को बार-बार भाषण करने का मौका मिलता है, तो जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है, उसे भी उतनी ही बार उत्तर देने का अवसर मिलना चाहिए ।

मेरे व्यवस्था का प्रश्न पर आप निर्णय दीजिए ।

श्री वसंत साठे (अकोला) : व्यवस्था के प्रश्न पर बहस नहीं होनी चाहिए । आप सभी व्यवस्था के प्रश्नों पर एक साथ निर्णय नहीं दे सकते ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री स्टीफन, श्री भगत और अन्य सदस्यों के व्यवस्था-प्रश्नों को नोट कर दिया है ।

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : एक मन्त्री महोदय पिछले तीन दिन से प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

श्री पिलू मोदी (गोधरा) : हम पिछले दस दिन से रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं । रिपोर्ट सभा पटल पर नहीं रखी जायगी, तब तक सैंकड़ों हजारों व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न उठते रहेंगे ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगूसराय) : आपको इस बात पर निर्णय करना है कि पहले दिये गये वचन के अनुसार क्या जाँच के परिणाम सदन के समक्ष रख दिये गये हैं। क्या विधि मंत्री ने अपने आश्वासनो अथवा वचनो को पूरा किया है ? इस मामले पर यह सदन ही विचार करेगा, आश्वासनों सम्बन्धी समिति नहीं, क्योंकि विशषाधिकार के मामले पर अभी भी विचार हो रहा है।

विधि मन्त्री ने यह भी कहा था कि जाँच पड़ताल पूरी होने के बाद मुकदमा चलाया जायगा। जांच के परिणामो को पहले सभा-पटल पर रखा जा सकता है और फिर न्यायालय में मुकदमा दायर किया जा सकता था। इसलिए विधि-मन्त्री आश्वासन पूरा न करने के दोषी हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : श्री गोखले ने 3 सितम्बर, 5 सितम्बर और 9 सितम्बर को तीन बार भाषण दिए। उन्होने अनेक बार यह भी कहा कि इस सदन के समक्ष, न्यायालय द्वारा कोई कार्यवाही करने से पहले ही, केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट पेश की जायगी। आरोप पत्र 9 नवम्बर की तारीख का है। सत्र के पहले दिन अर्थात् 11 नवम्बर को इसे सदन के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया, परन्तु मामले को अदालत मे ले जाया गया, जिससे सदन में चर्चा पर रोक लगाई जा सके।

अध्यक्ष महोदय : अब हम चर्चा स्थगित करते हैं और कल फिर इस मामले को लिया जायगा।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगूसराय) : इस मामले पर निर्णय किया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : अन्य जो मंत्री प्रतिक्षा कह रहें है, उन्हे कल बोलने का अवसर दिया जायगा।

तत्पश्चात् लोकसभा तीन बजे म० प० पर तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till fifteen of the clock

लोक सभा तीन बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha reassembled at fifteen of the Clock

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]

Mr. Deputy Speaker in the Chair

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 और गुजरात स्वामित्व फ्लेट अधिनियम 1973 के अधीन अधिसूचनाएं

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं श्री मोहन धारिया की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 58 के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण (आपत्तिजनक कार्य रोकने सम्बंधि प्रक्रिया) नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 19 अक्तुबर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसुचना संख्या सा० सां० नि० 2736 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रन्थालय में रखे गए, देखिए सं० एल०टी० 8545/74]**

(एक) गुजरात राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 9 फरवरी, 1974 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (तीन) के साथ पठित गुजरात स्वामित्व फ्लैट अधिनियम, 1973 की धारा 44 की उपधारा (3) के अन्तर्गत गुजरात स्वामित्व फ्लैट नियम, 1974 की

एक प्रति, जो दिनांक 23 सितम्बर, 1974 के गुजरात सरकार राजपत्र में अधिसूचना संख्या जो० एच०जे०/52/74/एफ० ओ० बो०/1073/ए०-1 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना का हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । **(ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए सं० एल० टी० 8546/74)**

(तीन) गुजरात सरकार की दिनांक 31 अगस्त, 1974 की अधिसूचना संख्या जी० एच०/जे०/47/74 एस० सी० बी०-9073/ए०-1, दिनांक 31 अगस्त, 1973 की अधिसूचना संख्या जो० एच० जे० 48/74/एस० सी० बी० 1073/ए०1 तथा दिनांक 26 सितम्बर, 1974 की अधिसूचना संख्या जो० एच०/जे० 51/74/एस० सी० बी०/1073/ए०-1 के हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक* विवरण (हिन्दी संस्करण) । **[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए सं० एल०टी० 8547/74]**

कृषि पुनर्वित्त निगम अधिनियम, 1963 के अधिन कृषि पुनर्वित्त निगम की वार्षिक रिपोर्ट और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और अतिरिक्त परिलब्धियां [अनिवार्य जमा] अधिनियम, 1974 के अंतर्गत अधिसूचनायें

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : मैं सभा-पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :—

(1) कृषिक पुनर्वित्त निगम अधिनियम, 1963 की धारा 32 की उपधारा (2) के अन्तर्गत पुनर्वित कृषिक निगम, बम्बई के 3 जून, 1974 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा परीक्षित लेखे । **[ग्रन्थालय में रखे गये देखिए, सं० एल०टी० 8539/74)**

(2) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 660(ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 18 नवम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन । **[ग्रन्थालय में रखे गये देखिए सं० एल०टी० 8540/74]**

(3) अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) अधिनियम, 1974 की धारा 25 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(एक) अतिरिक्त उपलब्धियां अनिवार्य निक्षेप (सरकारी कर्मचारी) स्कीम, 1974 जो दिनांक 8 नवम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 458(ङ) में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) अतिरिक्त उपलब्धियां अनिवार्य निक्षेप (स्थानीय प्राधिकरणों के कर्मचारी) स्कीम 1974 जो दिनांक 8 नवम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 459(ङ) में प्रकाशित हुई थी ।

*अंग्रेजी संस्करण 11-11-1974 को पहले ही सभा-पटल पर रखा जा चुका है ।

(तीन) अतिरिक्त उपलब्धियां अनिवार्य निक्षेप (सरकारी तथा स्थानीय प्राधिकरणों के कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य कर्मचारी) स्कीम, 1974 जो दिनांक 8 नवम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 460(ङ) में प्रकाशित हुई थी ।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल० टी० 8541/74]

पशु कल्याण बोर्ड का वर्ष 1972-73 के लिए लेखा तथा लेखा-परीक्षा रिपोर्ट

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : मैं अण्णासाहिब शिन्दे की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

पशु कल्याण बोर्ड (प्रशासन) नियम, 1962 के नियम 24 के उपनियम (4) के अन्तर्गत पशु कल्याण बोर्ड, मद्रास के वर्ष 1972-73 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा तत्सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिये सं० एल० टी० 8548/74]

बम्बई मद्य-निषेध अधिनियम, 1949 के अधीन अधिसुचनाएँ और विवरण

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : मैं सभा-पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :

(एक) गुजरात राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 9 फरवरी, 1974 को जारी की गई उद्घोषा के खंड (ग) (तीन) के साथ पठित बम्बई मद्य निषेध अधिनियम, 1949 की धारा 143 की उपधारा (4) के अन्तर्गत बम्बई मदय निषेध (स्प्रिट निर्माण (गुजरात) (संशोधन) नियम, 1974 की एक प्रति, जो दिनांक 27 जून, 1974 के गुजरात सरकार राजपत्र में अधिसूचना संख्या जो० एच;/एस० एच०/822 बी; पी०/ए० 1073-6080 पी० में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना का हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण । (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए सं० एल० टी० 8549/74]

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अधिसूचनायें और कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत प्रतिवेदन

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : मैं सभा-पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्न लिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :–

(एक) सां० आ० 579(ङ) जो दिनांक 30 सितम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 27 जुलाई, 1974 की अधिसूचना संख्या सां० आ० 457 (ङ) में प्रकाशित दिल्ली, मेरठ और बुलन्द शहर दुध तथा दूध-उत्पाद (निर्यात) नियंत्रण आदेश, 1974 में कतिपय संशोधन किया गया है ।

(दो) सा० सां० नि० 443 (ङ) जो दिनांक 1 नवम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) उर्वरक (लाने ले जाने पर नियंत्रण) (चौथा संशोधन) आदेश, 1974 जो दिनांक 8 नवम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सख्या सां० सां० नि० 457 (ङ) में प्रकाशित हुआ था। **[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए सं० एल० टी० 8550/74]**

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(एक) हरियाणा कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़ के 30 जून, 1973 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखें तथा उन पर नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) उत्तर प्रदेश राज्य कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, लखनऊ, का वर्ष 1972–73 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखें तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। **[ग्रंथालय में रखे गये देखिए सं० एल० टी० 8551/74]**

निर्यात (गुण प्रभार नियंत्रण तथा निरीक्षण) नियम, 1964 के अधीन वर्ष 1972-73 के वार्षिक अधिवेशन तथा लेखापरीक्षित लेखें और टेक्सटाईल समिति अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत प्रमाणित लेखें और लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा निर्यात (गुण प्रभार नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत अधिसुचनायें

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :

(1) निर्यात (गुण प्रकार नियंत्रण तथा निरोक्षण) नियम, 1964 के नियम 16 के उपनियम (3) के अन्तर्गत निर्यात निरोक्षण परिषद् तथा अभिकरणों के वर्ष 1972-73 के (एक) वार्षिक प्रतिवेदन तथा (दो) लेखापरोक्षित लेखें (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति।

(2) टैक्सटाइल समिति अधिनियम, 1963 की धारा 13 की उपधारा (4) के अन्तर्गत टैक्सटाइल समिति के वर्ष 1972-73 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा तत्सम्बन्धी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन। **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 8542/74]**

(3) निर्यात (गुण प्रकार नियंत्रण तथा निरोक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संकरण) की एक-एक प्रति :—

(एक) घरेलू रेफ्रिजरेटर निर्यात (गुण प्रकार नियंत्रण तथा निरोक्षण) नियम, 1974 जो दिनांक 14 सितम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 2351 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) जल शोतक निर्यात (गुण प्रकार नियंत्रण तथा निरोक्षण) नियम, 1974 जो दिनांक 14 सितम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 2353 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) कक्ष वातानुकूलन निर्यात (गुण प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) नियम, 1974 जो दिनांक 14 सितम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 2355 में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) रबड़ के नम्पनालों का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1974 जो दिनांक 21 सितम्बर 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 2427 में प्रकाशित हुए थे ।

(पांच) क्रोम वर्णक निर्यात (गुण प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) नियम, 1974 जो दिनांक 21 सितम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 2429 में प्रकाशित हुए थ ।

(छः) वायु संपडिकों का निर्यात (गुण प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) नियम, 1974 जो दिनांक 28 सितम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 2502 में प्रकाशित हुए थे ।

(सात) सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1974 जो दिनांक 26 अक्तूबर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 2802 में प्रकाशित हूए थे ।

(आठ) वैक्यूम फ्लास्कों का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1974 जो दिनांक 26 अक्तुबर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 2803 में प्रकाशित हूए थे ।

(नौ) आकार्बनिक वर्णक निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1974 जो दिनांक 26 अक्तूबर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 2804 में प्रकाशित हुए थे ।

(दस) निरापद कांच निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1974 जो दिनांक 26 अक्तूबर 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 2805 में प्रकाशित हुए थे । **[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 8543/74]**

(ग्यारह) धुलाई साबुन का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1974 जो दिनांक 26 अक्तूबर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 2806 में प्रकाशित हुए थे ।

(बारह) कार्बनिक रसायन का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1974 जो दिनांक 26 अक्तूबर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 2807 में प्रकाशित हुए थे । **[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 8543/74]**

(4) काफी अधिनियम, 1942 की धारा 48 की उपधारा (3) के अन्तर्गत काफी (दूसरा संशोधन) नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-प्रति जो दिनांक 7 नवम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 455(ङ) में प्रकाशित हुए थे । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 8544/74]**

राज्य सभा से सन्देश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

महासचिव : मैं राज्य सभा से प्राप्त इस संदेश की सूचना देता हूं कि राज्य सभा ने 18 नवम्बर, 1974 की अपनी बैठक में पूर्वी पंजाब नगरोय किराया नियत्रण अधिनियम (चण्डोगढ़ पर विस्तार) विधेयक, 1974 पास कर दिया है ।

मैं पूर्वी पंजाब नगरोय किराया नियंत्रण अधिनियम (चण्डोगढ़ पर विस्तार) विधेयक, 1974' राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, सभा-पटल पर रखता हूं ।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

सत्रहवां प्रतिवेदन

श्री चन्द्रिका प्रसाद (बलिया) : मैं सभा को बैठकों से सदस्यों को अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का सत्रहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपूर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । समिति ने श्री तुलमोहन राम को अनुमति दी है, उन्हें निलम्बित किया गया है या नहीं, इसका हमें पता नहीं है । मैं सरकार से इसका उत्तर चाहता हूं । **(व्यवधान)**

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra): The Committee did not receive his application

उपाध्यक्ष महोदय : वह सभा में उपस्थित हुए होंगे । मुझे पता नहीं है । उन्होंने रजिस्टर में हस्ताक्षर किये होंगे । **(व्यवधान)**

अब मंत्री महोदय का वक्तव्य होगा । श्री बालगोविन्द वर्मा के स्थान पर श्री रघुनाथ रेड्डी वक्तव्य देंगे ।

उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी के कारण जबरन छुट्टी के लियें मुआवजें के बारें में वक्तव्य

STATEMENT RE. COMPENSATION FOR LAY OFFS DUE TO POWER SHORTAGE IN U.P.

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : 12 नवम्बर, 1974 को, श्री एस० एम० बनर्जी ने उत्तर प्रदेश में बिजली को कमी के कारण उत्पन्न हुई जबरी छुट्टियों को समस्या को ओर ध्यान खींचा था । उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनानुसार, राज्य सरकार को राज्य में बिजली प्रदाय को कठिन स्थिति के कारण, बिजली को कटौती करनी पड़ी थी । कई एक औद्योगिक एककों को जबरी छुट्टी देनी पड़ी । जनवरी से 31 अगस्त, 1974 के दौरान उत्तर प्रदेश में, विभिन्न अवधियों के लिये जबरी छुट्टी पर भेजे गए श्रमिकों की संख्या 94,787 बताई गई । जब कि सितम्बर, और अक्तूबर, 1974 के दौरान समस्त राज्य में जबरी छुट्टी पर भेजे गए श्रमिकों की संख्या के संबंध में सूचना अभी तक राज्य सरकार के पास उपलब्ध नहीं है, सितम्बर और अक्तूबर, 1974 के दौरान कानपुर में विभिन्न अवधियों

[श्री रघुनाथराव रेड्डी]

के लिये जबरी छुट्टी पर भेजे गये श्रमिकों की संख्या क्रमश: 11,134 और 11,599 है। इन में कानपुर में केवल कपड़ा उद्योग में जबरी छुट्टी पर भेजे गए अनुमानत: 9,700 श्रमिक शामिल हैं। राज्य औद्योगिक संबंध तंत्र के अनुसार, कानपुर की कपड़ा मिलों में से एक मिल (अथर्टनवेस्ट टेक्सटाईल मिल्स) के श्रमिक, जिसमें लगभग 3,800 श्रमिक काम करते हैं, जबरी छुट्टी के मुआवज़े और कुछ और मामलों को लेकर 16 नवम्बर, 1974 से हड़ताल पर है। इस मुआवज का विषय उस निर्णय के अनुसरण में पैदा हुआ जो कि मिल प्राधिकारियों ने उत्तरी भारत के नियोजक संघ के उस प्रतिवेदित निर्देश के पश्चात् लिया था, जिस में कि यह कहा गया कि जबरी छुट्टी के मुआवजे का भुगतान, औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 6-ट० (1) और (2) के सही अर्थों के अनुसार किया जाय। इस धारा में अन्य बातों के साथ यह यवस्था है कि प्रथम 45 दिनों की समाप्ति के पश्चात् जबरी छुट्टी का मुआवजा तभी देय होगा जब जबरी छुट्टी में, प्रथम 45 दिनों के बाद एक सप्ताह या उससे अधिक की अविरत अवधियां शामिल हों। राज्य औद्योगिक सबंध तंत्र इस मामले की जांच कर रहा है। राज्य के श्रम मंत्री ने ऐसी स्थितियों में जबरी छुट्टी के मआवजे के प्रश्न पर तथा सम्बद्ध मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिये श्रमिकों और कानपुर के उद्योगों, मुख्य रूप से कपड़ा उद्योग, के प्रतिनिधियों की 25 नवम्बर, 1974 को एक त्रिपक्षीय बैठक भी बुलाई है।

जहां तक बिजली की उपलब्धता में सुधार करने के उद्देश्य से सबंधित उपायों का प्रश्न है, सदस्यों का ध्यान ऊर्जा मंत्री द्वारा 12 नवम्बर, 1974 को लोक सभा में उस दिन एक ध्यानाकर्षण नोटिस के सम्बन्ध में, संसद में दिये गए वक्तव्य की ओर आकर्षित किया जाता है।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं मंत्री महोदय के वक्तव्य के लिये उनका आभारी हूं। मंत्री महोदय ने वक्तव्य में कहा है कि किसी मिल के लगभग 3,800 श्रमिकों ने हड़ताल की थी। मालिक संघ ने यह जानते हुए ऐसा जानबूझकर किया कि कपड़ा श्रमिकों का दोष नहीं है। गत 27 वर्षों में सरकार द्वारा बिजली की कमी दूर न किये जा सकने और श्रमिक विरोधी नीति के कारण श्रमिक अब भुखमरी की हालत में हैं। मंत्री महोदय को चाहिये कि वह राज्य के मुख्य मंत्री के साथ यह मामला उठायें और जबरन छुट्टी के लिय मुआवजा अदा करने के लिये मालिक संघ पर दबाव डालें।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। गत शुक्रवार को कार्य-सूची के अनसार संसदीय कार्य मंत्री को अगले सप्ताह के सरकारी कार्य के लिये अपने सामान्य साप्ताहिक वक्तव्य के साथ सभा में आना था। उस मद के आधार पर हमने अध्यक्ष महोदय को कुछ मामले उठाने के लिए अग्रिम रूप से लिख कर दिया था। दुर्भाग्यवश वह मद नहीं आई है। बाद में हमें पता चला कि वह बुलेटिन में छपी हुई है। मंत्री महोदय द्वारा औपचारिक घोषणा किये बिना तथा सभा के अनुमोदन बिना क्या हम उस बुलेटिन को ठीक समझे ? संसदीय कार्य मंत्री ने सरकारी कार्य की घोषणा करने के लिये बुलेटिन का सहारा लिया है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापूर) : चूंकि हमें आश्वासन दिया गया था कि सभा में वक्तव्य दिया जायेगा इसलिये हमने नियम 377 के अन्तर्गत कोई नोटिस नहीं दिया। अब जब वह वक्तव्य नहीं आया है तो जिन सदस्यों को उस दिन मंत्री महोदय के वक्तव्य के बाद विभिन्न मामले उठाने की अनुमति दी गई थी उन्हें आज अपना बयान देने की अनुमति दी जाये।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं भी कुछ मामले उठाना चाहता था अत: मुझे भी अनुमति दी जाये।

Shri Hukam Chand Kacchwai (Morena) : I have already given notice and I have raised the subjects in that letter which are to be discussed this week.

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य-मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं शुक्रवार को वक्तव्य देने को पूरी तरह तैयार था परन्तु उस दिन परिस्थितियों के कारण मैं ऐसा नहीं कर सका। उस दिन कार्य

इतना हुआ कि मेरा कार्य आया ही नहीं। ऐसे अनेक मामले हुए हैं जब मंत्री कार्य की घोषणा न कर सका हो तब उसे बुलेटिन के माध्यम से घोषित किया गया है। नियम 377 के सम्बन्ध में माननीय सदस्य अगले शुक्रवार को अवसर प्राप्त करें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं संसदीय कार्य मंत्री को सलाह दूंगा कि हम स्वयं को अपने क्षेत्र तक ही सीमित रखें। नियम 377 का क्षेत्र ऐसा है जिसके अन्तर्गत अध्यक्ष महोदय को निर्णय करना होता है।

जहां तक मैं नियम समझता हूं, उनमें ऐसी कोई बात नहीं है जो मंत्री के लिये अगले सप्ताह का कार्य प्रस्तुत करने के लिये अनिवार्य हो।

अब हमारे पास बहुत कार्य है। गत शुक्रवार को न किये गये कार्य को आज ही करने के लिये तो कोई ऐसी मद नहीं है। अब हम अगला कार्य करते हैं और इसे कल पर छोड़ते हैं।

श्री के० रघुरामया : अगले सप्ताह क्या कार्य होगा, इस बारे में मुझे बताना है।

उपाध्यक्ष महोदय : जी, हां। ताकि माननीय सदस्यों को अपनी बात कहने का अवसर मिल सके।

प्रो० मधु दण्डवते : यह बात स्पष्ट की जाये कि गत शुक्रवार को जो नोटिस दिये गये थे, वे उसी क्रम से लिये जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : चूंकि यह स्थगित मद है इसलिये वे नोटिस उस दिन दिये हुए ही समझे जायेंगे।

एक माननीय सदस्य : और नये नोटिस लिये जायगे !

उपाध्यक्ष महोदय : जी, नहीं।

समिति के लिये निर्वाचन

ELECTION TO COMMITTEE

रबड़ बोर्ड

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :

"कि रबड़ अधिनियम, 1947 की धारा 4 की उपधारा (3) (ङ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन रबड़ बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करते हैं।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि रबड़ अधिनियम, 1947 की धारा 4 की उपधारा (3) (ङ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन रबड़ बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करते हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted

बैंककारी सेवा आयोग विधेयक

BANKING SERVICE COMMISSION BILL

वित्त मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि कतिपय बैंककारी संस्थाओं में सेवाओं और पदों पर नियुक्तियों के लिए कार्मिकों के चयन के लिए आयोग की स्थापना का और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मधु लिमये ।

Shri Madhu Limaye (Banka) : If the Chairman of the Banks indulges in nepotism, what will be done in that regards ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : क्या विधेयक पुर:स्थापित करने की इस अवस्था में यह मामला उठाया जायेगा? इसे बाद में भी उठा सकते हैं ।

Shri Madhu Limaye : When the hon. Minister wants objective, rational and impartial selection, he will have to agree that selection of the Chairman is made in a proper way otherwise this Bill will remain incomplete. There are charges of nepotism against the Chairman and Managing Director of the Bank of Baroda. The hon. Minister should tell us in his reply whether there are any criteria for appointment on top posts such as Chairmen and Managing Directors. The Government is going to decide through this Bill whether recruitment will be 25 per cent or more. What will happen to those agreements which have already been reached between several unions and bank managements in this regard ?

I shall request the hon. Minister to give some thought to the working of banks also.

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : जहां तक विभिन्न बैंकों में चेयरमैनों की नियुक्ति का सम्बन्ध है, ऐसी नियुक्ति सरकार द्वारा रिजर्व बैंक की सिफारिश पर की जाती है । इन पदों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों की विभिन्न योग्यताओं को रिजर्व बैंक ध्यान में रखता है अत: सेवा आयोग की कोई आवश्यकता नहीं है ।

जहां तक बैंक आफ बड़ौदा का सम्बन्ध है, मैं उन अभ्यावेदनों की जांच कर रहा हूं जो मुझे मिले हैं ।]

Shri Madhu Limaye : What will happen to the agreements reached for direct recruitment ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : ठीक है, मैं उसकी जांच करूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कतिपय बैंककारी संस्थाओ में सेवाओं और पदों पर नियुक्तियों के लिए कार्मिकों के चयन के लिए आयोग की स्थापना का और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was Adopted

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी गतिविधि निवारण विधेयक

CONSERVATION OF FOREIGN EXCHANGE AND PREVENTION OF SMUGGLING ACTIVITIES BILL

उपाध्यक्ष महोदय : अगली मद 12क है । इससे पहले कि मैं मंत्री महोदय को विधेयक पुर:स्थापित करने की अनुमति लेने के लिये बुलाऊं, मैं यह बताना चाहूंगा कि श्री मधु लिमये तथा श्री जनेश्वर मिश्र ने विधेयक का विरोध करने के लिये नोटिस दिये हैं । नियमानुसार तो वह ऐसा कर सकते हैं परन्तु इस अवस्था में ठीक नहीं है । अच्छा, अब मंत्री महोदय अनुमति लेने के लिये कहें ।

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विदेशी मुद्रा के संरक्षण एवं संवर्धन तथा तस्करी की गतिविधियों के निवारण के प्रयोजनों के लिये कुछ मामलों में निवारक निरोध और उससे सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :

"कि विदेशी मुद्रा के संरक्षण एवं संवर्धन तथा तस्करी की गतिविधियों के निवारण के प्रयोजनों के लिए कुछ मामलों में निवारक निरोध और उससे संबंधित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

अब, श्री मधु लिमये ।

Shri Madhu Limaye (Banka) : My first allegation is that this Bill is incomplete. Not only this, it is replete with *mala fides*. Firstly, it is intended to continue the emergency with a view to create conditions for issuing the Ordinances. Secondly, this Bill also intends to take away the Fundemental Rights of freedom under Article 19(a), (b) and (c). But this Bill has no provision for taking away the right to property which should not be there at all for those who wield so much economic and money power.

Then, there is a point of discretion, when full authority or discretionery power is given to the Government to arrest anybody they like, it is also open to them not to arrest one whom they do not like to arrest.

I have given notice and I say Shri Nitaynand Kanungo is guilty of perjury. Shri Ram Lal Narang is a notorious smuggler, Shri Hari Bhai Tandel is also a notorious smuggler.

These are my main allegations. I hope the hon. Minister will consider this matter seriously.

Shri Janeshwar Mishra (Allahabad) : This Bill provides for imposing restrictions on smuggling but the Government is giving grand treatment to smugglers like Coolie Mastarn.

The Government is giving protection to some of the smugglers.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : हमने राष्ट्रपति के आदेश के बारे में कुछ बयान दिये है ।

चर्चा का विषय यह है कि केरल की वर्तमान सरकार को किस प्रकार सुरक्षित रखा जाये और उसे अगले चुनाव तक सुनिश्चित रखा जाये । इसे वह आधे घंटे में समाप्त कर सकते थे ।

अनुच्छेद 14 को स्थगित करके उन्होंने असमानता उत्पन्न कर दी है...

उपाध्यक्ष महोदय : वह राष्ट्रपति आदेश के बारे में है तथा विधेयक के बारे में नहीं है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : दोनों को एक साथ लिया जा सकता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार लोगों को उनके विरोध करने के अधिकार से किस प्रकार रोका जा सकता है। परन्तु यह बहुत खेद की बात है कि आंतरिक सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत हमी लोगों पर कार्यवाही की जाती है। मेरा प्रश्न यही है कि वर्ष 1971 से जून 1974 तक सरकार द्वारा क्या किया गया है ? इस दौरान बिना मुकदमा चलाये 16,825 व्यक्तियों को बंदी बनाया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप विधेयक के बारे में बोलिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री सी० सुब्रहमण्यम् : मैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर उस समय दूंगा जब विधेयक पर विचार किया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो आप पर ही निर्भर करता है। प्रश्न यह है :

"कि विदेशी मद्रा के संरक्षण एवम् संवर्धन और तस्करी की गतिविधियों के निवारण के प्रयोजनों के लिये कुछ मामलों में निवारक निरोध और उससे सम्बद्ध विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The Motion was adopted.

आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखना (संशोधन) अध्यादेश के 1974 बारे में वक्तव्य

STATEMENT REGARDING MAINTENANCE OF INTERNAL SECURITY (AMENDMENT) ORDINANCE 1974

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम्) : मैं लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 71(1) के अन्तर्गत आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना (संशोधन) अध्यादेश, 1974 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

नियम 377 के अधीन मामला

MATTER UNDER 377

पटसन के मूल्यों में कमी और पटसन निगम का काश्तकारों की सहायता करने में असफल रहना

श्री ज्योतिर्मय बसु : सरकार ने पटसन का मूल्य, उत्पादन लागत से भी कम रख कर पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा और बिहार के पटसन उत्पादकों को पूर्णतया नष्ट कर दिया है। आज स्थिति यह है कि दूसरी ओर खाद्यान्नों के मूल्यों में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है।

कुछ ही समय पूर्व पश्चिम बंगाल के मंत्रियों द्वारा वाणिज्य मंत्री के वक्तव्य की निंदा की गई थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है कि ऐसा जूट मिल मालिकों के हितों को दृष्टिगत रखते हुये किया जा रहा है। सरकार को इस ओर उचित ध्यान देना चाहिये कि पटसन उत्पादकों को कम से कम 250 रुपये प्रति क्विंटल की दर प्राप्त हो तथा जूट निगम पर्याप्त मात्रा में पटसन खरीदे। गत वर्ष स्थिति यह रही कि पटसन उत्पादकों की केवल 40–42 रुपये प्रति क्विंटल का मूल्य प्राप्त हुआ। इस वर्ष यदि उन्हें 80 या 85 रुपये क्विंटल का मूल्य प्राप्त हो जाये तो उससे उद्योग को अधिक हानि नहीं होगी।

पश्चिम बंगाल के पटसन उत्पादकों के समक्ष जूट मिल मालिकों द्वारा अकृत्रिम मांग की कमी पैदा कर दी गई है। इसका उद्देश्य यही है कि पटसन के भावों में कमी आये। यद्यपि पश्चिम बंगाल जूट सहकारी संस्था ने एक करोड़ का जूट खरीदा। यह पटसन गोदामों में पड़ा सड़ रहा है परन्तु जूट पटसन ने खरीद नहीं की है। पटसन उद्योग के माध्यम से हमारा देश काफी विदेशी मुद्रा अर्जित करता है अत: सरकार को पटसन उत्पादकों की सहायता करनी चाहिये। सरकार द्वारा यदि पटसन उद्योग को प्रोत्साहन नहीं दिया गया तो पटसन उत्पादन वाली भूमि पर खाद्यान्न की उपज होने लगेगी जिससे हमारी जूट मिलों के समक्ष संकट उत्पन्न हो जायेगा। इसका प्रभाव हमारी विदेशी मुद्रा पर भी पड़ेगा। अत: सरकार को इस ओर अपेक्षित ध्यान देना चाहिये।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (आँसग्राम) : मैं गत सात दिनों से पटसन के गिरते हुये मूल्यों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयत्न कर रहा था। यहअच्छा हुआ कि श्री बसु ने यह मामला उठा दिया। जब मंत्री के वक्तव्य के बाद हमें भी प्रश्न पूछने का उत्तर दिया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : उनकी बात कार्यवाही में शामिल हो गई है। यह मंत्री महोदय पर निर्भर करता है कि वह इसके बारे में वक्तव्य दें। अब रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अध्यादेश के सम्बन्ध में सांविधिक संकल्प पर विचार करेंगे।

रुग्ण कपडा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अध्यादेश के निरनुमोदन के बारें में सांविधिक संकल्प और रुग्ण कपडा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) विधेयक

STATUTORY RESOLUTION REGARDING DISAPPROVAL OF SICK TEXTILE UNDERTAKINGS (NATIONALISATION) ORDINANCE AND SICK TEXTILE UNDERTAKINGS (NATIONALISATION) BILL

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही सूची के अनुसार अगले विचारणीय विषय है—रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अध्यादेश तथा रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) विधेयक। इन दोनों के लिए समग्र रूप से छ: घण्टे का समय निर्धारित किया गया है।

श्री एस० एम० बनर्जी : इस विधेयक के कुछ उपबन्ध बहुत विवादास्पद है। सूती कपडा उद्योग के मजदूरों के हित के अनेक प्रश्न इस विधेयक के अन्तर्गत आते हैं...

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप विधेयक के बारे में बोल रहे हैं ?

श्री एस० एम० बनर्जी : चूंकि अध्यादेश को ही विधेयक में बदल दिया जायेगा अत: इसके लिए विरोधी दलों की बैठक बुलाई जानी चाहिये।

Shri Madhu Limaye (Banka) : Mr. Deputy Speaker, Sir, it is a vital issue and all its aspects should be discussed. Personally I am opposed to the promulgation of ordidances in principle, because Government had to introduce Bills replacing the Ordinances in the next sessions of Parliament. That way no time is left for sending such Bills for necessary processing by the Select Committees etc. This leads to many loophole in the Bills passed so hurriedly. That it why I oppose it.

The Textile Mills which are not being run properly by their owners, should be taken over by the Government. I am in favour of their nationalisation. All the 103 mills should be taken over by one single Organisation *i.e.* National Corporation of Textiles

[Shri Madhu Limaye]

Corporation. These sick mills should not be left in the hands of State Corporations. This will help the Government in forming a uniform policy to be accepted throughout the Country. The States which, may have many Mills under the Corporation, should be represented in the Board of directors of the Corporation.

It should be borne in mind that the 103 mills which have been mentioned in the Bill, they constitute 18 to 20 percent of the total loomage spindlage and the number of workers. The Government was embarking on a stupendous venture by taking over these Mills. Therefore, the Bill should be treated as beverage for a textile policy based on public good.

A number of varieties of cloth are being produced by our Textile Industry. More than 4,300 varieties are produced by our textile mills. By reducing the number of such varieties, an attempt should be made to produce some standard varieties. My other submission in this regard is that now all the 103 mills come under the Ministry of Industry but all the textile mills whether in private or in the public sector, should be brought under the jurisdiction of Industry Ministry.

Now let us turn to the public utility service done by our textile industry. The textile mills in the organised sector have miserably failed to meet their social obligations. The per-capita availability of cloth was 15.22 metres in 1964. In 1973 it went down to 11.97 metres. The total production of the organised sector during the above period went down by 60 crore metres while it went up by 80 crores metres in handloom and powerloom sector. In our organised sector the textile industry is quite favourite of the Government. This sector received foreign exchange worth Rs. 1,386 Crores for import of cotton, dyes and chemicals etc. But their imports has been only to the tune of rupees 695 Crores. That foreign exchange worth Rs. 691 Crores was wated by this sector. The long staple Cotton is being imported on the plea that finished goods will be exported to foreign Countries. But it is a matter of regret that only 6 to 10 percent of the cloth manufactured with this Cotton is being imported.

In our country, big textile mills have been earning huge profits. But the industry has failed miserably to meet the social obligations. In view of the shortage of cloth for the Common man, the textile mills in the organised Sector have been directed to divert 20 percent of their total production to controlled varieties of cloth. This percentage should be raised to 35 percent. Besides, there are a number of loopholes in the penality provisions for defaulting mills. These loopholes must be plugged and provisions be implemented rigidly. The mills should be asked to supply their quota of controlled cloth quarterly or monthly, so that there is a steady flow of controlled cloth in the market. Arrangements should be made to print the price of cloth on every yard so that unscrupulous traders may not dupe the customers. Controlled cloth should be distributed through the public distribution systems. Public Committees should be organised to stregthen the public distribution system.

The compensation amount, as given to a number of textile mills is unreasonably high. For instance Appolo Mills have been given Rs. 120 lakhs as compensation. The worker is considered to be the backbone of our production. Now, look at his plight in our country. His genuine dues, such as provident fund have not been paid to him. These should have been first deducted by the Government before the compensation was paid to millowners

I have given an amendement regarding pre-take over. Secured loans etc. come late Workers' sweat brings forth production and wealth. These are basic facts and the Government should give priority to that.

The National Textile Corporation and the nationalised mills should place ideas before other mills in regard to the implementation of the Textile policy, I have talked of. They should not indulge in cheating and misappropriation in regard to the distribution and sale of contro-

lled as is generly done by others. But besides that I would recommend for on rather support the rejoined price control system otherwise the National Textile corporation would go in heavy losses.

The spinnings mills, not the composite mills should take up responsibility of supplying yard of the required count to the hand looms and power looms. The private mills have been harrassing and cheating the handlooms and powerlooms all along so this important responsibility should be taken up by the National Textile corporations. Compel the private sector also to do the same.

An expert Committee had concluded that Rs. 1,250 crores was required for the modernisation of the textile industry. The proportationate shares of the nationalised mills comes to Rs. 250 Crores. So the mills whose export performance is better should be given priority in regard to modernisation for which you have provided Rs. 108 Crores whereas they need Rs. 250 Crores then I doubt whether you would spent that much over.

The nationalised mills in the textile industry should appear as pace-setters in respect of modernisation, increasing the production of cloth, economy in the cost of production and reductions in the sale prices etc. and then the private sector should also be pressurised to do the same. There has been quite an unreasonable increase in the prieces of cloth during the last time-three years. So the Government should endeavour to reduce the prices by 25 to 30 percent in the minimum on all varieties of cloth the mills have reduced the production on one plea on the other and on the other side the purchasing power of the people have also gone down because of high prices as well as certain natural calamities.

Therefore the prices should be any how brought down.—(*Interruptions*).

I do agree that the credit policy should be selective. But the Government's credit policy is behind. There are some laws for the horders and speculators *vis--a-vis* the producers. The policy should be production oriented and it should be based on consumer goods and capital goods.

The cotton producing farmers have been subjected to great injustice during the last two months on account of the inefficiently and blunders of the cotton corporation and the Trade Ministry. Punjab, Haryana, Rajasthan, Gujarat and Maharashtra are all cotton producing States. The farmer there is under heavy distress. The public is directly concerned with the cloth, so you should be extra careful about the cotton. Prices of the varieties of cotton, *viz.*, Kalyan, Digvijay and Shankar-4 have gone very much down during September to November this year. Therefore the National Cotton Corporation should come in the forefront and the banks should also offer credits. The Government should fulfil their responsibilities towards the farmers.

The Government have taken up a big project, but the Past experienced has shown that the officials in the nationalised corporating become autocrats and misuse a major chunk of public money on personal luxuries and comforts. Then there occurs a wide gap between the salaries of the high ups and the workers. Such an imbalance is a curse.

Finally, I would like to know whether the Government would consider any involvement and participation of the workers and the consumers also in the set up ? Do you have any provisions of that sent in your Bill ? You are going to nationlise about 22 per cent of the textile industry wherein there exist 22 or 20 per cent of labour classes. Would you have some charges in the management ? I am not dogmatic about a particular form of management but you should think it over.

From the idea of having reformed Boards, I mean to have some sort of completion in regard to performance.

With these words, I formally introduce my resolution.

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० पी० मौर्य) : रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) विधेयक लोक सभा में 2 सितंबर, 1974 को पेश किया गया था तथा श्री लिमये ने यह आपत्ति उठाई थी कि सिद्धान्ततः वह इस विधेयक के विरुद्ध थे ।

[श्री वसन्त साठे पीठासीन हुए
SHRI VASANT SATHE *in the Chiar*]

आरंभ में मैं यह कहना चाहूंगा कि नेहरू परिवार के प्रति श्री लिमये के दिल में जो कड़वाहट भरी है उसको छोड़कर, उन्होंने ऐसे कुछ ठोस सुझाव दिये हैं जिनसे मजदूरों, उद्योग तथा देश को लाभ होगा । उनके कुछ सुझावों को तो पहले ही स्वीकार किया जा रहा है और मैं उनका जिक्र भी करूंगा ।

अध्यादेश के बारे में माननीय सदस्य जानते ही हैं कि सरकार के पास कार्य का बहुत भार है । यह सभा अनुपूरक बजट संबंधी वित्त विधेयक पर विचार कर रही थी । विधेयक को पारित करना जरूरी था ताकि तत्संबंधी प्रावधानों को प्रभावी किया जा सकता ।

आयात लाइसेंस मामले और सिक्किम के बारे में संविधान (36 वां संशोधन) विधेयक में सदन का बहुत सा समय लग गया । इस कारण कार्य मंत्रणा समिति द्वारा 9 सितम्बर, 1974 को सदन के स्थगित होने से पूर्व रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) विधेयक के लिए समय नियत नहीं किया जा सका । इस प्रकार विधेयक की पुरःस्थापना के पश्चात जो बीच का समय आ गया उस में 21 सितम्बर, 1974 को अध्यादेश जारी करना पड़ा । 6 कपड़ा मिलों का प्रबन्ध न्यायालय के रोकादेशों के कारण सरकार द्वारा अपने नियन्त्रण में न लिया जा सका । परंतु परिसम्पत्तियों के हस्तान्तरण को रोकने के लिए यह आवश्यक था । यह भी आशंका थी कि इन मिलों के मालिक विधेयक के उपबन्धों को जानते हुए कोई ऐसे समझौते न कर लें जो उपक्रमों के हित के न हो । इस के अतिरिक्त कुछ जमाकर्त्ताओं द्वारा प्रबन्धकों पर दबाव डाला जाने लगा था कि वास्तविक राष्ट्रीयकरण से पूर्व देयताओं की अदायगियां की जाएं । इससे उपक्रमों को हानि होने की संभावना थी ।

इस प्रकार की परिस्थितियों में सरकार को पहले भी अध्यादेश जारी करने पड़ हैं । उस अध्यादेश के स्थान पर अब रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) विधेयक, 1974 बनाया जा रहा है ।

श्री मधु लिमये द्वारा जिन बातों का वर्णन किया गया है सरकार द्वारा उनका पहिले ही पालन किये जा रहा है । मूल्यों को 25-30 प्रतिशत नीचे लाना राष्ट्रीय कपड़ा निगम की नीति है और इसे कार्यान्वित किया जायेगा ।

इस विधेयक के खण्ड 3, 4 और 5 के अन्तर्गत मालिकों के अधिकार, हक और हित केन्द्रीय सरकार में निहित किए जा रहे हैं । खंड 4 के उप-खंड (1) और खंड 5 में संशोधन प्रस्तुत करके यह स्पष्ट किया जा रहा है कि अभिगृहीत परिसम्पत्तियो के अतिरिक्त कुछ देयताएं भी केन्द्र सरकार का दायित्व होगीं और उनका निपटान राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा केन्द्र सरकार की ओर से किया जायेगा । अध्याय III के उपबन्ध रुग्ण कपड़ा उपक्रमों के मालिकों को धनराशि की अदायगी के बारे में है । अध्याय चार का संबंध राष्ट्रीय कपड़ा निगम के माध्यम से बीमार कपड़ा उपक्रमो के प्रबन्ध के बारे में है । खंड 6 के अनुसार राष्ट्रीय कपड़ा निगम को गौण निगमों की स्थापना करने की शक्ति दी गई है । अध्याय पांच उपक्रम के कर्मचारियों के बारे में है । खंड 14 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उपक्रमों के सभी कर्मचारी नियत दिन से राष्ट्रीय कपड़ा निगम के कर्मचारी होंगे और उन्हें वही वेतन मिलेंगे जो उन्हें उस समय से पूर्व मिल

रहे थे। अध्याय 6 अदायगी आयुक्तों की नियुक्ति एवं अदायगियां करने की प्रक्रिया के बारे में है। खंड 18 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार को निर्दिष्ट तिथि से 30 दिन के भीतर आयुक्तों को प्रथम अनुसूची में बताई गई राशि की अदायगी करनी है। खंड 20 के अनुसार बीमार कपड़ा उपक्रम के विरुद्ध दावा आयुक्त के पास दायर किया जाना है। दावों की प्राथमिकता का उल्लेख खंड 21 में है।

इस विधेयक में प्रबन्ध ग्रहण से पूर्व की अवधि एवं प्रबन्ध ग्रहण के पश्चात् की अवधि के लिए उपक्रम की देयताओं का स्पष्ट अन्तर बताया गया है। सरकार ने मिलों के आधुनिकीकरण एवं पुनर्वास के लिए धन का निवेश किया अत: यह आवश्यक समझा गया कि जिस समय के लिए प्रबन्ध केन्द्र सरकार के अधीन था उस समय की देयताओं को प्राथमिकता दी जाए। अत: खंड 27 के अधीन यह व्यवस्था की गई है कि दूसरी अनुसूची की श्रेणी एक में निर्दिष्ट किसी देयता का भुगतान यदि आयुक्त द्वारा न किया गया तो उस संबंध में केन्द्र सरकार दायित्व ग्रहण करेगी।

प्रबन्ध ग्रहण से पूर्व की अवधि की देयताओं को इसकी अनुसूची के वर्ग 3, 4 और 5 में रखा गया है। जमाकर्त्ताओं को अदायगियां आयुक्त के समक्ष दावे प्रस्तुत करके मालिकों को प्रथम अनुसूची के अन्तर्गत की गई अदायगियों से इन देयताओं की अदायगी करवानी होगी।

अध्याय 7 का संबंध विविध उपबन्धों से है। सरकार ने मिलों के कर्मचारियों के हितों को सदैव ध्यान दिया है। कर्मचारियों को प्रबन्ध ग्रहण से पूर्व की अवधि के लिये प्राप्य राशियों को संरक्षण दिया जायेगा। राष्ट्रीयकरण के पश्चात जिन कर्मचारियों को सेवाएं राष्ट्रीय कपड़ा निगम व गौण निगमों को स्थानान्तरित की जायेंगी उनकी सारी सेवा को पेन्शन व उपदान आदि के लिए विचार में लिया जायेगा। इन कपड़ा उपक्रमों के प्रबन्ध का भावी ढांचा देश भर के लिए एक समान बनाया गया है।

राज्य सरकारों को विकल्प दिया गया है कि वे 49% पूंजी लगा सकती हैं। प्रबन्ध राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अन्तर्गत होगा। राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अन्तर्गत व गौण निगम होंगे। इन गौण निगमों के 49% शेयर खरीदने का राज्य सरकारों को विकल्प दिया गया है। शेष 51 शेयर केन्द्र के पास होंगे। अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशकों की नियुक्ति राज्य सरकारों के परामर्श से की जायेगी। प्रबन्ध का यह ढांचा इस कारण बनाया गया है ताकि राज्य सरकारें भी इसमें रूचि लें। उद्योग को इस ढंग से संगठित करने का विचार है कि उत्पादन अधिकतम हो और उन वस्तुओं का उत्पादन हो जो देश में उपयोग में लाई जाती हैं।

इन बीमार कपड़ा मिलों का प्रबन्ध जिस समय सरकार के अधीन था, उनका कार्य परिणाम सन्तोष जनक रहा। सरकारी नियन्त्रण अधीन 96 मिलों ने अप्रैल-अगस्त 1974 के बीच 9 करोड़ रु० का शुद्ध लाभ कमाया। राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने इन बीमार मिलों के आधुनिकीकरण और पुनर्वास की ओर भी ध्यान दिया है।

सरकार जानती है कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मूल्य नीति इस प्रकार की होनी चाहिये कि उपभोक्ता को अच्छी किस्म का कपड़ा कम से कम मूल्य पर उपलब्ध किया जा सके। इस दृष्टि से कपड़े के मूल्य में 25 से 30% कटौती के प्रयास किए जाएंगे।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट रुग्ण कपड़ा उपक्रमों का इस दृष्टि से पुनर्गठन और पुनरुद्धार करने के लिए कि विभिन्न प्रकार के कपड़े और धारा के उत्पादन में वृद्धि और उचित कीमतों पर उसके वितरण द्वारा जनसाधारण का हित साधन हो सके, ऐसे रुग्ण कपड़ा उपक्रमों के सम्बन्ध

में स्वामियों के अधिकार, हक और हित के अर्जन और अन्तरण का और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय" ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : बीमार कपड़ा मिलों के प्रबन्ध ग्रहण अथवा राष्ट्रीयकरण मात्र से कपड़ा उद्योग की समस्याएं व जनता को समुचित मूल्य पर पर्याप्त कपड़ा उपलब्ध करने की समस्या हल नहीं होने वाली ।

कपड़ा उद्योग हमारे देश का सब से बड़ा उद्योग है । इन 103 मिलों की यह स्थिति किस प्रकार बनी है ? जब सरकार ने स्थिति की जांच की थी तो इनमें से कितनी मिलो की भ्रष्टाचार एवं उपबन्ध के कारण रुग्ण पाया गया था ? कितने मामलों में प्रबन्धकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार कुप्रबन्ध अंशधारियों एवं श्रमिकों के वेतनो एवं अन्य प्रकार के दुरुपयोग के कारण कोई कार्यवाही की गई ? जहां तक मेरी जानकारी है ऐसा एक भी मामला नहीं है । यह राष्ट्रीयकरण विधेयक मालिकों को बचाने मात्र के लिए है । विधयक के अनुसार उन्हें क्षतिपूर्ति के रूप में लगभग 40 करोड़ की राशि मिलने वाली है ।

प्रबन्ध ग्रहण के पश्चात भी सरकार तथा अन्य वित्तीय संस्थानों ने ऋणों के रूप में 67 करोड़ से अधिक धन दिया है । इस विधेयक में इस बारे में कोई उल्लेख नहीं कि उस की वसूली किस प्रकार से होगी ।

यह कहा गया है कि प्रबन्ध ग्रहण के पश्चात की देयताओं की श्रमिको को अदायगी की जायेगी परंतु प्रबन्ध ग्रहण से पूर्व की अवधि की देयताओं का क्या होगा ? श्रमिकों को उपदान की पूर्ण अदायगी तो की जायेगी परंतु भविष्य निधि के धन का क्या होगा ? क्या इस बारे में कोई जांच की गई है कि श्रमिकों की प्रबन्ध ग्रहण से पूर्व अवधि की देयताओ की स्थिति क्या है ? ऐसे कई श्रमिक हैं जिन्हें भविष्य निधि का पैसा वापस नहीं किया जा रहा ।

बैंक ऋणों को तो प्राथमिकता दी गई है परंतु श्रमिकों की देयताओं को कोई प्राथमिकता नही दी गई है । वास्तव में उन्हें प्रथम प्राथमिकता दी जानी चाहिये । ऐसे सैंकड़ों श्रमिक हैं जिन्हें अर्जित वेतन नहीं मिले व उन्हें छुट्टियों के वेतन नहीं मिले । इस प्रकार यह कहना गलत है कि श्रमिकों के हितों को संरक्षण दिया गया है ।

आधुनिकीकरण एवं पुनर्वास के नाम पर बाहर से लाखों रुपयों की मशीनरी का आयात किया जायेगा । इस समय एक मजदूर द्वारा तीन-चार करघे चलाएं जाते हैं जबकि आधुनिकीकरण के पश्चात एक मजदूर के अधीन 25-27 होंगे । इस प्रकार मजदूरों की संख्या कम हो जाएगी । मैंने एक संशोधन दिया है कि आधुनिकीकरण के नाम पर किसी भी मजदूर की नौकरी नहीं छीनी जानी चाहिये ।

यह कहा गया है कि उपभोक्ता कपड़े की उचित मूल्य पर सप्लाई करने के लिए ऐसा किया गया है । परंतु उचित मूल्य क्या है । यह एक थोथानारा प्रतीत होता है ।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम के कार्य में बहुत भ्रष्टाचार है । इसी कारण से 2 वर्ष इसके अध्यक्ष को त्यागपत्र देना पड़ा था । इस बात की क्या गारंटी है कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा इन मिलों के लिए जो व्यय किया जाएगा उसका उपयोग उचित होगा अथवा नहीं ?

इस संबंध में कोई उपबन्ध नहीं रखा गया है कि निश्चित मात्रा में सस्ते कपड़े का उत्पादन किया जायेगा । इन मिलों में अब तक केवल दिखावे मात्र के लिए सस्ता कपड़ा बनाया गया है । वास्तव में उत्पादन इस प्रकार विनियमित होना चाहिये कि अधिकतम कपड़ा सामान्य उपभोक्ता के लिए बने जो उसे उचित मूल्य पर बेचा जाए ।

गत तीन चार वर्षों में कपड़े की प्रतिव्यक्ति खपत कम हुई है। इस समय कपड़े के मूल्य में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। इस दृष्टि से सरकार का निश्चय तो सुन्दर है परंतु उसे कार्यान्वित करना मुख्य बात है। यह निश्चित किया जाये कि निश्चित मात्रा में सस्ता कपड़ा अवश्य बनाया जायगा।

बड़े बड़े उद्योगपतियों और एकाधिकारपतियों को दुर्लभ विदेशी मुद्रा संसाधनों का व्यर्थ व्यय करने की अनुमति नहीं देनी चाहिये। मशीनरी, रसायनों व अन्य वस्तुओं के आयात के लिए विदेशी मुद्रा का उपयोग किया जा रहा है।

सरकार ने कुछ कताई मिलों को भी अपने हाथ में लिया है। उनमें हथकरघा बुनकरों के लिए धागा बनाया जाये।

कपड़ा बनाने वालों द्वारा बहुत अधिक लाभ कमाया जा रहा है। अत: सरकार को सारे कपड़ा उद्योग को अपने अधीन लेना चाहिये और उस का राष्ट्रीयकरण करना चाहिये। अन्यथा इस समस्या का हल नहीं। सरकार के पूर्ण नियन्त्रण के प्रभाव में मिल मालिक कपास व कपड़े के मूल्यों में उतार चढ़ाव लाते हैं। अत: इन के शोषण को समाप्त करने के उपाय किए जाने चाहियें।

इन मिलों में भ्रष्टाचार व्याप्त था और उसी कारण वे रुग्ण थीं। अब उन्हें राष्ट्रीय कपड़ा निगम को सौंपा गया है उसमें भी भ्रष्टाचार व्याप्त है। उसके कार्यकरण का कोई भी प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। सरकार को इस निगम से भ्रष्टाचार समाप्त करने के प्रयास करने चाहियें।

Shri Ram Singh Bhai (Indore) : The mean of nationalization of any Industry depends on Co-operation of workers before the introduction of this Bill. I had discussed about gratuity, Provident Fund and other dues of workers, with the Minister. But this speech is not according to my expectations.

The House has enacted a number of such Acts which are favourable to workers. It has always upheld that interests. But it is a matter of concern that Section V of this Act is anti-worker. This is against their interests.

When the Coal Mines were Nationalised the owners had to pay a balance of Rs. 11 crores as Provident Fund, when the mines were nationalized the Government accepted all such liabilities. Similar attitude was adopted in case of Nationalization of Banks. But in case of Textile worker the Government has this time adopted a different attitude and deprived them of their rightful dues. The workers are working honestly and production and efficiency has increased in these Mills. But if Government adopts such an attitude the workers would not Co-operate with it.

When the ordinance relating to Nationalization was promulgated a circular was issued saying that Attorney General of India has expressed his view that Gratuaity and Provident Fund dues should be paid to the workers. Hence these dues would be paid by the National Textile Corporation. When the assets are being taken over the liabilities should also be honoured. Provident fund dues should be recovered like land revenue. These mills owe Rs. 20 Crores as Provident Fund arrears. The Minister had assured us that this would be deducted out of Compensation. But this is not being done. These dues have not been given first priority. In fact the position is that the entire compensation money of these mill owners would not be sufficient to pay off the workers dues. The Government should ensure that workers dues are paid to them by all the mill owners.

There is a rule that a worker could get money from his Provident Fund at the time of marriage of his daughter. But this Mill is not paying money for marriage purposes. The owner is not depositing Provident Fund money and no action has been taken in this matter. This mill ownes huge sums as arrears of Provident Fund and E.S.I. Contributions.

Amount was not deposited with E.S.I.C. with the result that labourers could not get medicine. It was a great injustice to them. Why the Government are paying compensation to mill owner when 83 Lakhs 26 thousand and three hundered Twelve rupees relating to Provident Fund have not been deposited ? While taking over such a mill, Government must take into consideration the fate of labourers who are being denied the amount which they have deposited with the mill.

I would also like to know the criterion of paying compensation to Sick textiles mills. I have noticed that 2 crores 35 lakhs and 68 thousands rupees have been paid to Ahmedabad Jupitar Mill which is running 1325 looms whereas only one thousand rupees have been paid to India United Mills which is running 6325 looms.

श्रीमती रोजा देशपांडे (बम्बई-मध्य) : मैं इस विधेयक का स्वागत करती हूं । इन मिलों का राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय करने में सरकार ने थोड़ी देर कर दी है। सरकार ने यह निर्णय मिल मालिक को लाभ पहुंचाने के लिए किया है न कि श्रमिकों को लाभ पहुंचाने के लिए। यह मिल घाटे में चल रही थी इसलिए सरकार ने मिल मालिक को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से यह मिल अपने हाथ में ले ली है।

सभापति महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रखें । अब आधे घंटे की चर्चा होगी ।

आकाशवाणी के कटक केन्द्र के भूमि के लेन-देन वाले घोटाले की केन्द्रीय जांच ब्युरो द्वारा जांच

C.B.I. INQUIRY INTO LAND DEAL SCANDAL OF CUTTACK STATION OF A.I.R.

सभापति महोदय : नियम संख्या 55(5) के अनुसार* माननीय सदस्य छोटा सा भाषण देंगे और मंत्री महोदय छोटा सा वक्तव्य देंगे ।

***श्री सुरेन्द्र महन्ती** (केन्द्रपाड़ा) : मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि वह इस घोटाले के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गई जांच की एक प्रति सभा-पटल पर रखें ताकि सदन तथ्यों से अवगत हो सके ।

वर्ष 1969 में भारत सरकार ने कटक में लगभग दो एकड़ भूमि आकाशवाणी के कर्मचारियों के आवास स्थानों का निर्माण करने हेतु अर्जित की थी और इसके लिए लगभग 4 लाख रुपये दिए थे । संविधान की सप्तम अनुसूची में समवर्ती सूची की प्रविष्टि 43 के अधीन सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अर्जित करने के मामले में केन्द्रीय सरकार की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी है । इसलिए मंत्री महोदय यह नहीं कह सकते कि भूमि उड़ीसा सरकार द्वारा अर्जित की गई थी । भूमि अर्जित करने के मामले में उड़ीसा सरकार ने एक एजन्ट मात्र का कार्य किया । वास्तविक जिम्मेदारी सूचना और प्रसारण मंत्रालय पर है ।

सम्पत्ति को अर्जित और पुनःअर्जित करने का विषय समवर्ती सूची की प्रविष्टि 42 में आता है । अतः अधिक जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार पर है ।

भूमि के अर्जन के बाद यह पाया गया कि वह भूमि खसमाहालभूमि है और वह सरकार की है और एक व्यक्ति ने उसे पट्टे पर ले रखी है जिसकी अवधि एक वर्ष बाद समाप्त होने वाली है । मंत्री महोदय से मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार ने ऐसी भूमि के लिए चार लाख रुपये क्यों दिये गये जबकि भूमि का पट्टा

---

*आधे घंटे की चर्चा

*Half-An-Hour Discussion.

एक वर्ष बाद समाप्त होने वाला था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने उड़ीसा सरकार से यह मामला क्यों नहीं उठाया कि जब यह खसमाहाल भूमि है और सरकार की भूमि है तो भारत सरकार इसका मूल्य क्यों दे ?

भूमि खरीदने से पूर्व सरकार की यह जिम्मेदारी थी कि वह भूमि के स्वामित्व के बारे में जांच कर ले। सरकार द्वारा जांच न कराये जाने के क्या कारण हैं ?

क्या सरकार की जानकारी में यह बात लाई गई थी कि यह भूमि खसमाहाल भूमि है और इसको पट्टे पर दिया गया है जिसकी अवधि अगले वर्ष समाप्त होने वाली थी ? यदि हाँ, तो फिर मुआवजा क्यों दिया गया ? मंत्री महोदय को इस बात का आश्रय नहीं लेना चाहिए कि जो कुछ किया उड़ीसा सरकार ने किया।

यह मुआवजा वर्ष 1972 में दिया गया था और उस समय श्रीमति नंदिनी सत्पथी सूचना और प्रसारण मंत्री थी। इसलिए अप्रत्यक्ष रुप से घोटाले के लिए वही जिम्मेदार है।

मंत्री महोदय मेरे प्रश्नों का उत्तर दें और केन्द्रीय जांच ब्यूरो का प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखें।

श्री श्यामसुन्दर महापात्र (बालासौर) : जब यह घोटाला हुआ तब महन्ती की उत्कल कांग्रेस का शासन था। पटना उच्च-न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा था कि पट्टे को रद्द करने का अधिकार सरकार के पास नहीं है। यदि पट्टाधारी पट्टे की अवधि बढ़ाने के लिए कहे, तो ऐसा किया जा सकता है और साथ ही पट्टे के नवीकरण के समय किराया बढ़ाया जा सकता है।

माननीय सदस्य ने आरोप लगाया है कि भूमि के लेन-देन के मामले में भ्रष्टाचार का प्रयोग किया गया है। वास्तविकता यह है कि लेन-देन के मामले में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। भूमि बाजार-मूल्य पर ही खरीदी गई थी। एक एकड़ के लिए 2 लाख रुपये कोई अधिक मूल्य नहीं है। इसलिए इस मामले को राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। उड़ीसा राज्य सरकार को भूमि खरीदने का पूरा अधिकार था। उड़ीसा सरकार के विधिध विभाग की भी यही राय थी कि लेन-देन चूक रहित था।

क्या मंत्री महोदय इस बात पर गौर करेंगे कि किसी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए और वह यह आश्वासन दे कि लेन-देन से पूर्व सरकार पूरी तरह संतुष्ट थी।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : आकाशवाणी के कर्मचारियों के लिए क्वार्टर बनाने हेतु भूमि का अर्जन करने के लिए मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं। फिर भी मैं तीन प्रश्न पूछना चाहता हूं। पहला तो यह कि क्या जमीन का चयन भारत सरकार द्वारा मार्च अथवा अप्रैल, 1969 में किया गया था। दूसरा यह कि क्या उड़ीसा सरकार ने 4 जनवरी, 1971 को अधिसूचना जारी की थी जब आर० एन० सिंह देव की सरकार थी। तीसरा यह कि क्या भूमि के मालिक को 30 मार्च, 1972 को मुआवजा दिया गया था जबकि प्रधानमंत्री सूचना मंत्री थी और श्रीमती नन्दिनी सत्पथी उनकी अन्य मामलों में सहायक थी।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : When the land was given on lease and whether the lease was effected in the name of a Government Servant ? I would also like to know at what rate it was purchased and whether C.B.I. has enquired into the matter and if so, whether the report of the same will be laid on the Table of the House. May I know whether Government has any intention to take action against persons who are involved in the scandal ?

श्री स्वर्ण सिंह सोखी (जमशेदपुर) : क्या यह सच है कि यह भूमि सरकारी भूमि है और यह खस-माहाल भूमि है और इस भूमि के पट्टे की अवधी कब समाप्त होनी थी ? केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गई जांच की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जानी चाहिए । यदि जमीन के लेन-देन में कोई घोटाला नहीं हुआ तो केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जांच क्यों करवाई गई ? क्या सरकार के किसी वरिष्ठ अधिकारी ने धन का दुर्विनियोजन किया था क्या मंत्री महोदय सदन मे केन्द्रीय जांच ब्यूरो का प्रतिवेदन रखेंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : मामला बिलकुल सरल है परन्तु उसे अनावश्यक रूप से जटिल बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है । कटक में भूमि के एक टुकड़े को आकाशवाणी अर्जित करना चाहती थी । अत: सामान्य प्रक्रिया के अनुसार हमने उड़ीसा सरकार से बात की थी कि क्या वें उस भूमि को अर्जित कर सकते हैं । उड़ीसा सरकार ने इसकी सहमति दे दी थी ।

इसी बीच कटक के अतिरिक्त जिलाधीश ने क्षेत्रीय इंजीनियर के कार्यालय को तहसीलदार (सदर) से मिली रिपोर्ट भेजी थी जिसमें कहा गया था कि भूमि एक निजी व्यक्ति श्री पी०के० सभवाल की है और यह भी लिखा था कि भूमि की कीमत 2 लाख रुपये प्रति एकड़ है । भूमि लेने का निर्णय करने के बाद भारत सरकार ने राज्य सरकार से भूमि अर्जित करने को कहा । भारत सरकार का प्रत्यक राज्य में ऐसे कार्यों के लिए कोई कार्यालय नहीं है । अत: राज्य सरकार से अजन के लिए कहना एक सामान्य प्रक्रिया है । उसके बाद पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया और राशि दे दी गई । जमीन के लिए 5 लाख रुपये मांगे गए थे जिसके बदले में 4,18,000 रुपये जमा करा दिए गए थे ।

श्री सुरेन्द्र महन्ती : फिर केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच क्यों करवाई गई ?

श्री आई० के० गुजराल : जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि यह भूमि श्री पी० के० समवाल की थी जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव थे । फिर हमें बताया गया कि चूंकि यह भूमि एक व्यक्ति की है, इस लिए भूमि अर्जन अधिकारी को पहले भूमि के स्वामित्व के बारे में जांच करनी होगी । अधिकारी ने जांच करके भूमि की कीमत 5 लाख रुपये आंकी और यह राशि उड़ीसा सरकार के खजाने में जमा करा दी गई थी । जहाँ तक भारत सरकार का सम्बन्ध है सरकार इस मामले से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित नहीं है ।

इसके बाद केन्द्रीय जांच ब्यूरो को यह शिकायत मिली कि श्री पी० के० समवाल ने भूमि अर्जन अधिकारी को गलत बयान दिया था । जांच करने पर पता चला कि यह भूमि श्री बी० के० समवाल को पट्टे पर दी गई थी और यह अवधि एक वर्ष में समाप्त होने वाली थी । अत: भूमि का मूल्य कम होना चाहिए था । इसका लाभ उठाते हुए उन्होंने यह अनुभव किया कि भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने इस मामले में सांठ गांठ करके श्री समवाल को आर्थिक लाभ पहुंचाने का प्रयत्न किया । अत: हमने केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच के आधार पर उड़ीसा सरकार से सिफारिश की कि वह भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के अन्तर्गत अपने स्तर पर कार्यवाही करे । हम भी इस मामले में आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं । मेरा सुझाव है कि इस मामले को राजनीतिक रूप नहीं देना चाहिए । यह सच है कि जब लेन-देन का कार्य हुआ, उस समय उड़ीसा में कई दलों की सरकार थी । फिर भी मैं इस मामले को राजनीतिक रंग नहीं देना चाहता । श्रीमती नंदिनी सत्पथी का इस मामले से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई सम्बन्ध नहीं है । माननीय सदस्य ने प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रखने के लिए कहा है परन्तु सदन की ऐसी प्रक्रिया नहीं रही है । मैं नहीं चाहता कि प्रक्रिया से हट कर कोई काम किया जाए ।

इसके बाद लोक सभा मंगलवार 26 नवम्बर, 1974/5 अग्रहायण, 1896 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on Tuesday, November 26, 1974/ Agrahayana 5, 1896 (Saka).

भा०स०मु०ना०—से 9—38 लोक सभा/74—27-2-75—200